सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) (v) में निर्देशित}

मैनुअल – पांच

(चार खण्डों में)

(खण्ड – तीन)

कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

हरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

{धारा – 4 (1) (ख) (v) में निर्देशित}

मैनुअल – पांच

(चार खण्डों में)

(खण्ड – तीन)

कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

हरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
{सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 (1) (ख) (V) में निर्देशित}

मैनुअल–पॉच
(चार खण्डों में)
(खण्ड – तीन)
शहरी विकास की निदेशालय में उपलब्ध अधिनियम, नियमावली,
विशय–सूची

क्रम संख्या	विषय
1.	प्रस्तावना
2.	
3.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1065 /श0वि0–आ0/2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
4.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1064 /श0वि0–आ0/2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश निगम, 1959) अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
5.	चौहत्तरवां (संविधान संशोधन) अधिनियम, 1992
6.	आदर्श जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली उत्तराखण्ड, 2003
7.	उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021
8.	नगरपालिका (अकेन्द्रीयत) सेवा निवृति लाभ विनियमावली, 1984
9.	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000
10.	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2003
11.	उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या – 422/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, देहरादून दिनांक 31 जनवरी 2005 उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) (उत्तराखण्ड अधिनियम 11 सन् 2005)
12.	उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या – 423/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, देहरादून दिनांक 31 जनवरी 2005 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम 12 वर्ष 2005)
13.	उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास/आवास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 1412 /श0वि0आ0 – 2003 – 285 (श0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 30 अगस्त 2003
14.	उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या – 2312/श0वि0– आ0 – 2003–261 (श0वि0)/2003 देहरादून दिनांक 15 सितम्बर 2003
15.	उत्तराखण्ड शासन, आवास शहरी विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2140 /श0वि0आ0 –03–261 (श0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2003
16.	उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास एवं आवास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2129/श0वि0 –आ0–03–261 (श0वि0)/2003, देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2003
17.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र और अपील पर शुल्क) नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002

	(अधिसूचना संख्या–1077/श0वि0आ0/2002 –238/न0वि0 देहरादून दिनांक 8 नवम्बर 2002)
18.	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, 1960) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 अधिसूचना संख्या–1075/श0वि0–आ0/ 2002– 238 (न0वि0)/ 2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002
19.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1073/श0वि0–आ0/2002–270(न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रियत सेवा नियमावली, 1966) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
20.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1071/श0वि0 – आ0/2002–270 (न0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर, 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002
21.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1070/श0वि0 – आ0/2002–270 (श0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक अपील नियमावली 1967) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
22.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1067/श0वि0 – आ0/2002–270 (श0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक आचरण विनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
23.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1069/श0वि0 – आ0/2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिशद सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) विनियमावली, 1960) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002
24.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1066 /श0वि0–आ0 /2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002
25.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1072/श0वि0–आ0/2002–270 (न0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश (केन्द्रियत) सेवा, सेवा निवृति लाभ, नियमावली 1981) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
26.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं नगर विकास अनु – 1 की अधिसूचना संख्या – 3031ए/210 0वि0आ0 – 02–285/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002
27.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2812/2002–श0वि0आ0 – 04 (न0वि0)/2002 – टी0सी0 – II देहरादून दिनांक, 17 अक्टूबर, 2002
28.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2811/ 2002–210 0वि0आ0–04 (न0वि0)/2002 – टी0सी0 – II देहरादून 17 अक्टूबर 2002
29.	उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या – 2813 /2002–श0वि0/आ0–04(न0वि0)/2002 – टी0सी0–II देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर 2002

30.	उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या – 225/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002 देहरादून 02 जुलाई 2002 उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2002
31.	उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या–16/नौ–4–97–एल0जी0/97, दिनांक 06–01–1997
32.	उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या–3105/11–4–33–2सी.एस.(जनरल)/88, दिनांक 18–06–1988
33.	उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास विभाग का कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2403/V–श0वि9–05–116(सा0)05, देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2005
34.	उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या–3084/28–1–2004, दिनांक 29–11–2006
35.	उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास विभाग का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1553/V–श0वि0–06–308(श0वि0)/02, देहरादून दिनांकः 30 जून, 2006
36.	उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास विभाग का पत्र सं0 4086/V–श0वि0–05–285(न0वि0)/01, दिनांक 23–01–2006
37.	मौहल्ला स्वच्छता समितियों के गठन सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या – 205/सचिव, 0वि0, आ0/2003/शहरी विकास अनुभाग, देहरादून 03–07–2003 एवं शासनादेश संख्या – 254/श0वि0आ0/स्व0स0/2003 /शहरी विकास अनुभाग देहरादून 13–08–2003
38.	निदेशक शहरी विकास, उत्तराखण्ड द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 2874/श0वि0 देहरादून दिनांक 31–10– 2003
39.	उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या–2187, दिनांक 18–07–2002
40.	उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या–1216/IV-3/2017–11(03 निर्वा0)/2017, दिनांक 06–04–2017
41.	उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या–2401/IV-3/2017–01(24 न0नि0)/2017, दिनांक 04–12–2017
42.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या – 3751/V/श0वि0–06–151(श0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 06–10–2006
43.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या – 1198/IV(1)/2009–02(घो0)/2008, दिनांक 05–11–2011
44.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1216/IV(1)/2011–03(घो0)/2008, दिनांक 08–12–2011
45.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1199/IV(1)/2011–01(घो0)/2008, दिनांक 08–12–2011
46.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–213/IV(1)/2012–02(घो0)/2009, दिनांक 17–04–2012
47.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–668/IV(1)/2012–05(घो0)/2009, दिनांक 05–07–2012
48.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–669/IV(1)/2012–03(घो0)/2009, दिनांक 05–07–2012
49.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–581/IV(1)/2012–01(घो0)/2011, दिनांक 09–07–2012
50.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–729/IV(1)/2012–24(सा0)/2004, दिनांक 23–07–2012
51.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–116/IV(1)/2014–01(19)/2012, दिनांक 08–02–2014

52.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–118 / IV(1) / 2014–04(नियम) / 2011, दिनांक 08–02–2014
53.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–123 / IV(1) / 2014–01(घो0) / 2009, दिनांक 08–02–2014
54.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–119 / IV(1) / 2014–03(घो0) / 2011, दिनांक 08–02–2014
55.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–120 / IV(1) / 2014–19(सा0) / 2004, दिनांक 08–02–2014
56.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–122 / IV(1) / 2014–01(36) / 2012, दिनांक 08–01–2014
57.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–183 / IV(1) / 2014–01(10) / 2014, दिनांक 07–10–2014
58.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1293 / IV(3) / 2016–01(10) / 2014, दिनांक 22–08–2016
59.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–185 / IV(1) / 2014–01(13) / 2014, दिनांक 07–10–2014
60.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–332 / VI(3) / 2015–304(सा0) / 2005, दिनांक 11–02–2015
61.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–573 / IV(3) / 2015–02(घो0) / 2014, दिनांक 13–02–2015
62.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–726 / IV(3) / 2014–02(घो0) / 2014, दिनांक 11–02–2015
63.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– / IV(3) / 2015–09(06) / 2014, दिनांक 26–05–2015
64.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1289 / IV(3) / 2015–02(घो0) / 2015, दिनांक 01–08–2015
65.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1291 / IV(3) / 2015–04(घो0) / 2015, दिनांक 01–08–2015
66.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1564 / IV(3) / 2015–03(घो0) / 2015, दिनांक 14–09–2015
67.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1630 / IV(3) / 2015–129(सा0) / 2004, दिनांक 19–09–2015
68.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1661 / IV(3) / 2015–03(आश्वासन) / 2008, दिनांक 24–09–2015
69.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2045 / IV(3) / 2015–01(घो0) / 2014, दिनांक 17–11–2015
70.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–3063 / IV(3) / 2016–01(15) / 2013, दिनांक 26–02–2016
71.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–24 / IV(3) / 2017–06(08) / 2015, दिनांक 03–01–2017
72.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1398 / IV(3) / 2021–01(02न0नि0) / 2020, दिनांक 01–09–2021
73.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1362 / IV(3) / 2015–06(11) / 2015, दिनांक 13–10–2015
74.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–97 / IV(3) / 2016–06(06) / 2015, दिनांक 23–01–2016 नगर पालिका परिषद, महुआखेड़ागंज।
75.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1093 / IV(3) / 2016–07(घो0) / 2015, दिनांक 12–07–2016 नगर पंचायत, पीपलकोटी

76.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–23 / IV(3) / 2017–08(घो0) / 2015, दिनांक 03–01–2017 नगर पंचायत, चमियाला।
77.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2215 / IV(3) / 2018–01(12) / 2010, दिनांक 06–08–2018 नगर पालिका परिषद, श्रीनगर।
78.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2018 / IV(3) / 2017–01(15) / 2009, दिनांक 03–10–2017 नगर पंचायत, कीर्तिनगर।
79.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1821 / IV(3) / 2015–01(33) / 2011, दिनांक 14–10–2015 नगर निगम, रूड़की।
80.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2197 / IV(3) / 2017–01(33) / 2011, दिनांक 10–11–2017 नगर निगम, रूड़की।
81.	उत्तराखण्ड शासन की शुद्धि पत्र संख्या–3183 / IV(3) / 2018–01(33) / 2011, दिनांक 28–11–2018 नगर निगम, रूड़की।
82.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–3253 / IV(3) / 2018–01(33) / 2011, दिनांक 06–12–2018 नगर निगम, रूड़की।
83.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1881 / IV(3) / 2017–01(19न0नि0) / 2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, ऊखीमठ।
84.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1882 / IV(3) / 2017–01(4 न0नि0) / 2017, दिनांक 24–12–2017 नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर।
85.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1884 / IV(3) / 2017–01(17 न0नि0) / 2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पालिका परिषद, गदरपुर।
86.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1887 / IV(3) / 2017–01(14 न0नि0) / 2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी।
87.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1888 / IV(3) / 2017–01(11 न0नि0) / 2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, झबरेड़ा।
88.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1889 / IV(3) / 2017–01(15 न0नि0) / 2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, दिनेशपुर।
89.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1890 / IV(3) / 2017–01(7 न0नि0) / 2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, लण्ढौरा।
90.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1963 / IV(3) / 2017–01(16 न0नि0) / 2017, दिनांक 27–10–2017 नगर पालिका परिषद, सितारगंज।
91.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2291 / IV(3) / 2017–01(53) / 2010, दिनांक 20–11–2017 नगर निगम, रूद्रपुर।
92.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2294 / IV(3) / 2017–01(10 न0नि0) / 2017, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिषद, विकासनगर।
93.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2300 / IV(3) / 2017–01(20 न0नि0) / 2017, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिषद, टनकपुर।
94.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2302 / IV(3) / 2017–01(12 न0नि0) / 2017, दिनांक 20–11–2017 नगर पंचायत, शक्तिगढ़।
95.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2335 / IV(3) / 2017–01(14) / 2012, दिनांक 23–11–2017 नगर निगम, हरिद्वार।
96.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1880 / IV(3) / 2017–04(घो0) / 2009, दिनांक 24–11–2017 नगर पंचायत, अगस्तमुनि।
97.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1886 / IV(3) / 2017–01(43) / 2010, दिनांक 24–10–2017 नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर।

98.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1896 / IV(3) / 2017–02(घो0) / 2015, दिनांक 25–10–2017 नगर पालिका परिषद, बड़कोट।
99.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2295 / IV(3) / 2017–01(17 न0नि0) / 2012 टी0सी0–2, दिनांक 20–11–2017 नगर पंचायत, भीमताल।
100.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2299 / IV(3) / 2017–09(06) / 2014, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिषद, डोईवाला।
101.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2301 / IV(3) / 2017–04(घो0) / 2015, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग।
102.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2303 / IV(3) / 2017–03(घों0) / 2015, दिनांक 20–11–2017 नगर पंचायत, गुलरभोज।
103.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2353 / IV(3) / 2017–01(55) / 2010, दिनांक 27–11–2017 नगर निगम, काशीपुर।
104.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2379 / IV(3) / 2017–01(09 न0नि0) / 2017, दिनांक 30–11–2017 नगर पालिका परिषद, भवाली।
105.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2400 / IV(3) / 2017–01(13 न0नि0) / 2017, दिनांक 04–12–2017 नगर पालिका परिषद, जोशीमठ।
106.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2095 / IV(3) / 2017–01(55) / 2010, दिनांक 19–12–2017 नगर निगम, काशीपुर।
107.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2381 / IV(3) / 2017–303(सा0) / 2005, दिनांक 30–11–2017 नगर पालिका परिषद, खटीमा।
108.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2447 / IV(3) / 2017–01(13) / 2012, दिनांक 08–12–2017 नगर निगम, हल्द्वानी।
109.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2475 / IV(3) / 2017–06(07) / 2016, दिनांक 12–12–2017 नगर पालिका परिषद, देवप्रयाग।
110.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2587 / IV(3) / 2017–387(न0वि0) / 2001, दिनांक 21–12–2017 नगर निगम, देहरादून।
111.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–924 / IV(3) / 2018–387(न0वि0) / 2001, दिनांक 05–04–2018 नगर निगम, देहरादून।
112.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–25 / IV(3) / 2017–01(05 न0नि0) / 2017, दिनांक 02–01–2018 नगर पालिका परिषद, बाजपुर।
113.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–69 / IV(3) / 2018–06(04) / 2015, दिनांक 05–01–2018 नगर पालिका परिषद, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी।
114.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–119 / IV(3) / 2018–09(06) / 2014, दिनांक 10–01–2018 नगर पालिका परिषद, डोईवाला।
115.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–905 / IV(3) / 2018–01(55) / 2010, दिनांक 05–04–2018 नगर निगम, काशीपुर।
116.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–906 / IV(3) / 2018–01(01) / 12 टी0सी0–14, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश।
117.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–913 / IV(3) / 2018–06(02) / 2016, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा।
118.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–934 / IV(3) / 2018–01(02 न0नि0) / 2017, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिषद, बागेश्वर।
119.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–940 / IV(3) / 2018–01(01) / 2012 टी0सी0–1, दिनांक 06–04–2018 नगर निगम, ऋषिकेश।

120.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–911/IV(3)/2018–01(13)/2012, दिनांक 05–04–2018 नगर निगम, हल्द्वानी।
121.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–914/IV(3)/2018–01(22 न0नि0)/2014, दिनांक 05–04–2018 नगर पंचायत, नन्दप्रयाग।
122.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–916/IV(3)/2018–06(17)/2015, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिषद, किच्छा।
123.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–920/IV(3)/2018–01(06 न0नि0)/2017, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिषद, कोटद्वार।
124.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–939/IV(3)/2018–01(06 न0नि0)/2017, दिनांक 06–04–2018 नगर निगम, कोटद्वार।
125.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–921/IV(3)/2018–01(03 न0नि0)/2017, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़।
126.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1926/IV(3)/2019–01(11 घो0)/2018, दिनांक 22–08–2019 नगर पंचायत, चौखुटिया।
127.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–2101/IV(3)/2015–06(घो0)/2011, दिनांक 20–11–2015 नगर पंचायत, सेलाकुई।
128.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–810/IV(3)/2021–06(घो0)/2011, दिनांक 29–04–2021 नगर पंचायत, सेलाकुई।
129.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1165/IV(3)/2021–02(न0पं0)/2016, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, ढण्डेरा।
130.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–823/IV(3)/2021–01(03 न0नि0)/2020, दिनांक 19–05–2021 नगर पंचायत, पाण्डलीगुर्जर।
131.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1166/IV(3)/2021–01(15 घो0)/2019, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, लालपुर।
132.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1167/IV(3)/2021–01(08 घो0)/2019, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, गरूड़।
133.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1168/IV(3)/2021–01(06 घो0)/2019, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, थलीसैण।
134.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1216/IV(3)/2021–01(14 घो0)/2019, दिनांक 29–07–2021 नगर पंचायत, सिरोली कलां।
135.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1246/IV(3)/2021–01(01 न0नि0)/2020, दिनांक 04–08–2021 नगर पंचायत, इमलीखेड़ा।
136.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1884/IV(3)/2021–सी0एम0(04 घो0)/2011, दिनांक 31–12–2021 नगर पालिका परिषद, लोहाघाट।
137.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1838/IV(3)/2021–01(04 घो0)/2019, दिनांक 21–12–2021 नगर पालिका परिषद, नगला।
138.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1853/IV(3)/2021–01(01 न0नि0)/2021, दिनांक 27–12–2021 नगर पंचायत, तपोवन।
139.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–166/IV(3)/2021–01(07 न0नि0)/2021, दिनांक 31–03–2022 नगर पंचायत, सुल्तानपुर आदमपुर।
140.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–52110/IV(3)/2021–01(10 घो0)/2021, दिनांक 25–07–2022 नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट।
141.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–69075/IV(3)/2022–01(13)/2012 टी0सी0, दिनांक 10–10–2022 नगर निगम, हल्द्वानी।

142.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–141882 / IV(3) / 2023–01(11 घो0) / 2021, दिनांक 31–07–2023 नगर पालिका परिषद, बेरीनाग।
143.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–172175 / IV(3) / 2023–01(04 न0नि0) / 2017, दिनांक 01–12–2023 नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर।
144.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–70714 / IV(3) / 2023–01(15) / 2009, दिनांक 06–12–2023 नगर पंचायत, कीर्तिनगर।
145.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–182220 / IV(3) / 2023–01(17) / 12, दिनांक 18–12–2023 नगर पालिका परिषद, भीमताल।
146.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–180290 / IV(3) / 2023–151(श0वि0) / 2002, दिनांक 09–01–2024 नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग।
147.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–199016 / IV(3) / 2024–01(01 घो0) / 2021, दिनांक 15–03–2024 नगर पंचायत, गुप्तकाशी।
148.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–199712 / IV(3) / 2024–01(07 घो0) / 2021, दिनांक 18–03–2024 नगर पंचायत, मुनस्यारी।
149.	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–780 / IV(3) / 2024–01(3न0नि0) / 2023, दिनांक 19–06–2024 नगर पालिका परिषद, खटीमा।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख) के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी को संगठन/विभाग से सम्बन्धित सभी सूचनाएं जो धारा 4(1)(ख) की उपधारा (ii) से (xvii) में उल्लिखित हैं, को प्रकाशित करना बाध्यकारी है, ताकि संगठन से सम्बन्धित सूचनाएं जनता के लिए सहज रूप से पहुॅच योग्य हों। अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शहरी विकास निदेशालय द्वारा 17 मैनुअल निम्नवत् प्रकाशित किये गये हैः

मैनुअल – एक, दो, तीन और चार
मैनुअल – पांच (चार खण्ड़ों में)
मैनुअल – छः, सात, आठ और नौ
मैनुअल – दस, ग्यारह, बारह और तेरह
मैनुअल – चौदह, पन्द्रह, सोलह और सत्रह

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड का गठन माह अगस्त 2001 में हुआ है। वर्तमान में शहरी विकास निदेशालय में विभिन्न संवर्गो में 70 पद सृजित/आवंटित है, जिसके सापेक्ष में मात्र 51 अधिकारी/कर्मचारी निदेशालय में तैनात है। इसके बावजूद शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी/कर्मचारियों ने अभिलेख और सूचनाओं के रख–रखाव में कठिन परिश्रम किया है जिसका समावेश 17 मैनुअल में किया गया है।

शहरी विकास निदेशालय के मैनुअल वर्ष 2006 तैयार करने में मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, उत्तराखण्ड और सूचना आयोग उत्तराखण्ड के अधिकारियों का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जिसके परिणाम स्वरूप मैनुअल का प्रकाशन सम्भव हो पाया था।

मैनुअल संख्या पांच जिसमें शहरी विकास से सम्बन्धित अधिनियम, अधिसूचनाएं व शासनादेश प्रकाशित हैं, को जून, 2024 तक अद्यतन करते हुए मैनुअल संख्या पांच की एक–एक प्रति राज्य सूचना आयोग के आदेशानुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय भेजी जा रही है ताकि जनता को वांछित सूचना स्थानीय निकाय में ही उपलब्ध हो सके।

शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअल तैयार करने में निदेशालय के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने विशेष प्रयास व परिश्रम किया है। इसके लिए निदेशालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअल मा0 आयोग द्वारा वर्ष 2006 में अनुमोदित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 की उपधारा (2) में यह निर्देश है कि प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अक्सर, स्वप्रेरणा से, जनता का नियमित अंतरालो पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़ा। अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शहरी विकास निदेशालय द्वारा इन प्रकाशनों को नियमानुसार नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहेगा। समस्त स्थानीय निकायों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने–अपने मैनुअल नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे। शहरी विकास निदेशालय के 17 सूचना मैनुअलों को जून, 2023 तक की सूचनाओं सहित चतुर्थ संस्करण के रूप में अद्यतन किया जा रहा है।

(नितिन सिंह भदौरिया)
निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
{सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 (1) (ख) (V) में निर्देशित}

मैनुअल–पाँच
(तीन खण्डों में)

शहरी विकास की निदेशालय में उपलब्ध अधिनियम, नियमावली, मैनुअल आदि अभिलेख

शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड के कार्यालय में विभिन्न अधिनियम, नियमावली अभिलेख उपलब्ध हैं जिसका उपयोग हरी विकास निदेशालय के स्तर पर और उत्तराखण्ड की स्थानीय नगर निकायों द्वारा कार्य व दायित्वों के सम्पादन हेतु किया जाता है। इन अभिलेखो का प्रकाशन मैनुअल पांच के खण्ड एक, खण्ड दो एवं खण्ड तीन में प्रकाशन निम्नवत् किया गया हैः –

खण्ड – एक

दस्तावेज का नाम

- उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916
- नगरपालिका (केन्द्रीयत) सेवा नियमावली, 1966
- नगर पालिका (केन्द्रीयत सेवा) सेवा निवृत लाभ नियमावली, 1981
- उ0प्र0 नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994.
- उ0प्र0 नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994.
- उ0प्र0 नगरपालिका परिषद (कक्ष समितियॉ) नियमावली, 1995.
- उ0प्र0 नगरपालिका सेवक अपील नियमावली, 1967.
- नगरपालिका परिषद के सेवकों का प्रतिधारण और सेवा निवृत्ति विनियम, 1965.
- उ0प्र0 नगरपालिका परिषद सेवक (जांच, दण्ड और सेवा मुक्ति) नियमावली, 1960.
- नगरपालिका सेवक आचरण विनियम।
- नगरपालिका कर्मचारियों की पदच्युति, पद से हटाने अथवा पदोन्नति से सम्बन्धित विनियम.
- राजनीति का अपराधीकरण–

निर्वाचन प्रक्रिया में अपराधियों का प्रत्याशी के रूप में भाग लेना – अपराध के लिए सिद्ध दोश ठहराये जाने पर अर्नहता–अपील तथा जमानत का प्रभाव के सम्बन्ध में।

- शासन की अधिसूचना संख्या–422/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, दिनांक 31–01–2005।
- उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959
- उ0प्र0 नगर निगम (निर्वाचक नामावली तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994
- नगर निगम (स्थानों का आरक्षण और आवंटन नियमावली), 1994.
- उ0प्र0 नागर निकाय के निर्वाचन (जाति प्रमाण पत्र) आदेश, 1999.

खण्ड – दो

- उ0प्र0 वित्त हस्त पुस्तिका भाग–2 से 4 तक

उत्तर प्रदेश मूल नियम (नियम 1 से नियम 130 तक)

(i) सेवा की समान्य शर्तें
(ii) वेतन
(iii) वेतन में परिवर्द्धन
(iv) नियुक्तियों का संयोजन
(v) भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति
(vi) पदच्युति, पृथक्करण तथा निलम्बन
(vii) सेवा निवृति
(viii) अवकाश
(ix) कार्य ग्रहण काल
(x) बाह्य सेवा
(xi) स्थानीय निधियों के अंतर्गत सेवा

सहायक नियम (नियम 1 से नियम 208 तक)
प्रतिनिधायन
प्रपत्र

- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेंट) नियमावली, 2017
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2021
- म्युनिसिपल एकाउन्ट कोड

चैप्टर – i सामान्य सिद्धान्त और नियम
चैप्टर – ii चुंगी आदि से भिन्न कर जैसे किराया शुल्क आदि
चैप्टर – iii अन्य राजस्व
चैप्टर – iv जलापूर्ति
चैप्टर – v लोक निर्माण
चैप्टर – vi स्टोर्स एण्ड एकाउन्टस्
चैप्टर – vii इस्टैब्लिशमेन्ट एण्ड अदर चार्जेस
चैप्टर – viii म्युनिसिपल आफिस एकाउन्ट
चैप्टर – ix रजिस्टर आफ लोन्स
चैप्टर – x चुंगी
फार्म्स

- उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउन्टिंग मैनुअल, 2021

खण्ड – तीन

- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1065 /श0वि0–आ0/2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1064 / श0वि0–आ0 / 2002–270 (न0वि0) / 2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश निगम, 1959) अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- चौहत्तरवां (संविधान संशोधन) अधिनियम, 1992
- आदर्श जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली उत्तराखण्ड, 2003
- उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021
- नगरपालिका (अकेन्द्रीयत) सेवा निवृति लाभ विनियमावली, 1984
- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000
- नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2003
- उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या – 422 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005, देहरादून दिनांक 31 जनवरी 2005 उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916) (तृतीय संशोधन) (उत्तराखण्ड अधिनियम 11 सन् 2005)
- उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या – 423 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005, देहरादून दिनांक 31 जनवरी 2005 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम 12 वर्ष 2005)
- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास / आवास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 1412 / श0वि0आ0 – 2003 – 285 (श0वि0) / 2002, देहरादून दिनांक 30 अगस्त 2003
- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या – 2312 / श0वि0–आ0 – 2003–261 (श0वि0) / 2003 देहरादून दिनांक 15 सितम्बर 2003
- उत्तराखण्ड शासन, आवास शहरी विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2140 / श0वि0आ0 –03–261 (श0वि0) / 2002, देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2003
- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास एवं आवास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2129 / श0वि0 –आ0–03–261 (श0वि0) / 2003, देहरादून दिनांक 29 अगस्त 2003
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र और अपील पर शुल्क) नियमावली, 1983) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002
- (अधिसूचना संख्या–1077 / श0वि0आ0 / 2002 –238 / न0वि0 देहरादून दिनांक 8 नवम्बर 2002)
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, 1960) अनुकूलन एव उपान्तरण आदेश 2002 अधिसूचना संख्या–1075 / श0वि0–आ0 / 2002– 238 (न0वि0) / 2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1073 / श0वि0–आ0 / 2002–270(न0वि0) / 2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002
- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका (केन्द्रियत सेवा नियमावली, 1966) अनूकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1071 / श0वि0 – आ0 / 2002–270 (न0वि0) / 2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर, 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1070/श0वि0 – आ0/2002–270 (श0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक अपील नियमावली 1967) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1067/श0वि0 – आ0/2002–270 (श0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका सेवक आचरण विनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1069/श0वि0 – आ0/2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिशद सेवक (जांच, दण्ड और सेवामुक्ति) विनियमावली, 1960) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1066 /श0वि0–आ0 /2002–270 (न0वि0)/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या – 1072/श0वि0–आ0/2002–270 (न0वि0)/2002, देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश (केन्द्रियत) सेवा, सेवा निवृति लाभ, नियमावली 1981) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं नगर विकास अनु – 1 की अधिसूचना संख्या – 3031ए/210 0वि0आ0 – 02–285/2002 देहरादून दिनांक 08 नवम्बर 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2812/2002–श0वि0आ0 – 04 (न0वि0)/2002 – टी0सी0 – II देहरादून दिनांक, 17 अक्टूबर, 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 2811/ 2002–210 0वि0आ0–04 (न0वि0)/2002 – टी0सी0 – II देहरादून 17 अक्टूबर 2002
- उत्तराखण्ड शासन, आवास एवं शहरी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या – 2813 /2002–श0वि0/आ0–04(न0वि0)/2002 – टी0सी0–प्प देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर 2002
- उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या – 225/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002 देहरादून 02 जुलाई 2002 उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2002
- उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या–16/नौ–4–97–एल0जी0/97, दिनांक 06–01–1997
- उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या–3105/11–4–33–2सी.एस.(जनरल)/88, दिनांक 18–06–1988
- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास विभाग का कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2403/अ–श0वि9–05–116(सा0)05, देहरादून : दिनांक 13 सितम्बर, 2005
- उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या–3084/28–1–2004, दिनांक 29–11–2006
- उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास विभाग का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1553/ट–श0वि0–06–308(श0वि0)/02, देहरादून दिनांकः 30 जून, 2006
- उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास विभाग का पत्र सं0 4086/V–श0वि0–05–285(न0वि0)/01, दिनांक 23–01–2006

- मौहल्ला स्वच्छता समितियों के गठन सम्बन्धी उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या – 205 / सचिव, 0वि0, आ0 / 2003 / शहरी विकास अनुभाग, देहरादून 03–07–2003 एवं शासनादेश संख्या – 254 / श0वि0आ0 / स्व0स0 / 2003 / शहरी विकास अनुभाग देहरादून 13–08–2003
- निदेशक शहरी विकास, उत्तराखण्ड द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 2874 / श0वि0 देहरादून दिनांक 31–10– 2003
- उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या–2187, दिनांक 18–07–2002
- उत्तराखण्ड षासन का षासनादेष संख्या–1216 / IV-3 / 2017–11(03 निर्वा0) / 2017, दिनांक 06–04–2017
- उत्तराखण्ड षासन का षासनादेष संख्या–2401 / IV-3 / 2017–01(24 न0नि0) / 2017, दिनांक 04–12–2017
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या – 3751 / V / श0वि0–06–151(श0वि0) / 2002 देहरादून दिनांक 06–10–2006
- उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या – 1198 / IV(1)@2009–02(घो0) / 2008, दिनांक 05–11–2011
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1216 / IV(1) / 2011–03(घो0) / 2008, दिनांक 08–12–2011
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1199 / IV(1) / 2011–01(घो0) / 2008, दिनांक 08–12–2011
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–213 / IV(1) / 2012–02(घो0) / 2009, दिनांक 17–04–2012
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–668 / IV(1) / 2012–05(घो0) / 2009, दिनांक 05–07–2012
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–669 / IV(1) / 2012–03(घो0) / 2009, दिनांक 05–07–2012
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–581 / IV(1) / 2012–01(घो0) / 2011, दिनांक 09–07–2012
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–729 / IV(1) / 2012–24(सा0) / 2004, दिनांक 23–07–2012
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–116 / IV(1) / 2014–01(19) / 2012, दिनांक 08–02–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–118 / IV(1) / 2014–04(नियम) / 2011, दिनांक 08–02–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–123 / IV(1) / 2014–01(घो0) / 2009, दिनांक 08–02–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–119 / IV(1) / 2014–03(घो0) / 2011, दिनांक 08–02–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–120 / IV(1) / 2014–19(सा0) / 2004, दिनांक 08–02–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–122 / IV(1) / 2014–01(36) / 2012, दिनांक 08–01–2014

- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–183/IV(1)/2014–01(10)/2014, दिनांक 07–10–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1293/IV(3)/2016–01(10)/2014, दिनांक 22–08–2016
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–185/IV(1)/2014–01(13)/2014, दिनांक 07–10–2014
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–332/VI(3)/2015–304(सा0)/2005, दिनांक 11–02–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–573/IV(3)/2015–02(घो0)/2014, दिनांक 13–02–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–726/IV(3)/2014–02(घो0)/2014, दिनांक 11–02–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या– /IV(3)/2015–09(06)/2014, दिनांक 26–05–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1289/IV(3)/2015–02(घो0)/2015, दिनांक 01–08–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1291/IV(3)/2015–04(घो0)/2015, दिनांक 01–08–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1564/IV(3)/2015–03(घो0)/2015, दिनांक 14–09–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1630/IV(3)/2015–129(सा0)/2004, दिनांक 19–09–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1661/IV(3)/2015–03(आष्वासन)/2008, दिनांक 24–09–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2045/IV(3)/2015–01(घो0)/2014, दिनांक 17–11–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–3063/IV(3)/2016–01(15)/2013, दिनांक 26–02–2016
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–24/IV(3)/2017–06(08)/2015, दिनांक 03–01–2017
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1398/IV(3)/2021–01(02न0नि0)/2020, दिनांक 01–09–2021
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1362/IV(3)/2015–06(11)/2015, दिनांक 13–10–2015
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–97/IV(3)/2016–06(06)/2015, दिनांक 23–01–2016 नगर पालिका परिशद, महुआखेड़ांगंज।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1093/IV(3)/2016–07(घो0)/2015, दिनांक 12–07–2016 नगर पंचायत, पीपलकोटी
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–23/IV(3)/2017–08(घो0)/2015, दिनांक 03–01–2017 नगर पंचायत, चमियाला।

- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2215/IV(3)/2018–01(12)/2010, दिनांक 06–08–2018 नगर पालिका परिशद, श्रीनगर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2018/IV;3)@2017–01(15)/2009, दिनांक 03–10–2017 नगर पंचायत, कीर्तिनगर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1821/IV(3)/2015–01(33)/2011, दिनांक 14–10–2015 नगर निगम, रूड़की।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2197/IV(3)/2017–01(33)/2011, दिनांक 10–11–2017 नगर निगम, रूड़की।
- उत्तराखण्ड षासन की षुद्धि पत्र संख्या–3183/IV(3)/2018–01(33)/2011, दिनांक 28–11–2018 नगर निगम, रूड़की।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–3253/IV(3)/2018–01(33)/2011, दिनांक 06–12–2018 नगर निगम, रूड़की।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1881/IV(3)/2017–01(19न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, ऊखीमठ।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1882/IV(3)/2017–01(4 न0नि0)/2017, दिनांक 24–12–2017 नगर पालिका परिशद, नरेन्द्रनगर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1884/IV(3)/2017–01(17 न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पालिका परिशद, गदरपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1887/IV(3)/2017–01(14 न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1888/IV(3)/2017–01(11 न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, झबरेड़ा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1889/IV(3)/2017–01(15 न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, दिनेषपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1890/IV(3)/2017–01(7 न0नि0)/2017, दिनांक 24–10–2017 नगर पंचायत, लण्ढौरा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1963/IV(3)/2017–01(16 न0नि0)/2017, दिनांक 27–10–2017 नगर पालिका परिशद, सितारगंज।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2291/IV(3)/2017–01(53)/2010, दिनांक 20–11–2017 नगर निगम, रूद्रपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2294/IV(3)/2017–01(10 न0नि0)/2017, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिशद, विकासनगर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2300/IV(3)/2017–01(20 न0नि0)/2017, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिशद, टनकपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2302/IV(3)/2017–01(12 न0नि0)/2017, दिनांक 20–11–2017 नगर पंचायत, षक्तिगढ़।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2335/IV(3)/2017–01(14)/2012, दिनांक 23–11–2017 नगर निगम, हरिद्वार।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1880/IV(3)/2017–04(घा0)/2009, दिनांक 24–11–2017 नगर पंचायत, अगस्तमुनि।

- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1886/IV(3)/2017–01(43)/2010, दिनांक 24–10–2017 नगर पालिका परिशद, हरबर्टपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1896/IV(3)/2017–02(घो0)/2015, दिनांक 25–10–2017 नगर पालिका परिशद, बड़कोट।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2295/IV(3)/2017–01(17 न0नि0)/2012 टी0सी0–2, दिनांक 20–11–2017 नगर पंचायत, भीमताल।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2299/IV(3)/2017–09(06)/2014, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिशद, डोईवाला।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2301/IV(3)/2017–04(घो0)/2015, दिनांक 20–11–2017 नगर पालिका परिशद, कर्णप्रयाग।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2303/IV(3)/2017–03(घों0)/2015, दिनांक 20–11–2017 नगर पंचायत, गुलरभोज।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2353/IV(3)/2017–01(55)/2010, दिनांक 27–11–2017 नगर निगम, काषीपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2379/IV(3)/2017–01(09 न0नि0)/2017, दिनांक 30–11–2017 नगर पालिका परिशद, भवाली।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2400/IV(3)/2017–01(13 न0नि0)/2017, दिनांक 04–12–2017 नगर पालिका परिशद, जोषीमठ।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2095/IV(3)/2017–01(55)/2010, दिनांक 19–12–2017 नगर निगम, काषीपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2381/IV(3)/2017–303(सा0)/2005, दिनांक 30–11–2017 नगर पालिका परिशद, खटीमा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2447/IV(3)/2017–01(13)/2012, दिनांक 08–12–2017 नगर निगम, हल्द्वानी।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2475/IV(3)/2017–06(07)/2016, दिनांक 12–12–2017 नगर पालिका परिशद, देवप्रयाग।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2587/IV(3)/2017–387(न0वि0)/2001, दिनांक 21–12–2017 नगर निगम, देहरादून।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–924/IV(3)/2018–387(न0वि0)/2001, दिनांक 05–04–2018 नगर निगम, देहरादून।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–25/IV(3)/2017–01(05 न0नि0)/2017, दिनांक 02–01–2018 नगर पालिका परिशद, बाजपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–69/IV(3)/2018–06(04)/2015, दिनांक 05–01–2018 नगर पालिका परिशद, बाड़ाहाट, उत्तरकाषी।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–119/IV(3)/2018–09(06)/2014, दिनांक 10–01–2018 नगर पालिका परिशद, डोईवाला।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–905/IV(3)/2018–01(55)/2010, दिनांक 05–04–2018 नगर निगम, काषीपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–906/IV(3)/2018–01(01)/12 टी0सी0–14, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, ऋशिकेष।

- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–913/IV(3)/2018–06(02)/2016, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, अल्मोड़ा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–934/IV(3)/2018–01(02 न0नि0)/2017, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, बागेष्वर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–940/IV(3)/2018–01(01)/2012 टी0सी0–1, दिनांक 06–04–2018 नगर निगम, ऋशिकेष।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–911/IV(3)/2018–01(13)/2012, दिनांक 05–04–2018 नगर निगम, हल्द्वानी।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–914/IV(3)/2018–01(22 न0नि0)/2014, दिनांक 05–04–2018 नगर पंचायत, नन्दप्रयाग।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–916/IV(3)/2018–06(17)/2015, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, किच्छा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–920/IV(3)/2018–01(06 न0नि0)/2017, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, कोटद्वार।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–939/IV(3)/2018–01(06 न0नि0)/2017, दिनांक 06–04–2018 नगर निगम, कोटद्वार।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–921/IV(3)/2018–01(03 न0नि0)/2017, दिनांक 05–04–2018 नगर पालिका परिशद, पिथौरागढ़।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1926/IV(3)/2019–01(11 घो0)/2018, दिनांक 22–08–2019 नगर पंचायत, चौखुटिया।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–2101/IV(3)/2015–06(घो0)/2011, दिनांक 20–11–2015 नगर पंचायत, सेलाकुई।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–810/IV(3)/2021–06(घो0)/2011, दिनांक 29–04–2021 नगर पंचायत, सेलाकुई।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1165/IV(3)/2021–02(न0पं0)/2016, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, ढण्डेरा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–823/IV(3)/2021–01(03 न0नि0)/2020, दिनांक 19–05–2021 नगर पंचायत, पाण्डलीगुर्जर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1166/IV(3)/2021–01(15 घो0)/2019, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, लालपुर।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1167/IV(3)/2021–01(08 घो0)/2019, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, गरूड़।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1168/IV(3)/2021–01(06 घो0)/2019, दिनांक 23–07–2021 नगर पंचायत, थलीसैण।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1216/IV(3)/2021–01(14 घो0)/2019, दिनांक 29–07–2021 नगर पंचायत, सिरोली कलां।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1246/IV(3)/2021–01(01 न0नि0)/2020, दिनांक 04–08–2021 नगर पंचायत, इमलीखेड़ा।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1884/IV(3)/2021–सी0एम0(04 घो0)/2011, दिनांक 31–12–2021 नगर पालिका परिशद, लोहाघाट।

- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1838 / IV(3) / 2021–01(04 घो0) / 2019, दिनांक 21–12–2021 नगर पालिका परिशद, नगला।
- उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–1853 / IV(3) / 2021–01(01 न0नि0) / 2021, दिनांक 27–12–2021 नगर पंचायत, तपोवन।

*****

क्रम संख्या–100 (ग–4)　　　　　　　पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
देहरादून, ुक्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 सम्वत्

उत्तराखण्ड ासन
आवास एवं हरी विकास विभाग

संख्या 1065 / श0वि0–आ0 / 2002–270 (न0वि0) / 2002
देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड ासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन क्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्श निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश नगपालिका अधिनियम, 1916 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.	(1) यह आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ
2.	उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में जहॉ–जहॉ पर ब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहॉं–वहॉं वह ब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।	उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

आज्ञा से,
(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1065A/S.V.-2002-270 S.V./2002 dated November 08, 2002 for general information:

No. 1065A/S.V.-2002-270-S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

Notification

Whereas, under section 87 of the Uttar Pradesh re-organisation Act, 2000 the Uttaranchal Government may by order, make such Adaptation & Modification of the law, by way of repeal of amendment as necessary or expedient;

And, whereas the Uttar Pradesh Nagar Palika Act, 1916 is inforce in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organization Act, 2000;

Now, therefore in exercise of powers conferred under section 87 of Uttaranchal Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Nagar Palika Act, 1916 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order:-

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR PALIKA ACT, 1916) ADAPTATION & MODIFICATION ORDER 2002

Short title and commencement	(1)	This order may be called the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Nagar Palika Act, 1916) Adaptation & Modification order 2002.
	(2)	It shall come into force at one.
“Uttar Pradesh” shall be read as “Uttaranchal”		In the Uttar Pradesh Nagar Palika Act, 1916 wherever the expression “Uttar Pradesh” occurs it shall be read as “Uttaranchal”

By Order,

(P. K. MOHANTY)
Secretary.

क्रम संख्या–100 (ग–3) पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

देहरादून, ुक्रवार, 08 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 17, 1924 सम्वत्

उत्तराखण्ड ासन
आवास एवं हरी विकास विभाग

संख्या 1064 / श0वि0–आ0 / 2002–270 (न0वि0) / 2002
देहरादून, दिनांक 08 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तराखण्ड शेासन, उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तराखण्ड में यथावत् लागू है;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि नगर निगम अधिनियम, 1959 उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगाः–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन और उपान्तरण आदेश, 2002

1.	(1) यह आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ
2.	उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में जहॉ–जहॉ पर ब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहॉ–वहॉ वह ब्द ''उत्तराखण्ड'' पढ़ा जायेगा।	उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना

आज्ञा से,
(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1064A/S.V.-2002-270 S.V./2002 dated November 08, 2002 for general information:

No. 1064A/S.V.-2002-270-S.V./2002
Dated Dehradun, November 08, 2002

Notification

Whereas, under section 87 of the Uttar Pradesh re-organisation Act, 2000 the Uttaranchal Government may by order, make such Adaptation & Modification of the law, by way of repeal of amendment as necessary or expedient;

And, whereas the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959 is inforce in the State of Uttaranchal under section 86 of the Uttar Pradesh Re-organization Act, 2000;

Now, therefore in exercise of powers conferred under section 87 of Uttaranchal Pradesh Re-organisation Act, 2000 (Act No. 29 of 2000), the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959 shall have applicability to the State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order:-

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ACT, 1959) ADAPTATION & MODIFICATION ORDER 2002

Short title and commencement	(1)	This order may be called the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation & Modification order 2002.
	(2)	It shall come into force at one.
"Uttar Pradesh" shall be read as "Uttaranchal"		In the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959 wherever the expression "Uttar Pradesh" occurs it shall be read as "Uttaranchal"

By Order,

(P. K. MOHANTY)
Secretary.

परिष्टि–एक

चौहतरवां (संविधान संशोधन) अधिनियम, 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं से सम्बन्धित संविधान में अन्तःस्थापित अनुच्छेदः–

PART IX-A
THE MUNICIPALITIES

243-P. Definitions- in this Part, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Committee" means a Committee constituted under Article 243-S;
- (b) "district" means a district in a State;
- (c) "Metropolitan area" means an area having a population of ten lakhs or more, comprised in one or more districts and consisting of two or more Municipalities or Panchayats of other contiguous areas, specified by the Governor by public notification to be a Metropolitan area for the purpose of this Part;
- (d) "Municipal area" means the territorial area of a Municipality as is notified by the Governor;
- (e) "Municipality" means an institution of Self-government constituted under Article 243-Q;
- (f) "Panchayat" means a Panchayat constituted under Article 243-B;
- (g) "population" means a population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published.

243-Q. Constitution of Municipalities-(1) There shall be constituted in every State-

- (a) a Nagar Panchayat (by whatever name called) for a transitional area, that is to say an area in transition from a urban area;
- (b) a Municipal Council for a smaller-urban area; and
- (c) a Municipal Corporation for a large urban area.

in accordance with the provision of this Part:

Provided that a Municipality under this clause may not be constituted in such urban area or part thereof as the Governor may, having regard to the size of the area and the municipal services being

provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as he may deem fit, by public notification, specify to be an industrial township.

(2) In this article, “a transitional area”, “a smaller urban area” or “ a larger urban area” means such area as the Governor may, having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors as he may deem fit, specify by public notification for the purposes of this part.

243-R. Composition of Municipalities.-(1) Save as provided in clause (2), all the seats in a Municipality shall be filled by persons chosen by direct election from the territorial constituencies in the Municipal area and for this purpose each Municipal area shall be divided into territorial constituencies to be known as wards.

(2) The Legislature of a State may, by law, provide-

(a) for the representation in a Municipality of-

(i) persons having special knowledge or experience in Municipal Administration;

(ii) the members of the House of the People and the members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies which comprise wholly or partly the Municipal area;

(iii) the member of the Council of States and the members of the Legislative Council of the State registered as electors within the Municipal area;

(iv) the Chairpersons of the Committees constituted under clause (5) of Article 243-S:

Provided that the persons referred to in paragraph (i) shall not have the right to vote in the meetings of the Municipality;

(b) the manner of election of the chairperson of a Municipality;

243-S. Constitution and composition of Wards Committee, etc.-(1) There shall be constituted Wards Committees, consisting of one or more wards, within the territorial area of a Municipality having a population of three lakhs or more.

(2) The Legislature of a State may, by law, make provision with respect to-

(a) the composition and the territorial area of a Wards Committee;

(b) the manner in which the seats in a Wards Committee shall be filled

(3) A member of a Municipality representing a ward within the territorial area of the Wards Committee shall be a member of that Committee.

(4) Where a Wards Committee consists of

(a) one wards, the member representing that ward in the Municipality, or

(b) two or more wards, one of the members representing such wards in the Municipality elected by the members of the Wards Committee shall be the Chairperson of that Committee.

(5) Nothing in this article shall be deemed to prevent the Legislature of State from making any provision for the constitution of committees in addition to the Wards Committees.

243-T. Reservation of seats.-(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in every Municipality and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that Municipality as the population of the Scheduled Castes in the Municipal area or the Scheduled Tribes in the Municipal area bear to the total population of that area and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a municipality.

(2) Not less than one-third of the total number of seats reserved under clause (1) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or as the case may be, the Scheduled Tribes.

(3) Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipality shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Municipality.

(4) The offices of Chairperson in the Municipalities shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and women in such manner as the Legislature of State may, by law, provide.

(5) The reservation of seats under clauses (1) and (2) and the reservation of offices of chairpersons (other than the reservation for women) under clause (4) shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334.

(6) Nothing in this Part shall prevent the Legislature of a State from making any provision for reservation of seats in any Municipalities or officers of Chairpersons in the Municipalities in favour of backward class of citizens.

243-U. Duration of Municipalities, etc.- (1) Every Municipality, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer.

Provided that a Municipality shall be given a reasonable opportunity of being heard before its dissolution.

(2) No amendment of any law for the time being in force shall have the effect of causing dissolution of a Municipality at any level, which is functioning immediately before such amendment, till the expiration of its duration specified in caluse (1).

(3) An election to constitute a Municipality shall be completed.-

(a) before the expiry of its duration specified in clause (1);

(b) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution :

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for constituting the Municipality for such period.

(4) A Municipality constituted upon the dissolution of a Municipality before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued under clause (1) had it not been so dissolved.

243-V. Disqualifications for membership-(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of a Municipality-

(a) if he is so disqualified by or under any law for, the time being in force for the purpose of elections to the Legislature of the State concerned: provided that no person shall be disqualified on the ground that he is

less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years;

(b) if he is so disqualified by or under any law made by the Legislature of the State.

(2) If any question arises as to whether a member of a Municipality has become subject to any of the disqualification mentioned in clause (1), the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the Legislature of a state may, by law, provide.

343-W. Powers, authority and responsibilities of Municipalities etc.- Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, endow-

(a) the Municipalities with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and responsibilities upon Municipalities, subject to such conditions as may be specified therein, with respect to-

    (i) the preparation of plans for economic development and social justice;

    (ii) the performance of factions and the implementation of schemes as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the Twelfth Schedule;

(b) the Committees with such powers and authority as may be necessary to enable them to carry out the responsibilities conferred upon them including those in relation to the matters listed in the Twelfth Schedule.

243-X. Power to impose taxes by, and Funds of, the Municipalities.- The Legislature of a State may, by law,-

(a) aurhorise a Municipality to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits;

(b) assign to a Municipality such taxes, duties and tolls and fees levied and collected by the State Government for such purposes and subject to such conditions and limits;

(c) provide for making such grant-in-aid the Municipalities form the Consolidated Fund of the State; and

(d) provide for constitution of such Funds for crediting all moneys received, respectively, by or on behalf of the Municipalities and also for the withdrawal of such moneys therefrom, as may be specified in the law.

243-Y. Finance Commission-(1) The Finance Commission constituted under Article 243-I shall also review the financial position of the Municipalities and make recommendations to the Governor as to-

(a) the principles which should govern-

(i) the distribution between the State and the Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees, leviable by the State, which may be divided between them under this Part and the allocation between the Municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds;

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees, which may be assigned to, or appropriated by, the Municipalities;

(iii) the grant-in-aid to the Municipalities form the Consolidated Fund of the State;

(b) the measures needed to improve the financial position of the Municipalities;

(c) any other matter referred to Finance Commission by the Governor in the interests of sound finance of the Municipalities.

(2) The Governor shall cause every recommendation made by the Commission under this article together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before the Legislature of the State.

243-Z. Audit of accounts of Municipalities.- The Legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts by the Municipalities and the auditing of such accounts.

243-ZA. Elections to the Municipalities.- (1) The superintendence, State may, by law, make provisions with respect to all matter relating to, or in connection with, elections to the Municipalities.

243-ZB. Application to Union territories.- The provisions of this Part shall apply to the Union territories and shall, in the application to a union territory, have effect as if the reference to the Governor of a State were references to the Administrator of the union territory appointed under Article 239 and reference to the Legislature or the Legislative Assembly of a State were references in relation to a Union territory having a Legislative Assembly, to that Legislative Assembly;

Provided that the President may, by public notification, direct that the provisions of this Part shall apply to any Union territory or part thereof subject to such exceptions and modifications as the may specify in the notification.

243-ZC. Part not to apply to certain areas.-(1) Nothing in this Part shall apply to the Scheduled Areas referred to in clause (1), and the tribal areas referred in clause (2), of article 244.

(2) Nothing in this Part shall be construed to affect the functions and powers of the Darjeeling Gorkha Hill Council constituted under any law for the time being in force for the fill areas of the district of Darjeeling in the State of West Bengal.

(3) Not with standing anything in this Constitution, Parliament may, by law, extend the provisions of this Part of Scheduled Area and the tribal areas referred to in clause (1), subject to such exceptions and modifications as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purpose of Article 368.

243-ZD. Committee for district Planning-(1) There shall be constituted in every State at the district level a District Planning Committee to consolidated the plans prepared by the Panchayats and

the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.

(2) The Legislature of a State may, by law, make provision with respect to-

(a) the composition of the District Planning Committees.

(b) the manner in which the seats in such Committee shall filed;

Provided that not less than four-fifths of the total number of members of such Committee shall be elected by, and form amongst, the elected members of the Panchayat at the district level and of the Municipalities in the district in proportion to the ration between the population of the rural areas and of the urban areas in the district:

(c) the functions relating to district planning which may be assigned to such Committee;

(d) the manner in which the Chairpersons of such Committee shall be chosen.

(3) Every District Planning Committee shall, in preparing the draft development plan:-

(a) have regard to-

(i) Matters of common interest between the Panchayats and the Municipalities including spatial planning, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;

(ii) the extent and type of available resources whether financial or otherwise;

(b) consult such institutions and organisation as the Governor may, by order specify.

(4) The Chairperson of every District Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee, to the Government of State.

243-ZE. Committee for Metropolitan planning.-(1) There shall be constituted in every Metropolitan area a Metropolitan Planning Committee to prepare a draft development plan for the Metropolitan area as a whole.

(2) The Legislature of State may, by law, make provision with respect to-

(a) the composition of the Metropolitan Planning Committee:

(b) the manner in which the seats in such Committees shall be filed: Provided that not less than two-thirds of the members of such Committee shall be elected by and from amongst, the elected members of the Municipalities and Chairpersons of the Panchayats in the Metropolitan area in proportion to the ration between the population of the Municipalities and of the Panchayats in that area;

(c) the representation in such Committees of the Government of India and the Government of State and of such organisation and institutions as may be deemed necessary for carrying out the functions assigned to such Committees;

(d) the functions relating to planning and coordination for the Metropolitan area which may be assigned to such Committees;

(e) the manner in which the Chairpersons of such Committees shall be chosen.

(3) Every Metropolitan Planning Committee shall, in preparing the draft development plan,-

(a) have regard to-

(i) the plans prepared by the Municipalities and the Panchayats in the Metropolitan area;

(ii) matters of common interest between the Municipalities and the Panchayats, including coordinated spatial planning of the area, sharing of water and other physical and natural re sources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;

(iii) the overall objectives and priorities set by the Government of India and the Government of the State;

(iv) the extent and nature of the investments likely to be made in the Metropolitan area by agencies of the Government of India and of the

Government of the State and other available resources whether financial of otherwise;

(b) consult such institutions and organisation as the Governor may, by order, specify.

(4) The Chairperson of every Metropolitan Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee, to the Government of the State.

243-ZF. Continuance of existing laws and Municipalities.- Notwithstanding anything in this Part, any provision of any law relating to Municipalities in force in a State immediately before the commencement of the Constitution (seventy-four Amendment) Act, 1992, which is inconsistent, with the provisions of this Part, shall continue to be in force until amended or repealed by a competent Legislature or other competent authority or until the expiration of one year from such commencement, whichever is earlier:

Provided that all the Municipalities existing immediately, before such commencement shall continue till the expiration of their duration, unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the Legislative Assembly of that State or, in the case of a State having a Legislative, Council, by each House of the Legislature of that State.

243-ZG. Bar to interference by courts in electoral matters.- Notwithstanding anything in this Constitution.-

(a) The validity of any law relating to the delimitation of constituencies of the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under Article 243-ZA shall not be called in question in any court;

(b) no election to any Municipality shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the Legislature of a State.

TWELFTH SCHEDULE
(Article 243-W)

1. Urban Planning including town planning.
2. Regulation of land use and construction of buildings.
3. Planning for economic and social development.
4. Roads and bridges.
5. Water supply for domestic, industrial and commercial purposes.
6. Public health, sanitation conservancy and solid waste management.
7. Fire services.
8. Urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects.
9. Safeguarding the interests of weaker sections of society, including the handicapped and mentally retarded.
10. Slum improvement and up gradation.
11. Urban poverty alleviation.
12. Provisions of urban aments and facilities such as parks, gardens, playgrounds.
13. Promotions of cultural, educational and aesthetic aspects.
14. Burials and burial grounds; cremations, cremation grounds and electric crematoriums.
15. Cattle ponds; prevention of cruelty to animals.
16. Vital statistics including registration of births and deaths.
17. Public amenities including street lighting, parking lots, but stops and public conveniences.
18. Regulation of slaughter houses and tanneries.

* * *

उत्तराखण्ड सरकार
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या 1175 / चि–2–2003–567 / 2001
देहरादून : दिनांक 28 अप्रैल, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–18 वर्श 1969) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय जन्म–मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रख्यापित केन्द्रीय आदर्श जन्म–मृत्यु पंजीकरण नियमावली, 1999 उत्तराखण्ड में अधिनियम के प्रर्वतन हेतु अंगीकृत करने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है। जो निम्नवत् होगी :–

आदर्श जन्म–मृत्यु पंजीकरण नियमावली, उत्तराखण्ड, 2003

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 केन्द्रीय (अधिनियम संख्या 18, 1969) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त क्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उत्तराखण्ड, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदर्श नियमावली, 1999 को जन्म मृत्यु पंजीकरण हेतु अंगीकृत करती है, जो निम्नवत् होगी :–

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ	1.	(1)	यह नियमावली उत्तराखण्ड जन्म–मृत्यु पंजीकरण नियमावली, 2003 कहलायेगी।
		(2)	इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। नियमावली के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, इससे पूर्व की जन्म–मृत्यु पंजीकरण के सम्बनध में बनी या लागू नियमावली स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इस नियमावली के नियों के क्रम में किया गया कोई भी परिवर्तन अधिसूचित कर लागू की जा सकेगी।
परिभाशायें	2.		इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
		(क)	''अधिनियम'' का तात्पर्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 से होगा।
		(ख)	''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न प्रपत्र से होगा तथा
		(ग)	''धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से होगा।
गर्भाविधि काल	3.		धारा 2 के उपधारा (1) के खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए गर्भावधि अट्ठाई समाप्त होगी।
धारा 4(4) के अधीन रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना	4.		धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन कोई प्रपत्र संख्या–1 में तैयार की जायेगी और धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्श मुख्य रजिस्ट्रार (मुख्य निबन्धक) द्वारा उस वर्श की जिससे

रिपोर्ट सम्बन्धित हो, अनुवर्ती वर्श की 31 जुलाई तक राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

प्रपत्र इत्यादि जिसमें जन्म–मृत्यु की सूचनायें दी जायेगी

5\. (1) सूचनायें जो रजिस्ट्रार (निबन्धक) की धारा 8 या धारा 9 में दी जानी होगी को क्रम सं0 प्रपत्र 1, 2, 3 में जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म से सम्बन्धित होगी, एतद् पश्चात् सामूहिक रूप से सूचना कहलायेगी। सूचना यदि मौखिक हो, तो निबन्धक ,ारा उसकी उचित सूचना प्रपत्र पर अंकित कर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लिया जायेगा।

(2) सूचना प्रपत्र के वे भाग जिनमें विधि सम्बन्धी सूचना होगी को ''विधिक भाग'' वे भाग जिसमें सांख्यिकीय सूचना होगी ''सांख्यिकीय भाग'' कहा जायेगा।

(3) सूचना जो उपनियम (1) द्वारा जन्म मृत्यु मृत–जन्म के संदर्भ में वांछित है घटना के 21 दिन के अन्दर दी जानी होगी।

किसी वाहन में जन्म अथवा मृत्यु की सूचना

6\. (1) किसी सचल वाहन में जन्म अथवा मृत्यु होने के सम्बन्ध में गाड़ी प्रभारी व्यक्ति रूकने के प्रथम स्थान पर धारा 8 की उपधारा (1) सूचना देगा अथवा दिलवाएगा।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजना में सचल गाड़ी का तात्पर्य थल, नभ अथवा जल में प्रयुक्त किसी भी प्रकार की सवारी से है, तथा इसके अन्तर्गत वायुयान, रेलगाड़ी, मोटरकार मोटर साइकिल तांगा रिक्शा भी है।

(2) ऐसी मृत्यु की दशा में {जो धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ड.) तक के अन्तर्गत नहीं आती हे} जिसमें मृत्यु की समीक्षा की जाय, मृत्यु समीक्षा करने वाला अधिकारी धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सूचना देगा अथवा सूचना दिलवायेगा।

धारा 10(3) के अधीन प्रमाण का प्रपत्र

7\. धारा 10 की उपधारा (3) के अपेक्षानुसार मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या–4 अथवा 4 ए में जारी किया जायेगा, निबन्धक आवश्यक पंजिका में प्रविष्टियां करने के उपरान्त उन सभी प्रमाण पत्रों को मुख्य निबन्धक अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को जिस माह से प्रमाण पत्र सम्बन्धित हो, ठीक अनुवर्ती मास के दसवें दिनांक तक अग्रसारित कर देगा।

धारा 12 के अधीन पंजीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरण का दिया जाना

1\. धारा 12 के अधीन सूचना देने वाले प्रविष्टियों का ब्यौरा व्यक्तियों के जन्म अथवा मृत्यु से सम्बन्धित रजिस्टर से दी जाने वाली प्रविष्टियों के ब्यौरे का उद्धरण यथा स्थिति प्रपत्र संख्या 5 अथवा प्रपत्र संख्या–6 में जैसा हो दी जायेगी।

2\. निवास व गृह सम्बन्धी जन्म, मृत्यु की सूचना धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सीधे जन्म, मृत्यु निबन्धक को घर के मुखिया या संस्थान के मुखिया व उसकी अनुपस्थिति में नजदीकी रिश्तेदार या सबसे बड़े व्यस्क द्वारा दी जायेगी व नजदीकी रिश्तेदार व घर के मुखि

या द्वारा तीस (30) दिन के अन्दर निबन्धक से जन्म अथवा मृत्यु के ब्यौरे उद्धरण प्राप्त करेगा।

3. धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार द्वारा उपधारा (2) द्वारा निर्दिष्ट किये व्यक्ति जिनके द्वारा गृह सम्बन्धी, निवासीय जन्म, मृत्यु की सूचना दी गई हो का दायित्व होगा कि वह निबन्धक द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के तीस (30) दिन के भीतर, सम्बन्धित परिवार के मुखिया या नजदीकी रिश्तेदार को उपलब्ध करायेगा।

4. धारा 8 के उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (ड.) तक संस्थाओं में हुए जन्म, मृत्यु जो उनके द्वारा पंजीकृत कराये जाते हैं की सूचना नवजात व मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार द्वारा संस्था के मुख्यिा से घटना के तीस (30) दिन के अन्दर उस पंजीकरण का उद्धरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता हैं।

5. यदि जन्म, मृत्यु के ब्यौरे के उद्धरण का प्रमाण–पत्र समय सीमा जैसा उप नियम (2) से (4) द्वारा वांछित है सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं कर लिया जाता तो निबन्धक, अथवा निर्दिष्ट अधिकारी अथवा संस्थाकर्ता मुख्यिा जैसा उपनियम (4) द्वारा वर्णित है, जो भी प्रयोज्य हो उपरोक्त सयम सीमा खत्म होने के 15 दिन के भीतर डाक द्वारा सम्बन्धित परिवार को भेजेगा।

विलम्बित पंजीकरण के लिए प्राधिकारों और उसके लिए देय फीस

9\. 1. जन्म, मृत्यु सम्बन्धी जो सूचना निबन्धक को नियम–5 द्वारा निर्धारित सिमय सीमा के बाद परन्तु घटना के तीस दिन के भीतर दी हो तो रू0 2/– (दो रूपये मात्र) विलम्ब ु्ल्क जमा किये जाने के उपरान्त होगा।

2. जन्म, मृत्यु सम्बन्धी सूचना आदि निबन्धक को तीस दिन के बाद किन्तु घटना के सालभर के अन्दर दी जाती है तो पंजीकरण इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित तहसीलदार एवं हरी क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी के लिखित निर्देश पर पांच रूपये (5 रूपये मात्र) विलम्ब ु्ल्क जमा किये जाने के बाद ही पंजीकृत की जायेगी।

3. यदि किसी जन्म और मृत्यु की घटना का सालभर बाद भी पंजीकृत न कराया गया हो तो ऐसी स्थिति में पंजीकरण उपजिलाधिकारी (एस0डी0एम0) के समक्ष इस आशय का पथ पत्र प्रस्तुत करने पर कि पंजीकरण प्रथम बार कराया जा रहा है तथा विलम्ब से पंजीकरण कराने में कोई धोखाधड़ी की मंशा नही है एवं उनके लिखित आदेश पर तथा दस रूपये (रूपये 10/–) विलम्ब ु्ल्क जमा किये जाने पर की जायेगी लिखित आदेश देने से पूर्व उपजिलाधिकारी द्वारा घटना की ु्द्धता का सत्यापन अपेक्षित है।

धारा–14 के प्रयोजनार्थ अवधि	10	1.	जहां शिशु का जन्म नाम के बिना पंजीकृत किया गया हो, वहां ऐसे शिशु का माता–पिता या संरक्षणक, शिशु के जन्म के पंजीरण के दिनांक से बारह मास के भीतर निबन्धक को शिशु के नाम की सूचना मौखिक या लिखित रूप में देगें; परन्तु सूचना 12 महीने के उपरान्त परन्तु 14 वर्श के भीतर दी जाती है तो उसकी गणना निम्न प्रकार की जायेगभ।
		(1)	उस स्थिति में जब पंजीकरण, जन्म, मृत्यु पंजीकरण नियमावली के लागूम किये जाने का पूर्व की हो अथवा
		(2)	उस स्थिति में जब पंजीकरण जन्म,मृत्यु पंजीकरण नियमावली के लागू होने के बाद की हो तो पंजीकरण के उस दिनांक से जो धारा 23 के उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त हो निबन्धक निम्नवत करेगा :– (क) यदि पंजिका उसके पास अनुरक्षित है जन्म पंजिका में सम्बन्धित प्रपत्र के प्रांसगिक स्तम्भ में, पांच रूपये विलम्ब ुल्क दिये जाने के उपरान्त, नाम की प्रविष्टि करेगा। (ख) यदि पंजिका उसके पास नही है तथा सूचना उसे मौखिक रूप से दी गई हो तो वो सारे तथ्यों को इंगित करते हुए एक आख्या तैयार करेगा एवं यदि उसको सूचना लिखित में दी गई हो तो ऐसी सूचना रूपये पांच (रूपये 5/–) के विलम्ब ुल्क के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए जिला रजिस्ट्रार को अग्रसारित करेगा।
		2.	माता–पिता अथवा अभिभवक जैसी स्थिति हो निबन्धक को उसी दे गयी धारा 12 के अन्तर्गत ''ब्यौरे का उद्धरण'' अथवा धारा 17 के अन्तर्गत उसको उपलब्ध करायी गयी सत्यापित प्रविष्टि ब्यौरे का उद्धरण प्रस्तुत करेगा एवं जिसके आधार पर निबन्धक आवश्यक बच्चे के नाम सम्बन्धी पृष्ठांकन करेगा जैसा उपनियम (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रस्तावित है।
जन्म–मृत्यु पंजिका में किसी प्रविष्टि को काटना व ुद्ध करना	11.	1.	यदि निबन्धक को यह सूचना प्राप्त हो कि पंजिका की प्रविष्टि में लेखन सम्बन्धी अथवा कोई प्रांसगिक गलती हो गई है या गलती उसके द्वारा देखी जाती है, यदि सन्तुष्ट हो कि गलती हो गयी है तो वह गली को धारा 15 के प्राविधानों के अन्तर्गत (सुधार कर अथवा निरस्त कर) सुधार करेगा तथा उस गलती की एवं उसके सुधारने के उपरान्त बनी प्रविष्टि के उद्धरण को जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा।
		2.	यदि स्थिति उप नियम (1) में जैसा प्रदत्त है एवं पंजिका निबन्धक जिला रजिस्टार को सूचित करेगा व आवश्यक पंजिका को मांगकर, आवश्यक जांच कर वह सन्तुष्ट

होने के उपरान्त कि संदर्भित गलती हुई है, को सुधार कर आवश्यक संशोधन अंकित करेगा।

3. रजिस्ट्रार से रजिस्टर प्राप्त होने पर जिला रजिस्ट्रार उपनियम (2) में यथा उल्लिखित ऐसी ठीक की गई त्रुटि पर प्रति हस्ताक्षर करेगा।

4. यदि कोई व्यक्ति जन्म, मृत्यु पंजीकरण पंजिका में सबूत के आधार पर किसी प्रविष्टि को तथ्यों के विपरीत सिद्ध कर दिखाता है तो निबन्धक उस प्रविष्टि को धारा 15 के प्राविधानों के अनुरूप उस व्यक्ति से तथ्य सम्बन्धी एक घोशण पत्र प्राप्त कर तथा तथ्य के जानकार दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साक्ष्य में, प्रविष्टि सम्बन्धी तथ्य को सहीं करेगे।

5. उपनियम (1) तथा उपनियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी निबन्धक उन सभी सुधारों की विस्तृत सूचना जिला रजिस्ट्रार को देगा।

6. यदि किसी स्थिति में निबन्धक जांचोपरान्त अपनी संतुष्टि के आधार पर यह सिद्ध पाते है कि जन्म, मृत्यु पंजिका में कोई प्रविष्टि कपटपूर्ण या अनुचित तरीके से की गयी है तो वह तथ्य की पांच आख्या संदर्भ सहित निर्दिष्ट अधिकारी जिसे मुख्य निबन्धक द्वारा धारा 25 के प्राविधानों के अन्तर्गत इस हेतु नियुक्त किया हो को भेजेंगे एवं उससे निर्देश प्राप्ति उपरान्त प्रकरण पर उचित कार्यवाही करेगें।

7. प्रत्येक दशा मे जहां इन नियमों के तहत प्रविष्टि ुद्ध अथवा निरस्त की गयी हो, की सूचना धारा 8 एवं 9 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुपालन में सूचना देने वाले व्यक्ति के स्थायी पते पर भेजी जोयगी।

धारा 16 के अन्तर्गत पंजिका का प्रारूप

12. रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् प्रपत्र 1, 2 एवं 3 के विधि क भाग से जन्म पंजिका के क्रमशः प्रारूप संख्या– 7,8 व 9 बनेगें।

धारा 17 के अधीन सन्देय फीस और डाक व्यय

13. 1. धारा 17 के अधीन की जाने वाली किसी तलाशी, जारी किये जाने वाले किसी उद्धरण अथवा किसी सूचना के अप्राप्य होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र हेतु निम्न फीस देय होगी :–

(क)	प्रथम वर्श में रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किसी एकल प्रविष्टि की तलाशी के लिए	रू0 2.00
(ख)	प्रत्येक वर्श के लिए जिसके निमित्त तलाश की जाये	रू0 2.00
(ग)	प्रत्येक जन्म, मृत्यु से संबंधित उद्धरण दिये जाने के लिए	रू0 2.00
(घ)	जन्म अथवा मृत्यु के अप्राप्य प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए	रू0 2.00

		2.	जन्म, मृत्यु से सम्बन्धी ऐसे उद्धरण निबन्धक द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र संख्या–5 अथवा प्रपत्र संख्या–6 पर जैसा वांछित हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन्, 1872) की धारा 76 के प्राविधानों के अनुरूप प्रमाणित कर जारी किया जायेगा।
		3.	यदि कोई जन्म या मृत्यु का ब्यौरा पंजीकत नहीं पाया जाता तो निबन्धक प्रपत्र संख्या–10 में अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र जारी करेगा।
		4.	कोई ऐसा उद्धरण अथवा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मांगने वाले व्यक्ति को डाक द्वारा महसूल की अदायगी पर भेजा जाना होगा।
धारा 19 (1) के अधीन अन्तराल और कालिक विवरणियों के प्रपत्र	14.	1.	प्रत्येक निबन्धक पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त समस्त रिपोर्ट प्रपत्र के सांख्यिकी भाग को जिसमें माह का पूर्ण ब्यौरा तथा प्रपत्र संख्या 11 पर मासिक रिपोर्ट जन्म, प्रपत्र संख्या 12 पर मासिक रिपोर्ट मृत्यु तथा प्रपत्र संख्या 13 पर मासिक रिपोर्ट मृत–जन्म का सारांश मुख्य निबन्धक अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को अनुवर्ती माह के 5 तारीख से पूर्व भेजेगा।
		2.	निर्दिष्ट अधिकारी उस रिपोटिंग प्रपत्र से मिली सांख्यिकी भाग सम्बन्धी सूचना विलम्बतम प्रत्येक माह के 15 तारीख तक मुख्य निबन्धक को भेजेगा।
धारा 19 (2) के अधीन सांख्यिकीय रिपोर्ट	15.		धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सांख्यिकीय रिपोर्ट विहित स्तम्भो के प्रपत्र जो नियमों से संलग्न होगें और प्रत्येक वर्श के लिए उसके ठीक अनुवर्ती वर्श की 31 जुलाई के पूर्व संकलित की जायेगी और उसके पश्चात् यथा सम्भव ीघ्र किन्तु किसी भी दशा मे ंउस दिनांक से पांच मास के भीतर प्रकाशित की जायेगी।
अपराधों के प्रशमन की र्ते	16.	1.	धारा 23 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, इस अधिनियम के अधीन फौजदारी वाद दायर किये जाने से पूर्व, उस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे मुख्य निबन्धक ने इस हेतु किसी विधेप आदेश द्वारा प्राधिकृत किया हो एवं वह अधिकारी सन्तुष्ट हो कि अपराध बगैर किसी उद्देश्य के चूक होने के कारण प्रथम बार किया गया है।
		2.	किसी ऐसे अपराध का प्रशमन ऐसी धनराशि का जो धारा 23 की उपधारा (1), (2) और (3) के अपराधों के लिए पचास रूपये से और उपधारा (4) के अधीन अपराधों के लिए दस रूपये से अधिक न हो, जिसे उक्त अधिकारी उचित समझे, भुगतान करने पर किया जा सकता है।
धारा 30 (2) (ट) अधीन पंजिका तथा अन्य अभिलेख	17.	1.	जन्म पंजिका, मृत्यु पंजिका, मृत जन्म पंजिका स्थायी महत्व का अभिलेख होगा और इसे नष्ट नहीं किया जा सकेगा।

2. अधिनियम के धारा 13 के अन्तर्गत पंजीकरण करने हेतु निबन्धक को प्रापत आदेश व न्यायालय का आदेश जन्म पंजिका, मृत्यु पंजिका एवं मृत–जन्म पंजिका के अभिनन भाग होंगें एवं इन्हें नष्ट नहीं किया जायेगा।
3. निबन्धक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 10 के उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र को पांच वर्श तक सुरक्षित रखाा जाना होगा।
4. प्रत्येक जन्म पंजिका, मृत्यु पंजिका, मृत जन्म पंजिका उस कलेण्डर वर्श की जिससे वह सम्बन्धित हो के समाप्ति के 12 मास की अवधि के लिए निबन्धक द्वारा अपने कब्जे में रखा जाएगा तत्पश्चात् वह जिला रजिस्ट्रार के सुरक्षित अभिरक्षा निमित्त हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,
आलोक कुमार जैन,
सचिव।

संख्या 1175/चि–2–2003–567/2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार, 2ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड ासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड ासन।
6. महानिदेक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म–मृत्यु, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेशित कि कृपया उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर इसकी 200 प्रतियां ासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गोपन (मंत्रि परिशद) अनुभाग, उत्तराखण्ड ासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अनु सचिव।

प्रपत्र संख्या–2
मृत्यु रिपोर्ट
विधिक सूचनायें
यह भाग मृतक पंजिका में जुड़ेगा
सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा

प्रपत्र संख्या–2
मृत्यु रिपोर्ट
सांख्यिकी सूचनायें
सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा

1. मृत्यु का दिनांक (सही दिवस, मास व वर्श लिखें): 2. (क) मृतक का नाम (पूरा लिखें) (ख) मृतक के स्थायी निवास का पता 3. मृतक का लिंग पुरूश/स्त्री (सूचक ब्द वर्जित) 4. मृतक की आयु (यदि मृतक 1 वर्श से अधिक का हो तो पूर्ण वर्श या एक वर्श से कम हो तो माह में एवं यदि माह से कम हो तो पूर्ण किये दिनों): 5. मृत्यु का स्थान सही का निशान नीचे 1, 2 अथवा 3 पर लगायें (अस्पताल/संस्था का नाम उल्लेख करें, घर का पता या स्थान यदि अन्य हो तो स्थिति) 1. अस्पताल/संस्था नामः– 2. घर पताः– 3. अन्य स्थानः–........ 6. सूचना देने वाले का नाम .... पता .... जब स्तम्भ 1 से 17 तक पूरे भर जाएं तब सूचना देने वाला यहां हस्ताक्षर व तारीख भरेगा। दिनांक ....सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या बांये हाथ के अंगूठे का निशान	7. ग्राम या हर का नाम जहां मृतक का निवास हो (स्थान जहां मृतक वास्तव में रहता था, यह मृत्यु स्थान से भिन्न हो सकता है, यहां घर का पता आवश्यक नहीं है।) क– नाम हर/ग्राम .... ख– क्या हर अथवा ग्राम है (सही का निशान लगायें) 1. हर 2. ग्राम ग– जनपद का नाम ..... घ–राज्य का नाम .... 8. परिवार का धर्म (सही का निशान लगायेंद्धः– 1. हिन्दु, 2. ईसाई, 3. मुसलमान 4. सिक्ख, 5. अन्य 9. मृतक का व्यवसाय (यदि कोई हों अथवा ून्य लिखें) 10. मृत्यु पूर्व किस प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा मिली (सही का निशान लगायें): 1. संस्थागत 2. संस्था के अतिरिक्त चिकित्सा सेवा 3. कोई चिकित्सा सेवा नहीं	11. क्या मृत्यु का कारण चिकित्सीय अभिमत द्वारा प्रमाणित है (सही का निशान लगायें) 1. हां 2. नहीं 12. बीमारी का नाम अथवा मृत्यु का वास्तविक कारण (सभी प्रकार की मृत्युओं के लिए यद्यपित चिकित्सकीय अभिमत द्वारा प्रमाणित नहीं है):–............ 13. यदि मृतक महिल है तो स्पष्ट करें कि क्या मृत्यु गर्भावस्था में हुई, प्रसव के समय हुयी या गर्भान्त के 6 हफ्ते बाद हुईः 1. हां 2. नहीं 14. यदि धूम्रपान का आदि था तो कितने वर्शो से :–––– 15. यदि आदतन किसी प्रकार तम्बाकू चबाते हो तो पिछले कितने वर्शो सेः–––––– 16. क्या आदतन सुपारी, किसी प्रकार का पान मसाला आदि का सेवन करते थे :– 17 क्या राब पीने के आदी थे, (पिछले कितने वर्शो से):– (भरने वाले स्तम्भ समापत हो गये हैं कृपया बाई ओर हस्ताक्षर करें)
निबन्धक द्वारा भरा जाना है। पंजीकरण संख्याः पंजीकरण का दिनांक	निबन्धक द्वारा भरा जाना है। नामः ––––––	

पंजीकरण इकाईः हर/ग्राम तहसील जनपद टिप्पणी (यदि कोई हो) निबन्धक के हस्ताक्षर	जनपदः संकेत संख्या पंजीकरण संख्या पंजीकरण दिनांक तहसीलः मृत्यु की तिथि हर/गांवः लिंगः 1. पुरूश 2. महिला पंजीकरण इकाईः मृत्यु का स्थानः 1. अस्पताल/संस्था, 2. घर नाम व निबन्धक के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या–1
जन्म रिपोर्ट
विधिक सूचनायें
यह भाग जन्म पंजिका में जुड़ेगा
सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा

प्रपत्र संख्या–1
जन्म रिपोर्ट
सांख्यिकी सूचनायें
सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा

1. जन्म का दिनांक (सही दिवस, मास व वर्श लिखें): 2. लिंग पूर्ण महिला व पुरूश अंकित करें:——————— 3. नवजात शिशु का नाम, यदि कोई हो (नाम न होने पर खाली स्थान छोड़े):————— 4. पिता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):————— 5. (क) माता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):————— (ख) माता/पिता के स्थायी निवास का पताः————— 6. जन्म का स्थान (1 अथवा 2 पर सही का निशान लगायें) 1. अस्पताल/संस्था नाम/ पता :— 2. घर पताः— 3. अन्य स्थानः—........ 7. सूचना देने वाले का नाम ... . पता .... जब स्तम्भ 1 से 20 तक पूरे भर जाएं तब सूचना देने वाला यहां हस्ताक्षर व तारीख भरेगा। दिनांक .... सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या बांये हाथ के अंगूठे का निशान	8. ग्राम या हर का नाम जहां माता का निवास हो (मां जहां सामान्यतः रहती है क्योकि प्रसब की जगह भिन्न हो सकती है, वहां का पता आवश्यक नहीं) क– नाम हर/ग्राम .... ख– क्या हर अथवा ग्राम है (सही का निशान लगायें) 1. हर 2. ग्राम ग– जनपद का नाम .... घ– प्रदेश का नाम .... 9. परिवार का धर्म (सही का निशान लगायेंद्धः— 1. हिन्दु, 2. ईसाई, 3. मुसलमान 4. सिक्ख, 5. अन्य 10. पिता का ैक्षिक स्तर (यदि पिता ने कक्षा 7 तक ही पढ़ा हो तो तथा कक्षा 6 की ही परीक्षा पास की हो शिक्षा कक्षा 6 तक ही लिखें) 11. माता का ैक्षिक स्तर (यदि पिता ने कक्षा 7 तक ही पढ़ा हो तो तथा कक्षा 6 की ही परीक्षा पास की हो शिक्षा कक्षा 6 तक ही लिखें) 12. पिता का व्यवसाय (यदि कोई हों अथवा ून्य लिखें) 13. माता का व्यवसाय (यदि कोई हों अथवा ून्य लिखें)	14. माता की विवाह के समय आयु (यदि विवाह 1 से अधिक बार हुआ हो तो प्रथम विवाह की आयु लिखें) 15. माता की संतान के जन्म समय वर्श में की गयी पूर्ण आयु लिखें:— 15. माता की इस संतान को मिलाकर जीवित संतोनों की संख्या लिखें (इससे पूर्व के विवाह से संतान की संख्या यदि हो, जोड़ी जाएगी):— 17. प्रसव किस तत्वाधान में सम्पन्न हुआ (सही का निशान लगायें):— क. संस्थागत...... सरकारी ख. संस्थागत..... निजी या गैर सरकारी ग. डाक्टर/नर्स या प्रशिक्षित मिडवाईफ द्वारा घ. परम्परागत प्रसव परिचारिका द्वारा ड. रिश्तेदार या अन्य 18. प्रसव प्रक्रिया (सही का निशान लगायें):— स्वभाविक /सीजेरियन/अन्य 19. जन्म का वनज, यदि ज्ञात हो (कि.ग्रा.):——————— 20. गर्भधारण का समय (हफ्तों में) (भरने वाले स्तम्भ समापत हो गये हैं कृपया बाई ओर हस्ताक्षर करें)
निबन्धक द्वारा भरा जाना है। पंजीकरण संख्याः	निबन्धक द्वारा भरा जाना है। नामः ——————	

पंजीकरण का दिनांक पंजीकरण इकाईः हर/ग्राम तहसील जनपद टिप्पणी (यदि कोई हो) निबन्धक के हस्ताक्षर	जनपदः संकेत संख्या पंजीकरण संख्या पंजीकरण दिनांक तहसीलः जन्म तिथि हर/गांवः लिंगः 1. पुरूश 2. महिला पंजीकरण इकाईः जन्म स्थानः 1. अस्पताल/संस्था, 2. घर नाम व निबन्धक के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या–1
जन्म रिपोर्ट
विधिक सूचनायें
यह भाग जन्म पंजिका में जुड़ेगा
सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा

प्रपत्र संख्या–1
जन्म रिपोर्ट
सांख्यिकी सूचनायें
सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा

1. जन्म का दिनांक (सही दिवस, मास व वर्श लिखें): 2. लिंग पूर्ण महिला व पुरूश अंकित करें:——————— 3. नवजात शिशु का नाम, यदि कोई हो (नाम न होने पर खाली स्थान छोड़े):———— 4. पिता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):———— 5. (क) माता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):———— (ख) माता/पिता के स्थायी निवास का पताः———— 6. जन्म का स्थान (1 अथवा 2 पर सही का निशान लगायें) 1. अस्पताल/संस्था नाम/ पता :– 2. घर पताः– 3. अन्य स्थानः–......... 7. सूचना देने वाले का नाम ... . पता .... जब स्तम्भ 1 से 20 तक पूरे भर जाएं तब सूचना देने वाला यहां हस्ताक्षर व तारीख भरेगा। दिनांक .... सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या बांये हाथ के अंगूठे का निशान	8. ग्राम या हर का नाम जहां माता का निवास हो (मां जहां सामान्यतः रहती है क्योकि प्रसब की जगह भिन्न हो सकती है, वहां का पता आवश्यक नहीं) क– नाम हर/ग्राम .... ख– क्या हर अथवा ग्राम है (सही का निशान लगायें) 1. हर 2. ग्राम ग– जनपद का नाम .... घ– प्रदेश का नाम .... 9. परिवार का धर्म (सही का निशान लगायेंद्ध:– 1. हिन्दु, 2. ईसाई, 3. मुसलमान 4. सिक्ख, 5. अन्य 10. पिता का ैक्षिक स्तर (यदि पिता ने कक्षा 7 तक ही पढ़ा हो तो तथा कक्षा 6 की ही परीक्षा पास की हो शिक्षा कक्षा 6 तक ही लिखें) 11. माता का ैक्षिक स्तर (यदि पिता ने कक्षा 7 तक ही पढ़ा हो तो तथा कक्षा 6 की ही परीक्षा पास की हो शिक्षा कक्षा 6 तक ही लिखें) 12. पिता का व्यवसाय (यदि कोई हों अथवा ून्य लिखें) 13. माता का व्यवसाय (यदि कोई हों अथवा ून्य लिखें)	14. माता की विवाह के समय आयु (यदि विवाह 1 से अधिक बार हुआ हो तो प्रथम विवाह की आयु लिखें) 15. माता की संतान के जन्म समय वर्श में की गयी पूर्ण आयु लिखें:– 15. माता की इस संतान को मिलाकर जीवित संतोनों की संख्या लिखें (इससे पूर्व के विवाह से संतान की संख्या यदि हो, जोड़ी जाएगी):– 17. प्रसव किस तत्वाधान में सम्पन्न हुआ (सही का निशान लगायें):– क. संस्थागत...... सरकारी ख. संस्थागत..... निजी या गैर सरकारी ग. डाक्टर/नर्स या प्रशिक्षित मिडवाईफ द्वारा घ. परम्परागत प्रसव परिचारिका द्वारा ड. रिश्तेदार या अन्य 18. प्रसव प्रक्रिया (सही का निशान लगायें):– स्वभाविक /सीजेरियन/अन्य 19. जन्म का वनज, यदि ज्ञात हो (कि.ग्रा.):——————— 20. गर्भधारण का समय (हफ्तों में) (भरने वाले स्तम्भ समापत हो गये हैं कृपया बाई ओर हस्ताक्षर करें)
निबन्धक द्वारा भरा जाना है। पंजीकरण संख्याः	निबन्धक द्वारा भरा जाना है। नामः ——————	

<table>
<tr>
<td>पंजीकरण का दिनांक
पंजीकरण इकाईः
हर / ग्राम
तहसील
जनपद
टिप्पणी (यदि कोई हो)

निबन्धक के हस्ताक्षर</td>
<td>जनपदः संकेत संख्या पंजीकरण संख्या पंजीकरण दिनांक
तहसीलः जन्म तिथि
हर / गांव लिंगः 1. पुरूश 2. महिला
पंजीकरण इकाईः जन्म स्थानः 1. अस्पताल / संस्था, 2. घर

नाम व निबन्धक के हस्ताक्षर</td>
</tr>
</table>

प्रपत्र संख्या–1
जन्म रिपोर्ट
विधिक सूचनायें
यह भाग जन्म पंजिका में जुड़ेगा
सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा

प्रपत्र संख्या–1
जन्म रिपोर्ट
सांख्यिकी सूचनायें
सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा

1. जन्म का दिनांक (सही दिवस, मास व वर्श लिखें): 2. लिंग पूर्ण महिला व पुरूश अंकित करें:—————— 3. नवजात शिशु का नाम, यदि कोई हो (नाम न होने पर खाली स्थान छोड़े):———— 4. पिता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):———— 5. (क) माता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):———— (ख) माता/पिता के स्थायी निवास का पता:———— 6. जन्म का स्थान (1 अथवा 2 पर सही का निशान लगायें) 1. अस्पताल/संस्था नाम/ पता :– 2. घर पता:– 3. अन्य स्थान:–........ 7. सूचना देने वाले का नाम ... . पता .... जब स्तम्भ 1 से 20 तक पूरे भर जाएं तब सूचना देने वाला यहां हस्ताक्षर व तारीख भरेगा। दिनांक .... सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या बांये हाथ के अंगूठे का निशान	8. ग्राम या हर का नाम जहां माता का निवास हो (मां जहां सामान्यतः रहती है क्योकि प्रसब की जगह भिन्न हो सकती है, वहां का पता आवश्यक नहीं) क– नाम हर/ग्राम .... ख– क्या हर अथवा ग्राम है (सही का निशान लगायें) 1. हर 2. ग्राम ग– जनपद का नाम .... घ– प्रदेश का नाम .... 9. परिवार का धर्म (सही का निशान लगायें:– 1. हिन्दु, 2. ईसाई, 3. मुसलमान 4. सिक्ख, 5. अन्य 10. पिता का ैक्षिक स्तर (यदि पिता ने कक्षा 7 तक ही पढ़ा हो तो तथा कक्षा 6 की ही परीक्षा पास की हो शिक्षा कक्षा 6 तक ही लिखें) 11. माता का ैक्षिक स्तर (यदि पिता ने कक्षा 7 तक ही पढ़ा हो तो तथा कक्षा 6 की ही परीक्षा पास की हो शिक्षा कक्षा 6 तक ही लिखें) 12. पिता का व्यवसाय (यदि कोई हों अथवा ून्य लिखें) 13. माता का व्यवसाय (यदि कोई हों अथवा ून्य लिखें)	14. माता की विवाह के समय आयु (यदि विवाह 1 से अधिक बार हुआ हो तो प्रथम विवाह की आयु लिखें) 15. माता की संतान के जन्म समय वर्श में की गयी पूर्ण आयु लिखें:– 15. माता की इस संतान को मिलाकर जीवित संतोनों की संख्या लिखें (इससे पूर्व के विवाह से संतान की संख्या यदि हो, जोड़ी जाएगी):– 17. प्रसव किस तत्वाधान में सम्पन्न हुआ (सही का निशान लगायें):– क. संस्थागत...... सरकारी ख. संस्थागत..... निजी या गैर सरकारी ग. डाक्टर/नर्स या प्रशिक्षित मिडवाईफ द्वारा घ. परम्परागत प्रसव परिचारिका द्वारा ड. रिश्तेदार या अन्य 18. प्रसव प्रक्रिया (सही का निशान लगायें):– स्वभाविक /सीजेरियन/अन्य 19. जन्म का वनज, यदि ज्ञात हो (कि.ग्रा.):—————— 20. गर्भधारण का समय (हफ्तों में) (भरने वाले स्तम्भ समापत हो गये हैं कृपया बाई ओर हस्ताक्षर करें)
निबन्धक द्वारा भरा जाना है। पंजीकरण संख्या:	निबन्धक द्वारा भरा जाना है। नाम: —————	

पंजीकरण का दिनांक पंजीकरण इकाईः हर/ग्राम तहसील जनपद टिप्पणी (यदि कोई हो) निबन्धक के हस्ताक्षर	जनपदः संकेत संख्या पंजीकरण संख्या पंजीकरण दिनांक तहसीलः जन्म तिथि हर/गांवः लिंगः 1. पुरूश 2. महिला पंजीकरण इकाईः जन्म स्थानः 1. अस्पताल/संस्था, 2. घर नाम व निबन्धक के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या–3
मृत जन्म रिपोर्ट
विधिक सूचनायें
यह भाग मृत जन्म पंजिका में जुड़ेगा
सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा

प्रपत्र संख्या–3

प्रपत्र संख्या–3
मृत जन्म रिपोर्ट
सांख्यिकी सूचनायें
सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा
इस भाग को सांख्यिकी प्रयोजनार्थ भेजा जाएगा।
यदि प्रकरण कई संततियों के जन्म का है तो प्रत्येक के लिए अलग–2 फार्म भरें एवं लखें ''जुड़वा'' ''तीन बच्चे'' आदि बाई और टिप्पणी वाले स्तम्भ में।

1. जन्म का दिनांक (सही दिवस, मास व वर्श लिखें): 2. लिंग पूर्ण महिला व पुरूश अंकित करें:–––––– 3. पिता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):–––– 4. (क) माता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):–––– (ख) माता/पिता के स्थायी निवास का पता:–––– 5. जन्म का स्थान (1 अथवा 2 पर सही का निशान लगायें) 1. अस्पताल/संस्था नाम/ पता :– 2. घर पता:– 3. अन्य स्थान:–.......... 6. सूचना देने वाले का नाम .... पता .... जब स्तम्भ 1 से 12 तक पूरे भर जाएं तब सूचना देने वाला यहां हस्ताक्षर व तारीख भरेगा। दिनांक .... सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या बांये हाथ के अंगूठे का निशान	7. ग्राम या हर का नाम जहां माता का निवास हो (मां जहाँ सामान्यतः रहती है क्योकि प्रसब की जगह भिन्न हो सकती है, वहां का पता आवश्यक नहीं) क– नाम हर/ग्राम ...... ख– क्या हर अथवा ग्राम है (सही का निशान लगायें) 1. हर 2. ग्राम ग– जनपद का नाम .... घ– प्रदेश का नाम .... 8. माता की आयु (पूर्ण वर्शों में):– 9. माता का ैक्षिक स्तर (यदि पिता ने कक्षा 7 तक ही पढ़ा हो तो तथा कक्षा 6 की ही परीक्षा पास की हो शिक्षा कक्षा 6 तक ही लिखें) 10. प्रसव काल में उपलब्ध चिकित्सा उपचार (सही का निशान लगायें):– 1. संस्थागत...... सरकारी 2. संस्थागत..... निजी या गैर सरकारी 3. डाक्टर/नर्स या प्रशिक्षित मिडवाईफ द्वारा 4. परम्परागत प्रसव परिचारिका द्वारा 5 रिश्तेदार या अन्य 11. गर्भधारण का समय (हफ्तों में) 12. भ्रूण के मृत्यु का कारण (यदि मालूम हो):– (भरने वाले स्तम्भ समापत हो गये हैं कृपया बाई ओर हस्ताक्षर करें)
निबन्धक द्वारा भरा जाना है। पंजीकरण संख्या: पंजीकरण का दिनांक पंजीकरण इकाई: हर/ग्राम तहसील जनपद	निबन्धक द्वारा भरा जाना है। नाम: –––––– जनपद: संकेत संख्या पंजीकरण संख्या पंजीकरण दिनांक तहसील: जन्म तिथि हर/गांव: लिंग: 1. पुरूश 2. महिला पंजीकरण इकाई: जन्म स्थान: 1.

टिप्पणी (यदि कोई हो) निबन्धक के हस्ताक्षर	अस्पताल/संस्था, 2. घर नाम व निबन्धक के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या–4
(नियम 7 देखें)

मृत्यु के कारण व चिकित्सा प्रमाण पत्र
अस्पताल के मरीजों के लिए मृत जन्म हेतु प्रयुक्त नहीं होगा
निबन्धक को (प्रपत्र संख्या–21) मृत्यु रिपोर्ट (सहित भेजा जाना है)

अस्पताल का नाम..

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता है कि उस व्यक्ति जिसके विवरण नीचे दिये गए है, की मृत्यु अस्पताल के वार्ड संख्या .... में दिनांक .... को पूर्वाहन/अपराहन.......... बजे हुई है।

मृतक का नमा ....

<table>
<tr><td rowspan="2">लिंग</td><td colspan="4">मृतक की आयु</td><td rowspan="2">सांख्यिकी विभाग के प्रयोजनाथ।</td></tr>
<tr><td>यदि 1 वर्श से अधिक हो तो वर्शो में</td><td>यदि 1 वर्श से कम हो तो माह में</td><td>यदि 1 माह से कम हो तो दिनों</td><td>यदि दिन से कम हो तो घण्टों में</td></tr>
<tr><td>1. पुरूश
2. स्त्री</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">मृत्यु का कारण</td><td></td><td>बीमारी के प्रारम्भ और मृत्यु के बीच अन्तराल लगभग</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>1. तात्कालिक कारण</u> :– बीमारी, क्षति या (या) जटिता का उल्लेख कीजिए जिसके कारण मृत्यु हुई है। अर्थात हृदय गति रूक जाने से, दुर्बलता आदि से, उसका उल्लेख न करें।
<u>पूर्ववर्ती कारण</u>:
अस्वस्थ (विकृत) स्थिति, यदि कोई हो, जिससे उपर्युक्त कारण उत्पन्न हुआ तथा अन्तिम अन्तर्निहित दशा का उल्लेख कीजिए।
2. अन्य महत्वपूर्ण दशाएं जिनका मृत्यु में योगदान रहा है, किन्तु वे उस रोग या दशा से सम्बन्धित नहीं है जिससे मृत्यु हुई है।</td><td>(क) .... के कारण (या के परिणाम स्वरूप)

(ख) ....के कारण (या के परिणाम स्वरूप)

(ग) ....</td><td>————————

————————

————————
———————
—————</td><td>————————

—————————

————————
———————
—————</td></tr>
<tr><td colspan="6">मृत्यु का प्रकार
1. प्राकृतिक 2. दुर्घटना 30 आत्महत्या क्षति कैसे हुई?
4. मानव द्वारा हत्या, 5. अनवेशण`श है।</td></tr>
<tr><td colspan="6">यदि मृतक महिला थी क्या मृत्यु का सम्बन्ध गर्भ से था 1. हां 2. नहीं
यदि हाँ तो क्या प्रसूति हुई 1. हां 2. नहीं</td></tr>
</table>

चिकित्सा सेवक का नाम तथा हस्ताक्षर जो मृत्यु प्रमाणित कर रहा हो, सत्यापित करने का दिनांक

अनुदेों हेतु पृष्ठ के पीछे देखिए
(अलग करके मृतक के सम्बन्धी को दीजिए)
प्रमणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
..... निवासी .... इस अस्पताल में दिनांक .... को भर्ती किया गया था और उसकी मृत्यु दिनांक .... को हो गई है।

चिकित्सक
(चिकित्साधीक्षक)
अस्पताल का नाम

मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र
प्रारूप भरने के लिए निर्देश

मृतक का नामः—नाम पूरा लिखे। आद्याक्षरों का प्रयोग न करें। यदि मृतक शिशु है और मृत्यु के समय तक उसका नामकरण नहीं हुआ है तो 'का पुत्र' या 'की पुत्री' से पूर्व माता और पिता का नाम लिखें।
आयुः— यदि मृतक की आयु एक वर्श से अधिक है तो आयु पूर्ण वर्शो में लिखें। यदि एक वर्श से कम है तो मास में आयु लिखें और यदि एक दिन से कम है तो घंटों में आयु लिखें।
मृत्यु का कारण— प्रारूप के इस भाग को सदा चिकित्सक परिचारक द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात् भाग एक और भाग दो, भाग एक को पुनकः तीन भागों, अर्थात लाईन (क), (ख) और (ग) में विभाजित किया गया है। यदि एक विकृत दशा में ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाता है तो वह भाग एक ही लाईन (क) पर लिखा जाएगा और भाग एक या भाग दों में और कुछ लिखने की आवश्कतया नहीं होगी। उदाहरणार्थ— चेचक, निमोनिया, कार्डियेक बेरी—बेरी आदि मृत्यु के पर्याप्त कारण है और प्रारू किसी अन्य उल्लेख की आवश्यककता नहीं होगी।

तथापि अक्सर मृत्यु के सयम कई विकृत दशाएं विद्यमान हो सकती है ओर तब चिकित्सक को, प्रमाण पत्र उचित रीति से भरना चाहिए, ताकि सही, अन्तर्निहित कारण निकाला जा सके। प्रथमतया मृत्यु के साक्षात कारण का भाग एक (क) में दर्ज कीजिए। इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई, अर्थात् हृदयगति रूक कर, श्वसन रूक कर आदि से। ये बातें प्रमाण पत्र में बिल्कुल नहीं लिखी जानी चाहिए क्योंकि वे मृत्यु के प्रकार है, न कि मृत्यु के कारण। तत्पश्चात् इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि मृत्यु का साक्षा कारण, किसी अन्य कारण का जटिल अथवा विलम्बित परिणाम तो नहीं है। यदि हां तो पूर्ववर्ती कारण को भाग एक लाईन (ख) में दर्ज कीजिए। कभी—कभी मृत्यु होने तक घटने वाली घटनाओं के तीन प्रक्रम हो जाते है। यदि ऐसा होता तो लाइन (ग) पूर्ण की जानी चाहिए। सारणीयन किये जाने वाले अन्तर्निहित कारण को भाग एक के अन्त में लिखा जाना चाहिए।

ऐसे विकृत दशाएं या क्षतियां विद्यमान हो सकती है जो उस घटना क्रम से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं है जिसके कारण मृत्यु हुई है, किन्तु जो घातक परिणाम में किसी प्रकार योगदायी है। कभी—कभी चिकित्सक के लिए यह विनिश्य करना कठिन हो जाता है, विशेशतया शिशु—मृत्यओं के मामलें में, कि कई पृथक दशाओं में से मृत्यु का कारण कोन सी दशाा है, चूंकि केवल एक ही कारण देना होता है, अतः चिकित्सक को कारण विनिश्चित करना चाहिए। यदि अन्य रोग, अन्तर्निहित कारण का परिणापम नहीं है तो वे भाग दो में दर्ज किए जायेगें।

एक ही पंक्ति में दो या दो से अधिक कारण न लिखें। कृपया प्रमाण पत्र में रोगों के नाम पूरे और साफ—साफ लिखें। जिसके कारण पढ़ने में कोई त्रुटि सभंव न हो सकें।

प्रारम्भः— जहां भी सम्भंव हो, प्रारम्भ ओर मृत्यु के बीच अंतराल का स्तम्भ पूरा भरिए, भले ही उसे लगभग रूप में भरिए, जैस ''जन्म से'', 'कई वर्शो से'।

दुर्घटना से या हिंसा से हुई मृत्युः—चोट का बाहय कारण और चोट का स्वरूप दोनों आवश्यक है और उनका वर्णन किया जाना चाहिए। चिकित्सक या अस्पताल को, क्षति का वर्णन करना चाहिए। यह वर्णन किया जाना चाहिए कि हरी के किस भाग को क्षति पहुंची है, और यदि दर्शाया गया है तो बाह्य कारण का पूर्णतया उल्लेख किया जाए। उदाहरण 1 (क) हाईपोस्टेटिक निमोनिया, (ख) फीमर की ग्रीवा का अस्थिभंग, (ग) घर में सीढ़ी से गिरना।

मातृ मृत्युः— गर्भावस्था और प्रसव सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दीजिए। यह सूचना गर्भ धारण करने योग्य आुय की सभी स्त्रियों के लिए आवश्यक है, चाहे गर्भ का मृत्यु से कोई सम्बन्ध न हो।

वृद्धावस्था या वृद्धत्वः— यदि कोई विशिष्ट कारण ज्ञात है तो वृद्धावस्था (या वृद्धत्व) को मृत्यु का कारण नहीं बताया जाना चाहिए। यदि वृद्धावस्था एक योगदायी तथ्य है, तो उसका उल्लेख भाग दो में किया जाना चाहिए। उदाहरणः (क) क्रानिक ब्रोकाइटिस, (दो) वृद्धावस्था।

सूचना की पूर्णतयाः— रोगा का पूर्ण वृत वांछित नहीं है, किन्तु यदि जानकारी उपलब्ध है तो अन्तर्निहित कारणों को उचित रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

उदाहरणः— रक्ताल्पता (एनीमिया)— यदि ज्ञात है तो एनीमिया की किस्म बताइए। जब भी सम्भव हो नियोप्लाज्म के प्रकार, प्राइमरी नियोप्लाज्म से प्रभावित अंग, हृदय रोग दशा का विनिर्दिष्ट वर्णन कीजिए, यदि रक्ताधिक्य से हृदयगति रूक गीय है तो पुराना (क्रानिक) या मल्योनेज आदि का उल्लेख किया जाए, पूर्ववर्ती दशाओं का वर्णन कीजिए। टिनेस यदि ज्ञात है तो पूर्ववर्ती क्षति का वर्णन कीजिए। आपरेशन वह दशा लिखिए जिसके कारण आपरेशन किया गया है। अतिसार (मेक्सि) यदि ज्ञात है तो यह विनिर्दिष्ट कीजिए कि वह बेसीलियरी है या अमीबिक आदि। गर्भावस्था या प्रसव की जटिलताएं जटिला का वर्णन कीजिए। क्षयरोग (टी0बी0) विनिर्दिश्टयता प्रभावित अंगों का नाम दीजिए।
लाक्षणिक् कथनः— मरोड़ संग्रहणों, ज्वर, एसिडिटी, पीलिया, अशक्तता आदि ऐसे लक्षण है जो कई विभिन्न दशाओं में से किसी एक के कारण विद्यमान हो सकती है। कभी—कभी इससे अधिक कुछ ाात नहीं होता है, किन्तु यदि सम्भव हो, तो उस रोग का नाम दीजिए जिससे यह लक्षण उत्पन्न हुआ है।
मृत्यु का प्रकारः— यदि मृत्यु बिना बाहय कारण है तो इसकी प्राकृतिक (सामान्य) मृत्यु अंकित किया जाये यदि मृत्यु का कारण प्रकट हो, परन्तु यह जानकारी नहीं हो कि मृत्यु, दुर्घटना, आत्महत्या या मानव द्वारा हत्या से है तथा यह आगे अन्वेशण का विशय है तो मृत्यु के कारण अपरिर्वनीय रूप से भरा जाय ओर मृत्यु की रीति को 'अन्वेशण लम्बित' रूप से दर्शाया जाए।

प्रपत्र संख्या–4 (अ)
(नियम 7 देखें)

मृत्यु के कारण व चिकित्सा प्रमाण पत्र
अस्पताल के मरीजों के लिए मृत जन्म हेतु प्रयुक्त नहीं होगा
निबन्धक को (प्रपत्र संख्या–21) मृत्यु रिपोर्ट (सहित भेजा जाना है)

अस्पताल का नाम...

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता है कि उस व्यक्ति जिसके विवरण नीचे दिये गए है, की मृत्यु अस्पताल के वार्ड संख्या .... में दिनांक .... को पूर्वाहन/अपराहन.......... बजे हुई है।

मृतक का नमा ....

लिंग	मृतक की आयु				सांख्यिकी विभाग के प्रयोजनाथ।
	यदि 1 वर्श से अधिक हो तो वर्शो में	यदि 1 वर्श से कम हो तो माह में	यदि 1 माह से कम हो तो दिनों	यदि दिन से कम हो तो घण्टों में	
1. पुरूश 2. स्त्री					
मृत्यु का कारण				बीमारी के प्रारम्भ और मृत्यु के बीच अन्तराल लगभग	
<u>1. तात्कालिक कारण</u> :– बीमारी, क्षति या (या) जटिता का उल्लेख कीजिए जिसके कारण मृत्यु हुई है। अर्थात हृदय गति रूक जाने से, दुर्बलता आदि से, उसका उल्लेख न करें। <u>पूर्ववर्ती कारण</u>: अस्वस्थ (विकृत) स्थिति, यदि कोई हो, जिससे उपर्युक्त कारण उत्पन्न हुआ तथा अन्तिम अन्तर्निहित दशा का उल्लेख कीजिए। 2. अन्य महत्वपूर्ण दशाएं जिनका मृत्यु में योगदान रहा है, किन्तु वे उस रोग या दशा से सम्बन्धित नहीं है जिससे मृत्यु हुई है।			(क) .... के कारण (या के परिणाम स्वरूप) (ख) ....के कारण (या के परिणाम स्वरूप) (ग)	———————— ———————— ———————— ——————— —————	———————— ————————— ———————— ——————— —————
मृत्यु का प्रकार 1. प्राकृतिक 2. दुर्घटना 30 आत्महत्या क्षति कैसे हुई? 4. मानव द्वारा हत्या, 5. अनवेशण`श है।					
यदि मृतक महिला थी क्या मृत्यु का सम्बन्ध गर्भ से था 1. हां 2. नहीं यदि हां तो क्या प्रसूति हुई 1. हां 2. नहीं					

चिकित्सा सेवक का नाम तथा हस्ताक्षर जो मृत्यु प्रमाणित कर रहा हो, सत्यापित करने का दिनांक

अनुदेशों हेतु पृष्ठ के पीछे देखिए
(अलग करके मृतक के सम्बन्धी को दीजिए)
प्रमणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री . ... निवासी .... दिनांक .... से .... तक मेरे उपचाराधीन था/थी और उसकी दिनांक .... को पूर्वाहन/अपराह्न .... बजे मृत्यु हो गई है।

चिकित्सक
पंजीकरण संख्या सहित
चिकित्सक के हस्ताक्षरक और पता

प्रपत्र संख्या–5
(नियम 8 देखें)
जन्म प्रमाण–पत्र
(धारा 12 / 17 के अन्तर्गत जारी)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न सूचनायें मूल जन्म पंजिका से उद्धत की गई है जो कि तहसील . ... जनपद .... उत्तराखण्ड के स्थानीय क्षेत्र की पंजिका है।

नामः– ....
लिंगः–..
जन्म का दिनांकः–...
जन्म का स्थानः–...
पिता का नामः–..
माता का नामः–..
माता–पिता के स्थायी निकास का पताः–............................
पंजीकरण संख्याः–...
पंजीकरण का दिनाकंः–..

दिनांक..................................   जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर

प्रपत्र संख्या–5
(नियम 8 देखें)
मृत्यु प्रमाण–पत्र
(धारा 12/17 के अन्तर्गत जारी)
प्रमाणित किया जाता है कि निम्न सूचनायें मूल मृतक पंजिका से ली गई है जो कि तहसील .... जनपद .... उत्तराखण्ड के स्थानीय क्षेत्र की पंजिका है।
मृतक का नामः–..
मृतक के स्थाई निवास का पताः–..
पिता/पति का नामः–..
लिंगः–...
मृत्यु का दिनांकः–..
मृत्यु का स्थानः–..
पिता का नामः–..
माता का नामः–..
पंजीकरण संख्याः–..
पंजीकरण का दिनाकंः–...
दिनांक...   जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर

मृत्यु के कारण सम्बन्धी कोई अन्य जानकारी जो पंजिका में है धारा–17 की उपधारा (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं दी जायेगी।

प्रपत्र संख्या–7
(नियम 12 देखें)

प्रपत्र संख्या–1   जन्म पंजिका
जन्म रिपोर्ट
विधिक सूचनायें

यह सूचना जन्म पंजिका में जुड़ेगी।

सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा।

1. जन्म का दिनांक (सही तिथि, मास तथा वर्श जिस दिन जातक का जन्म हुआ हो, भेरें जैसे 01. 01.2000):–
2. लिंग (स्त्री अथवा पुरूश पूरा लिखें सांकेतिक भाशा का प्रयोग न करें:)–
3. नवजात का नाम (यदि कोई हो, अन्यथा रिक्त छोड़ दें):–
3. पिता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):––––
4. (क) माता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):––––
   (ख) माता/पिता के स्थायी निवास का पताः––––
5. जन्म का स्थान (वास्तविक व उचित अंकन) 1 अथवा 2 पर सही का निशान लगायें एवं अस्पताल संस्था की सील नाम, पता अथवा घर का पता जहां जन्म हुआ होः–
   1. अस्पताल/संस्था नाम/ पता :–
   2. घर   पताः–
   3. अन्य स्थानः–.........
6. सूचना देने वाले का नाम ....

पता ....

(जब स्तम्भ 1 से 20 तक भर लिये गये हों तो सूचना देने वाला दिनाँक व अपना हस्ताक्षर करें)

दिनांक.......................... सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या बाये हाथ के अंगूठे का निशान

निबन्धक द्वारा भरा जाना है।
पंजीकरण संख्याः .... पंजीकरण का तिथि......................
पंजीकरण इकाईः ....
हर/ग्राम .... जनपद ....

टिप्पणी (यदि कोई हो)

निबन्धक के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या–8
(नियम 12 देखें)

प्रपत्र संख्या–2

मृत्यु की पंजिका
मृत्य रिपोर्ट
विधिक सूचनायें

यह सूचना मृत्य पंजिका में जुड़ेगी।

सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा।

1. मृत्य का दिनांक (सही तिथि, मास तथा वर्श जिस दिन जातक का जन्म हुआ हो, भेरें जैसे 01. 01.2000):–
2. (क) मृतक का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है)
   (ख) मृतक के स्थायी निवास का पता'–
3. मृतक का लिंग (स्त्री अथवा पुरूश पूरा लिखें सांकेतिक भाशा का प्रयोग न करें:)–
4. मृतक की आयु (यदि मृतक 1 वर्श से ऊपर का हो तो आयु वर्शो में लिखें, यदि मृतक 1 वर्श से कम हो तो पूर्ण मास में यदि 1 माह से कम हो तो पूर्ण दिनों में एवं दिन के कम हो तो पूर्ण घंटों में आयु लिखें):–
5. मृत्यु का स्थान (कृपया 1, 2 अथवा 3 पर सही का निशान लगायें एवं अस्पताल/संस्था का नाम, पता या घर का पता जहां मृत्यु हुई, यदि अन्य स्थान पर हुई हो तो स्थान का वर्णन):–
   1. अस्पताल/संस्था नाम/ पता :–
   2. घर पता:–
   3. अन्य स्थान:–.........
6. सूचना देने वाले का नाम ....
   पता ....

(जब स्तम्भ 1 से 17 तक भर लिये गये हों तो सूचना देने वाला दिनांक व अपना हस्ताक्षर करें)

दिनांक..........................

सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या बाये हाथ
के अंगूठे का निशान

निबन्धक द्वारा भरा जाना है।
पंजीकरण संख्या: .... पंजीकरण का तिथि......................
पंजीकरण इकाई: ....
हर/ग्राम .... जनपद ....

टिप्पणी (यदि कोई हो)

निबन्धक के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या–9
(नियम 12 देखें)

प्रपत्र संख्या–3 मृत जन्म की पंजिका
विधिक सूचनायें

यह सूचना मृत जन्म पंजिका में जुड़ेगी।

सूचना देने वाले द्वारा भरा जाएगा।

1. जन्म का दिनांक (सही तिथि, मास तथा वर्श जिस दिन जातक का जन्म हुआ हो, भेरें जैसे 01. 01.2000):–
2. लिंग (स्त्री अथवा पुरूश पूरा लिखें सांकेतिक भाशा का प्रयोग न करें:)–
3. पिता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):––––
4. (क) माता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):––––
   (ख) माता/पिता के स्थायी निवास का पताः––––
5. जन्म का स्थान (वास्तविक व उचित अंकन) 1 अथवा 2 पर सही का निशान लगायें एवं अस्पताल संस्था की सील नाम, पता अथवा घर का पता जहां जन्म हुआ हो:–
   1. अस्पताल/संस्था नाम/ पता :–
   2. घर पताः–
   3. अन्य स्थानः–.........
6. सूचना देने वाले का नाम ....
   पता ....

(जब स्तम्भ 1 से 12 तक भर लिये गये हों तो सूचना देने वाला दिनांक व अपना हस्ताक्षर करें)

दिनांक.......................... सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या बाये हाथ के अंगूठे का निशान

निबन्धक द्वारा भरा जाना है।
पंजीकरण संख्याः .... पंजीकरण का तिथि......................
पंजीकरण इकाईः ....
हर/ग्राम .... जनपद ....

टिप्पणी (यदि कोई हो)

निबन्धक के हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या–11
(नियम 14 देखें)
मसिक जन्म रिपोर्ट का सारांश

1. मास .... वर्श .... की रिपोर्ट
2. जनपद ....
3. हर / ग्राम...
4. पंजीकरण इकाई ....
5. संख्या जन्म की जो पंजीकृत की गई ....
   (क) जन्म होने के 1 वर्श के अन्दर ....
   (ख) जन्म होने के 1 वर्श के बाद ....
   योग (क+ख)=

पूर्ण योग रिपोर्ट प्रपत्र संख्या–1 सांख्यिकी भाग के बराबर होना चाहिए तथा प्रत्येक माह की रिपोर्ट में संलग्न किया जाना चाहिए।

दिनांक.............................. निबन्धक का नाम व हस्ताक्षर

मुख्य निबन्धक / जनपदीय निबन्धक।

प्रपत्र संख्या–10
(नियम 13 देखें)
अनुपलब्धता प्रमाण पत्र
(जन्म–मृत्यु अधिनियम 1969 की धारा 17 के अन्तर्गत जारी)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... के अनुरोध पर वर्श के .... तहसील .... जनपद .... राज्य के स्थानीय उल्लेख क्षेत्र से सम्बन्धित पंजिका में तलाश करने उपरान्तम यह पाया गया कि जन्म/मृत्यु की घटना जो उनके पुत्र/पुत्री से सम्बन्धित थी पंजीकृत नहीं है।

दिनांक.................................. जारी करने वाले अधिकारी के हसताक्षर
सील

प्रपत्र संख्या–10
(नियम 13 देखें)
अनुपलब्धता प्रमाण पत्र
(जन्म–मृत्यु अधिनियम 1969 की धारा 17 के अन्तर्गत जारी)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... के अनुरोध पर वर्श के .... तहसील .... जनपद .... राज्य के स्थानीय उल्लेख क्षेत्र से सम्बन्धित पंजिका में तलाश करने उपरान्तम यह पाया गया कि जन्म/मृत्यु की घटना जो उनके पुत्र/पुत्री से सम्बन्धित थी पंजीकृत नहीं है।

दिनांक...................................

जारी करने वाले अधिकारी के हसताक्षर
सील

<u>Birth Registration Application Form</u>

उत्तराखण्ड ासन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	उत्तराखण्ड ासन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	
प्रपत्र सं0 1 जन्म रिपोर्ट विधिक सूचनायें यह भाग जन्म पंजिका में जुड़ेगा।	जन्म रिपोर्ट सांख्यिकीय सूचनाएं	यदि प्रकरण कई संततियों के जन्म का है तो प्रत्येक के लिए अलग–2 फार्म भरें एवं लिखें ''जुड़वा'' ''तीन बच्चे'' आदि बाई ओर टिप्पणी वाले स्तम्भ में।
सूचना देने वाले द्वारा भरा जायेगा।	सूचना देने वाले द्वारा भरा जायेगा।	सूचना देने वाले द्वारा भरा जायेगा।
1. जन्म का दिनांक (सही दिवस, मास व वर्श लिखें): 2. लिंग पूर्ण महिला व पुरूश अंकित करें:–––––––– 3. नवजात शिशु का नाम, यदि कोई हो (नाम न होने पर खाली स्थान छोड़े):–––– 4. पिता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):–––– 5. (क) माता का नाम (पूर्ण जैसे लिखा जाता है):–––– (ख) माता/पिता के स्थायी निवास का पता:–––– 6. जन्म का स्थान (1 अथवा 2 पर सही का निशान लगायें) 1. अस्पताल/संस्था नाम/ पता :– 2. घर पता:– 3. अन्य स्थान:–.......... 7. सूचना देने वाले का नाम .... पता .... जब स्तम्भ 1 से 18 तक पूरे भर जाएं तब सूचना देने वाला यहां हस्ताक्षर व तारीख भरेगा। दिनांक .... सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या बांये हाथ के अंगूठे का निशान	8. स्थायी निवास–स्थान का पता 9. ग्राम या हर का नाम जहां माता का निवास हो (मां जहां सामान्यतः रहती है क्योकि प्रसव की जगह भिन्न हो सकती है, वहां का पता आवश्यक नहीं) क– नाम हर/ग्राम ...... ख– क्या हर अथवा ग्राम है (सही का निशान लगायें) 1. हर 2. ग्राम ग– जनपद का नाम .... घ– प्रदेश का नाम .... 10. पिता का (i)ैक्षिक योग्यता (ii) पेशा (iii) धर्म (iv) राष्ट्रीयता 11. माता का (i)ैक्षिक योग्यता (ii) पेशा	12. माता की विवाह के समय आयु (यदि विवाह 1 से अधिक बार हुआ हो तो प्रथम विवाह की आयु लिखें) 13. माता की संतान के जन्म समय वर्श में की गयी पूर्ण आयु लिखें:– 14. माता की इस संतान को मिलाकर जीवित संतानों की संख्या लिखें (इससे पूर्व के विवाह से संतान की संख्या यदि हो, जोड़ी जाएगी):– 15. प्रसव किस तत्वाधान में सम्पन्न हुआ (सही का निशान लगायें):– 1. संस्थागत...... सरकारी 2. संस्थागत..... निजी या गैर सरकारी 3. डाक्टर/नर्स या प्रशिक्षित मिडवाईफ द्वारा 4. परम्परागत प्रसव परिचारिका द्वारा 5. रिश्तेदार या अन्य 16. प्रसव प्रक्रिया (सही का निशान लगायें):– स्वभाविक /सीजेरियन/अन्य 17. जन्म का वनज, यदि ज्ञात हो (कि.ग्रा.):––––––

<table>
<tr><td></td><td>(iii) धर्म
(iv) राष्ट्रीयता</td><td>18. गर्भधारण का समय (हफ्तों में)
(भरने वाले स्तम्भ समापत हो गये हैं कृपया बाई ओर हस्ताक्षर करें)</td></tr>
<tr><td>निबन्धक द्वारा भरा जाना है।
पंजीकरण संख्याः
पंजीकरण का दिनांक
पंजीकरण इकाईः
हर/ग्राम
तहसील
जनपद
टिप्पणी (यदि कोई हो)

निबन्धक के हस्ताक्षर</td><td colspan="2">निबन्धक द्वारा भरा जाना है।
नामः —————
जनपदः संकेत संख्या पंजीकरण संख्या पंजीकरण दिनांक
तहसीलः जन्म तिथि
हर/गांवः लिंगः 1. पुरूश 2. महिला
पंजीकरण इकाईः जन्म स्थानः 1. अस्पताल/संस्था, 2. घर

नाम व निबन्धक के हस्ताक्षर</td></tr>
</table>

DeathRegistration Application Form

उत्तराखण्ड ासन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	उत्तराखण्ड ासन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	
प्रपत्र सं0 2 मृत्यु रिपोर्ट विधिक सूचनायें यह भाग जन्म पंजिका में जुड़ेगा।	मृत्यु रिपोर्ट सांख्यिकीय सूचनाएं	प्रपत्र संख्या 2
सूचना देने वाले द्वारा भरा जायेगा।	सूचना देने वाले द्वारा भरा जायेगा।	सूचना देने वाले द्वारा भरा जायेगा।
1. मृत्यु का दिनांक (सही दिवस, मास व वर्श लिखें): 2. (क) मृतक का नाम (पूरा लिखें) (ख) मृतक के स्थायी निवास का पता 3. पिता/पति का नामः 4. मृतक का लिंग पुरूश/स्त्री (सूचक ब्द वर्जित) 5. मृतक की आयु (यदि मृतक 1 वर्श से अधिक का हो तो पूर्ण वर्श या एक वर्श से कम हो तो माह में एवं यदि माह से कम हो तो पूर्ण किये दिनों): 6. मृतक का स्थान (सही का निशान नीचे 1, 2 अथवा 3 पर लगायें) 1. अस्पताल/संस्था नामः– 2. घर पताः– 3. अन्य स्थानः–......... 7. सूचना देने वाले का नाम .... पता .... जब स्तम्भ 1 से 20 तक पूरे भर जाएं तब सूचना देने वाला यहां हस्ताक्षर व तारीख भरेगा। दिनांक .... सूचना देने वाले के हस्ताक्षर या बांये हाथ के अंगूठे का निशान	8. ग्राम या हर का नाम जहां मृतक का निवास हो (स्थान जहां मृतक वास्तव में रहता था, यह मृत्यु स्थान से भिन्न हो सकता है, यहां घर का पता आवश्यक नहीं है।) क– नाम हर/ग्राम ...... ख– क्या हर अथवा ग्राम है (सही का निशान लगायें) 1. हर 2. ग्राम ग– जनपद का नाम .... घ–राज्य का नाम .... 9. परिवार का विवाहित स्थिति 10. परिवार का राष्ट्रीयता 11. परिवार का धर्म (सही का निशान लगायें:– 1. हिन्दु, 2. ईसाई, 3. मुसलमान 4. सिक्ख, 5. अन्य 12. मृतक का व्यवसाय (यदि कोई हों अथवा ून्य लिखें) 13. मृत्यु पूर्व किस प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा मिली (सही का निशान लगायें): 1. संस्थागत	14. क्या मृत्यु का कारण चिकित्सीय अभिमत द्वारा प्रमाणित है (सही का निशान लगायें) 1. हां 2. नहीं 15. बीमारी का नाम अथवा मृत्यु का वास्तविक कारण (सभी प्रकार की मृत्युओं के लिए यद्यपित चिकित्सकीय अभिमत द्वारा प्रमाणित नहीं है):–............ 16. यदि मृतक महिल है तो स्पष्ट करें कि क्या मृत्यु गर्भावस्था में हुई, प्रसव के समय हुयी या गर्भान्त के 6 हफ्ते बाद हुईः 1. हां 2. नहीं 17. यदि धूम्रपान का आदि था तो कितने वर्शो से :–––– 18. यदि आदतन किसी प्रकार तम्बाकू चबाते हो तो पिछले कितने वर्शो से:––––– 19. क्या आदतन सुपारी, किसी प्रकार का पान मसाला आदि का सेवन करते थे :– 20 क्या राब पीने के आदी थे, (पिछले कितने वर्शो से):–

	2. संस्था के अतिरिक्त चिकित्सा सेवा 3. कोई चिकित्सा सेवा नहीं	(भरने वाले स्तम्भ समापत हो गये हैं कृपया बाई ओर हस्ताक्षर करें)
निबन्धक द्वारा भरा जाना है। पंजीकरण संख्याः पंजीकरण का दिनांक पंजीकरण इकाईः हर / ग्राम तहसील जनपद टिप्पणी (यदि कोई हो) निबन्धक के हस्ताक्षर	निबन्धक द्वारा भरा जाना है। नामः —————— जनपदः संकेत संख्या पंजीकरण संख्या पंजीकरण दिनांक तहसीलः मृत्यु की तिथि हर / गांवः लिंगः 1. पुरूष ा 2. महिला पंजीकरण इकाईः मृत्यु का स्थानः 1. अस्पताल / संस्था, 2. घर नाम व निबन्धक के हस्ताक्षर	

15/04/21

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 428 /XXVIII-1/04(299)2002 टी0सी–1
देहरादून : दिनांक 12-अप्रैल, 2021

अधिसूचना संख्या– 419 /XXVIII-1/04(299)2002, दिनांक 12-अप्रैल 2021 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021"** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना(हिन्दी एवं अंग्रेजी) को आगामी गजट (असाधारण) में प्रकाशित करवाते हुए अधिसूचना की 150 प्रतियां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमाँऊ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक/अपर मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक/संयुक्त महारजिस्ट्रार,जनगणना कार्य निदेशालय,उत्तराखण्ड,भारत सरकार गृह मंत्रालय, देहरादून।
8. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निदेशक,शहरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 419 /XXVIII–1/04(299)2002टी०सी०–1
देहरादून: दिनांक 12 अप्रैल, 2021

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (अधिनियम संख्या 18, 1969) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उत्तराखण्ड जन्म–मृत्यु पंजीकरण नियमावली, 2003 को अग्रेत्तर संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जन्म–मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

नियम–10 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड जन्म–मृत्यु पंजीकरण नियमावली, 2003 (जिसे एतस्मिनपश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नियम–10 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

(1) जहां शिशु के जन्म को नाम के बिना पंजीकृत किया गया हो, वहां ऐसे शिशु के माता–पिता या संरक्षक, शिशु के जन्म के पंजीकरण के दिनांक से बारह मास के भीतर निबन्धक को शिशु के नाम से सम्बन्धित सूचना मौखिक या लिखित रूप में देंगे:

परन्तु यह कि यदि सूचना उपर्युक्त बारह मास (12) के पश्चात् दी जाती है, तो उसकी गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:–

(i) उस स्थिति में जहां पंजीकरण, मूल नियमावली के लागू किये जाने से पूर्व का हो, अतिरिक्त 05 वर्ष की अवधि इस नियमावली के लागू होने की तिथि से प्रदान की जायेगी। ऐसे प्रकरणों में, जहां पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष अभी पूर्ण न हुए हों, को 15 वर्ष की अवधि सम्बन्धी नियम का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। अथवा

(ii) उस स्थिति में जहां पंजीकरण इस नियमावली के लागू होने के पश्चात् किया गया हो, तो पंजीकरण के उस दिनांक से 15 वर्ष का समय, धारा 23 की उपधारा (4) के

उपबंधों के अधीन रहते हुए, निबन्धक–

(क) यदि पंजिका उसके कब्जे में है, जन्म पंजिका में सम्बन्धित प्रपत्र के सुसंगत स्तम्भ में, रूपये पांच के विलम्ब शुल्क दिये जाने के उपरान्त, नाम की प्रविष्टि करेगा।

(ख) यदि पंजिका उसके कब्जे में नहीं है तथा यदि सूचना उसे मौखिक रूप से दी गई हो, तो वह समस्त तथ्यों को इंगित करते हुए, एक आख्या तैयार करेगा एवं यदि उसको सूचना लिखित में दी गई है तो वह ऐसी सूचना रूपये पांच के विलम्ब शुल्क के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिये इस हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी/जिला रजिस्ट्रार को अग्रसारित करेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

In pursuance of provision of clause(3) of Article 348 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no ५१९ dated १२/४ of 2021 for general information.

Government of Uttarakhand

Medical Health and Medical Education Section-1

No.- ५१९ /XXVIII-1/04(299)2002TC-1

Dehradun, Dated 12 April, 2021

<u>Notification</u>

In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Registration of Births and Deaths Act 1969 (18 of 1969), the Governor with the approval of the Central Government with a view to further amend the Uttarakhand Registration of Births and Deaths Rules 2003 makes the following rules-

The Uttarakhand Registration of Births and Deaths

<u>(Amendment) Rules, 2021</u>

(1) These rules may be called the Uttarakhand Registration of Births and Deaths (amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of publication in the Official Gazette

Amendment of rules-10

2. In the Uttarakhand Registration of Births and Deaths Rules,2003, (hereinafter referred to as the Principal rules) for sub-rule (1) of rule 10, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

Where the birth of any child had been registered without a name, the parent or guardian of such child shall, within twelve (12) months from the date of registration of the birth of child, give information regarding the name of the child to the Registrar orally or in writing:

Provided that if the information is given after the aforesaid period of 12 months, which shall be reckoned as follows-

(i) In case where the registration had been made prior to the date of commencement of the Principle rules, further five-year period from the date of commencement of these rules shall be given. In respect of those cases, where 15 years period from the date of registration has not yet been completed, they shall be allowed to avail the 15 years period. Or

(ii) In case where the registration is made after the date of commencement of these rules the period of 15 Years from the date of such registration, subject to the provisions of sub-section (4) of section 23, the Registrar shall-

a. If the register is in his possession forthwith enter the name in the relevant column of the concerned form in the birth register on payment of a late fee of rupees five.

b. If the register is not in his possession and if the information is given orally, make a report giving necessary particulars, and if the information is given in writing, forward the same to the officer specified/District Registrar by the State Government in this behalf for making the necessary entry on payment of a late fee of rupees five.

(Amit Singh Negi)
Secretary.

उ0 प्र0 नगरपालिका अकेन्द्रीययित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984

(U.P. NAGARPALIKA NON-CENTRALISED SERVICES RETIREMENT BENEFITS REGULATIONS, 1984)

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन्, 1916 की धारा 297 की उपधारा (2) के अधीन क्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावती बनाते है जिसे संयुक्त प्रान्त नगरपाकि अधिनियम, 1916 की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना 2837/11–3–79–217–विधिक–1979 दिनांक 19 जुलाई, 1979 के साथ पहले प्रकाशित किया जा चुका है :

भाग–एक
प्रारम्भिक

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभा नियमावली, 1984 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2– परिभाशा– जब तक विशय या संदर्थ्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में,–

(ख) ''औसत परिलब्धि'' का तात्पर्य ऐसी औसत परिलब्धियों से है जिन्हें सम्बद्ध पदधारी ने जिस मास सम्बद्ध पदधारी को सेवा–निवृत्त होना हो, उसके ठीक पूर्ववर्ती दस मास के दौरान प्रापत किया हो :

परन्तु–

(एक) यदि सेवा के अन्तिम दस माास के दौरान कोई पदधारी बिना भत्ते, छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो या निलम्बित किया गया हो, तो ऐसी परिस्थितियों में निलम्बन की अवधि या बिना भत्ते की छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि को सेवा के रूप में नही माना जाएगा। इस प्रकार व्यतीत की गयी अवधि पर ध्यान नहीं दिया जायगा ओर दस मास के पूर्व की उतनी ही अवधि की सम्मिलित किया जायगा; और

(दो) यदि सेवा के अन्तिम दास मास के दौरान कोई पदधाारी भत्ते सहित छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो या निलम्बित किये जाने पर सेवा के समपहरण के बिना सेवा में पुनः ले लिया गया हो तो ओसत का अभिनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ उसकी ऐसी परिलब्धियों की गणना की जायगी जो उस दशा में होती यदि वह ड्यूटी से अनुपस्थित न होता या निलम्बितन किया गया होता। यह इस प्रतिबन्ध के अधीन होगा कि उसकी पेन्शन वेतन की वृद्धि के कारण जो वास्तव में आहरित न की गयी हो, बढ़ायी नहीं जानी चाहिए।

(ग) ''मण्डल आयुक्त'' का तात्पर्य किसी नगर पालिका परिशद के निर्देश में, उस मण्डल के आयुक्त से है जिसमें नगरपालिका परिशद स्थित हो।

(घ) ''जिला मजिस्ट्रेट'' का तात्पर्य किसी नगरपालिका परिशद के निर्देश में, उस जिले में स्थित मजिस्ट्रेट से है जिसमें नगर पालिका परिशद स्थित है।

(ड.) ''परिलब्धि'' का तात्पर्य फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड–दो, भाग–दो से चार के फण्डामेण्टल रूल 9(21) में यथा परिभाशित वेतन से है। इस वेतन में मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित होगाः

परन्तु यदि कोई पदधारी, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या मृत्य के समय छुट्टी पर हो तो परिलब्धि वह मान ली जायगी जो उस समय होती यदि वह उससमय छुट्टी पर न होता।

(च) ''परिवार'' के अन्तर्गत पदधारी के निम्नलिखित सम्बन्धी भी हैंः–

(एक) पुरूश पदधारी की स्थिति में, पत्नी,

(दो) महिला पदधारी की स्थिति में, पति;

(तीन) पुत्र, अविवाहित और विधवा पुत्रियां (जिसके अन्तर्गत सौतेले बालक और दत्तक बालक भी हैं);

(चार) 18 से कम आयु के भाई और अविवाहित ओर विधवा बहिनें, (जिसके अन्तर्गत सौतेले भाई और सौतेली बहिनें भी हैं);

(पांच) पिता;

(छः) माता;

(सात) विवाहित पुत्रियां (जिसके अन्तर्गत सौतेली पुत्रिया भी हैं); और

(आठ) पूर्व—मृत पृत्र के बालक।

(छ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस विनियमावली में संलग्न प्रपत्र से है;

(ज) ''अकेन्द्रियत सेवा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 71 के अधीन सृजित राज्य की नगरपालिका परिशद की सेवा से है;

(झ) ''पदाधिकारी'' का तात्पर्य किसी नगरपालिका परिशद की अकेन्द्रीयित सेवा के ऐसे सेवक से है जिसका अकेन्द्रीयित सेवा के अधीन किसी स्थायी पेंशन योग्य पद पर धारणाधिकार हो या ऐसे पद पर धारणाधिकार होता, यदि उसका धारणाधिकार आस्थगित न किया गया होता;

(ज) ''पालिका'' का तात्पर्य किसी नगरपालिका (नगरपालिका परिशद) से है;

(ट) ''पेंशन योग्य पद'' का तात्पर्य ऐसे पद से है, जिसके संबंध में निम्नलिखित तीन र्ते पूरी होती है:—

(एक) पद नगरपालिका परिशद की अकेन्द्रीयित सेवा के किसी संवर्ग में है;

(दो) सेवायोजन मौलिक और स्थायी है, और

(तीन) सेवा—कार्य के लिए भुगतान किसी नगरपालिका परिशद द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(ठ) ''पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी'' का तात्पर्य विनियम 13 के उपविनियम (3) के अधीन उल्लिखित ऐसे प्राधिकारी से है जो पेंशन और / या उपदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम हो;

(ड.) ''अर्हकारी सेवा'' का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो निम्नलिखित को छोड़कर, समय—समय पर यथा संशोधित सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार पेंशन के लिए अर्हता प्रदान करती हो—

(एक) सम्बद्ध नगरपालिका परिशद के अधीन पेंशन—रहित अधिष्ठान में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि;

(दो) किसी कार्य प्रभारित अधिष्ठान में सेवा की अवधि, और

(तीन) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है, सेवा की अवधि;

परन्तु सम्बद्ध परिशद के अधीन निरस्तर अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना अर्हकारी सेवा के रूप में की जायगी, यदि उसी या किसी अन्य पद पर सेवा के किसी व्यवधान के बिना बाद में उसे स्थायी कर दिया जाय।

टिप्पणीः— यदि किसी पेंशन रहित अधिष्ठान, कार्य प्रभारित अधिष्ठान में या आकस्मिक्ता निधि से भुगतान किये जाने वाले किसी पद पर की गयी सेवा किसी पेंशन योग्य अधिष्ठान में अस्थायी सेवा की दो अवधि के बीच या किसी पेंशन योग्य अधिष्ठान में अस्थायी सेवा की अवधि के बीच पड़ती हो तो वह सेवा का व्यवधान नहीं होगी।

(ढ) ''सेवानिवृत्ति'' का तात्पर्य किसी पदधारी के अकेन्द्रीयित सेवा से अधिवर्शिता पर, अनिवार्यतः या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने पर या स्थायी पद या स्थायी नियुक्ति की समाप्ति पर, यदि पदधारी की नियुक्ति किसी अन्य पद न की जाय या उसे उसके पूर्ववर्ती मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित करना संभव न हो, सेवामुक्त होने से है;

टिप्पणीः— सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का तात्पर्य ऐसी सेवानिवृत्ति से है जो 50 वर्श की आयु प्राप्त करने के पश्चात् 20 वर्श की अर्हकारी सेवा पूरी कर लेने पर हों।

(ण) ''सेवानिवृत्ति पेंशन'' का तात्पर्य ऐसी पेंशन से है जो ऐसे पदधारी को स्वीकृत की जाय, जिसे अधिवर्शिता की आयु प्राप्त होने के पूर्व सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाय और इसके अन्तर्गत ऐसी पेंशन भी है जो ऐसे पदधारी को स्वीकृत की जाय जिससे अधिवर्शिता की आयु प्राप्त करने के पूर्व सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की जाय;

(त) ''अधिवर्शिता की पेंशन'' का तात्पर्य किसी ऐसे पदधारी को स्वीकृत पेंशन से है जो सुसंगत विनियमों के अधीन विशिष्ट आयु प्राप्त होने पर सेवा से निवृत्त होने का हकदार हो।

3–विनियमों का लागू होना– यह विनियमावली निम्नलिखित पर लागू होगीः–

(क) अकेन्द्रीयित सेवाओं के उन समस्त पदधारियों पर जो इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात् पालिका द्वारा सृजित पेंशन योग्य पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जायें;

(ख) अकेन्द्रीयित सेवाओं के उन समस्त पदधारियों पर जो इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को पालिका द्वारा सृजित पेंशन योग्य पदों पर अपनी मौलिक नियुक्ति पर हो; और

{(ग) अकेन्द्रीयित सेवा के उन सभी कर्मचारियों पर, जो 1 अप्रैल, 1979 को उत्तर प्रदेश पालिका अकेन्द्रीयित सेवा में किसी पद पर स्थायीकृत किये जा चुके थे, परन्तु इन विनियमावलियों के प्रकाशन के पूर्व सेवा–निवृत्त हो गये थे, बशर्ते कि इस विनियमावलियों मे प्रवृत्त होने के लिए उन्होने अपना विकल्प 15 दिसम्बर, 1988 को या उसके पूर्व प्रस्तुत कर दिया हो।}

(2) केवल उन्ही पदाधारियों को जो पात्रता की निम्नलिखित र्तो को पूरी करते हो; उपविनियम (1) के उपबन्धों का लाभ प्राप्त होगाः–

(क) यदि किसी पदधारी ने अपने भविष्य निधि में जमा पालिका के अंशदान और बोनस की धनराशि का अन्ततः आहरण कर लियाहो तो उसे वह धनराशि इस विनियमावली के भाग सात के अधीन स्थापित पेंशन निधि में ब्याज सहित जमा करनी होगी;

(ख) यदि किसी पालिका ने पदधारी की भविष्य निधि में बोनस और अपना अंशदान जमा न किया हो तो नगर पालिका परिशद को उपुर्यक्त पेंशन निधि में प्रत्येक ऐसी धनराशि ब्याज सहित जमा करनी होगी;

(ग) सम्बद्ध कर्मचारी के भविष्य निधि में जमा किये गये पालिका के अंशदान और बोनस की धनराशि का भवि‍ष निधि लेखा से आहरण किया जायेगा ओर उसे नगरपालिका परिशद द्वारा उपर्युक्त पेंशन निधि में जमा किया जायगा।

(3) यदि उपर्युक्त उपविनियम (2) में निर्दिष्ट र्त/शर्ते पूरी न की जाय/जायें तों पेशन स्वीकृति प्राधिकारी को अपने इस विवेंक का प्रयोग करने की क्ति होगी कि वह वियिमावली अकेन्द्रियत सेवाओं के किसी विशिष्ट पदधारी पर लागू न हो;

परन्तु इस विनियमावली द्वारा नियंत्रित पदधारी उनपर इस विनियमावली के लागू होने के दिनांक से नगरपालिका परिशद द्वारा उनकी भविष्य निधि में देय ब्याज और अंशदान के नाम को समपहृत कर देगें।

भाग–दो
पेंन और उपदान

4–पेंशन और उपदान की गणना–(1) अधिवर्शिता, सेवानिवृत्ति, अक्षम और प्रतिकर पेंशन या उपदान की धनराशि, अनुलग्नक में दिये गये सूत्र के अनुसार संगणित धनराशि होगी।

(2) कोई विशेश अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(3) पद ''अक्षम और प्रतिकर पेंशन'' का वही अर्थ होगा जो उसके लिए सिविल सर्विसेज रेगूलेशन्स में दिया गया है।

भाग–तीन
मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान

5—मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान—(1) किसी पदधारी को सेवानिवृत्त होने पर उपदान यिा जायगा, जिसकी धनराशि परलब्धियों में अहकारी सेवा की पूर्ण छमाही अवधि की कुल संख्या से गुणा करने पर, जो धनराशि हो, उसके एक—चौथाई के बराबर धनराशि होगी, किन्तु परिलब्धियों की अधिकतम साढ़े सोलह गुना से अधिक न होगी। नगरपालिका परिशद के पदधारियों को परिलब्धियों मे समय—समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ता होगा।

(2) यदि ऐसे पदधारी, की जो इस विनियामवाली के भाग—2 के अधीन पेंशन या उपदान पाने का हकदार हो गया हो, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाय, तो उपदान का भुगतान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिसे या जिन्हें विनियम 6 के उपनियम (1) से (8) के अधीन नाम—निर्देशन द्वारा उपदान पाने का अधिकारी प्रवृत्त किया जायेग, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो उकसी भुगतान विनियम 6 के उपनिविनयम (9) में इंगित रीति से किया जागा जिसकी धनराशि दधारी की परिलब्धियों के न्यूनतम बारह गुना और अधिकतम साढ़े सोलह गुना के अधीन रहते हुए उसकी परिलब्धियों में अर्हकारी सेवा की छमायी अवधि की कुल संख्या से गुणा करने पर जो धनराशि हो उसके एक—चौथाई के बराबर धनराशि होगी।

(3) यदि किसी ऐसे पदधारी की, जो इस विनियमावली के भाग—दो के अधीन पेंशन या उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया या जिसने वस्तुतः उसे प्राप्त कर लिया हो, सेवानिवृत्ति के दिनांक से पांच वर्श की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाय और मृत्ये के समय तक उसे उपदान या पेंशन के भत्ते अनुमन्य या वस्तुतः प्राप्त धनराशि और उपविनियम (1) के अधीन स्वीकृत उपदान और उसके द्वारा संराशीकरण करायी गयी पेंशन के किसी भाग का संराशीकृत मूल्य कुल मिलाकर उसकी परिलब्धियों की बारह गुना धनराशि से कम हो तो उपविनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों, को ऐसी कम धनराशि के बराबर उपदान स्वीकृति किया जायेगा।

(4) उपविनियम (2) के अनुसार अनुमन्य उपदान की धराशि किसी भी स्थिति में 30,000 रूपये से अधिक न होगी।

6—नाम निर्देशन—(1) प्रत्येक पदधारी जैसे ही वह इस विनियामाली का विकल्प करें या जैसे ही यह विनियमावली उस पर लागू हो जाय, नाम—निर्देशन करेगा जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को कोई ऐसा उपदान जो विनियम 5 के उपविनियम (2) या उपविनियम (3) के अधीन स्वीकृत किया जाय औरऐसा उपदान जिसका विनियम 5 के उपविनियम (1) के अधीन उसे अनुमन्य हो जाने के पश्चात् उसकी मृत्यु के पूर्व भुगतान न किया गया हो प्रापत करने का अधिकार प्रदान किया जायेगाः

परन्तु यदि नाम—निर्देशन करते समय पदधारी का परिवार हो तो नाम—निर्देशन उसके परिवार के किसी एक या अधिक सदस्यों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी—पदधारी द्वारा नाम—निर्देशन या नाम—निर्देशन में कोई परिवर्तन पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने सेवाकाल में या सेवा—निवृत्ति के पश्चात् किया जा सकता है।

(2) यदि कोई पदधारी उपविनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति को नाम—निर्दिष्ट करे, तो वह नाम—निर्देशन पत्र में प्रत्येक नाम—निर्दिष्ट व्यक्ति को देय धनराशि या अंश ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे उसके अन्तर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय।

(3) यदि कोई पदधारी नाम निर्देशन में यह व्यवस्था कर सकता है किः—

(क) किसी विनिर्दिष्ट नाम—निर्देशिती की पदधारी के पूर्व मृत्यु हो जाने पर उस नाम—निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को अन्तरित हो जायेगा जिसे नाम—निर्देशन पत्र में विनिर्दिष्ट किया जायः

परन्तु यदि नाम निर्देशन करते समय पदधारी के परिवार में एक से अधिक सदस्य हो तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति न होगा;

(ख) नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम—निर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिक घटना होने की दशा में अविधिमान्य हो जायेगा।

(4) किसी ऐसे पदधारी द्वारा, जिसका नाम—निर्देशन करते समय परिवार न हो, कियागया नाम—निर्देशन या किसी ऐसे पदधारी द्वारा, जिन्हें परिवार में नाम—निर्देशन करने के दिनांक को केवल एक

सदस्य हो, उपविनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन नाम–निर्देशन में की गयी व्यवस्था उस दशा में अविधिमान्य हो जायेगी जब बाद में पदधारी का यथास्थिति, परिवार हो जाय या उसके परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाय।

(5) (क) प्रत्येक नाम–निदेशन, प्रपत्र (क) से (घ) तक के किसी एक ऐसे प्रपत्र में होगा जो उस मामलें की परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हो;

(ख) कोई पदधारी किसी भी समय पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर नाम–निर्देशन रद्द कर सकता है, परन्तु पदधारी ऐसी नोटिस के साथ इस विनियमावली के अनुसार किया गया नाम–निर्देशन भेजेगा।

(6) किसी ऐसे नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की, जिसके संबंध में उपविनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन नाम–निर्देशन में किसी दूसरे व्यक्ति को उसका अधिकार अन्तरित हो जाने के संबंध में कोई व्यवस्था न की गई हो, मृत्यु हो जाने पर तुरन्त या किसी ऐसी घटना के हो जाने पर जिसके कारण नाम–निर्देशन उपविनियम (3) के खण्ड (ख) या उपविनियम (4) के अनुसरण में अविधिमान्य हो जाय, पदधारी पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को औपचारिक रूप से नाम–निर्देशन रद्द करने की लिखित नोटिस के साथ इस विनियमावली के अनुसार किया गया नाम–निर्देशन भी भेजेगा।

(7) किसी पदधारी द्वारा किया गया प्रत्येक नाम–निर्देशन और रद्द करने के लिए दी गयी प्रत्येक नोटिस पेंशनस्वीकृति प्राधिकारी को भेजी जायेगी जो उसमें प्राप्ति का दिनांक अंगित करते हुए उस पर प्रति हस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(8) किसी पदधारी द्वारा किया गया प्रत्येक नाम–निर्देशन और रद्द किये जाने के लिए दी गयी प्रत्येक नोटिस जहां तक कि वह विधिमान्य हो उपविनियम (7) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्रापत होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

(9) यदि किसी पदधारी की जिसका कोई परिवार हो ऐसा नाम–निर्देशन किये बिना जिसमें उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों की मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त किया गया हो, मृत्यु हो जाय तो वह उसके परिवार के उन जीवित सदस्यों को बराबर–बराबर अंशो में दिया जायेगा जो, विधवा पुत्रियों को छोड़कर, विनियम 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित रेणी (एक) से (चार) के अन्तर्गत आते हों। जहां कोई ऐसे जीवित सदस्य न हों, किनतु विधवा पुत्री (पुत्रियों) और/या ऐसे पदधारी के विनियम 2 के खण्ड (च) में उल्लिखित श्रेणी (पांच) से (आठ) के परिवार का/के एक या अधिक सदस्य जीवित हो/हों, वहां उपदान ऐसे व्यक्ति को या ऐसे समस्त व्यक्तियों को बराबर–बराबर अंशों में दिया जायेगा।

भाग–चार
परिवारिक पेंशन

7–पारिवारिक पेंशन–(1) ऐसे पदधारी के, जिसकी चाहे सेवा–निवृत्ति के पश्चात् या कम से कम बीस वर्श की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाय, परिवार को दस वर्श की अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है जिसकी धनराशि उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न होगी:

परन्तु पारिवारिक पेंशन दिये जाने की अवधि किसी भी स्थिति में उस दिनांक से, जब मृत पदधारी ने 60 वर्श की आयु पूरी कर ली होती, यदि वह सेवा में होता, पांच वर्श से आगे नहीं बढ़ाई जायेगी;

परन्तु यह और कि यदि पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है तो उपदान का, जहां अनुमन्य हो, ऐसा भाग अभ्यर्पित करना होगा जो उसके दो मास की उन परिलब्धियों के बराबर होगा जिसके आधार पर उपदान की धनराशि की संगणना की गयी हो, किन्तु इस प्रकार अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि 5,000 रूपये से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी—(1) पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी आपवादिक परिस्थितियों में, स्वविवेककानुसाार किसी ऐसे पदधारी के परिवार को जिसकी मृत्यु बीस वर्श की अहंकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् हो जाय, पारिवारिक पेंशन दिये जाने पर विचार कर सकता है।

(2) ऐसे मामलों में, जहां अर्हकारी सेवा विहित न्यूनतम से कम हो, वहां इस कमी को माफ नहीं किया जाना चाहिए।

(2) पारिवारिक पेंशन की धनराशि—

(क) सेवा—काल में मृत्यु होने पर, उस अधिवर्शिता की पेंशन की आधी होगी जो पदधारी को उस समय अनुमन्य होती यदि वह अपनी मृत्यु के दिनांक से अगले दिनांक को सेवानिवृत्त होता; और

(ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु होने पर, सेवानिवृत्ति के समय उसे स्वीकृत पेंशन की आधी होगी;

परन्तु पारिवारिक पेंशन की धनराशि अधिक से अधिक 150 रूपये और न्यूनतम 30 रूपये प्रतिमास होगी;

परन्तु यह और कि किसी भी स्थिति में न्यूनतम पारिवारिक पेंशन मृत पदधारीको उसकी सेवानिवृत्ति के समय पर स्वीकृत पेंशन की पूरी धनराशि से अधिक न होगी या, उस सिथति मे जब उसकी मृत्यु सेवाकाल में हो जाय, तो पेंशन उससे अधिक नहीं होगी जो उसे अनुमन्य होती यदि वह अपनी मृत्यु के दिनांक के अगले दिनांक को अधिवार्शिकी पेंशन पर सेवानिवृत्त होता।

टिप्पणीः— पारिवारिक पेंशन की धनराशि में पेशनभोगी द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व संराशीकरण की गयी पेंशन की धनराशि यदि कोई हो, कम हो जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि सामान्य पेंशन 90 रूपया प्रतिमास थी और इसमें से 30 रूपये की धनराशि संराशीकरण किया गया तो पारिवारिक पेंशन 90/2—30—15 रूपये प्रतिमाह होगी।

(3) विनियमावली के इस भाग के अधीन कोई पेंशन निम्नलिखित को देय नहीं होगीः—

(क) उपविनियम (4) के खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्ति को, जब तक पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह समाधान न हो जाय कि ऐसा पेंशनभोगी भरण—पोशण के लिए मृत पदधारी पर आश्रित था;

(ख) परिवार की किसी अविवाहित महिला सदस्य को, उसका विवाह हो जाने पर;

(ग) परिवार की किसी विधवा महिला सदस्य को, उसका पुर्नविवाह हो जाने पर;

(घ) मृत पदधारी के भाई को, 18 वर्श की आयु का हो जाने पर'

(ड.) ऐसे वयक्ति को जो मृत पदधरी के परिवार का सदस्य न हो;

(4) उपविनियम (5) के अधीन नाम—निर्देशान द्वारा यथा उपबन्धित के सिवायः—

(क) विनियम के इस भाग के अधीन स्वीकृत पेंशन निम्नलिखित को दी जायेगीः—

(एक) ज्येशठतम उत्तरजीवी विधवा को, यदि मृत पदधारी पुरूश पदधारी या पति को, यदि मृत पदधारी महिल पदधारी थी;

(दो) उपर्युक्त (एक) के न होने पर ज्येष्ठतम उत्तरजीवी पुत्र;

(तीन) उपर्युक्त (एक) और (दो) के न होने पर, ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अविवाहित पुत्री को; और

(चार) उपर्युक्त (एक) से (तीन) के न होने पर ज्येष्ठतम विधवा पुत्री को; और

(ख) खण्ड (क) के अधीन पेंशन देय न होने की दशा में पेंशन निम्नलिखित को दी जा सकती हैः—

(एक) पिता को;

(दो) उपर्युक्त (एक) के न होने पर, माता को;

(तीन) उपर्युक्त (एक) और (दो) के न होने पर, 18 वर्श से कम आयु के ज्येशठतम उत्तरजीवी भाई को;

(चार) उपर्युक्त (एक) से (तीन) के न होने पर, ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अविवाहित बहिन को;

(पाचं) उपर्युक्त (एक) से (चार) के न होने पर, ज्येष्ठतम उत्तरजीवी बहिन को; और

(छः) उपर्युक्त (एक) से (पाचं) के न होने पर, पूर्व मृत पुत्र के बालकों को उसकी क्रम में जिस क्रम में वह उपर्युक्त खण्ड (क) (दो), (तीन) और (चार) के अधीन मृत कर्मचारी के बालकों को देय है।

टिप्पणी–उपर्युक्त खण्ड (क) (एक) में पद ''ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा'' का अर्थ पदधारी के साथ विवाह होने के दिनांक के अनुसार ज्येष्ठता के निर्देश में, न कि उत्तरजीवी विधवाओं की आयु के निर्देश में लगाया जाना चाहिए।

(5) प्रत्येक पदधारी अपने स्थायीकरण के तुरन्त बाद प्रपत्र ''ड.'' में नाम निर्देशन करेगा जिसमे वह इंगित किया गया हो कि इस भाग के अधीन स्वीकृत पेंशन उसके परिवार के सदस्यों को किस क्रम में देय होगी और जिस सीमा तक वह विधिमान्य होगी, उस सीमा तक वह पेंशन ऐसे नाम–निर्देशन के अनुसार देय होगी, बशर्ते सम्बद्ध नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति उस दिनांक को जब उसे पेंशन देय हो जाय, उपविनियम (3) के उपबन्धों के अधीन पेंशनप्राप्त करने के लिए अपात्र न हों। यदि सम्बद्ध नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति उक्त उपविनियम के अधीन पेंशन प्राप्त करने के लिए अपात्र हो या हो जाय तो पेंशन ऐसे नाम–निर्देशन के क्रम में अगले निम्न व्यक्ति को स्वीकृत हो जायेगी। विनियम 6 के उपविनियम (5) के खण्ड (ख) और उपविनियम (7) और (8) के उपबन्ध इस उपविनियम के अधीन नाम–निर्देशन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(6)(क) इस भाग के अधीन प्रदत्त पेंशन मृत पदधारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को एक साथ देय न होगी।

(ख) यदि इस भाग के अधीन प्रदत्त पेंशन उपविनियम (1) के परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने या विवाह हो जाने के कारण या किसी अन्य कारण से देय होगा समाप्त हो जाय तो वह, यथास्थिति, उपविनियम (4) में, उल्लिखित क्रम में अगले निम्न व्यक्ति को या विनियम (5) के अधीन किये गये नाम–निर्देशन में दिखाये गये क्रम में अगले–व्यक्ति को जो इस भाग के अन्य उपबन्धों का समाधार करे, पुनः स्वीकृत की जायेगी।

(7) इस भाग के अधीन स्वीकृत पेंशन ऐसी किसी असाधारण पेंशन, उपदान या प्रतिकर के अतिरिक्त मान्य होगी जो वर्तमान नियमों, विनियमों या अधिनियमों के अधीन किसी पदधारी के परिवार के सदस्य को स्वीकार की जाय।

(8) इस भाग के अधीन स्वीकृत प्रत्येक पेंशन के लिए यह एक विवाक्षित र्त है कि प्राप्तिकर्ता का भावी आचरण अच्छा हो। यदि प्राप्तिकर्ता किसी गंभीर अपराध में सिद्धदोश हो जाय या घोर अपचार का अपराधी हो तो पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी ऐसी पेंशन या उसके किसी भाग को रोक सकता है या वापस ले सकता है और ऐसे मामलों में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन–पत्र प्रपत्र 'च' में दिया जायेगा।

भाग–पांच
संरीकरण

8–संराशीकरण–पेंशन की सरांशीकरा की सुविधा उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स के अनुसार सुलभ होगी किन्तु पेंशन की अधिकतम धनराशि जिसका संराशीकरण कियाजाय, इस विनियमावली के भाग–दो के अधीन अनुमन्य पेंशन की एक तिहाई तक होगी;

परन्तु संराशीकरण के पश्चात् वस्तुतः देय पेंशन किसी भी स्थिति में सिविल सर्विस रेगूलेशन्स के अनुच्छे 474 और 474–ए के अधीन अनुमन्य पेंशन का कम से कम आधा या 20 रूपये, जो भी अधिक हो, होगी।

भाग–छः
प्रकीर्ण

9–उपदान या पेंशन से वसूली–पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को सम्बद्ध पदधारी द्वारा नगरपालिका परिशद की विधितः देय धनराशि को, उसे स्वीकृत उपदान या पेंशन से वसूल करने का अधिकार होगा।

10—कतिपय मामलों में उपदान/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी—किसी पदधारी को आपराधिक अपचार के कारण दण्ड दिया गया हो, या वह अपचार, दिवालिया होने या गबन करने के कारण सेवा में पदच्युत कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो तो उसे सामन्यतः कोई उपदान या पारिवारिक पेंशन नहीं दी जायेगी, किन्तु पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी अनुकम्पा के आधार पर विनियम 4 के अधीन अनुमन्य धनराशि के आधे तक उपदान स्वीकृत कर सकता है।

11—पेंशन सम्बन्धी अंशदान—(1) ऐसे प्रत्येक पदधारी के लिए जो इस विनियमावली के अधीन पेंशन का हकदार हो, सम्बद्ध नगरपालिका परिशद के अध्यक्ष द्वारा उसके वेतन के 12 प्रतिशत के बराबर आर्थिक सहायता देय होगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, जिसके पास स्थानीय निकाय निदेशक द्वारा आर्थिक सहायता की धनराशि रखी जाती है, एक संहत बिल तैयार करेगा जिसमें सम्बद्ध नगरपालिका परिशद का नाम, अनुदान की धनराशि, अनुदान से पेंशन निधि में जमा की जाने वाली धनराशि, सम्बद्ध नगरपालिका परिशद के पदधारियों की संख्या और आर्थिक सहायता की दर उल्लिखित की जायेगी।

(3) बिल पर ''उत्तर प्रदेश नगरपालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1984, पालिका आर्थिक सहायता बिल'' लिख जायगा।

(4) बिल पेंशन निधि में जमा के लिए पृष्ठांकित किया जायेगा ओर साथ ही साथ विनियम 19 के अनुसार चालान भी संलग्न किया जायेगा। कोशागार अधिकारी बिल पर ''केवल पाने वाले के ही लेखाा में देय'' लिखने के पश्चात् भुगतान के लिए आदेश देगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट इस विनियमावाली के अनुसार पेंशन निधि का लेखा रखेगा। जिला मजिस्ट्रेट एक पृथक रजिस्टर भी रखेगा जिसमें स्थानीय निकायों की स्वीकृत अनुदान की कुल धनराशि, पेंशन निधि में जमा की गई, अनुदान की धनराशि, और अनुदान का अवशेश पृथक—पृथक अभिलिखित किया जयगा।

(6) इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन पेंशन के हकदार पदधारियों की भविष्य निधि में इस विनियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिनांक तक जमा की गयी कुल धनराशि और पालिका का अंशदान, बोनस की धनराशि, ओर उन पर प्रोद्भूत ब्याज को नगरपालिका परिशद के अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा उक्त लेखा से तुरन्त निकाल लिया जायेगा और उसे इस विशय पर अनुदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के उक्त लेखा में अन्तरित कर दिया जायेगा और उसकी ब्यौरेवार सूची स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश, मंडल आयुक्त, और जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जोयगी।

(7) नगरपालिका परिशद की भविष्य निधि नियमावली में पालिका के अंशदान और बोनस के भुगतान से सम्बन्धित वर्तमान उपबन्ध इस विनियमावली के प्रवर्तन से प्रवर्ती नहीं रह जायेगें।

12—पेंशन सम्बन्धी अंशदान का लेखा—विनियम 11 में उल्लिखित अंशदान और उससे किये गये विनियोजन का लेखा स्थानीय निकाय निदेशक के निर्देशों के अनुसार रखा और तैयार किया जायेगा।

13—सेवानिवृत्त होने वाले पदधारियों के सम्बनध में अग्रिम कार्यवाही—(1) प्रत्येक नगर पालिका परिशद के विभागाध्यक्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को अपने—अपने विभागों में अकेन्द्रीयित सेवा के ऐसे समस्त पदधारियों की जो आगामी दो वर्श मेंसेवानिवृत्त होने वाले हों, छमाही सूची तैयार करेगें और इस सूची को प्रतिवर्श 31 जनवरी और 31 जुलाई को नगरपालिका परिशद के अधिशासी अधिकारी को भेजेगे। विभागाध्यक्ष, पदधारी के सेवानिवृत्ति होने के दिनांक से डेढ़ वर्श से यह भी सुनिश्चित करेगें कि सम्बद्ध पदधारी से उसके सेवा—निवृत्त होने के दिनांक तक कोई देय वसूल किये बिना न रह जाय। नगरपालिका परिशद का अधिशासी अधिकारी प्रतिवर्श 15 फरवरी और 18 अगस्त तक इस सूची की एक प्रति मंडल आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को निश्चिम रूप से भेजेगा।

(2) अकेन्द्रीयित सेवा के प्रत्येक पदधारी की सेवानिवृत्ति के दिनांक के एक वर्श पूर्व, सम्बद्ध विभागाध्यक्ष प्रपत्र ड. में उसके आवेदन—पत्र को उसकी पेंशन और उपदान से सम्बन्धित अन्य अभिलेखों को पूरा करेबगें ओर उन्हें नगरपालिका के लेखाकार को भेजेगें। लेखाकार पेंशन और उपदान की धनराशि की जांच करने के पश्चात् उसे अधिशासी अधिकारी के माध्यम से नगरपालिका परिशद के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो पेंशन और उपदान के पत्रादि की संवीक्षा करेगा। इस पत्रादि की संवीक्षा उसी रीति से की जायेगी

जिस रीति से म्युनिसिपल एकाउन्ट कोड के अधीन पालिका निधि के दावों की परीखा की जाती है। अध्यक्ष इस पत्रादि को पदधारी की सेवानिवृत्ति के दिनांक के छः मास पूव्र परीखक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश के पास पेंशन और उपदान की धनराशि के सत्यापन और पुष्टि के लिए भेजेगां परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा पेंशन और उपदान की धनराशि का सत्यापन और पुष्टि किये जाने के पश्चात् इन पत्रादि को मंडल–आयुक्त के पास पेंशन और उपदान की स्वीकृति और भुगतान के लिए प्रेशित किया जायेगा।

(3) मंडल आयुक्त पेंशन पारिवारिक पेंशन और या उपादान स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। यदि पदधारी का सेवा अभिलेख संतोशप्रद न हो तो मंडल आयुक्त को इस कारण पेंशन और / या उपदान में कटौती करने का अधिकार होगा। नगरपालिका परिशद का अध्यक्ष मंडल आयुक्त को पेंशन सम्बन्धी पत्रादि भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा और अपना समाधन करेगा कि सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी की सेवा संतोशप्रद रही है और उसे इस विनियमावली के अधीन देय पूर्ण पेंशन और / या उपदान की सिफारिश करेगा, और यदि सेवा संतोशप्रद न रही हो तो वह यह सिफारिश करेगा कि पेंशन और / या उपदान में कटौती की जाय या नहीं।

(4) पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के गलत निर्धारण के कारण अतिरिक्त भुगतान को वापस किया जायेगा और इसे बाध्यकर बनाने के लिए सेवानिवृत्ति होने वाले प्रत्येक पदधारी से यथास्थिति प्रपत्र ''ज'' या ''झ'' में पहले से ही घोशणा करा ली जायेगी।

(5) पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन–पत्र सम्बद्ध पदधारी द्वारा प्रपत्र ''छ'' में उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जायगा और पदधारी की मृत्यु होने की स्थिति मे उपदान और पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र दावेदारों द्वारा विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

{(6) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयुक्त को प्रमाणीकृत हस्ताक्षर भेजा जायगा ताकि पी0 पी0 ओ0 पर आयुक्त द्वारा किये गये हस्ताक्षर की बैंक मिलान और जांच कर सके और तब आवश्यक भुगतान करे।}

14–राज्य सरकार के सेवकों के लिए बने प्रपत्रों का उपयोग–यदि इस विनियमावली के अधीन विहित प्रपत्र पेंशन के मामलों के निस्तारण के लिए अपर्याप्त हो तो राज्य सरकार के सेवकों की पेंशन स्वीकृत करने के लिए विहित प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकता है।

15–विवाद या कठिनाई की स्थिति में राज्य सरकार का विनिश्चय–(1) यदि इस विनियमावली के किन्ही उपबन्धों का निर्वचन करने के सम्बन्ध में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।

(2) ऐसे विशय जो इस विनियमावली के अन्तर्गत न आते हों, ऐसे आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी करना उचित समझे।

भाग–सात
पेंन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया

16–पेंशन निधि– जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में एक सामान्य पेंशन निधि की स्थापना की जायेगी जो ''उत्तर प्रदेश पालिका अकेन्द्रीयित सेवा पदधारी पेंशन निधि'' के नाम से जानी जायेगी जिसे ''निधि'' कहा गया है। विनियम 11 के अधीन नगरपालिका परिशद द्वारा देय पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि इस निधि में जमा की जायेगी।

17–रोकड़ बही रखना–निधि में जमा किया जो वाला समस्त धन और उससे किये जाने वाले समस्त भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रोकड़ बही प्रपत्र ''ञ'' में रखी जायेगी।

18–निधि का बैंक लेखा–निधि का बैंक लेखा भारतीय स्टेट बैंक में रखा जायगा।

19–पेंशन सम्बन्धी अंशदान के संबंध में प्रक्रिया–नगरपालिका परिशद के अध्यक्ष द्वारा पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि प्रतिमास के छठे दिनांक के पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जायेगी। चालान प्रपत्र ''ट'' में तैयार किया जायगा। चालान के साथ एक सूची होगी जिसमें पदधारी का पूर्ण विवरण जैसे नाम, पदनाम, वेतन और अंशदान की धनराशि दिया जायेगा। चालान चार प्रतियों में तैयार किये जायेगें। चालान की प्रथम और द्वितीय प्रतियां बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस की जायेंगी और चालान की द्विती और चतुर्थ

प्रतियां सूची के साथ क्रमशः जमाकर्ता और बैंक द्वारा प्रतिमास के दसवें दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट चालान की इन प्रतियों का मिलान करेगा और रोकड़ बही में अंशदान की धनराशि को दर्ज करेगा। चालान की प्रतियां लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाईल में सुरक्षित रखी जायेगी।

20–खाता लेखा का रखा जाना–सम्बद्ध पदधारी का खाता लेखा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रपत्र ''ट'' में रखा जायेगा। खाता में प्रतिमास पदधारी को भुगतान किये गये वेतन की धनराशि और जमा किये गये अंशदान की धनराशि दर्ज की जायेगी। खाता में प्रविष्टियां चालान की प्रतियों से की जायेंगी और प्रत्येक मास के अन्त में खाता में प्रविषि किये गये अंशदान की धनराशि का मिलान रोड़ बही में प्रविष्टि की गयी तत्समान धनराशि से किया जतायेगा। खाता का पुर्नविलोकन यह अभिनिश्चय करने के लिए किया जायगा कि समस्त पदधारियों से सम्बन्धित पेंशन सम्बन्धी अंशदान जमा कर दिया गया है या नहीं। यदि किसी मामलें में उसे जमा नहीं किया गया है तो उसे तुरन्त जमा कराया जायेगा।

21–पेंशन भुगतान का आदेश–इस विनियमावली के विनियम 13 के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेशन की धनराशि स्वीकृति कर दिये जाने के पश्चात् प्रत्येक मामलें में स्वीकृत की गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए मंडल आयुक्त द्वारा इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र ''ड.'' में पेंशन भुगतान आदेश (पें0भु0आ0) जारी किया जायगा। इस आदेश की प्रतियां पेंशनभोगी और उस पालिका को जहां से सम्बद्ध पदधारी सेवानिवृत्त हुआ है {उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट} और भारतीय स्टेट बैंक को पृष्ठांकित की जायेगी;

परन्तु मण्डलायुक्त यदि उसका यह समाधान हो जाय कि किसी विशिष्ट मामलें में पेशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान स्वीकृत किये जाने में पर्याप्त विलम्ब की संभावना है, सम्बद्ध पदधारी द्वारा प्रपत्र ''ढ'' में की गयी घोणा के आधार पर अन्तरिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान स्वीकृत कर सकता है किन्तु यह धनराशि निर्धारित पेंशन और उपदान की धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार अन्तरिम पारिवारिक पेंशन और उपदान स्वीकृत करने के पूर्व मृत पदधारी के विधिक उत्तराधिकारी से प्रपत्र ''ण'' में घोशणा कराई जायेगी।

22–पेंशन के प्रथम भुगतान का अभिलेख–पेंशन के प्रथम भुगतान के समय भारतीय स्टेट बैंक का ाखा प्रबन्धक पेंशन भुगतान आदेश पर मुद्रित ब्यौरे के अनुसार उस पेंशनभोगी का विवरण और पता आदि लिखेगा और पेंशन भुगतान आदेश पर उसमें दिये गये निर्देश के अनुसार पेंशन का मासिक भुगतान अभिलिखित कियाजायगा।

23–पेंशन के मासिक भुगतान की प्रक्रिया–पेंशनभोगी प्रपत्र ''त'' में दो प्रतियों में अपना बिल भारतीय स्टेट बैंक को प्रस्तुत करेगां बिल की संवीक्षा करने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेंशनभोगी को भुगतान किया जायगा और बिल पर ही भुगतान रसीद ली जायेगी। भुगतान करने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक बिल की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगां

24–जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भुगतान का अभिलेख–जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में, भुगतान किये गये बिल की प्रतियां प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट इन भुगतानों की प्रविष्टि रोकड़ बही में करेगा और इन बिलों को लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाईल में सुरिक्षत रखा जायेगा।

25–लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर–पेंशनभोगियों को पेंशन का समय पर और ठीक–ठाक भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रपत्र ''घ''में एक ''लेखा–परीक्षा जांच रजिस्टर'' रखा जायगा। इस रजिस्टर में प्रत्येक पेंशनभोगी का एक पृथक खाता खोला जायगा। भुगतान किये गये बिल प्राप्त होने पर, सम्बद्ध पेंशनभोगी के खाते में भुगतान की प्रविष्टि की जायेगी।

26–उपदान के भुगतान का आदेश–इस विनियमावली के विनियम 13 के अधीन उपदान की धनराशि स्वीकृत किये जाने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक को प्रपत्र ''द'' में ''उपदान भुगतान आदेश'' (उ0भु0आ0) जारी किया जायगा। उसकी एक प्रति सम्बद्ध {व्यक्ति और उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट} को भी पृष्ठांकित की जायेगी। भारतीय स्टेट बैंक आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात् सम्बद्ध व्यक्ति को उसका भुगतान करेगा ओर भुगतान करने के पश्चात् उस जिला मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया जायगा।

27–उपदान और पेंशन के भुगतान का विवरण–पत्र–भारतीय स्टेट बैंक प्रतिमास के पांचवे दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट को प्रपत्र ''घ'' में एक विवरण–पत्र भेजेगा जिसमें पिछले मास में भुगतान की गई पेंशन

और उपदान की धनराशिदिखायी जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस विवरण पत्र का मिलान रोकड़ बही और लेखा–परीक्षा जांच रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों से किया जायेगा।

28–प्राप्ति और भुगतान मासिक विवरण–पत्र–उपर्युक्त विनियम 27 में निर्दिश्ट विवरण पत्र के अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक प्रतिमास के छठें दिनांक तक जिला मजिस्ट्रेट को भी एक मासिक विवरण पत्र भेजेगा जिसमें पिछले मास में की गयी जमा ओर भुगतान की धनराशि दिखायी जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसका मिलान रोकड़ बही में किया जायेगा।

29–रोकड़ बही–रोकड़ बही में लेखा प्रतिदिन बन्द और संतुलित किये जायेगें और उस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा। प्रत्येक मास के अन्त में, आय और भुगतान की धनराशि का, जैसा रोकड़ बही में प्रविष्टि की गयी हो, मिलान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरण–पत्रों में दिखाये गये तत्समय जमा और भुगतान किया जायेगा। यदि दोनों के बीच कोई अन्तर हो तो मास के अन्त में स्पष्टीकरण दिया जायेगा। मास के अन्त में रोकड़ बही को बन्द करने के पश्चात् उसे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके पुर्नविलोकन और हस्ताक्षर के लिए रखा जायेगा।

30–पेंशन निधि का विनियोजन–पेंशन निधि की धनराशि सरकारी प्रतिभूति में या किसी अनुसूचित बैंक/डाकघर की दीर्घावधि जमा/सावधिक जमा और अन्य बचत लेखा में जिसे जिला मजिस्ट्रेट उचित समझें, विनियोजित की जायेगी, किन्तु चालू खाते में अतिशेश सदैव उतना रखा जायगा जितना कि पदधारियों को दिये जाने वाले उपदान और मासिक पेंशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। विनियोजन की प्रविष्टि एक विनियोजन रजिस्टर में की जायेगी जो प्रपत्र ''न'' में रखा जायगा।

31–लेखा परीक्षा–पेंशन निधि की लेखा–परीखा प्रतिवर्श परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी, और उसमें प्राप्त लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन और आपत्तियों का अनुमान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायगा।

32–अतिरिक्त प्रपत्र–स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश पेंशन निधि के लेखा को क्रमबद्ध रीति से रखने के लिए इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्रों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रपत्र विहित कर सकता है।

परिष्टि
{विनियम 4(1) में निर्दिष्ट}

अर्हकारी सेवा की पूर्ण छमाही अवधि	उपदान या पेंशन का मानक्रम	अधिकतम पेंशन (रूपयों में प्रति वर्श)
1	2	3
		रू0 पैसा
	(क) उपदान	
1– 1/2 मास की परिलब्ध्यिां		
2– 1 तदेव		
3– 1–1/2 तदेव		
4– 2 तदेव		
5–2–1/2 तदेव		
6–3 तदेव		
7–3–1/2 तदेव		
8–4 तदेव		
9–4–3/8 तदेव		
10–5–1/8 तदेव		
11–5–7/8 तदेव		
12–5–1/2 तदेव		
13–5–7/8 तदेव		
147–6–1/4 तदेव		
15–6–5/8 तदेव		
16–7 तदेव		
17– 7–3/8 तदेव		
18– 7–3/4 तदेव		
19– 8–1/8 तदेव		
	(ख) पेंशन	
20– औसत परिलब्ध्यिों का	10/80	3,750.00
21 तदैव	10–1/2/80	3,973.50
22– तदेव	11/80	4,125.00
23क्र तदैव	11–1/2/80	4,312.50
24– तदैव	12/80	4,500.00
25– तदैव	12–1/2/80	4,687.50
26– तदेव	13/80	4,875.00
27– तदैव	13–1/2/80	5,062.50
28– औसत परिलब्ध्यिों का	14/80	5,250.00
29– तदैव	14–1/2/80	5,435.20

अर्हकारी सेवा की पूर्ण छमाही अवधि	उपदान या पेंशन का मानक्रम	अधिकतम पेंशन (रूपयों में प्रति वर्श)
1	2	3
30– तदैव	15/80	5,625.00
31– तदैव	15–1/2/80	5,812.50
32– तदैव	16/80	6,000.00
33– तदैव	16–1/2/80	6,187.50
34– तदैव	17/80	6,375.00
35– तदैव	17–1/2/80	6,562.50
36– तदैव	18/80	6,750.00
37– तदैव	18–1/2/80	6,937.50
38– तदैव	19/80	7,125.00
39– तदैव	19–1/2/80	7,312.50
40– तदैव	20/80	7,500.00
41– तदैव	20–1/2/80	7,687.50
42– तदैव	21/80	7,875.00
43– तदैव	21–1/2/80	8,062.50
44– तदैव	22/80	8,250.00
45– तदैव	22–1/2/80	8,437.50
46– तदैव	23/80	8,625.00
47– तदैव	23–1/2/80	8,812.50
48– तदैव	24/80	9,000.00
49– तदैव	24–1/2/80	9,187.50
50– औसत परिलब्धियों का	25/80	9,375.00
51– तदैव	25–1/2/80	9,562.50
52– तदैव	26/80	9,750.00
53– तदैव	26–1/2/80	9,937.50
54– तदैव	27/80	10,125.00
55– तदैव	27–1/2/80	10,312.50
56– तदैव	28/80	10,500.00
57– तदैव	28–1/2/80	10,687.50
58– तदैव	29/80	10,875.00
59– तदैव	29–1/2/80	11,062.50
60– तदैव	30/80	11,250.00
61– तदैव	30–1/2/80	11,437.50
62– तदैव	31/80	11,625.00

अर्हकारी सेवा की पूर्ण छमाही अवधि	उपदान या पेंशन का मानक्रम	अधिकतम पेंशन (रूपयों में प्रति वर्श)
1	2	3
63– तदैव	31–1/2/80	11,812.50
64– तदैव	32/80	12,000.00
65– तदैव	32–1/2/80	12,0000.00
66– तदैव	33/80	12,000.00

प्रपत्र ''क''
{विनियम 6(5) देखिये}
मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति उपदान के लिए नाम–निर्देशन

जब पदधारी का परिवार हो और वह उसके एक सदस्य को नाम–निर्दिष्ट करना चाहें।

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति, को जो मेरे परिवार का एक सदस्य है, एतद्द्वारा नाम–निर्दिष्ट करता हूँ कि मण्डल आयुक्त द्वारा जो उपदान किया जाय, या मेरी मृत्यु हो जाने पर कोई ऐसा उपदान जो सेवानिवृत्ति होने पर मुझे अनुमन्य हो और मेरी मृत्यु के समय अदत्त रह जाय, प्राप्त यकरने का अधिकार प्रदान करता हूँ।

नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम और पता	पदधारी के साथ सम्बन्ध	आयु	आकस्मिकतायें जिनके कारण नाम–निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हें नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की पदधारी से पूर्व मृत्यु हो जाने या नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु, पदधारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान का भुगतान करने से पूर्व, हो जाने की दशा में नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अन्तरित हो जायेगा।	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश
1	2	3	4	5	6

यह नाम–निर्देशन मेरे द्वारा पहले .... को किये गये नाम–निर्देशन का, जो रद्द हो जायेग, अतिक्रमण करता है।

दिनांक ....10 स्थान ....

हस्तार साक्षी पदधारी के हस्ताक्षर

1...

2...

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

.... द्वारा नाम निर्देशन

पदनाम.. नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय... दिनांक ....

पदनाम.................................

स्तम्भ–6. यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसके अन्तर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय।

प्रपत्र ''ख''
{विनियम 6(5) देखिये}
मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति उपदान के लिए नाम–निर्देशन

जब पदधारी का परिवार हो और वह उसके एक से अधिक सदस्य को नाम–निर्दिष्ट करना चाहें।

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियों, को जो मेरे परिवार का एक सदस्य है, एतद्द्वारा नाम–निर्दिष्ट करता हूँ कि मण्डल आयुक्त द्वारा जो उपदान किया जाय, या मेरी मृत्यु हो जाने पर कोई ऐसा उपदान जो सेवानिवृत्ति होने पर मुझे अनुमन्य हो और मेरी मृत्यु के समय अदत्त रह जाय, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ।

नाम–निर्दिश्ष्ट व्यक्ति का नाम और पता	पदधारी के साथ सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश	आकस्मिकतायें जिनके कारण नाम–निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हें नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की पदधारी से पूर्व मृत्यु हो जाने या नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु, पदधारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान का भुगतान करने से पूर्व, हो जाने की दशा में नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अन्तरित हो जायेगा।	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश
1	2	3	4	5	6	7

यह नाम–निर्देशन मेरे द्वारा पहले .... को किये गये नाम–निर्देशन का, जो रद्द हो जायेग, अतिक्रमण करता है।

अवेशः–पदधारी को अन्तिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आर–पार रेखा खीच देनी चाहिए जिससे कि उसके हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् किसी का नाम सम्मिलित न किया जा सकें।

दिनांक ....10 स्थान ....

हस्तार साक्षी पदधारी के हस्ताक्षर

1...

2...

♦ यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसके अन्तर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय।

♦ इस स्तम्भ में प्रदर्शित उपदान की धनराशि/अंश के अन्तर्गत मूल–नाम–निर्दिश्ट व्यक्ति को देय सम्पूर्ण धनराशि/अंश आ जाना चाहिए।

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

.... द्वारा नाम निर्देशन

पदनाम.. नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय.. दिनांक ....

पदनाम..................................

प्रपत्र ''ग''
{विनियम 6(5) देखिये}
मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति उपदान के लिए नाम–निर्देशन

जब पदधारी का परिवार न हो और वह उसके किसी एक व्यक्ति को नाम–निर्दिष्ट करना चाहें।

मैं, जिस का परिवार नहीं है, नीचे उल्लिखित व्यक्ति को एतदद्वारा नाम–निर्दिष्ट करता हूँ कि मण्डल आयुक्त .... द्वारा जो उपदान किया जाय, या मेरी मृत्यु हो जाने पर कोई ऐसा उपदान जो सेवानिवृत्ति होने पर मुझे अनुमन्य हो और मेरी मृत्यु के समय अदत्त रह जाय, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ।

नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम और पता	पदधारी के साथ सम्बन्ध	आयु	आकस्मिकतायें जिनके कारण नाम–निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हें नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की पदधारी से पूर्व मृत्यु हो जाने या नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु, पदधारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान का भुगतान करने से पूर्व, हो जाने की दशा में नाम–निर्दिश्ट व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अन्तरित हो जायेगा।	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश
1	2	3	4	5	6

यह नाम–निर्देशन मेरे द्वारा पहले .... को किये गये नाम–निर्देशन का, जो रद्द हो जायेग, अतिक्रमण करता है।

दिनांक ....10 स्थान ....

हस्ताार साक्षी पदधारी के हस्ताक्षर

1..

2...

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

.... द्वारा नाम निर्देशन

पदनाम.. नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय.. दिनांक ....

पदनाम..

स्तम्भ–6. यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसके अन्तर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय।

प्रपत्र ''क''

{विनियम 6(5) देखिये}

मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति उपदान के लिए नाम–निर्देशन

जब पदधारी का परिवार हो और वह उसके एक सदस्य को नाम–निर्दिष्ट करना चाहें।

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति, को जो मेरे परिवार का एक सदस्य है, एतद्द्वारा नाम–निर्दिष्ट करता हूँ कि मण्डल आयुक्त द्वारा जो उपदान किया जाय, या मेरी मृत्यु हो जाने पर कोई ऐसा उपदान जो सेवानिवृत्ति होने पर मुझे अनुमन्य हो और मेरी मृत्यु के समय अदत्त रह जाय, प्राप्त यकरने का अधिकार प्रदान करता हूँ।

नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम और पता	पदधारी के साथ सम्बन्ध	आयु	आकस्मिकतायें जिनके कारण नाम–निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हें नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की पदधारी से पूर्व मृत्यु हो जाने या नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु, पदधारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान का भुगतान करने से पूर्व, हो जाने की दशा में नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अन्तरित हो जायेगा।	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश
1	2	3	4	5	6

यह नाम–निर्देशन मेरे द्वारा पहले .... को किये गये नाम–निर्देशन का, जो रद्द हो जायेग, अतिक्रमण करता है।

दिनांक ....10 स्थान ....

हस्तार साक्षी पदधारी के हस्ताक्षर

1..

2..

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

.... द्वारा नाम निर्देशन

पदनाम.. नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय.. दिनांक ....

पदनाम..

स्तम्भ–6. यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसके अन्तर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय।

प्रपत्र ''घ''

{विनियम 6(5) देखिये}

मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति उपदान के लिए नाम–निर्देशन

जब पदधारी का परिवार न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नाम–निर्दिष्ट करना चाहें।

मैं, जिसका परिवार नहीं है, नीचे उल्लिखित व्यक्तियो को एतद्द्वारा नाम–निर्दिष्ट करता हूँ कि ....मण्डलायुक्त द्वारा जो उपदान मुझे सेवा में रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में स्वीकृत किया जाय, उसे नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक या मेरी मृत्यु होने पर, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक कोई ऐसा उपदान जो सेवानिवृत्ति होने पर मुझे अनुमन्य हो और मेरी मृत्यु के समय अदत्त रह जाय, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ।

नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम और पता	पदधारी के साथ सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश	आकस्मिकतायें जिनके कारण नाम–निर्देशन अविधिमान्य हो जायेगा	उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, नाम, पता और सम्बन्ध जिसे/जिन्हें नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की पदधारी से पूर्व मृत्यु हो जाने या नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु, पदधारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान का भुगतान करने से पूर्व, हो जाने की दशा में नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अन्तरित हो जायेगा।	प्रत्येक को देय उपदान की धनराशि या अंश
1	2	3	4	5	6	7

यह नाम–निर्देशन मेरे द्वारा पहले .... को किये गये नाम–निर्देशन का, जो रद्द हो जायेग, अतिक्रमण करता है।

अवेशः–पदधारी को अन्तिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आर–पार रेखा खीच देनी चाहिए जिससे कि उसके हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् किसी का नाम सम्मिलित न किया जा सकें।

दिनांक ....10 स्थान ....

हस्तार साक्षी पदधारी के हस्ताक्षर

1...

2..

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

.... द्वारा नाम निर्देशन

पदनाम... नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय.. दिनांक ....

पदनाम...

- ♦ यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसके अन्तर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय।
- ♦ इस स्तम्भ में प्रदर्शित उपदान की धनराशि/अंश के अन्तर्गत मूल–नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति को देय सम्पूर्ण धनराशि/अंश आ जाना चाहिए।

प्रपत्र ''ड.''
{विनियम 7(5) देखिये}
पारिवारिक पेंशन के लिए नाम–निर्देशन

मैं, नीचे उल्लिखित व्यक्तियो को, जो मेरे परिवार के सदस्य है, पारिवारिक पेंशन जो दस वर्श की अर्हकारी सेवा पूरी करने के पश्चात् मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में ....मण्डल आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जाय, नीचे प्रदर्शित क्रम में प्राप्त करने के लिए नाम–निर्दिष्ट करता हूँ:

नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम और पता	पदधारी के साथ सम्बन्ध	आयु	विवाहित या अविवाहित
1	2	3	4

यह नाम–निर्देशन मेरे द्वारा पहले .... को किये गये नाम–निर्देशन का, जो रद्द हो जायेग, अतिक्रमण करता है।

अवेश:–पदधारी को अन्तिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान के आर–पार रेखा खीच देनी चाहिए जिससे कि उसके हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् किसी का नाम सम्मिलित न किया जा सकें।
दिनांक ....10 स्थान ....

हस्तार साक्षी पदधारी के हस्ताक्षर

1..
2..

(नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा)
.... द्वारा नाम निर्देशन
पदनाम.. नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय.. दिनांक ....
पदनाम..

प्रपत्र ''च''
{विनियम 7(9) देखिये}

.... कार्यालय के स्वर्णीय श्री .... की पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन–पत्रः

आवेदन का प्रपत्र

1– आवेदक का नाम
2– मृत पेंशन भोगी पदधारी के साथ सम्बन्ध
3– सेवानिवृत्ति कादिनांक, यदि मृत पदधारी पेंशन का हकदार था
4– पेंशनभोगी पदधारी की मृत्यु का दिनांक
5– वह क्रम जिसमें आवेदक का नाम–निर्देशन प्रपत्र ''ड.'' में आया है
6– मृत पदधारी के उत्तरजीवी सम्बन्धियों का/के नाम और आयु

	नाम	ईसवी सन् के अनुसार जन्म का दिनांक
(क) (1) विधवा		
(2) पति		
(3) पुत्र		
(4) अविवाहित पुत्रियां		
(5) विधवा पुत्रियां		
(ख)(1) पिता		
(2) माता		
(3) अविवाहित भाई		
(4) अविवाहित बहिनें		
(5) विधवा बहिनें		

(भाई ओर बहिनों में सौतेले भई और सौतेली बहिनें भी सम्मिलित है)

7– उस नगरपालिका/नगरपालिका परिशद का नाम जहां पेशन का भुगतान वांछनीय हैः–

8–आवेदक के बारें में विवरणः–
(1) जन्म का दिनांक (ईसवी सन् के अनुसार)
(2) ऊंचाई
(3) चेहरा, हाथ आदि पर अभिज्ञान का वैयक्ति चिन्ह, यदि कोई हो
(4) हस्ताक्षर या बायें हाथ की अंगूली का चिन्ह

कनिष्का	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगूष्ठ

9– निम्नलिखित साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित :

(1) ....   (1) ....
(2) ....   (2) ....

10– आवेदक का पूरा पता..

टिप्पणी :

(1) पेंशन के आवेदन पत्र के साथ दो प्रतियों में आवेदक का विवरण और उसके हस्ताक्षर/अंगूठा और अंगूलियों के चिन्ह संलग्न होने चाहिए जो उस नगर या ग्राम के जिसमें आवेदक निवास करता हो, दो उत्तरदायी नागरिकों द्वारा यथाविधि सत्यापित किए गए हैं।
(2) यदि आवेदन आवेदन–पत्र की मद 6 (ख) के अन्तर्गत आता हो तो उसे मृत पदधारी/पेंशनभोगी पर आश्रितम होने का सबूत प्रस्तुत करना चाहिए।
(3) यदि आवेदक मृत पदधारी/पेंशनभोगी या अव्यस्क भाई है तो मद 8(1) के ब्यौरे के समर्थन में उसे ऐसे आयु प्रमाण पत्र जिसमें उनके जन्म का दिांक उल्लिखित हो, मूल प्रति ओर दो अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना चाहिए।
मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात् वास कर दिए जायेगें।

प्रपत्र ''छ''

{विनियम 13(2) देखिये}

पेंन या उपदान और मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति उपदान के लिए आवेदन–पत्र

फोटो पेंनभोगी
फोटो (पत्नी)

1– आवेदक का नाम ....

2– पिता का नाम (महिला पदधारी की स्थिति में पति का नाम भी)..

3– धर्म और राष्ट्रियता..

4– स्थायी निवास का पता, ग्राम, नगर, जिला और प्रदर्शित करते हुए..

5– (क) वर्तमान या अन्तिम नियुक्ति ....

(ख) वर्तमान या अन्तिम मौलिक नियुक्ति ....

6– (क) सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक..

(ख) सेवा समाप्ति का दिनांक ....

7– नगरपालिका परिशद जिसके अधीन सेवायोजन क्रम में सेवा की गयी......

8– सेवा अवधि, व्यवधान और अनर्हकारी अवधि के विवरण सहित ....

वर्श मास दिन

9– आवेदिन पेंशन या उपदान का वर्ग और आवेदन का कारण ....

10– औसत परिलब्धियां...

11– प्रस्तावित पेंशन उपदान ....

12– प्रस्तावित मृत्य एवं सेवा–निवृत्ति उपदान..

13– दिनांक जब से पेंशन प्रारम्भ होना है...

14– भुगतान का स्थान..

15– नाम–निर्देशन निम्नलिखित में से किसी लिए किया गया है :–

(1) पारिवारिक पेंशन, और ....

(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान..

*16– ईसवी सन् के अनुसार जन्म का दिनांक ....

17– ऊंचाई ....

*18– (क) अभिज्ञान चिन्ह ....

(ख) बायें हाथ के अंगूठे और अंगुलियों के निशान

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

19– दिनांक जब आवेदक नें पेंशन/उपदान के लिए आवेदन किया ....

20– यदि आवेदक भविष्य निधि का सदस्य हो तो उसकी लेख संख्या दीजिए....................

आवेदक के हस्ताक्षर अध्यक्ष के हस्ताक्षर

* यदि निश्चित रूप से ज्ञात हो तो इसे सर्वोत्तम सूचना या अनुमान के आधार पर उल्लिखित करना चाहिए।

**ऐसे पदधारियों से जो अग्रंजी, हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषा में हस्ताक्षर कर सकते है, अपने अंगूठे और ंगलियों के निशान लगाना अपेक्षित न होगा।

सेवा का इतिकृत जिसमें व्यवधान और जन्म का दिनांक दिया जाय

अधिष्ठान	नियुक्ति	वेतन	कार्यकारी भत्ता	प्रारम्भ का दिनांक	समाप्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6

अवधि, जिसकी गणना सेवा के रूप में की गई	अवधि जिसकी गणना सेवा के रूप में नहीं की गयी	अभ्युक्ति	किस प्रकार सत्यापित की गयी	परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्युक्ति
7	8	9	10	11

(क) कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की अभ्युक्ति–

1– आवेदक के चरित्र ओर विगत आचरण के संबंध में

2– किसी निलम्बन या पदावनति का स्पष्टीकरण

3– आवेदक द्वारा पहले प्राप्त किसी उपदान या पेंशन के संबंध में

4– कोई अन्य अभ्युक्ति–

5– कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की यह विनिर्दिष्ट राय कि क्या दावा की गई सेवा प्रमाणित है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए था नहीं।

(ख) पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी के आदेश

अधोहस्ताक्षरी अपना यह समाधान होने पर कि श्री .... द्वारा की गई सेवा पूर्णतया संतोशप्रद रही है, एतद्द्वारा विनियमों के अधीन यथा अनुमन्य पूर्ण पेंशन/उपदान की स्वीकृति आदेश देते है। पेंशन की स्वीकृति दिनांक .... से प्रारम्भ होगी।

या

अधोहस्ताक्षरी अपना यह समाधान होने पर कि श्री .... द्वारा की गई सेवा पूर्णतया संतोशप्रद नहीं रही है एतद्द्वारा आदेश देते है कि विनियमों के अधीन यथा अनुमन्य पूर्ण पेंशन/उपदान .... कम कर दिया जाय (यहां विनिर्दिष्ट धनराशि या प्रतिशत का उल्लेख करें)। इस पेंशन की स्वीकृति दिनांक .... से प्रारम्भ होगी।

सेवा अवधि ..../पेंशन, उपदान, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान, यदि कोई हो................ .... मे देय है और पेंशन निधि पर प्रभार्य है।

यह आदेश इस र्त के अधीन है कि यदि पेंशन की धनराशि बाद में, उस धनराशि के जिसका विनियमों के अधीन पेंशन भोगी हकदार है, अधिक पाई जाय तो, उससे ऐसी अतिरिक्त धनराशि को वापस करने की अपेक्षा की जायेगी। इस र्त को स्वीकार करते हुए सेवा–निवृत्त होने वाले अधिकारी से एक घोशणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

मण्डल आयुक्त

(ग) लेखा परीक्षा मुखांकन

1— अर्हकारी सेवा की कुल अवधि जो सेवा की किसी अवधि, की यदि कोई हो, गणना किये जाने, सेवा की किसी अवधि की यदि कोइ हो, गणना न किये जाने से भिन्न कारणों से अधिवार्शिकी/सेवानिवृत्ति पेंशन स्वीकृति के लिए स्वीकार की गयी है जिसके कारण को .... मण्डल आयुक्त द्वारा .... पृष्ठ पर अभिलिखित किया गया है।

टिप्पणी—1—दिनांक .... प्रारम्भ होकर और सेवानिवृत्ति के दिनांक तक की सेवा का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। यह कार्य पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके पश्चात् अन्तिम पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जायगा।

2— अधिवार्शिकी/सेवा—निवृत्ति पेंशन की धनराशि जो स्वीकार की गई .... रूपया।

3— निम्नलिखित रूप में घटाने के पश्चात् अधिवार्शिकी/सेवा—निवृत्ति पेंशन की धनराशि .... रूपया पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पेंशन में घटायी गयी धनराशि .... रूपया।

मृत्यु एवं सेवा—निवृत्ति उपदान में पालिका के अशंदान के समतुल्य पेंशन की धनराशि .... रूपया।

कुल घटायी गयी धनराशि .... रूपया।

ुद्ध पेंशन की धनराशि .... रूपया।

4— अर्हकारी सेवा की कुल अवधि, जो विशेश अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति के लिए साबित हुई है।

5— विशेश अतिरिक्त पेंशन की धराशि, यदि कोई हो।

6— दिनांक जब से अधिवार्शिकी/सेवा—निवृत्ति पेंशन/मृत्यु एवे सेवा—निवृत्ति उपदान अनुमन्य है।

7— लेखा ीर्शक, जिसमें पेशन/उपदान और मृत्यु सेवा—निवृत्ति उपदान प्रभार्य है।

आयुक्त

मण्डल ....

(संक्षिप्त विवरण)

पेंन या उपदान के लिए आवेदन—पत्र

आवेदन पत्र का दिनांक................................

आवेदक का नाम ....

अन्तिम नियुक्ति ....

पेंशन या उपदान का वर्ग..........................

स्वीकृति प्राधिकारी ....

स्वीकृत पेंशन की धनराशि ....

स्वीकृत उपदान की धनराशि ....

प्रारम्भ का दिनांक ....

स्वीकृति का दिनांक ....

स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

प्रपत्र ''त''
{विनियम 13(4) देखिये}
(सेवा–निवृत्त होने वाले पदधारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा)

चूंकि मण्डल आयुक्त .... ने दिनांक .... से मेरी पेंशन के रूप में मुझे .... रूपये प्रतिमास की धनराशि और मेरे उपदान/मृत्यु एवं सेवा–निवृत्त उपदान की धनराशि के रूप में .... रूपये की धनराशि स्वीकृत करने की सम्मति दी है, अतएव मैं एतद्द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि उक्त धनराशि (धनराशियों) को स्वीकार करने में, मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह पेंशन/उपदान और मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति उपदान, उस धनराशि से, जिसका मैं नियमों के अधीन हकदार हूँ, अधिक पाये जाने पर पुनरीरक्षण के अधीन होगी और मैं चपन देता हूँ कि मैं ऐसे पुनरीक्षण के लिए कोई आपत्ति नहीं करूंगा। मैं ऐसी धनराशि को, जो मुझे उस धनराशि से, जिसमें मैं अन्ततः हकदार पाया जाऊ, अधिक भुगतान की गई हो, वापस करने का भी वचन देता हूँ।

सेवा–निवृत्त होने वाले
पदधारी के हस्ताक्षर

1– साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय–
(एक) ....
(दो) ....
(तीन)..
1– साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय–
(एक) ....
(दो) ....
(तीन)..

इस घोशणा–पत्र पर उस नगर, ग्राम या परगना के, जिसमें आवेदक निवास करता है, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति साक्षी होने चाहिए।

प्रपत्र ''झ''
{विनियम 13(4) देखिये}
(सेवा–निवृत्त होने वाले पदधारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा)

चूंकि मण्डल आयुक्त .... ने मुझे श्री .... (पदनाम) .... जो दिनांक .... को सेवानिवृत्त हुए थे, और दिनांक ....को जिनकी मृत्यु हुई थी, की मृत्यु के पश्चात् रूपये .... की धनराशि उपदान/मृत्यु एवे सेवा–निवृत्त उपदान/पारिवारिक पेंशन/स्वीकृत करने की सम्मति दी है। अतएव मैं एतद्द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि उक्त धनराशि (धनराशियों) को स्वीकार करने में, मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह पेंशन/उपदान और मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति उपदान, उस धनराशि से, जिसका मैं नियमों के अधीन हकदार हूँ, अधिक पाये जाने पर पुनरीक्षण के अधीन होगी और मैं चपन देता हूँ कि मैं ऐसे पुनरीक्षण के लिए कोई आपत्ति नहीं करूंगा। मैं ऐसी धनराशि को, जो मुझे उस धनराशि से, जिसमें मैं अन्ततः हकदार पाया जाऊ, अधिक भुगतान की गई हो, वापस करने का भी वचन देता हूँ।

....
मृत पदधारी के विधिक,
उत्तराधिकारी या परिवार के
सदस्य के हस्ताक्षर

1– साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय–
(एक) ....
(दो) ....
(तीन)...
1– साक्षी का हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय–
(एक) ....
(दो) ....
(तीन)...

इस घोशणा–पत्र पर उस नगर, ग्राम या परगना के, जिसमें आवेदक निवास करता है, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति साक्षी होने चाहिए।

प्रपत्र ''ञ''
{विनियम 17 देखिये}
रोकड़–बही, आय–पक्ष

दिनांक	उस स्थानीय निकाय का नाम जो, अंशदान करें	उस पदधारी का नाम और पदनाम, जिसके लिए अंशदान जमा किया जाय	चालान की संख्या और दिनांक	धनराशि	योग	बैंक में जमा करने का दिनांक	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

व्यय–पक्ष

दिनांक	व्यय वाउचर की संख्या	भुगताकन का पूर्ण विवरण	धनराशि	योग	उस बैंक का नाम जिससे भुगतान किया जाय
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र ''ट''
{विनियम 19 देखिये}

चालान की संख्या .... भारतीय स्टेट बैंक....................
जिला ....
इस चालान की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक................................ में जमा कर दी गई है।

जमाकर्ता कार्यालय द्वारा भरा जायेगा		लेखा ीर्शक कार्यपालक अधिकारी द्वारा भरा जायेगा			
जिसके द्वारा जमा किया गया	स्थानीय निकाय का नाम	जमा की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण	धनराशि रू0 पै0	लेखा ीर्शक जिसमें धनराशि जमा की जायेगी	बैंक के लिए अनुदेश
1	2	3	4	5	6

कृपया धनराशि प्राप्त करें ओर उसकी अभिस्वीकृति दें।

योग............................
उस पदधारी का हस्ताक्षर कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर
जिसने स्तम्भ सं0 1 से 4 तक भरा है। नगरपालिका परिशद......................
धनराशि (शब्दों) ....
.... धनराशि प्राप्त की (शब्दों में)

....
रोकड़िया लेखाकार, ाखा प्रबन्धक
भारतीय स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक,

(जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भरा जायेगा)
प्रमाणित किया जाता है कि इस चालान की धनराशि रोकड़–बही में दिनांक .... को जमा की गयी थी और अंशदान की धनराशि खाता में उपरिलिखित प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष दर्ज की गयी है।

....
लेखाकार, जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

यह विवरण–पत्र अंशदान जमा करने के चालन के साथ संलग्न किया जायेगा :
1– स्थानीय निकाय का नाम
2– मास

क्रम संख्या	पदधारी का नाम	पदधारी का पदनाम	पालिका में वर्तमान तैनाती का दिनांक	उस स्थानीय निकाय का नाम जिसमें वह वर्तमान में तैनाती के पूर्व नियुक्त थ	वह मास जिसके वेतन आहरित किया गया	जमा किये गये अंशदान की धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र ''ठ''
{विनियम 20देखिये}
पेंन निधि का खाता
मास का नाम ....

क्रम संख्या	पदधारी का नाम	पदधारी का पदनाम	वह मास जिसके लिए वेतन आहरित किया गया	वेतन की दर	जमा किए जाने वाले अंशदान की धनराशि	वास्तव में जमा किये गए अंशदान की धनराशि	उस पालिका का नाम जिसने अंशदान जमा किया
1	2	3	4	5	6	7	8

चालान की संख्या और उसका दिनांक	उस बैंक का नाम जहां धनराशि जमा की गयी	जिला मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर
9	10	11

प्रपत्र ''ड''
{विनियम 11 देखिये}
पेंन भुगतान आदेश

आयुक्त .... मण्डल .... का कार्यालय ....
पेंशन भुगतान आदेश संख्या .... दिनांक................................
सेवा में,
ाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक।
....
महोदय,

अग्रेत्तर नोटिस दिए जाने तक, और प्रत्येक मास की समाप्ति पर, श्री .... को .... रूपये की धनराशि (आयकर को घटाकर) जो .... के रूप में उसके पेंशन की धनराहश है, इस आदेश की पेंशनभोगी की प्रति प्रस्तुत करने पर भुगतान करें और दावेदार से सामान्य प्रपत्र के अनुसार उस धनराशि की रसीद लें।

भुगतान का दिनांक .... से प्रारम्भ होना चाहिए।

2— श्री .... की मृत्यु होने की दशा में, श्रीमती .... को श्री .... की मृत्यु के दिनांक के अनुवर्ती दिनांक से .... रूपये प्रतिमास की पारिवारिक पेंशन का भुगतान (विधवा से मृत्यु प्रमाण—पत्र और आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने पर) उसके पुर्नविवाह या उसकी मृत्यु होने के, जो भी पहले हो, दिनांक तक किया जा सकता है।

भवदीय,
हस्ताक्षर ....
पदनाम..................................

प्रतिलिपि नीचे दिए गए पेंशन भुगतान आदेश का पेंशनभोगी के भाग के साथ श्री .... पेंशन भोगी को अग्रसारित। उसे भुगतान प्राप्त करने के लिए ाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक..... .... के समक्ष उपस्थित होना चाहिए।

पेंशन भोगी का नाम

नाम	पेंन का वर्श और प्रारम्भ का दिनांक	मुख या सिर पर वैयक्तिक के चिन्ह, यदि कोई हो	ऊंचाई	जन्म का दिनांक	धर्म और राश्ट्रियता	निवास स्थान जिसमें ग्राम और परगना दिखाया जायगा	मासिक पेंशन की धनराशि
							रू0 पै0
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर ....
पदनाम..................................

प्रतिलिपि नगरपालिका परिशद के अध्यक्ष को भी उनके पत्र संख्या .... दिनांक .... के निर्देश में सूचनार्थ अग्रसारित।

हस्ताक्षर ....
पदनाम.................................

प्रथम भुगतान के समय पेंशनभोगी का हस्ताक्षर लिए जाने के लिए स्थानः

नाम	पेंन का वर्श और प्रारम्भ का दिनांक	मुख या सिर पर वैयक्तिक के चिन्ह, यदि कोई हो	ऊंचाई	जन्म का दिनांक	धर्म और राष्ट्रियता	निवास स्थान जिसमें ग्राम और परगना दिखाया जायगा	मासिक पेंशन की धनराशि
							रू0 पै0
1	2	3	4	5	6	7	8

1— ....
2— पेंशन भोगी के जन्म का दिनांक ....

(शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा
भरा और अभिप्रमाणित किया जायगा)

पेंन की धनराशि ब्दों में .... रूपया

यह दस्तावेज संवितरण अधिकारी (शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक) द्वारा प्राधिकार के प्रवृत्त रहने तक ऐसी रीति से रखा जायगा कि पेंशनभोगी उसे देख न सकें। प्रत्येक पृथक भुगतान नीच अभिलिखित किया जायगा :

वर्श 19					वर्श 19		
मास जिसके लिए पेंशन देय हो	भुगतान का दिनांक	भुगतान की गई धनराशि	संवितरण अधिकारी का आद्याक्षर	भुगतान का दिनांक	भुगतान की गई धनराशि	संवितरण अधिकारी का आद्याक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
मार्च							
अप्रैल							
मई							
जून							
जुलाई							
अगस्त							
सितम्बर							
अक्टूबर..							
नवम्बर							
दिसम्बर							
जनवरी							

फरवरी..

पेंन भोगी के अभिज्ञान सम्बन्धी टिप्पणी (जो प्रति वर्श अपेक्षित है)

टिप्पणी–

(1) पेंशन भोगी के प्रति किसी मास के लिए लेनदान के अनुरोध पर भारत के किसी न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा पेंशन का अभिग्रहण, उसकी कुर्की उसे परिबद्ध नहीं किया जायगा (अधिनियम संख्या 23 सन् 1971 की धारा 11)

(2) निम्नलिखित अपवादों के अधीन रहते हुए इस आदेश के अधीन भुगतान केवल पेंशनभोगी को ही व्यक्तिगत रूप से किया जायगा।

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें सरकार द्वारा विशेश रूप से छूट दी गई हो,

(ख) ऐसी महिलाए जो जनता के बीच उपस्थित होने की आदी न हों ओर ऐसे पुरूश जो बीमारी या ारीरिक अशक्तता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हों।

उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों ही दशाओं में भुगतान, जीवित होने का प्रमाण पत्र, जो सरकार के उत्तरदायी अधिकारी या अन्य सुप्रसिद्ध विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत करने पर किया जाय।

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति, जो दण्ड प्रक्रिया संहित के अधीन मजिस्ट्रेट की क्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त किसी रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार द्वारा या किसी ऐसे पेंशनभोगी अधिकारी द्वारा जिसने सेवानिवृत्त होने के पूर्व मजिस्ट्रेट की क्तियों का प्रयोग किया हो या किसी मुन्सिफ द्वारा या पुलिस थाने के प्रभारी सब इन्स्पेक्टर से अभिन्न पद के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी डाकपाल द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम वर्ग के किसी अधिकारी या भारतीय स्टेट बैंक के किसी स्टाफ अधिकारी या स्टाफ असिस्टेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित जीवित होने का प्रमाण–पत्र भेजें।

(घ) भारत में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी ऐसे अभिकर्ता के माध्यम से अपनी पेंशन आहरित करता हो जिसने अधिक भुगतान को वापस न करने के लिए बन्ध–पत्र इस र्त पर निष्पादति किया हो कि पश्चात्वर्ती व्यक्ति कम से कम वर्श में एक बार खण्ड (ग) में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ड.) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सभी मालों में संवितरण अधिकारी कम से कम वर्श में एक बार पेंशनभोगी के निरन्तर जीवित रहने के ऐसे सबूत की अपेक्षा करेगा जो जीवित हाने के प्रमाण–पत्र द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत से अलग होगा। खण्ड (घ) में निर्दिष्ट मामलों में अन्तिम प्राप्त जीवित होने के प्रमाण–पत्र के दिनांक के पश्चात् एक वर्श से अधिक लेखा अवधि की पेंशन का भुगतन नहीं किया जायगा ओर संवितरण अधिकारी को किसी पेंशनभोगी की मृत्यु की प्रामणिक सूचना के लिए सजग रहना चाहिए और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर यह अग्रेत्तर भुगतान तुरन्त बन्द कर देगा।

{प्रतिलिपि............................ के जिला मजिस्ट्रेट को इस अनुरोध के साथ प्रेशित कि वह बैंक की प्रमाणक प्रति से रसीद की वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करेगें।}

प्रपत्र ''ड''
{विनियम 21 का परन्तुक देखिये}
घोशणा–पत्र का प्रपत्र

चूंकि .... के मण्डल आयुक्त में आवश्यक जांच और सही धनराशि के अवधारण को अन्तिम रूप दिये जाने की प्रत्याशा में मुझे (श्री ....) उपदान के रूप में .... रूपये और पेंशन के रूप में .... रूपये प्रतिमाह अग्रिम अन्तरिम भुगतान करने की सहमति दे दी है, अतएव, मैं इस करार के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि उपदान और मासिक पेंशन की अग्रिम धनराशि लेने में मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह मुझे अनुमन्य उपदान और पेंशन की धनराशि के सम्बनध में आवश्यक जांच पूरी होने के पश्चात् पुनरीक्षण के अधीन होगी, ओर मैं पुनरीक्षण पर इस आधार पर कोई आपत्ति न उठाने का वचन देता हूँ कि अन्तरिम उपदान और पेंशन की धराशि जो इस समय मुझे भुगतान की जा रही है, उपदान और मासिक पेंशन की उस धनराशि से अधिक है जो मुझे अन्तिम रूप से स्वीकृत की जायेगी। अन्तिम रूप से स्वीकृत उपदान और मासिक पेंशन की धनराशि से अधिक भुगतान की गई धनराशि को, यदि कोई हो, तुरन्त वापस करने का भी वचन देता हूँ।

साक्षियों के हस्ताक्षर और पता–
1–..
2–..

हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

प्रपत्र ''ण''
{विनियम 21 का परन्तुक देखिये}
(मृत पदधारी के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा दिये जाने वाले घोशणा–पत्र का प्रपत्र)

चूंकि आयुक्त .... मण्डल............................ ने आवश्यक जांच और सही धनराशि के अवधारण को अन्तिम रूप दिये जाने की प्रत्याशा में मुझे (नाम ....) पारिवारिक पेंशन के रूप में .... रूपये मासिक और उपदान के रूप में .... रूपये की धनराशि का, जो मृतक को देय है, अग्रिम अन्तरिम भुगतान करने की सहमति दे दी है, अतएव, मैं इस करार के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि उपदान और मासिक पेंशन की अग्रिम धनराशि लेने में मैं पूर्णतया समझता हूँ कि यह मुझे अनुमन्य उपदान और पेंशन की धनराशि के सम्बनध में आवश्यक जांच पूरी होने के पश्चात् पुनरीक्षण के अधीन होगी, ओर मैं पुनरीक्षण पर इस आधार पर कोई आपत्ति न उठाने का वचन देता हूँ कि अन्तरिम उपदान और पेंशन की धराशि जो इस समय मुझे भुगतान की जा रही है, उपदान और मासिक पेंशन की उस धनराशि से अधिक है जो मुझे अन्तिम रूप से स्वीकृत की जायेगी। अन्तिम रूप से स्वीकृत उपदान और मासिक पेंशन की धनराशि से अधिक भुगतान की गई धनराशि को, यदि कोई हो, तुरन्त वापस करने का भी वचन देता हूँ।

साक्षियों के हस्ताक्षर और पता–
1–..
2–..

हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

प्रपत्र ''ण''
{विनियम 23 देखिये}
बिल

उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिशद अकेन्द्रीयित सेवा के पदधारी का पेंशन

पेंशन भुगतान आदेश संख्या ....
अधिवार्शिकी भत्ता और पेंशन
भारतीय स्टेट बैंक........................... वाउचर संख्या ....
दिनांक 19
.... रूपया प्राप्त किया जो मास ....19...... के लिए मुझे देय पेंशन की धनराशि है..

दावे की पूर्ण धनराशि .... रू0
आयकर .... रू0
ुद्ध देय धनराशि .... रू0

स्टाम्पयुक्त रसीद यदि धनरा20 रूप्ये से अधिक हो।

पेंन भोगी।
बैंक में भुगतान
.... रूपये का भुगतान (नकदी में) किया जाय और आयकर आदि के सम्बन्ध में अन्तरण व जमा करके .... रूपये का भुगतान कियाजाय।

परीक्षित
लेखाकार ाखा प्रबन्धक

बैंक को प्राप्तिकर्ता का उन्मोचन

भुगतान प्राप्त किया।
मैं घोशणा करता हूँ कि मैनें उस अवधि के दौरान जिसके लिए इस बिल में दावा की गई पेंशन की धनराशि देय है, किसी भी रूप में न तो सरकारी अधिष्ठान में और न ही किसी स्थानीय निधि से भुगतान किये जाने वाले किसी अधिष्ठान में कार्य करने के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त किया है।
पेंशनभोगी
टिप्पणी–ऐसे पेंशनभोगी के मामलें, जो पुनः सेवायोजित होने का विवरण प्रमाण–पत्र में प्रस्तुत करें (फाइनेशियल हैण्डबुक, खण्ड पांच, भाग 2 का पैरा 526 देखियें), संवितरण अधिकारी को यह अभिनिश्चित करना चाहिए और रिपोर्ट देनी चाहिए कि ऐसे पुनः सेवायोजन से सम्बन्धित नियमों का सम्यक् अनुपालन किया गया है या नहीं।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... जीवित है और इस दिनांक 19.................... को मेरे समक्ष उपस्थित हुए।
अधिकारी का नाम ....
दिनांक 19
पूरा पदनाम ....
जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के उपयेाग के लिए
.... रूपया ग्रहण कियागया।
पेंनभोगी के खााता में दर्ज किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय का लेखाकार जिला मजिस्ट्रेट

प्रपत्र ''थ''
{विनियम 25 देखिये}
लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर
भारतीय स्टेट बैंक में देय पेंशन

पेंन भुगतान आदेश संख्या	पेंनभोगी का नाम	जन्म का दिनांक	अन्तिम आहरित वेतन	पेंन का वर्ग	पेंन की मासिक धनराशि	प्रारम्भ का दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

पेंन के भुगतान का दिनांक

मास	वर्श	जिला मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर	वर्श	जिला मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर	वर्श	जिला मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी						
फरवरी						
मार्च						
अप्रैल						
मई						
जून						
जुलाई						
अगस्त						
सितम्बर						
अक्टूबर						
नवम्बर						
दिसम्बर						

प्रपत्र ''द''
{विनियम 26 देखिये}

आयुक्त .... मण्डल ....
उपदान भुगतान आदेश संख्या..

सेवा में,

भारतीय स्टेट बैंक,
....

महोदय,

मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि कृपया उत्तर प्रदेश पालिका, अकेन्द्रीयित सेवा पदधारी पेंशन–निधि से श्री .... को आयकर घटकर .... रूपये (............................ रूपया) की धनराशि का, जो उसे स्वीकृत उपदान की धनराशि है, भुगतान करने का प्रबन्ध करें। उसके अभिज्ञान के सम्बन्ध में विवरण नीचे दिये गये है:

जन्म का दिनांक	पिता का नाम	अभिज्ञान का व्यक्तिगत चिन्ह	ऊंचाई	मूल वंश पंच और जाति	निवास स्थान, जिसमें ग्राम और परगना भी दिया जायेगा
1	2	3	4	5	6

2– कृपया इस आदेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,
आयुक्त .... मण्डल.............

प्रतिलिपि श्री .... को इस अभ्युक्ति के साथ सूचनार्थ अग्रसारित कि वह अपनी प्रतिलिपि भारतीय स्टेट बैंक में प्रस्तुत करें और भुगतान प्राप्त करें।

आयुक्त .... मण्डल..............

भुगतान प्राप्त किया।
दिनांक.................................. हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
पदनाम

(जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के उपयोग के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान रोकड़ बही संख्या .... के नाम लिख दिया गया है और अन्य सहायक अभिलेखों में अंकित कर दिया गया है।

....
लेखाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट

{प्रतिलिपि .... के जिला मजिस्ट्रेट को भी इस अनुरोध के साथ अग्रेशित कि वह बैंक की प्रमाणक से रसीद का वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करेंगें।}

प्रपत्र ''ध''

{विनियम 27 देखिये}

उपदान और पेंशन के भुगतान का मासिक विवरण–पत्र

1– मास

2– भारतीय स्टेट बैंक

रूपया	भुगतान का दिनांक	भुगतान का कार्यालय	पें0भु0 आ0 सं0 / उ0 भु0 आ0 सं0	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता का पूरा पता	भुगतान का प्रकार	भुगतान की गई धनराशि	अन्य, अभ्युक्ति यदि कोई हों
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र ''न''

{विनियम 30 देखिये}

(विनियोजन रजिस्टर)

क्रम संख्या	यथास्थिति, विनियोजन अर्थात् प्रतिभूति के क्रय या जमा आदि का दिनांक	विनियोजन का विवरण और सरकारी प्रतिभूति की स्थिति में उसकी संख्या और दिनांक	धनराशि रू0 पै0	ब्याज की दर
1	2	3	4	5

रजिस्ट्री सं0 डी0एल–33001/99 REGD. No. D.L. 33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazettee of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।–खण्ड–3–उपखण्ड (ii)

Part II-Section 3-Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 648 नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर, 3, 2000/आश्विन 11, 1922

No. 648 New Delhi, Tuesday, October 3, 2000/Asvina 11, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

का.आ. 908 (अ).– नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 783 तारीख 27 सितम्बर, 1999 उसी तारीख के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, ऐसे व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से साठा दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले अक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 अक्तूबर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम ओर प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 है।
   (2) जैसा इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाए ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू प्रवृत्त होगें।
2. लागू होना– ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकारी को लागू होगें।
3. परिभाशाएं– इन नियमों के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
   (i) का माइक्रोवायिल नियोजन अंतर्दलित हैः
   (ii) ''प्राधिकार'' से ''सुविधा के प्रचालक'' को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है;
   (iii) ''जैव निम्नकरणीय पदार्थ'' से यह पदार्थ अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है;
   (iv) ''जैविक मीथेनीकरण'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ एनजाईमी विघटन करती हैं;

(v) ''संग्रहण'' से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाना अभिप्रेत है;

(vi) ''कचरा खाद बनाने'' से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अंतर्वलित है;

(vii) ''ढहाने तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट'' से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने संबंध संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलवे से उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(viii) ''व्ययन'' से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को प्रदूशण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अंतिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है;

(ix) ''प्ररूप'' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(x) ''अपशिष्टों के उत्पादक'' से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है;

(xi) ''भूमिभरण'' से भूजल, सतह जल का प्रदूशण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़नेवाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों को खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजायन की गई सुविधा में अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है;

(xii) ''नितिलक'' से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिवास हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्शण किया है;

(xiii) ''लाइसोमीटर'' से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उस में से जल की गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेशक के लिए अन्तःस्त्राव जल के एकत्रण के लिए किया जाता है;

(xiv) ''नगरपालिक प्राधिकारी'' से म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, म्यूनिसिपेलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगरपंचायत, नगरपालिक परिसर जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एन.ए. सी) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है;

(xv) ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किंतु उपचारिकत जैच चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;

(xvi) ''प्रसुविधा के प्रचालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, प्रथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, और निपटान की प्रसविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है;

(xvii) ''गुटिकाकरण'' से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाएं तैयार की जाती है जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की गई लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़ों में होगें और इसके अन्तर्गत ईधन गुटिकाएं भी आती है जिसे कचरे से प्राप्त ईधन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है;

(xviii) ''प्रसंस्करण'' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नए या पुनःचक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है;

(xix) ''पुनःचक्रण'' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रथक्करण सामग्रियों के कचरा खाद में परिवर्तन करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है;

(xx) ''अनुसूची'' से इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(xxi) ''पृथक्करण'' से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गो में अलग–अलग करना अभिप्रेत है;

(xxii) ''राज्य बों या समिति'' से, यथास्थिति, किसी राज्य का राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या संघराज्य क्षेत्र की प्रदूशण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है;

(xxiii) ''भंडारण'' से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बंद कियाजाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट बिखेरने, रोगवाहकों के आकर्शित करने, आवारा पुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सकें;

(xxiv) ''परिवहन'' से विशेश रूप से डिजालन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा करकट बिखेरने, रोगवाहकों की पहुंच को रोका जा सकें;

(xxv) ''अधिभौम जल'' से वह जल अभिप्रेत है, जो भू सतह तथा भौम जल स्तर के माध्यम अर्थात्, असंतृप्त क्षेत्र से होता है;

(xxvi) ''कृशि कचरा खाद् बनाना'' जैव निम्नकरणी अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केचुओं को उपयाग में लाने की प्रक्रिया है;

4. नगरपालिका प्राधिकारी का दायित्वः–

(1) प्रत्येक नगरपालिक प्राधिकारी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, प्रथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण, और व्ययन के लिए किसी भी अवसरंचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी होगां

(2) नगरपालिका प्राधिकारी या किसी सुविधा प्रचालक, अनुसूची 1 में अधिकथित कार्यान्वयन कार्यक्रम की अनुपालना की दृष्टि से राज्य बोर्ड या समिति से, अपशिष्टों के प्रसंस्करण और व्ययन प्रसुविधा की, जिसके अन्तर्गत भूमि भरण भी है, स्थापना के लिए प्राधिकार मंजूर करने के लिए प्ररूप–1 में आवेदन करेगा।

(3) नगरपालिका प्राधिकारी, अनुसूची–1 में अधिकथित कार्यान्वयन सूची के अनुसार इन नियमों का पालन करेंगे।

(4) नगरपालिका प्राधिकारी, अपनी वार्शिक रिपोर्टक को प्ररूप–2 में,

(क) किसी महानगर की दशा में, यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के हरी विकास वििाग के प्रभारी सचिव को; या

(ख) सभी नगरों या हरों की दशा में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपयुक्त को,

प्रतिवर्श 30 जून को या उसके पूर्व राज्य बोर्ड या समिति को प्रति के साथ भेजेगा।

5. राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का दायित्व :–

(1) यथास्थितिस, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के हरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव का महानगरों में इन नियमों के उपबंधाों के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(2) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त का उनकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

6. केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड और राज्य बोर्ड या समितियों का दायित्व :–

(1) राज्य बोर्ड या समिति, भू–जल परिवेशरी वायु, निक्षालन गुणता तथा कचरा खाद्य गुणता से संबंधित मानकों का मानीटरन और अनुपालन करेगा जिसके अन्तर्गत अनुसूची ii, iii, और iv में विनिर्दिष्ट भस्मीकरण मानक भी है।
(2) राज्य बोर्ड या समिति, यथास्थिति, अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा जिसके अन्तर्गत भूमिभरणभ है, स्थापित करने हेतु प्राधिकार देने के लिए नगरपालिक प्राधिकारी या सुविधा के प्रचालक से प्ररूप–1 में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव की जांच करेगा तथा ऐसा प्राधिकार जारी करने से पूर्व अन्य एजेंसियों जैसे राज्य हरी .... एजेन्सी के दृष्टिकोण पर भी विचार करेगा।
(3) राज्य बोर्ड या समिति, अनुसूची–2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट अनुपालना मानदंड और मानक, जिसके अन्तर्गत ऐसी अन्य र्त भी है, जो आवश्यक हो, का अनुबद्ध करते हुए पैतालीस दिवस के भीतर नगरपालिका प्राधिकारी या सुविधा के किसी प्रचालक को प्ररूप–3 में प्राधिकार जारी करेगा।
(4) प्राधिकार दी गई अवधि के लिए विधिमान्य होगा और विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात् नया प्राधिकार अपेक्षित होगा।
(5) केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, मानकों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन ओर पुनविलोकन तथा मानीटरन डाटा के संकलन के विशिष्ट निर्देश के साथ राज्य बोर्डो और समितियों के समन्वय करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन :–

(1) किसी हर या नगर में उत्पन्न किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट या प्रबंधन तथा हथालन अनुसूची–2 में अधिकथित मापदण्डों और प्रक्रियाओं के अनुपालन करते हएु किया जाएगा।
(2) नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा या सुविधा के प्रचालक द्वारा स्थापित अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाएं अनुसूची iii और iv में दिए गए विनिर्देशों तथा मानकों को पूरा करेगी।

8. वार्शिक रिपोर्ट

(1) राज्य बोर्ड और समिति प्ररूप iv में प्रतिवर्श 15 सितम्बर को या उससे पहले इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में वार्शिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।
(2) केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर समेकित वार्शिक पुनरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अपनी सिफारिशों सहित प्रति वर्श 15 दिसम्बर से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

9. दुर्घटना की सूचना देना :–

किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, प्रथक्करण, भंडारण, प्रसंस्करण, उपचार ोधन तथा व्ययन, सुविधा या भूमिभरण स्थल अथवा अपशिष्टों के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होने पर नगरपालिका प्राधिकारी, प्ररूप–5 में दुर्घटना की सूचना महानगर की दशा में सचिव प्रभारी, हरी विकास विभगा और अन्यसभी मामलों में जिला कलैक्टर या उपयुक्त को भेजेगा।

अनुसूची–1
(नियम 4 (2) और 4 (3) देखिए)
कार्यान्वयन सूची

क्रमांक	अनुपालन के मानदण्ड	अनुसूची
1.	अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाएं स्थापित करना	31.12.2003 तक अथवा उससे पूर्व
2.	अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निपटान सुविधाओं के निष्पादन की निगरानी करना	6 माह में एक बार
3.	इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मौजूदा भूमि भरण स्थलों का सुधार किया जाना	31.12.2001 तक अथवा उससे पूर्व
4.	भावी प्रयोग के लिए भूमि भरण स्थलों की पहचान करना तथा प्रचालन के लिए स्थल (स्थलों) को तैयार करना।	31.12.2002 तक अथवा उससे पूर्व

अनुसूची 2
(नियम 6 (1) और (3), 7 (1) देखिए)
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

क्रम संख्या	पैरामीटर	अनुपालनीय मानदण्ड
1.	नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	1. हरों और नगरों तथा सरकार द्वारा अधिसूची हरी क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों का कूड़ा–करकट फैलाना प्रतिसिद्ध होगा। कूड़ा–करकट फैलाने को प्रतिशिद्ध करने और अनुपालन सुकर करने के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएगें, अर्थात :– (i) सामुदायिक कूड़ेकदान द्वारा संग्रहण, (मध्यस्थित कूड़ादान) घर–घर जाकर संग्रहण, ध्वनि युक्त वाहनों की घंटी बजाकर (अनुज्ञेय ध्वनि स्तरों से अधिक ध्वनि किए बिना) पूर्व सूचित नियमित समयों और समय सारणाी के अनुसार जैसे किन्ही ढंगों में से किसी को अपनाकर घर–घर जाकर कूड़ा–कचरा संग्रहण करना। (ii) होटलों / रेस्ताराओं / कार्यालय परिसरों तथा वार्णिज्यक क्षेत्रों समेत झुग्गी–झोपड़ी तथा इधर–उधर फैले क्षेत्रों2बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करना। (iii) बूचड़खानों, मांस ओर मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का, जो जैव निम्नकरणीय प्रकृति का होता है, प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सकें,

		(iv) जैव–चिकित्सीय अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जाएगा ओर ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जाएगा। (v) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहीत अपशिष्ट को हाथ से खीची जाने वाली ठेला गाड़ियों द्वारा सामुदायिक कूड़ाघरों में डाला जाएगा। (vi) बागबानी और निर्माण/ढहाए गए कार्यो से उद्भूत अपशिष्टों/मलवे को अलग–अलग संगृहीत किया जायेगा और समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा इसी प्रकार दुग्ध डेरियों से उत्पन्न अपशिष्ट को राज्य विधियों के अनुसार विनियमित किया जायेगा। (vii) अपशिष्ट (कूड़ा–करकट, सूखी, पत्तियां) को जलाया नहीं जायेगा। (viii) आवारा पुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा हर/नगर में किसी अन्य स्थान के आसपास नहीं घूमने दिया जायेगा तथा राज्य विधियों के अनुसार उनका प्रबंध किया जायेगा। 2. नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्ट संग्रहण अनुसूची को और जनहित के लिए अपनाई जानी वाली पद्धति को अधिसूचित करेगा। 3. अपशिष्ट उत्पादकों की यह जिम्मेदारी होती कि वे कूड़ा–करकट न और इस अनुसूची के पैरा 1 (2) के अनुसार नगर पालिका प्राधिकारी अधिसूचित किये जाने वाली संग्रहण और पृथक्करण प्रणाली के अनुसार अपशिष्ट के परिदान को सुनिश्चित करें।
2.	नगरीय इसे अपशिष्टों का पृथक्करण	नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा ऐसे पृथक् की गई सामग्रियों के पुनर्चक्रण/पुनः प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा नगर पालिका प्राधिकारीय एक चरणबद्ध कार्यक्रम चलायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि समुदाय को अपशिष्ट पृथक्करण में ामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही नियमित बैठकें आयोजित की जाएगी।
3.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का भंडारण	नगरपालिका प्राधिकारी भंडारण सुपिवधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे कि इसके आस–पास

आस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हों। भंडारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा।

(i) निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्र और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भंडारण सुविधाओं का सृजन ओर स्थापना की जाएगाी भंडारण सुविधा ऐसे स्थान पर रखी जाएगी जहां प्रयोक्ता पहुंच सकें।

(ii) नगरपालिका प्राधिकारियों अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भंडारण सुविधा का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि इक्कठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो और जो सौन्दर्यपरक रूप से प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो तथा उसे अपना सा लगें।

(iii) भंडारण सुविधा अथवा कूड़ेदान अपशिष्टों के हथालन, निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाइन का होगा। जैव–निम्नीकरण अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदान हरे, पुनःचक्रणयोग्य अपशिष्टों के लिए कूड़ेदान सफेद और अन्य अपशिष्टों के भंडारण केलिए कूड़ेदान काले पेंट किए जाएंगे।

(iv) अपशिष्टों का मानव द्वारा उठाई धराई किया जाना प्रतिशिद्ध होगा यदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए समुचित पूर्वानिधानियों के अधीन मानव द्वारा उठाई धराई की जाएगी।

4. नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन

अपशिष्टों का परिवहन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन ऊपर से ढके होगें। अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई और न ही उसे खुले रूप से इधर उधर बिखरने दिया जाएगा तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदंडो को अपनाया जाएगां :–

(i) नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा स्थापित भंडारण सुविधओं से प्रतिदिन कूड़ा–कचरा साफ किया जाएगा। कूड़ेदान या आधानों की, जहां भी रखे गऐ हों, उनके ऊपर से कूड़ा करकट निकलने से पूर्व साफ किए जाएंगे।

(ii) परिवहन वाहनों का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अंतिम व्ययन करने

		के पूर्व बार–बार की जाने वाली उठाई–धराई से बचा जा सकें।
5.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण	नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्टों को उपयोग बनाने के लिए समुचित तकनीक अथवा ऐसी विधिक तकनीकों को अपनाएगा जिससे कि भूमिभरण पर भार कम किया जा सकें तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगाः– (i) जैवनिम्नीकरण अपशिष्ट, अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिए कंपोस्टिंग, वार्मिकम्पोस्टिंग, बात निरपेक्ष पाचन अथवा अन्य किसी उपयुक्त जैविक संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्पोस्ट या किसी अन्य तैयार उत्पादों का अनुसूची–4 में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए। (ii) पुनः प्राप्य संसाधनों वाले मिश्र अपशिष्ट के लिए रीसायकलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिए इनसीनरेशन के साथ अथ्वा उसके बिना ऊर्जा वसूली के पोलिटाइनेंशन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। नगरपालिका प्राधिकारी/सुविधा प्रचालक यदि नवीनतम प्रौद्योगिक का प्रयोग करना चाहते है तो उन्हें प्राधिकार की मंजूरी के आवेदन से पूर्व केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड से निर्धारित मानक प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करना चाहिए। (iii) पुनः उपयोग में लाई जाने वाली समाग्री से युक्त किया जाएगा।
6.		भूमिभरण में, जैव अनिम्नीकरण निष्क्रिय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनर्चक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है, निर्बधिंत रखा जाएगा। भूमिभरण, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अपशिष्ट और साथ ही अपशिष्ट संसाधन सुविधओं से प्रसंस्करण–पूर्व छोड़े गई अपशिष्ट से भी किया जाएगा। मिश्रित अपशिष्ट से भूमिभरण करने से तब तक बचा जाएगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त न पाया जायं। अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधाए स्थापित किए जाने तक भूमिभरण निम्नलिखित समुचित मानकों के अनुसार किया जाएगां भूमिभरण के लिए निम्नलिखित मानदंडो को अपनाया जाएगां

भूमिभरण स्थल अनुसूची–3 में दिये गऐ विनिर्देशों के अनुरूप होगें।

अनुसूची–3
{ नियम 6(1) और (3), 9 (2) देखिए}
भूमि–भरण स्थलों के लिए विनिर्देश

स्थल चयन

1. 'विकास प्राधिकरणों' के क्षेत्राधिकारी में आने वाले क्षेत्रों में भूमि भरण का अभिनिर्धारण करना और इन स्थलों के विकास प्रचालन एवं रख–रखाव के लिए इन्हें संबंधित नगरपालिका प्राधिकारियों को सौपने का दायित्व विकास प्राधिकरणों का है। अन्यत्र यह दायित्व संबंधित नगरपालिका प्राधिकारियों का हैं।
2. भूमिभरण स्थलों का चुनाव पर्यावरणी मामलों की जांच पर आधारित होगा। राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के हरी विकास विभाग जरूरी अनुमोदन/मंजूरियां प्रापत करने के लिए संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करेगा।
3. भूमि भरण स्थल की योजना और डिजाइन चरणबद्ध निर्माण योजना तथा बंद करने की योजना के उपयुक्त प्रलेखन के साथ बनाई तजायेगी।
4. भूमि भरण स्थलों का चयन नजदीकी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा (वेस्ट्स प्रोसैसिंग फैसिलिटी) का उपयोग करने के लिए किया जाएगा। अन्यथा, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा योजना भूमि भरण स्थल के अभिन्न भाग के रूप में होगी।
5. वर्तमान भूमि भरण स्थलों में का जो पांच वर्शो से अधिक समय में भरे जाने है इस अनुसूची के दिए गए इन विनिर्देशों के अनुसार सुधार किया जाएगा।
6. जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का व्ययन जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के अनुसार किया जाएगा। परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन समय–समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के अनुसार किया जाएगा।
7. भूमि भरण स्थल का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका 20–25 वर्शो तक प्रयोग किया जा सकें।
8. भूमि–भरण स्थल आवासी बस्ती, वन क्षेत्रों, जलाशयों, स्मारकों, राष्ट्रीय पार्को नम भूमि तथा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर स्थित होगा।
9. भूमिभरण स्थल के चारों तरफ एक बफरजोन बनाये रखा जाएगा जिसे ओर विकसित नहीं किया जाएगा और इसे नगर आयोजना विभाग की भूमि उपयोग योजनाओं में ामिल किया जाएगा।
10. भूमिभरण स्थल विमानपत्तन से, जिसमें हवाई अड्डा भी सम्मिलित है, दूर होगें। भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व नगरपालिका प्राधिकारी, विमानपत्तन या हवाई अड्डा प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

स्थल पर सुविधाएः

11. भूमिभरण स्थल के चारों और कांटेदार तार की बाड़/झाड़िया लगाई जाएगी ओर एक समुचित द्वार का प्रबंध किया जाएगा ताकि वहां आने वाले वाहनां अथवा अन्य परिवहन साधनों को मानीटर किया जा सके।
12. भूमिभरण स्थल पूर्ण संरक्षित होगें जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्ति और आवारा पु उनमें प्रवेश न कर सकें।
13. भूमिभरण स्थल पर वाहनों तथा अन्य मशीनरी के असानी से अवागमन के लिए वहां पहुंचा मार्ग तथा अन्य आंतरिक मार्ग उपलब्ध होगें।

14. भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्टों को मानीटर करने के लिए अपशिष्टों के निरीक्षण सुविधा, अभिलेख रखने के लिए कार्यालय सुविधा तथा उपस्करों और मशीनरी को जिसमें प्रदूशण मानीटर करने वाले उपस्कर भी सम्मिलित है, रखने के लिए आश्रय–स्थल भी होगा।

15. भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्ट की मात्रा का वजन करने के लिए तुला (वे–ब्रिज), अग्नि–सुरक्षा उपकरण तथा अन्य यथा अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।

16. पीने के पानी (विशेशकर कर्मकारों के लिए नहाने की सुविधाएं) तथा जब रात के समय भूमिभरण का कार्य किया जाता है तो कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए प्रकाश आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

17. भरण स्थलों पर सावधिक सुरक्षा प्रावधानों के जिसमें कर्मकारों के स्वास्थ्य निरीक्षण भी सम्मिलित है, व्यवस्था की जाएगा।

भूमिभरण के लिए विनिर्देश

18. भूमिभरण के लिए नियत अपशिष्टों को भूमिभरण कम्पैक्टस का प्रयोग करते हुए अपशिष्टों के उच्च घनत्व को प्राप्त करने के लिए पतली–पतली परतों में भराव किया जाएगा। अधिक वर्शो वाले क्षेत्रों, जहां भारी कम्पेक्टरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएंगे।

19. अपशिष्टों को तत्काल अथवा प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में 10 से0मी0 तक मिट्टी, अवस्थित, मलने या निर्माण सामग्री से ढक दिया जाएगा जब तक कि अनुसूची 1 के अनुसार, कंपोस्टिंग, पुनः चक्रण या ऊर्जा वसूली के लिए समयबद्ध अपशिष्ट सुविधाए स्थापित नहीं कर दी जाती।

20. मानसून ऋतु आरंभ होने से पूर्व भरण स्थल पर 40–65 से0मी0 मिट्टी मोटाई वाला अन्तर्वर्ती आवरण अच्छी तरह घुटाई तथा ग्रेडिग करके बिछा दिया जाएगा ताकि मानसून के दौरान वर्शो के पानी के रिसाव को रोका जा सकें। भरण स्थल के ऐसे भाग से, जहां भराई कार्य चल राह है, पानी के बहाव को मोड़ने के लिए समुचित नाली पटरियों का निर्माण किया जाएगा।

21. भूमिभरण का कार्य पूरा होने के पश्चात, उसे अन्तिम रूप से इस प्रकार ढका जाएगा, ताकि मिट्टी में पानी का रिसाव और उसका कटाव कम से कम हो। अन्तिम रूप से ढका जाना निम्नलिखित विनिदेशों। के अनुसार होगा;

(क) इसे अवरोधक मिट्टी की एक परत से, जिसमें 1 X 10 से0मी0 / प्रति सेकिडं से कम की पारागम्यता वाली 60 से0मी0 मोटी चिकनी मिट्टी / शोधित मिट्टीर होगी, अंतिम रूप से ढका जाएगा।

(ख) अवरोधक मिट्टी की परत के ऊपर 15 से0मी0 मीटी एक निकास परत होगी।

(ग) निकास परत के ऊपर 45 से0मी0 मोटी एक वानस्पतिक परत होगी जो प्रकृति जन्य पादपों के पनपने में सहायता करेगी जिससे भूमि का कटाव कम से कम होगा।

प्रदूशण निवारण

22. भूमिभरण संक्रियाओं से होने वाले प्रदूशण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए जाएगें;

(क) विक्षालनों की उत्पत्ति को कम से कम करने तथा सतही जल करने के प्रदूशण को रोकने औा साथ ही साथ बाढ़ और दलदली स्थितियों से बचने के लिए तूफानी जल नालियों का मोडा जाना।

(ख) अपशिष्ट व्ययन क्षेत्र के आधार तथा दीवारों पर अपरागम्य लाइनिंग की प्रणाली का सन्निर्माण ऐसे अपशिष्टों प्रसंस्करण सुविधाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिष्ट अथवा उत्पादक ओर कीटनाशक इत्यादि हो), भरे के लिए प्रयुक्त होने वाले भरण स्थल के मामलें में न्यूनतम लाइनिंग विनिर्देश एक ऐसी संग्रसित अदरोधक होगी जो 1.5 मि0मी0 उच्च घनत्व वालती पोलीथिलीन(एच डी पी ई) कठोर परत (जियोमेम्बरेन) (अथवा समतुल्य) हो और यह 90 से0मी0 मिट्टी (चिकनी/शोधित मिट्ट) की ऊपर परत के ऊपर होगी तथा इसी पारगम्म्यत 1×10^{7} से0मी0 प्रति सैकंड से अधिक नहीं होगी तालिका को अधिकतम स्तर चिकनी/शोधित मिट्टी की अवरोधक परत के आधार पर कम से कम 2 मीटर नीचे होगा।

(ग) क्षलन संग्रहण और ेधन प्रबन्धन के लिए उपबंध/शोधित विक्षालन अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट मानक अनुसार होगें।

(घ) भूमिभरण क्षेत्र से होने वाले बहाव को किसी झरने, नदी झील अथवा तालाब में जाने से रोकना।

जल गुणवत्ता को मानीटर करना

23. किसी भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व क्षेत्र में भूमिगत जल गुणवत्ता के आधार आकड़े–एकत्र जाए और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए अभिलेख पर रखा जाएगा। भूमि भरण स्थल की परिधि के 50 मीटर अंदर भूमिगत जल गुणवत्ता की सावधिक रूप से मानीटरी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि भूमि जल बोर्ड/राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार भूमिगत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रदूशित न हो।

24. किसी भी प्रयोजन (पेय, सिचाई आदि सहित) भूमि भराई स्थलों तथा उनके चारों–ओर भूमिगत जल के.......... पर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाए। मानीटरी प्रयोजन के लिए पेयजल गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित विनिर्देश लागू होगें, अर्थात्:–

क्रम सं0	पैरामीटर	भा0मा0 10500 : 1991 वांछनीय सीमा (मिग्रा/लि0 पीएच को छोड़कर।
1.	आर्सेनिक	0.05
2.	केडमियम	0.01
3.	क्रोमियम	0.05
4.	तांबा	0.05
5.	साइनाइड	0.05
6.	सीसा	0.05
7.	पारा	0.001
8.	निकिल	–
9.	एनओ$_3$ के रूप में नाइट्रेट	45.0
10.	पी एच	6.5 – 8.5
11.	लौह	0.3
12.	कुल कठोरता (सीएसीओ3 के रूप में)	300.00

13.	क्लोराइड	250
14.	विलीन ठोस	500
15.	फिनोलिक मिश्रण (सी$_6$ एच$_3$ ओ एच के रूप में)	0.001
16.	जस्ता	5.0
17.	सल्फेट (एस ओ$_4$ के रूप में)	200

परिवेी वायु गुणवत्ता को मानीटर करना

25. भूमिभरण स्थल पर गैस संग्रहण प्रणाली सहित भूमि भरण गैस नियन्त्रण प्रणाली की स्थापना की जाएगी जिससे की दुर्गन्ध को कम से कम किया जा सके तथा गैसों के अपस्थलीय फैलने को रोकने और भरी गई भूमि में उगाई गई वनस्पतियों को बचाया जा सकें।

26. भूमि–भरण स्थलों से निकलने वाली मीथेन गैस का सान्द्रण न्यूनतम विस्फोटक सीमा (एल. ई.एल.) 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

27. भूमि भरण स्थल पर संग्रहण सुविधा से प्राप्त भूमि भरण गैस का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार या तो सीधा तापीय उपयोजन या विद्युत उत्पादन में किया जाएगा। अन्यथा, भूमि भरणगैस को जला दिया जाएगा ओर सीधे वायुमण्डल में या अवैध रूप से निकासी के लिए नही छोड़ा जाएगा। यदि इसका उपयेाग और फ्लेरिंग संभव न हो तो पैसिव वेंटिंग की अनुमति दी जाएगी।

28. भूमि भरण सथल और उसके आस–पास परिवेशी वायु की गुणवत्ता को निम्नलिखित विहित मानकों के अनुसार मॉनीटर किया जाएगा।

क्रम सं0	पैरामीटर	स्वीकार्य स्तर
(i)	सल्फर डाइआक्साइड	120 माइक्रोग्राम / एम3 (24 घंटे)
(ii)	निलंबित कण पदार्थ	500 माइक्रोग्राम / एम3 (24 घंटे)
(iii)	मीथेन	न्यूनतम विस्फोटक सीमा के 25ः से अधिक नहीं (650 मि.ग्रा / एम3 के समतुल्य)
(iv)	अमोनिया	
	दैनिक औसत (नमूना अवधि 24 घंटे)	0.4 मि.ग्रा / एम3 (400 यू. जी. / एम3)
(v)	कार्बन मोनोक्साइड	1 धंटे का औसत : 2 मि.ग्रा / एम^3 8 घंटे का औसत : 1 मि.ग्राम / एम^3

29. परिवों वायु गुणवत्ता को संबंधित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित नियम समय के अनुसार मानीटर किया जाएगा।
    (क) 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हरों में एक वर्श में छः बार।
    (ख) 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले हरों में एक वर्श में चार बार।
    (ग) एक लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले हरों में एक वर्श दो बार।

(ख) अपशिष्ट व्ययन क्षेत्र के आधार तथा दीवारों पर अपरागम्य लाइनिंग की प्रणाली सन्निर्माण ऐसे अपशिष्टों प्रसंस्करण सुविधाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिष्टों अथवा उत्पादक ओर कीटनाशक इत्यादि हो), भरे के लिए प्रयुक्त होने वाले भरण स्थल के मामलें में लाइनर विनिर्देश एक ऐसी संग्रसित

अदरोधक होगी जो 1.5 मि0मी0 उच्च घनत्व वालती पोलीथिलीन (एच डी पी ई) कठोर परत (जियोमेम्बरेन) (अथवा समतुल्य) हों और यह 90 से0मी0 मिट्टी (चिकनी/शोधित मिट्टी) ऊपर परत के ऊपर होगी तथा इसी पारगम्भ्यत 1 X 10^7 से0मी0 प्रति सैकंड से अधिक नहीं होगी तालिका को अधिकतम स्तर चिकनी/शोधित मिट्टी की अवरोधक परत के आधार पर कम से कम 2 मीटर नीचे होगा।

(ग) क्षलन संग्रहण और ोधन प्रबन्धन के लिए उपबंध/शोधित विक्षालन अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट मानक अनुसार होगें।

(घ) भूमिभरण क्षेत्र से होने वाले बहाव को किसी झरने, नदी झील अथवा तालाब में जाने से रोकना।

जल गुणवत्ता को मानीटर करना

23. किसी भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व क्षेत्र में भूमिगत जल गुणवत्ता के आधार आकड़े–एकत्र जाए और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए अभिलेख पर रखा जाएगा। भूमि भरण स्थल की परिधि के 50 मीटर अंदर भूमिगत जल गुणवत्ता की सावधिक रूप से मानीटरी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि भूमि जल बोर्ड/राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार भूमिगत स्वीकार्य सीमा से अधिक संदूशित न हो।

24. किसी भी प्रयोजन (पेय, सिचाई आदि सहित) भूमि भराई स्थलों तथा उनके चारों–ओर भूमिगत जल के प्रयोग पर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाए। मानीटरी प्रयोजन के लिए पेयजल गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित विनिर्देश लागू होगें, अर्थात्:–

क्रम सं0	पैरामीटर	भा0मा0 10500 : 1991 वांछनीय सीमा (मिग्रा/लि0 पीएच को छोड़कर।
1.	आर्सेनिक	0.05
2.	केडमियम	0.01
3.	क्रोमियम	0.05
4.	तांबा	0.05
5.	साइनाइड	0.05
6.	सीसा	0.05
7.	पारा	0.001
8.	निकिल	–
9.	एनओ$_3$ के रूप में नाइट्रेट	45.0
10.	पी एच	6.5 – 8.5
11.	लौह	0.3

अनुसूची–4
{नियम 6 (1) और (3), नियम 7 (2) देखें}
कचरा खाद और ोधित निक्षालनों और भष्मीकरण के मानक

1. अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं में कचरा खाद, भष्मीकरण, गुटिकाकरण, ऊर्जा प्रतिलाभ या ऐसी अन्य सुविधाएं केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित अपेक्षित समुचित प्रोद्योगिकी पर आधारित होगी।
2. नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा निजी एजेंसी के नियक्ति के मामलें में, नगरपालिका प्राधिकार और प्राइवेट एजेंसी के बीच एक विशेश रूप से ठोस अपशिष्ट के प्रदाय और अन्य संबंधित र्तो और निबंधनों पर विनिर्दिष्ट करार किया जाएगा।
3. कम्पोस्ट संयंत्र और अन्य प्रसंस्करण सुविधाओं से होने वाले प्रदूशण समस्याओं के निवारण के लिए निम्नलिखित का पालन करना होगा, अर्थात् :–

1. स्थल पर पहूंचने वाले अपशिष्टों को आगे प्रसंस्करण से पूर्व भलीभांति रख रखाव किया जाना चाहिए। जहां तक हो सके अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र ढका हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा भंडारण खुले में किया गया हो तो निक्षालन ोधन और निपटान सुविधा तक पहुंचाने वाले पंक्तिबद्ध नालों के निक्षालन/सतही जल अपवाह को इकट्ठा करने की सुविधा के साथ अपरागम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
2. गंध, कीड़े, मकोड़े कृन्तक पक्षी के खतरे और आग के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए।
3. संयंत्र के ब्रेक डाउन/रखरखाव के मामलें में अपशिष्ट अन्तग्राही को बन्द कर दिया जाना चाहिए और अपशिष्ट को भूमिभरण की ओर दिशा परिवर्तन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. प्रक्रिया सुविधा स्थल से प्रक्रिया पूर्व और प्रक्रिया पश्चात् अस्वीकार को नियमित आधार पर हटाया जाना चाहिए और उसे स्थल पर इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। पुनश्चक्रणयोग्य सामग्री उपर्यक्त विक्रेताओं के माध्यम से आनी चाहिए पुनश्चक्रण के अयोग्य को अचछी तरह डिजायन किए गए भूमिभरण स्थल (स्थलों) में भेजा जाना चाहिए।
5. कम्पोस्ट संयंत्र के मामलें में विन्ड्रों क्षेत्र में पारगम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऐसा आधार कंक्रीट अथवा कम्पैक्ट क्ले, 50 सेंटीमीटर मोटी, जिसकी पारगम्यता गुणांक (10–7 सेमी/सेकेड) के कम हो, का होना चाहिए। आधार में 1 से 2 प्रतिशत ढाल होनी चाहिए और इसके चारों तरफ निक्षालण। सतही अपवाह को इकट्ठा करने के लिए नालियां होनी चाहिए।
6. प्रसंस्करण संयंत्र की बाहरी दीवार की ओर नीचे की हवा में विशेश रूप से गंध की जांच करने के लिए नियमित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जानी चाहिए।

कम्पोस्ट का सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कम्पोस्ट गुणता के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्टयों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्

भूमि भरण स्थल पर पौधोपण

30. तैयार सथल को हरा–भरा बनाया जाएगा तथा निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा।

(क) स्थानीय रूप में अंगीकृत अखाद्य बारहमासी पौधों का चयन जो सूखे तथा अत्याधिक तापमान के प्रतिरोधी को उगानी अनुमति दी जाएगी।

(ख) उगाए गए पौधे ऐसे होंगे जिनकी जड़े निम्न–पारगम्यता परत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।

(ग) चयन किए गए पौधों में न्यून–पोशक मिट्टी में न्यूनतम पोशक संवर्धन के साथ फलने–फूलने का सामर्थ्य होगा।

(घ) मिट्टी के कटाव को कम से कम करने की दृष्टि से पौधरोपण किया जाएगा।

भूमि भरण स्थल पर कार्य समापन तथा पश्चात्वर्ती देखभाल

31. भूमि भरण स्थल कार्य समाप्ति के पश्चात् कम से कम 15 वर्शो तक उसकी देखभाल की जाएगी तथा लम्बी अवधि तक मानीटर और देखभाल योजना में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :–

(क) सबसे ऊपरी परत को पूर्ण रूप से तथा उसके प्रभावी अनुरक्षण के लिए उसकी मरम्मत करते रहना ओर कटाव या किसी अन्यथा अनुकसान से अनुरक्षण करना।

(ख) अपेक्षानुसार विक्षालन संग्रहण प्रणाली को मॉनीटर करना।

(ग) अपेक्षानुसार भू–जल को मॉनीटर करना तथा भू–जल गुणवत्ता को बनाए रखना।

(घ) मानकों के अनुरूप भूमि भरण गैस संग्रहण प्रणाली का अनुरक्षण करना तथा चलाते रहना।

32. भरे गए भूमि भरण स्थलों के पन्द्रह वर्शो के पश्चात् उपयोग पर मान बस्ती में या अन्यथा प्रयोग किऐ जाने के बारें में यह सुनिशचित करने के पश्चात् विचार किया जाएगा कि गैस तथा विक्षालन संबंधी विश्लेशण अधिकथित मानकों के अनुसार है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेश उपबंध

33. पर्वतों पर बसे हरों तथा कस्बों में, नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य प्रदूशण बोडै प्रदूशण समिति के अनुमोदन से ठोस अपशिष्टों के अंतिम व्ययन के लिए विकसित की गई स्थानीय विनिर्दिष्ट पद्धतियां अपनाई जाएंगी। नगरपालिका प्राधिकारी जैव निम्नीकरण कार्यनिक अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए संसाधन सुविधाएं स्थापित करेगी। निष्क्रिय तथा जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट सड़कें बनाने या पहाड़ों पर उपर्युक्त क्षेत्रों की भराई करने में प्रयोग किए जाएगें। पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के कारण सड़क पर बिछाने या भराई के लिए उपर्युक्त न पाए गए अपशिष्टों का निपटान विशेश रूप से डिजाइन किए गए भूमि भराई में किया जाएगा।

सीसा (पी.बी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.1	0.1	–
कैडमियम (सी.डी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	1.0	–
कुल क्रोमियम (सी.आर. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	2.0	–
तांबा (सी. यू. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	3.0	3.0	–
जस्ता (जेड. एन. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	5.0	15	–
निकल (एन. आई. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	3.0	3.0	
सायनाइड (सी.एन. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.2	2.0	0.2
क्लोराइज (सी. आई. के रूप में) मि0ग्राम/लि0, अधिकतम	1000	1000	600
फ्लोराइड (एफ के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	15	–

फिनोलिक मिश्रण (सी[6] एच[5] ओ. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	1.0	5.0	–

टिप्पण– अंतः भूतल जल में ोधित निछिालनों को बहाते समय, बाहर जाने वाले, निछालनों की मात्रा और इकट्ठा करने वाले जलाशयों में उपलबध विलीन जल की मात्रा पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा।

5. इन्सीनेटर निम्नलिखित प्चालन और उत्सर्जन मानकों को पूरा करेगा :–

क. प्रचालन मानक

(1) कम्बुशन क्षमता (ईसी) कम से कम 99.00ः होसगी।

(2) कम्बुशन क्षमता की गणना नीचे दिए अनुसार की जाती है।

$$\text{सीई} = \frac{\%\ \text{सीओ}_2}{\%\ \text{सीओ}_2 + \%\ \text{सीओ}_2} \times 100$$

पैरामीटर	सान्द्रता मि. ग्रा./एनएम2 (12 % सीओ2करेक्शन)
(1) धूल कण	150
(2) नाइट्रोजन आक्साइड	450
(3) एचसीआई	50

(4) न्यूनतम स्टेक ऊंचाई भूमि से 30 मीटर उपर होनी चाहिए।

(5) राख में वाशपशील आर्गेनिक मिश्रण 0.01 % से अधिक नहीं होना चाहिए।

पैरामीटर	(मि.ग्रा/कि.ग्रा. ुष्क आधार पर पीएच वैल्यु ओर सीएन अनुपात को छोड़कर) से अनधिक सकेन्द्रण
आर्सेनिक	10.00
कैडमियम	5.00
क्रोनियम	50.00
तांबा	300.00
सीसा	100.00
पारा	0.15
निकल	50.00
जस्ता	1000.00
सी/एन औसत	20–40
पी.एच.	5.5–8.5

' ऊपर कथित संकेन्द्र से अनधिक कम्पोस्ट (अंतिम उत्पाद) खाद्य फसलों के लिए उपयोग में नही लाया जाएगा। तथापि, खाद्य फसलों को उगाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा।

4. ेाधित निछालन के व्ययन में निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाएगा, अर्थात् :–

क्र0सं0	पैरामीटर	मानक (व्ययन के तरीके)		
		अंतर्देीय सतही जल	सार्वजनिक मलनाली	भूमि व्ययन
1.	निलंबित ठोस, मि0 ग्राम / ली0, अधिकतम	100	600	200
2.	घुले हुए ठोस (अकार्बनिक) मि0ग्राम / लि0 अधिकतम	2100	2100	2100
3.	पी.एच.मान	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0
4.	अमोनिकल नाइट्रोजल (एन के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	50	50	–
5.	कुल कलेजडाहल, नाइट्रोजन (एन के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	100	–	–
6.	जैव रसायनिक आक्सीजन मांग (27 सै0 पर 3 दिन), अधिकतम नि0 ग्राम / लि0	30	350	100
7.	रसायनिक आक्सीजन मांग, मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	250	–	–
8.	आर्सेनिक (ए. एस. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	0.2	0.2	0.2
9.	पारा (एस. जी. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	0.01	0.01	–

अपशिष्ट प्रसंस्करण / निपटान सुविधा, जिसे ामिल किया जाना है, का विस्तृत प्रस्ताव (संलग्न करें)

5.1 अपशिष्ट का प्रसंस्करण

(i) स्थल
(ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
(iii) प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी का विवरण
(iv) मात्रा
(v) स्थल की सफाई (स्थानीय प्राधिकरण द्वारा)
(vi) नगरपालिका प्राधिकरण और प्रशासन एजेंसी के बीच हुए करार का विवरण।
(vii) प्रसंस्कृत अपशिष्टों के लिए उपयोगिता कार्यक्रम (उत्पाद उपयोगिता)
(viii) अपशिष्ट प्रसंस्करण छीजन के लिए निपटान की पद्धति (मात्रा और किस्म)
(ix) पर्यावरण प्रदूशण निवारण और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय
(x) परियोजना निवेश और प्रतयाशित आय
(xi) संयंत्र में कार्यरत कर्मकारों के बचाव के लिए किए गए उपाय।

5.2 अपशिष्ट का निपटान

(i) अभिनिर्धारित स्थल का नं0
(ii) स्थल का नक्शा
(iii) प्रतिदिन निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट
(iv) अपशिष्ट को प्रकृति जार संगठन
(v) पद्धति/स्थल चयन के लिए अपनाए गए मानदंडो का विवरण
(vi) प्रचालन के अंतर्गत वर्तमान स्थल का विवरण
(vii) भूमिभरण की पद्धति और प्रचालन का विवरण
(viii) पर्यावरण प्रदूशण को जांच के लिए किए गए उपाय

तारीखः

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी

(1) विसर्जन सीमा से अधिक यदि आवश्यक हो सीमा प्रापत करने के इनसिनरेटर के साथ उपर्युक्त डिजायन .... नियंत्रण स्थापित या पुनः फिर किए जाने चाहिए।
(2) इनसिनरेटड अपशिष्ट को किसी क्लोनीनेटिड विसंक्रमक के साथ रसायनिक तरीके से ाेधित नहीं किया जाता है।
(3) क्लोरेनेटिड प्लास्टिक को इनसिनरेटड नहीं किया जाना चाहिए।
(4) इनसिनेटड राख से जहरीले तक विनियमित मात्रा में सीमित होने चाहिए जैसे कि समय–समय पर यथासंशोधित संकटपन्न अपशिष्ट (प्रबंन्धन और हथालन) नियम, 1998 में अंतर्गत यथा परिभाशित।
(5) इनसिनेटर व ईधन के रूप में केवल एलडी और एलएसएचएस/डीजल जैसे कम सल्फर ईधन का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्ररूप–।
(नियम 4 (2) और 5 (2) देखिए)

प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा में,
सदस्य सचिव,
....
....

1. नगरपालिका प्राधिकारी का नाम
नगरपालिका प्राधिकारी नियुक्त एजेंसी का नाम
2. पत्राचार का पता

टेलीफोन नं0....................................
फैक्स नं0 ....
3. नोडल अधिकारी और पदनाम (नगरपालिका द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्रक्रिया/निपटान सुविधाओं

के प्रचालन के लिए जिम्मेदार एजेंसी)

4. किसी प्राधिकार के लिए आवेदन किया है (सही का निशान लगाएं) (क) अपशिष्ट प्रसंस्करण, सुविधा स्थापित करेगा एवं प्रचालन
(ख) निपटान सुविधा स्थापित करना एवं प्रचालन

प्ररूप– III
(नियम 6 (3) देखें)
प्राधिकार जारी करने का फार्म

सेवा में,

.... फाईल सं0.........................
.... तारीख................................

संदर्भ : आपका दिनांक .... का अवेदन सं0........................ ।

महोदय,

.... राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति प्रस्ताव की जांच के बाद ... . को उनके .... प्रशासनिक कार्यालय को .... में अपशिश्ट प्रक्रिया/अपशिष्ट निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए इस प्राधिकार पत्र के साथ संलग्न र्तो (अनुपालन के मानकों सहित) पर .... को प्राधिकृत करता है।

(1) यह प्राधिकार .... तक वैद्य रहेगा। बैद्यता का तारीख समाप्त होने के बाद इसक पुनः नवीकरण प्राप्त करना होगा। (2) .... राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति, किसी भी समय, कोई र्त प्रति संहरण करने के लिए लगा सकती है जिसकी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (1986 का 26) के दण्डिक उपबंध लागू होगें।

भवदीय,

तारीख
स्थान

सदस्य सचिव,
राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूशण नियंत्रण समिति।

4. क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कोई प्रसताव दिया गया है
————————————————————————————————
————————————————————————————————
————————————————————————————————

5. क्या प्राइवेट फर्मो इत्यादि को नीचे दी गई जैसी अपशिष्ट को संसाधन द्वारा उपयोगी बनाने की तकनीक को आजमाने के लिए आमंत्रित करने के कोई प्रचास किए गए हैं:

		अपशिष्ट को उपयोग बनाने की तकनीक	प्रस्ताव	किए गए उपाय (वह मात्रा जिसका प्रसंस्करण किया जाता हैं)
i.	कचरा खाद बनाना	:		
ii.	कृमि समूह वंर्धन	:		
iii.	गटिकाकरण	:		
iv.	अन्य, यदि कोई हो, कृपया विनिर्दिष्ट करें।	–		

6. निम्नलिखित अस्वास्थ्यकार संक्रियाओं को रोकने के लिए कौन से प्रावधान उपलब्ध हैं और इन्हें कैसे लागू किया जाता है :

(i) दुग्धशालाओं से संबंधित क्रियाकलाप :

(ii) बूचड़खाने और जानवरों का अप्राधिकृत वध :

(iii) मलवा (भवन संबंधी मलवा) उठाना :

(iv) पार्को, फुटपाथ आदि पर अतिक्रमण :

7. कितनी मलिन बस्तियों की पहन की गई है और क्या इनमें स्वच्छता संबंधी सविधाए उपलब्ध करवाई गई है।

8. क्या दांडिक कार्रवाई के लिए नगरपालिका मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं : हां नहीं

{यदि हां, तो पिछले तीन वर्शो के दौरान कितने मामलें रजिस्ट्रीकृत किए गए और उनका निपटान किया गया (वर्शवार ब्यौरे दें)}

9. अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन

(i) निगम के नियंत्रणाधीन कितने अस्पताल/क्लीनिक है।

(ii) जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट के व्ययन के लिए कौन सी रीतियां अपनाई जाती है?

(iii) क्या जैव–चिकित्सीय अपशिश्टों के व्ययन के लिए सामूहिक ोधन सुविधा स्थापित करने के लिए आपका कोई प्रस्ताव है?

(iv) हर/नगर में कितने प्राईवेट नर्सिग होम, क्लीनिक आदि चल रहे है और उनके अपशिष्ट के व्ययन पर निगरानी के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नगर पालिका आयुक्त के हस्ताक्षर

तारीख :

प्ररूप–IV
(नियम 8 (1) देखिए)

राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड समितियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली वार्शिक पुर्नविलोकन रिर्पोट का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड,
(पर्यावरण और वन मंत्रालय)
भारत सरकार,
'परिवेश भवनऊ ईस्ट अर्जुन नगर,

दिल्ली–1100032

1.	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र का नाम	
2.	राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति का नाम और पता	
3.	इन नियमों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नगर विशेश अपशिष्टों के प्रबंनधन के लिए उत्तरदायी नगरपालिका प्राधिकारियों की संख्या	
4.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची–I {नियम 4(3)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध I के रूप में संलग्न करें।
5.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची– II {नियम 6(1)और (3), नियम 7(2)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध II के रूप में संलग्न करें।
6.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची–III {नियम 6(1) और (3), नियम 7 (2)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध III के रूप में संलग्न करें।
7.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची–IV {नियम 6(1) और (3) नियम 7 (2)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध IV के रूप में संलग्न करें।

तारीख :

स्थान :

अध्यक्ष या सदस्य सचिव,
राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूशण नियंत्रण समिति,

रजिस्ट्री सं0 डी0एल–33001/99 REGD. No. D.L. 33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazettee of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग ।।–खण्ड–3–उपखण्ड (ii)
Part II-Section 3-Sub-section (II)
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority
सं. 648 नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर, 3, 2000/आश्विन 11, 1922
No. 648 New Delhi, Tuesday, October 3, 2000/Asvina 11, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

का.आ. 908 (अ).– नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 783 तारीख 27 सितम्बर, 1999 उसी तारीख के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, ऐसे व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से साठा दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले अक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 अक्तूबर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम ओर प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 है।
   (2) जैसा इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाए ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू प्रवृत्त होगें।

2. लागू होना– ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकारी को लागू होगें।

3. परिभाशाएं– इन नियमों के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) का माइक्रोवायिल नियोजन अंतर्दलित हैः
(ii) ''प्राधिकार'' से ''सुविधा के प्रचालक'' को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है;
(iii) ''जैव निम्नकरणीय पदार्थ'' से यह पदार्थ अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है;
(iv) ''जैविक मीथेनीकरण'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ एनजाईमी विघटन करती हैं;

(v) ''संग्रहण'' से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाना अभिप्रेत है;

(vi) ''कचरा खाद बनाने'' से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अंतर्वलित है;

(vii) ''ढहाने तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट'' से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने संबंध संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलवे से उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(viii) ''व्ययन'' से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को संदूशण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अंतिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है;

(ix) ''प्ररूप'' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(x) ''अपशिष्टों के उत्पादक'' से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है;

(xi) ''भूमिभरण'' से भूजल, सतह जल का प्रदूशण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़नेवाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों को खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजायन की गई सुविधा में अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है;

(xii) ''निाातिलक'' से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिवास हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्शण किया है;

(xiii) ''लाइसोमीटर'' से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उस में से जल की गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेशक के लिए अन्तःस्त्राव जल के एकत्रण के लिए किया जाता है;

(xiv) ''नगरपालिक प्राधिकारी'' से म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, म्यूनिसिपेलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगरपंचायत, नगरपालिक परिसर जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एन.ए. सी) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है;

(xv) ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किंतु उपचारिकत जैच चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;

(xvi) ''प्रसुविधा के प्रचालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, प्रथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, और निपटान की प्रसविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है;

(xvii) ''गुटिकाकरण'' से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाएं तैयार की जाती है जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की गई लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़ों में होगें और इसके अन्तर्गत ईधन गुटिकाएं भी आती है जिसे कचरे से प्राप्त ईधन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है;

(xviii) ''प्रसंस्करण'' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नए या पुनःचक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है;

(xix) ''पुनःचक्रण'' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रथक्करण सामग्रियों के कचरा खाद में परिवर्तन करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है;

(xx) ''अनुसूची'' से इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(xxi) ''पृथक्करण'' से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गो में अलग–अलग करना अभिप्रेत है;

(xxii) ''राज्य बों या समिति'' से, यथास्थिति, किसी राज्य का राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या संघराज्य क्षेत्र की प्रदूशण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है;

(xxiii) ''भंडारण'' से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बंद कियाजाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट बिखेरने, रोगवाहकों के आकर्शित करने, आवारा पुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सकें;

(xxiv) ''परिवहन'' से विशेश रूप से डिजालन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा करकट बिखेरने, रोगवाहकों की पहुंच को रोका जा सकें;

(xxv) ''अधिभौम जल'' से वह जल अभिप्रेत है, जो भू सतह तथा भौम जल स्तर के माध्यम अर्थात्, असंतृप्त क्षेत्र से होता है;

(xxvi) ''कृशि कचरा खाद बनाना'' जैव निम्नकरणी अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केचुओं को उपयाग में लाने की प्रक्रिया है;

4. नगरपालिका प्राधिकारी का दायित्वः–

(1) प्रत्येक नगरपालिक प्राधिकारी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, प्रथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण, और व्ययन के लिए किसी भी अवसरंचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी होगां

(2) नगरपालिका प्राधिकारी या किसी सुविधा प्रचालक, अनुसूची 1 में अधिकथित कार्यान्वयन कार्यक्रम की अनुपालना की दृष्टि से राज्य बोर्ड या समिति से, अपशिष्टों के प्रसंस्करण और व्ययन प्रसुविधा की, जिसके अन्तर्गत भूमि भरण भी है, स्थापना के लिए प्राधिकार मंजूर करने के लिए प्ररूप–1 में आवेदन करेगा।

(3) नगरपालिका प्राधिकारी, अनुसूची–1 में अधिकथित कार्यान्वयन सूची के अनुसार इन नियमों का पालन करेंगे।

(4) नगरपालिका प्राधिकारी, अपनी वार्शिक रिपोर्टक को प्ररूप–2 में,

(क) किसी महानगर की दशा में, यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के हरी विकास वििाग के प्रभारी सचिव को; या

(ख) सभी नगरों या हरों की दशा में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपयुक्त को,

प्रतिवर्श 30 जून को या उसके पूर्व राज्य बोर्ड या समिति को प्रति के साथ भेजेगा।

5. राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का दायित्व :–

(1) यथास्थितिस, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के हरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव का महानगरों में इन नियमों के उपबंधाों के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

(2) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त का उनकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

6. केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड और राज्य बोर्ड या समितियों का दायित्व :–

(1) राज्य बोर्ड या समिति, भू–जल परिवेशरी वायु, निक्षालन गुणता तथा कचरा खाद्य गुणता से संबंधित मानकों का मानीटरन और अनुपालन करेगा जिसके अन्तर्गत अनुसूची ii, iii, और iv में विनिर्दिष्ट भस्मीकरण मानक भी है।

(2) राज्य बोर्ड या समिति, यथास्थिति, अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा जिसके अन्तर्गत भूमिभरणभ है, स्थापित करने हेतु प्राधिकार देने के लिए नगरपालिक प्राधिकारी या सुविधा के प्रचालक से प्ररूप–1 में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव की जांच करेगा तथा ऐसा प्राधिकार जारी करने से पूर्व अन्य एजेंसियों जैसे राज्य हरी .... एजेन्सी के दृष्टिकोण पर भी विचार करेगा।

(3) राज्य बोर्ड या समिति, अनुसूची–2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट अनुपालना मानदंड और मानक, जिसके अन्तर्गत ऐसी अन्य र्त भी है, जो आवश्यक हो, का अनुबद्ध करते हुए पैतालीस दिवस के भीतर नगरपालिका प्राधिकारी या सुविधा के किसी प्रचालक को प्ररूप–3 में प्राधिकार जारी करेगा।

(4) प्राधिकार दी गई अवधि के लिए विधिमान्य होगा और विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात् नया प्राधिकार अपेक्षित होगा।

(5) केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, मानकों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन ओर पुनविलोकन तथा मानीटरन डाटा के संकलन के विशिष्ट निर्देश के साथ राज्य बोर्डो और समितियों के समन्वय करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन :–

(1) किसी हर या नगर में उत्पन्न किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट या प्रबंधन तथा हथालन अनुसूची–2 में अधिकथित मापदण्डों और प्रक्रियाओं के अनुपालन करते हए् किया जाएगा।

(2) नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा या सुविधा के प्रचालक द्वारा स्थापित अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाएं अनुसूची iii और iv में दिए गए विनिर्देशों तथा मानकों को पूरा करेगी।

8. वार्शिक रिपोर्ट

(1) राज्य बोर्ड और समिति प्ररूप iv में प्रतिवर्श 15 सितम्बर को या उससे पहले इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में वार्शिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(2) केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर समेकित वार्शिक पुनरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अपनी सिफारिशों सहित प्रति वर्श 15 दिसम्बर से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

9. दुर्घटना की सूचना देना :–

किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, प्रथक्करण, भंडारण, प्रसंस्करण, उपचार ोधन तथा व्ययन, सुविधा या भूमिभरण स्थल अथवा अपशिष्टों के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होने पर नगरपालिका प्राधिकारी, प्ररूप–5 में दुर्घटना की सूचना महानगर की दशा में सचिव प्रभारी, हरी विकास विभगा और अन्यसभी मामलों में जिला कलैक्टर या उपयुक्त को भेजेगा।

अनुसूची–1
(नियम 4 (2) और 4 (3) देखिए)
कार्यान्वयन सूची

क्रमांक	अनुपालन के मानदण्ड	अनुसूची
1.	अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाएं स्थापित करना	31.12.2003 तक अथवा उससे पूर्व
2.	अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निपटान सुविधाओं के निष्पादन की निगरानी करना	6 माह में एक बार
3.	इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मौजूदा भूमि भरण स्थलों का सुधार किया जाना	31.12.2001 तक अथवा उससे पूर्व
4.	भावी प्रयोग के लिए भूमि भरण स्थलों की पहचान करना तथा प्रचालन के लिए स्थल (स्थलों) को तैयार करना।	31.12.2002 तक अथवा उससे पूर्व

अनुसूची 2
(नियम 6 (1) और (3), 7 (1) देखिए)
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

क्रम संख्या	पैरामीटर	अनुपालनीय मानदण्ड
1.	नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	1. हरों और नगरों तथा सरकार द्वारा अधिसूची हरी क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों का कूड़ा–करकट फैलाना प्रतिशिद्ध होगा। कूड़ा–करकट फैलाने को प्रतिशिद्ध करने और अनुपालन सुकर करने के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएगें, अर्थात :– (ix) सामुदायिक कूड़ेकदान द्वारा संग्रहण, (मध्यस्थित कूड़ादान) घर–घर जाकर संग्रहण, ध्वनि युक्त वाहनों की घंटी बजाकर (अनुज्ञेय ध्वनि स्तरों से अधिक ध्वनि किए बिना) पूर्व सूचित नियमित समयों और समय सारणाी के अनुसार जैसे किन्ही ढंगों में से किसी को अपनाकर घर–घर जाकर कूड़ा–कचरा संग्रहण करना। (x) होटलों / रेस्ताराओं / कार्यालय परिसरों तथा वार्णिज्यक क्षेत्रों समेत झुग्गी–झोपड़ी तथा इधर–उधर फैले क्षेत्रों2बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करना। (xi) बूचड़खानों, मांस ओर मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का, जो जैव निम्नकरणीय प्रकृति का होता है, प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सकें, (xii) जैव–चिकित्सीय अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जाएगा ओर ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जाएगा।

		(xiii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहीत अपशिष्ट को हाथ से खीची जाने वाली ठेला गाड़ियों द्वारा सामुदायिक कूड़ाघरों में डाला जाएगा। (xiv) बागबानी और निर्माण/ढहाए गए कार्यो से उद्भूत अपशिष्टों/मलवे को अलग–अलग संगृहीत किया जायेगा और समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा इसी प्रकार दुग्ध डेरियों से उत्पन्न अपशिष्ट को राज्य विधियों के अनुसार विनियमित किया जायेगा। (xv) अपशिष्ट (कूड़ा–करकट, सूखी, पत्तियां) को जलाया नहीं जायेगा। (xvi) आवारा पुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा हर/नगर में किसी अन्य स्थान के आसपास नहीं घूमने दिया जायेगा तथा राज्य विधियों के अनुसार उनका प्रबंध किया जायेगा। 2. नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्ट संग्रहण अनुसूची को और जनहित के लिए अपनाई जानी वाली पद्धति को अधिसूचित करेगा। 3. अपशिष्ट उत्पादकों की यह जिम्मेदारी होती कि वे कूड़ा–करकट न और इस अनुसूची के पैरा 1 (2) के अनुसार नगर पालिका प्राधिकारी अधिसूचित किये जाने वाली संग्रहण और पृथक्करण प्रणाली के अनुसार अपशिष्ट के परिदान को सुनिश्चित करें।
2.	नगरीय इसे अपशिष्टों का पृथक्करण	नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा ऐसे पृथक् की गई सामग्रियों के पुनर्चक्रण/पुनः प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा नगर पालिका प्राधिकारीय एक चरणबद्ध कार्यक्रम चलायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि समुदाय को अपशिष्ट पृथक्करण में ामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों और गेर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही नियमित बैठकें आयोजित की जाएगी।
3.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का भंडारण	नगरपालिका प्राधिकारी भंडारण सुपिवधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे कि इसके आस–पास आस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हों। भंडारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा।

i. निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्र और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भंडारण सुविधाओं का सृजन ओर स्थापना की जाएगाी भंडारण सुविधा ऐसे स्थान पर रखी जाएगी जहां प्रयोक्ता पहुंच सकें।

ii. नगरपालिका प्राधिकारियों अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भंडारण सुविधा का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि इक्कठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो और जो सौन्दर्यपरक रूप से प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो तथा उसे अपना सा लगें।

iii. भंडारण सुविधा अथवा कूड़ेदान अपशिष्टों के हथालन, निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाइन का होगा। जैव–निम्नीकरण अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदान हरे, पुनःचक्रणयोग्य अपशिष्टों के लिए कूड़ेदान सफेद और अन्य अपशिष्टों के भंडारण केलिए कूड़ेदान काले पेंट किए जाएंगे।

iv. अपशिष्टों का मानव द्वारा उठाई धराई किया जाना प्रतिशिद्ध होगा यदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए समुचित पूर्वानिधानियों के अधीन मानव द्वारा उठाई धराई की जाएगी।

4.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन	अपशिष्टों का परिवहन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन ऊपर से ढके होगें। अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई और न ही उसे खुले रूप से इधर उधर बिखरने दिया जाएगा तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदंडो को अपनाया जाएगां :— 1. नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा स्थापित भंडारण सुविधओं से प्रतिदिन कूड़ा–कचरा साफ किया जाएगा। कूड़ेदान या आधानों की, जहां भी रखे गऐ हों, उनके ऊपर से कूड़ा करकट निकलने से पूर्व साफ किए जाएंगे। (iii) परिवहन वाहनों का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अंतिम व्ययन करने के पूर्व बार–बार की जाने वाली उठाई–धराई से बचा जा सकें।
5.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण	नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्टों को उपयोग बनाने के लिए समुचित तकनीक अथवा ऐसी विधिक तकनीकों को अपनाएगा जिससे कि भूमिभरण पर भार

कम किया जा सकें तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगाः—

1. जैवनिम्नीकरण अपशिष्ट, अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिए कंपोस्टिंग, वार्मिकम्पोस्टिंग, बात निरपेक्ष पाचन अथवा अन्य किसी उपयुक्त जैविक संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्पोस्ट या किसी अन्य तैयार उत्पादों का अनुसूची—4 में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।

2. पुनः प्राप्य संसाधनों वाले मिश्र अपशिष्ट के लिए रीसायकलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिए इनसीनरेशन के साथ अथ्वा उसके बिना ऊर्जा वसूली के पोलिटाइनेंशन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। नगरपालिका प्राधिकारी/सुविधा प्रचालक यदि नवीनतम प्रौद्योगिक का प्रयोग करना चाहते है तो उन्हें प्राधिकार की मंजूरी के आवेदन से पूर्व केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड से निर्धारित मानक प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करना चाहिए।

3. पुनः उपयोग में लाई जाने वाली समाग्री से युक्त किया जाएगा।

6. भूमिभरण में, जैव अनिम्नीकरण निष्क्रिय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनर्चक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है, निर्बधिंत रखा जाएगा। भूमिभरण, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अपशिष्ट और साथ ही अपशिष्ट संसाधन सुविधओं से प्रसंस्करण—पूर्व छोड़े गई अपशिष्ट से भी किया जाएगा। मिश्रित अपशिष्ट से भूमिभरण करने से तब तक बचा जाएगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त न पाया जायं। अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधाए स्थापित किए जाने तक भूमिभरण निम्नलिखित समुचित मानकों के अनुसार किया जाएगां भूमिभरण के लिए निम्नलिखित मानदंडो को अपनाया जाएगां

भूमिभरण स्थल अनुसूची—3 में दिये गऐ विनिर्देशों के अनुरूप होगें।

अनुसूची–3
{ नियम 6(1) और (3), 7 (2) देखिए}
भूमि–भरण स्थलों के लिए विनिर्देश

स्थल चयन

1. 'विकास प्राधिकरणों' के क्षेत्राधिकारी में आने वाले क्षेत्रों में भूमि भरण का अभिनिर्धारण करना और इन स्थलों के विकास प्रचालन एवं रख–रखाव के लिए इन्हें संबंधित नगरपालिका प्राधिकारियों को सौपने का दायित्व विकास प्राधिकरणों का है। अन्यत्र यह दायित्व संबंधित नगरपालिका प्राधिकारियों का हैं।
2. भूमिभरण स्थलों का चुनाव पर्यावरणी मामलों की जांच पर आधारित होगा। राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के हरी विकास विभाग जरूरी अनुमोदन/मंजूरियां प्रापत करने के लिए संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करेगा।
3. भूमि भरण स्थल की योजना और डिजाइन चरणबद्ध निर्माण योजना तथा बंद करने की योजना के उपयुक्त प्रलेखन के साथ बनाई तजायेगी।
4. भूमि भरण स्थलों का चयन नजदीकी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा (वेस्ट्स प्रोसैसिंग फैसिलिटी) का उपयोग करने के लिए किया जाएगा। अन्यथा, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा योजना भूमि भरण स्थल के अभिन्न भाग के रूप में होगी।
5. वर्तमान भूमि भरण स्थलों में का जो पांच वर्शो से अधिक समय में भरे जाने है इस अनुसूची के दिए गए इन विनिर्देशों के अनुसार सुधार किया जाएगा।
6. जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का व्ययन जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के अनुसार किया जाएगा। परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन समय–समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के अनुसार किया जाएगा।
7. भूमि भरण स्थल का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका 20–25 वर्शो तक प्रयोग किया जा सकें।
8. भूमि–भरण स्थल आवासी बस्ती, वन क्षेत्रों, जलाशयों, स्मारकों, राष्ट्रीय पार्को नम भूमि तथा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर स्थित होगा।
9. भूमिभरण स्थल के चारों तरफ एक बफरजोन बनाये रखा जाएगा जिसे ओर विकसित नहीं किया जाएगा और इसे नगर आयोजना विभाग की भूमि उपयोग योजनाओं में ामिल किया जाएगा।
10. भूमिभरण स्थल विमानपत्तन से, जिसमें हवाई अड्डा भी सम्मिलित है, दूर होगें। भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व नगरपालिका प्राधिकारी, विमानपत्तन या हवाई अड्डा प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

स्थल पर सुविधाए:

11. भूमिभरण स्थल के चारों और कांटेदार तार की बाड़/झाड़िया लगाई जाएगी ओर एक समुचित द्वार का प्रबंध किया जाएगा ताकि वहां आने वाले वाहनां अथवा अन्य परिवहन साधनों को मानीटर किया जा सके।
12. भूमिभरण स्थल पूर्ण संरक्षित होगें जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्ति और आवारा पु उनमें प्रवेश न कर सकें।
13. भूमिभरण स्थल पर वाहनों तथा अन्य मशीनरी के असानी से अवागमन के लिए वहां पहुंच मार्ग तथा अन्य आंतरिक मार्ग उपलब्ध होंगें।
14. भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्टों को मानीटर करने के लिए अपशिष्टों के निरीक्षण सुविधा, अभिलेख रखने के लिए कार्यालय सुविधा तथा उपस्करों और मशीनरी को जिसमें प्रदूशण मानीटर करने वाले उपस्कर भी सम्मिलित है, रखने के लिए आश्रय–स्थल भी होगा।

15. भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्ट की मात्रा का वजन करने के लिए तुला (वे–ब्रिज), अग्नि–सुरक्षा उपकरण तथा अन्य यथा अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।
16. पीने के पानी (विशेशकर कर्मकारों के लिए नहाने की सुविधाएं) तथा जब रात के समय भूमिभरण का कार्य किया जाता है तो कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए प्रकाश आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
17. भरण स्थलों पर सावधिक सुरक्षा प्रावधानों के जिसमें कर्मकारों के स्वास्थ्य निरीक्षण भी सम्मिलित है, व्यवस्था की जाएगा।

भूमिभरण के लिए विनिर्देश

18. भूमिभरण के लिए नियत अपशिष्टों को भूमिभरण कम्पैक्टस का प्रयोग करते हुए अपशिष्टों के उच्च घनत्व को प्राप्त करने के लिए पतली–पतली परतों में भराव किया जाएगा। अधिक वर्शो वाले क्षेत्रों, जहां भारी कम्पेक्टरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएंगे।
19. अपशिष्टों को तत्काल अथवा प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में 10 से0मी0 तक मिट्टी, अवस्थित, मलने या निर्माण सामग्री से ढक दिया जाएगा जब तक कि अनुसूची 1 के अनुसार, कंपोस्टिंग, पुनः चक्रण या ऊर्जा वसूली के लिए समयबद्ध अपशिष्ट सुविधाए स्थापित नहीं कर दी जाती।
20. मानसून ऋतु आरंभ होने से पूर्व भरण स्थल पर 40–65 से0मी0 मिट्टी मोटाई वाला अन्तर्वर्ती आवरण अच्छी तरह घुटाई तथा ग्रेडिग करके बिछा दिया जाएगा ताकि मानसून के दौरान वर्शो के पानी के रिसाव को रोका जा सकें। भरण स्थल के ऐसे भाग से, जहां भराई कार्य चल राह है, पानी के बहाव को मोड़ने के लिए समुचित नाली पटरियों का निर्माण किया जाएगा।
21. भूमिभरण का कार्य पूरा होने के पश्चात, उसे अन्तिम रूप से इस प्रकार ढका जाएगा, ताकि मिट्टी में पानी का रिसाव और उसका कटाव कम से कम हो। अन्तिम रूप से ढका जाना निम्नलिखित विनिदेशों। के अनुसार होगा;

    (क) इसे अवरोधक मिट्टी की एक परत से, जिसमें 1 X 10 से0मी0/प्रति सेकिडं से कम की पारागम्यता वाली 60 से0मी0 मोटी चिकनी मिट्टी/शोधित मिट्टीर होगी, अंतिम रूप से ढका जाएगा।

    (ख) अवरोधक मिट्टी की परत के ऊपर 15 से0मी0 मीटी एक निकास परत होगी।

    (ग) निकास परत के ऊपर 45 से0मी0 मोटी एक वानस्पतिक परत होगी जो प्रकृति जन्य पादपों के पनपने में सहायता करेगी जिससे भूमि का कटाव कम से कम होगा।

प्रदूशण निवारण

22. भूमिभरण संक्रियाओं से होने वाले प्रदूशण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए जाएगें;

    (क) विक्षालनों की उत्पत्ति को कम से कम करने तथा सतही जल करने के प्रदूशण को रोकने औ साथ ही साथ बाढ़ और दलदली स्थितियों से बचने के लिए तूफानी जल नालियों का मोडा जाना।

    (ख) अपशिष्ट व्ययन क्षेत्र के आधार तथा दीवारों पर अपरागम्य लाइनिंग की प्रणाली सन्निर्माण ऐसे अपशिष्टों प्रसंस्करण सुविधाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिश्टों अथवा उत्पादक ओर कीटनाशक इत्यादि हो), भरे के लिए प्रयुक्त होने वाले भरण स्थल के मामलें में न्यूनतम लाइनर विनिर्देश एक ऐसी संग्रसित

अदरोधक होगी जो 1.5 मि0मी0 उच्च घनत्व वालती पोलीथिलीन (एच डी पी ई) कठोर परत (जियोमेम्बरेन) (अथवा समतुल्य) हो और यह 90 से0मी0 मिट्टी (चिकनी/शोधित मिट्टी) ऊपर परत के ऊपर होगी तथा इसी पारगम्म्यत 1 X 10^7 से0मी0 प्रति सैकंड से अधिक नहीं होगी तालिका को अधिकतम स्तर चिकनी/शोधित मिट्टी की अवरोधक परत के आधार पर कम से कम 2 मीटर नीचे होगा।

(ग) क्षलन संग्रहण और ेधन प्रबन्धन के लिए उपबंध/शोधित विक्षालन अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट मानक अनुसार होगें।

(घ) भूमिभरण क्षेत्र से होने वाले बहाव को किसी झरने, नदी झील अथवा तालाब में जाने से रोकना।

जल गुणवत्ता को मानीटर करना

23. किसी भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व क्षेत्र में भूमिगत जल गुणवत्ता के आधार आकड़े–एकत्र जाए और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए अभिलेख पर रखा जाएगा। भूमि भरण स्थल की परिधि के 50 मीटर अंदर भूमिगत जल गुणवत्ता की सावधिक रूप से मानीटरी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि भूमि जल बोर्ड/राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार भूमिगत स्वीकार्य सीमा से अधिक संदूशित न हो।

24. किसी भी प्रयोजन (पेय, सिचाई आदि सहित) भूमि भराई स्थलों तथा उनके चारों–ओर भूमिगत जल के प्रयोग पर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाए। मानीटरी प्रयोजन के लिए पेयजल गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित विनिर्देश लागू होगें, अर्थात्:–

क्रम सं0	पैरामीटर	भा0मा0 10500 : 1991 वांछनीय सीमा (मिग्रा/लि0 पीएच को छोड़कर।
1	आर्सेनिक	0.05
2	केडमियम	0.01
3	क्रोमियम	0.05
4	तांबा	0.05
5	साइनाइड	0.05
6	सीसा	0.05
7	पारा	0.001
8	निकिल	–
9	एनओ$_3$ के रूप में नाइट्रेट	45.0
10	पी एच	6.5 – 8.5
11	लौह	0.3
12	कुल कठोरता (सीएसीओ3 के रूप में)	300.00
13	क्लोराइड	250
14	विलीन ठोस	500
15	फिनोलिक मिश्रण (सी$_6$ एच$_3$ ओ एच के रूप में)	0.001
16	जस्ता	5.0
17	सल्फेट (एस ओ$_4$ के रूप में)	200

परिवी वायु गुणवत्ता को मानीटर करना

25. भूमिभरण स्थल पर गैस संग्रहण प्रणाली सहित भूमि भरण गैस नियन्त्रण प्रणाली की स्थापना की जाएगी जिससे की दुर्गन्ध को कम से कम किया जा सके तथा गैसों के अपस्थलीय फैलने को रोकने और भरी गई भूमि में उगाई गई वनस्पतियों को बचाया जा सकें।
26. भूमि–भरण स्थलों से निकलने वाली मीथेन गैस का सान्द्रण न्यूनतम विस्फोटक सीमा (एल.ई.एल.) 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
27. भूमि भरण स्थल पर संग्रहण सुविधा से प्राप्त भूमि भरण गैस का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार या तो सीधा तापीय उपयोजन या विद्युत उत्पादन में किया जाएगा। अन्यथा, भूमि भरणगैस को जला दिया जाएगा ओर सीधे वायुमण्डल में या अवैध रूप से निकासी के लिए नही छोड़ा जाएगा। यदि इसका उपयेाग और फ्लेरिंग संभव न हो तो पैसिव वेंटिंग की अनुमति दी जाएगी।
28. भूमि भरण सथल और उसके आस–पास परिवेशी वायु की गुणवत्ता को निम्नलिखित विहित मानकों के अनुसार मॉनीटर किया जाएगा।

क्रम सं0	पैरामीटर	स्वीकार्य स्तर
(1)	सल्फर डाइआक्साइड	120 माइक्रोग्राम/एम3 (24 घंटे)
(ii)	निलंबित कण पदार्थ	500 माइक्रोग्राम/एम3 (24 घंटे)
(iii)	मीथेन	न्यूनतम विस्फोटक सीमा के 25ः से अधिक नहीं (650 मि.ग्रा/एम3 के समतुल्य)
(iv)	अमोनिया	
	दैनिक औसत (नमूना अवधि 24 घंटे)	0.4 मि.ग्रा/एम3 (400 यू. जी. /एम3)
(v)	कार्बन मोनोक्साइड	1 धंटे का औसत : 2 मि.ग्रा/एम^3 8 घंटे का औसत : 1 मि.ग्राम/एम^3

29. परिवों वायु गुणवत्ता को संबंधित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित नियम समय के अनुसार मानीटर किया जाएगा।
    (क) 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हरों में एक वर्श में छः बार।
    (ख) 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले हरों में एक वर्श में चार बार।
    (ग) एक लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले हरों में एक वर्श दो बार।

(ख) अपशिष्ट व्ययन क्षेत्र के आधार तथा दीवारों पर अपरागम्य लाइनिंग की प्रणाली का सन्निर्माण ऐसे अपशिष्टों प्रसंस्करण सुविधाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिश्टों अथवा उत्पादक ओर कीटनाशक इत्यादि हो), भरे के लिए प्रयुक्त होने वाले भरण स्थल के मामलें में न्यूनतम लाइनर विनिर्देश एक ऐसी संग्रसित अदरोधक होगी जो 1.5 मि0मी0 उच्च घनत्व वालती पोलीथिलीन (एच डी पी ई) कठोर परत (जियोमेम्बरेन) (अथवा समतुल्य) होंी और यह 90 से0मी0 मिट्टी (चिकनी/शोधित मिट्टी ऊपर परत के ऊपर होगी तथा इसी पारगम्यत 1 X 10^7 से0मी0 प्रति सैकंड से अधिक नहीं होगी तालिका को अधिकतम स्तर चिकनी/शोधित मिट्टी की अवरोधक परत के आधार पर कम से कम 2 मीटर नीचे होगा।

(ग) क्षलन संग्रहण और ोधन प्रबन्धन के लिए उपबंध/शोधित विक्षालन अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट मानक अनुसार होगें।

(घ) भूमिभरण क्षेत्र से होने वाले बहाव को किसी झरने, नदी झील अथवा तालाब में जाने से रोकना।

जल गुणवत्ता को मानीटर करना

23. किसी भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व क्षेत्र में भूमिगत जल गुणवत्ता के आधार आकड़े–एकत्र जाए और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए अभिलेख पर रखा जाएगा। भूमि भरण स्थल की परिधि के 50 मीटर अंदर भूमिगत जल गुणवत्ता की सावधिक रूप से मानीटरी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि भूमि जल बोर्ड/राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार भूमिगत स्वीकार्य सीमा से अधिक संदूशित न हो।

24. किसी भी प्रयोजन (पेय, सिचाई आदि सहित) भूमि भराई स्थलों तथा उनके चारों–ओर भूमिगत जल के प्रयोग पर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाए। मानीटरी प्रयोजन के लिए पेयजल गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित विनिर्देश लागू होगें, अर्थात्:–

क्रम सं0	पैरामीटर	भा0मा0 10500 : 1991 वांछनीय सीमा (मिग्रा/लि0 पीएच को छोड़कर।
1	आर्सेनिक	0.05
2	केडमियम	0.01
3	क्रोमियम	0.05
4	तांबा	0.05
5	साइनाइड	0.05
6	सीसा	0.05
7	पारा	0.001
8	निकिल	–
9	एनओ$_3$ के रूप में नाइट्रेट	45.0
10	पी एच	6.5 – 8.5
11	लौह	0.3

अनुसूची–4
{नियम 6 (1) और (3), नियम 7 (2) देखें}
कचरा खाद और ोधित निक्षालनों और भष्मीकरण के मानक

1. अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं में कचरा खाद, भष्मीकरण, गुटिकाकरण, ऊर्जा प्रतिलाभ या ऐसी अन्य सुविधाएं केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित अपेक्षित समुचित प्रोद्योगिकी पर आधारित होगी।
2. नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा निजी एजेंसी के नियक्ति के मामलें में, नगरपालिका प्राधिकार और प्राइवेट एजेंसी के बीच एक विशेश रूप से ठोस अपशिष्ट के प्रदाय और अन्य संबंधित र्तो और निबंधनों पर विनिर्दिष्ट करार किया जाएगा।
3. कम्पोस्ट संयंत्र और अन्य प्रसंस्करण सुविधाओं से होने वाले प्रदूशण समस्याओं के निवारण के लिए निम्नलिखित का पालन करना होगा, अर्थात् :–

i. स्थल पर पहूंचने वाले अपशिष्टों को आगे प्रसंस्करण से पूर्व भलीभांति रख रखाव किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र ढका हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा भंडारण खुले में किया गया हो तो निक्षालन ोधन और निपटान सुविधा तक पहुंचाने वाले पंक्तिबद्ध नालों के निक्षालन/सतही जल अपवाह को इकट्ठा करने की सुविधा के साथ अपरागम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

ii. गंध, कीड़े, मकोड़े कृन्तक पक्षी के खतरे और आग के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए।

iii. संयंत्र के ब्रेक डाउन/रखरखाव के मामलें में अपशिष्ट अन्तर्ग्राही को बन्द कर दिया जाना चाहिए और अपशिष्ट को भूमिभरण की ओर दिशा परिवर्तन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iv. प्रक्रिया सुविधा स्थल से प्रक्रिया पूर्व और प्रक्रिया पश्चात् अस्वीकार को नियमित आधार पर हटाया जाना चाहिए और उसे स्थल पर इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। पुनश्चक्रणयोग्य सामग्री उपर्यक्त विक्रेताओं के माध्यम से आनी चाहिए पुनश्चक्रण के अयोग्य को अचछी तरह डिजायन किए गए भूमिभरण स्थल (स्थलों) में भेजा जाना चाहिए।

v. कम्पोस्ट संयंत्र के मामलें में विन्ड्रों क्षेत्र में पारगम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऐसा आधार कंक्रीट अथवा कम्पैक्ट क्ले, 50 सेंटीमीटर मोटी, जिसकी पारगम्यता गुणांक (10–7 सेमी/सेकेड) के कम हो, का होना चाहिए। आधार में 1 से 2 प्रतिशत ढाल होनी चाहिए और इसके चारों तरफ निक्षालण। सतही अपवाह को इकट्ठा करने के लिए नालियां होनी चाहिए।

vi. प्रसंस्करण संयंत्र की बाहरी दीवार की ओर नीचे की हवा में विशेश रूप से गंध की जांच करने के लिए नियमित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जानी चाहिए।

vii. कम्पोस्ट का सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कम्पोस्ट गुणता के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्टयों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्

भूमि भरण स्थल पर पौधोपण

30. तैयार सथल को हरा–भरा बनाया जाएगा तथा निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा।

(क) स्थानीय रूप में अंगीकृत अखाद्य बारहमासी पौधों का चयन जो सूखे तथा अत्याधिक तापमान के प्रतिरोधी को उगानी अनुमति दी जाएगी।

(ख) उगाए गए पौधे ऐसे होंगे जिनकी जड़े निम्न–पारगम्यता परत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।

(ग) चयन किए गए पौधों में न्यून–पोशक मिट्टी में न्यूनतम पोशक संवर्धन के साथ फलने–फूलने का सामर्थ्य होगा।

(घ) मिट्टी के कटाव को कम से कम करने की दृष्टि से पौधरोपण किया जाएगा।

भूमि भरण स्थल पर कार्य समापन तथा पश्चात्वर्ती देखभाल

31. भूमि भरण स्थल कार्य समाप्ति के पश्चात् कम से कम 15 वर्शो तक उसकी देखभाल की जाएगी तथा लम्बी अवधि तक मानीटर और देखभाल योजना में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :–

(क) सबसे ऊपरी परत को पूर्ण रूप से तथा उसके प्रभावी अनुरक्षण के लिए उसकी मरम्मत करते रहना ओर कटाव या किसी अन्यथा अनुकसान से अनुरक्षण करना।

(ख) अपेक्षानुसार विक्षालन संग्रहण प्रणाली को मॉनीटर करना।

(ग) अपेक्षानुसार भू–जल को मॉनीटर करना तथा भू–जल गुणवत्ता को बनाए रखना।

(घ) मानकों के अनुरूप भूमि भरण गैस संग्रहण प्रणाली का अनुरक्षण करना तथा चलाते रहना।

32. भरे गए भूमि भरण स्थलों के पन्द्रह वर्शो के पश्चात् उपयोग पर मान बस्ती में या अन्यथा प्रयोग किऐ जाने के बारें में यह सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाएगा कि गैस तथा विक्षालन संबंधी विश्लेशण अधिकथित मानकों के अनुसार है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेश उपबंध

33. पर्वतों पर बसे हरों तथा कस्बों में, नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य प्रदूशण बोडै प्रदूशण समिति के अनुमोदन से ठोस अपशिष्टों के अंतिम व्ययन के लिए विकसित की गई स्थानीय विनिर्दिष्ट पद्धतियां अपनाई जाएंगी। नगरपालिका प्राधिकारी जैव निम्नीकरण कार्यनिक अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए संसाधन सुविधाएं स्थापित करेगी। निष्क्रिय तथा जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट सड़कें बनाने या पहाड़ों पर उपर्युक्त क्षेत्रों की भराई करने में प्रयोग किए जाएगें। पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के कारण सड़क पर बिछाने या भराई के लिए उपर्युक्त न पाए गए अपशिष्टों का निपटान विशेश रूप से डिजाइन किए गए भूमि भराई में किया जाएगा।

सीसा (पी.बी. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	0.1	0.1	–
कैडमियम (सी.डी. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	2.0	1.0	–
कुल क्रोमियम (सी.आर. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	2.0	2.0	–
तांबा (सी. यू. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	3.0	3.0	–
जस्ता (जेड. एन. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	5.0	15	–
निकल (एन. आई. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	3.0	3.0	
सायनाइड (सी.एन. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	0.2	2.0	0.2
क्लोराइज (सी. आई. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	1000	1000	600
फ्लोराइड (एफ के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	2.0	15	–
फिनोलिक मिश्रण (सी^{6} एच^5 ओ. के रूप में) मि0 ग्राम / लि0, अधिकतम	1.0	5.0	–

टिप्पण– अंतः भूतल जल में ोधित निछिालनों को बहाते समय, बाहर जाने वाले, निछालनों की मात्रा और इकट्ठा करने वाले जलाशयों में उपलबध विलीन जल की मात्रा पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा।

5. इन्सीनेटर निम्नलिखित प्चालन और उत्सर्जन मानकों को पूरा करेगा :—

क. प्रचालन मानक

(1) कम्बुशन क्षमता (ईसी) कम से कम 99.00: होसगी।

(2) कम्बुशन क्षमता की गणना नीचे दिए अनुसार की जाती है।

$$\text{सीई} = \frac{\%\ \text{सीओ}_2}{\%\ \text{सीओ}_2 + \%\ \text{सीओ}_2} \times 100$$

पैरामीटर	सान्द्रता मि. ग्रा. / एनएम2 (12 % सीओ2करेक्शन)
(1) धूल कण	150
(2) नाइट्रोजन आक्साइड	450
(3) एचसीआई	50

(4) न्यूनतम स्टेक ऊंचाई भूमि से 30 मीटर उपर होनी चाहिए।

(5) राख में वाश्पशील आर्गेनिक मिश्रण 0.01 % से अधिक नहीं होना चाहिए।

पैरामीटर	(मि.ग्रा / कि.ग्रा. ुष्क आधार पर पीएच वैल्यु ओर सीएन अनुपात को छोड़कर) से अनधिक सकेन्द्रण
आर्सेनिक	10.00
कैडमियम	5.00
क्रोनियम	50.00
तांबा	300.00
सीसा	100.00
पारा	0.15
निकल	50.00
जस्ता	1000.00
सी / एन औसत	20—40
पी.एच.	5.5—8.5

ऊपर कथित संकेन्द्र से अनधिक कम्पोस्ट (अंतिम उत्पाद) खाद्य फसलों के लिए उपयोग में नही लाया जाएगा। तथापि, खाद्य फसलों को उगाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा।

4. ोधित निछालन के व्ययन में निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र0सं0	पैरामीटर	मानक (व्ययन के तरीके)		
		अंतर्दीय सतही जल	सार्वजनिक मलनाली	भूमि व्ययन
	निलंबित ठोस, मि0 ग्राम / ली0, अधिकतम	100	600	200
	घुले हुए ठोस (अकार्बनिक) मि0ग्राम / लि0 अधिकतम	2100	2100	2100

पी.एच.मान	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0
अमोनिकल नाइट्रोजल (एन के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	50	50	—
कुल कलेजडाहल, नाइट्रोजन (एन के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	100	—	—
जैव रसायनिक आक्सीजन मांग (27 सै0 पर 3 दिन), अधिकतम नि0 ग्राम/लि0	30	350	100
रसायनिक आक्सीजन मांग, मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	250	—	—
आर्सेनिक (ए. एस. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.2	0.2	0.2
पारा (एस. जी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.01	0.01	—

अपशिष्ट प्रसंस्करण/निपटान सुविधा, जिसे ामिल किया जाना है, का विस्तृत प्रस्ताव (संलग्न करें)

5.2 अपशिष्ट का प्रसंस्करण

(i) स्थल
(xii) अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
(xiii) प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी का विवरण
(xiv) मात्रा
(xv) स्थल की सफाइ (स्थानीय प्राधिकरण द्वारा)
(xvi) नगरपालिका प्राधिकरण और प्रशासन एजेंसी के बीच हुए करार का विवरण।
(xvii) प्रसंस्कृत अपशिष्टों के लिए उपयोगिता कार्यक्रम (उत्पाद उपयोगिता)
(xviii) अपशिष्ट प्रसंस्करण छीजन के लिए निपटान की पद्धति (मात्रा और किस्म)
(xix) पर्यावरण प्रदूशण निवारण और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय
(xx) परियोजना निवेश और प्रतयाशित आय
(xxi) संयंत्र में कार्यरत कर्मकारों के बचाव के लिए किए गए उपाय।

5.3 अपशिष्ट का निपटान

(i) अभिनिर्धारित स्थल का नं0
(ii) स्थल का नक्शा
(iii) प्रतिदिन निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट
(iv) अपशिष्ट को प्रकृति जार संगठन
(v) पद्धति/स्थल चयन के लिए अपनाए गए मानदंडो का विवरण
(vi) प्रचालन के अंतर्गत वर्तमान स्थल का विवरण
(vii) भूमिभरण की पद्धति और प्रचालन का विवरण
(viii) पर्यावरण प्रदूशण को जांच के लिए किए गए उपाय

तारीखः

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

<u>टिप्पणी</u>

(1) विसर्जन सीमा से अधिक यदि आवश्यक हो सीमा प्रापत करने के इनसिनरेटर के साथ उपर्युक्त डिजायन ..... नियंत्रण स्थापित या पुनः फिर किए जाने चाहिए।

(2) इनसिनरेटड अपशिष्ट को किसी क्लोनीनेटिड विसंक्रमक के साथ रसायनिक तरीके से ोधित नहीं किया जाता है।

(3) क्लोरेनेटिड प्लास्टिक को इनसिनरेटड नहीं किया जाना चाहिए।

(4) इनसिनेटड राख से जहरीले तक विनियमित मात्रा में सीमित होने चाहिए जैसे कि समय—समय पर यथासंशोधित संकटपन्न अपशिष्ट (प्रबंन्धन और हथालन) नियम, 1998 में अंतर्गत यथा परिभाशित।

(5) इनसिनेटर व ईधन के रूप में केवल एलडी और एलएसएचएस/डीजल जैसे कम सल्फर ईधन का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्ररूप— I
(नियम 4 (2) और 5 (2) देखिए)
प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा में,
सदस्य सचिव,
....
....

1. नगरपालिका प्राधिकारी का नाम
नगरपालिका प्राधिकारी नियुक्त एजेंसी का नाम

2. पत्राचार का पता

टेलीफोन नं0..................................
फैक्स नं0 ....

3. नोडल अधिकारी और पदनाम (नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्रक्रिया/निपटान सुविधाओं के प्रचालन के लिए जिम्मेदार एजेंसी)

4. किसी प्राधिकार के लिए आवेदन किया है (सही का निशान लगाएं)
(क) अपशिष्ट प्रसंस्करण, सुविधा स्थापित करेगा एवं प्रचालन
(ख) निपटान सुविधा स्थापित करना एवं प्रचालन

5. अपशिष्ट प्रसंस्करण/निपटान सुविधा, जिसे ामिल किया जाना है, का विस्तृत प्रस्ताव (संलग्न करें)

5.3 अपशिष्ट का प्रसंस्करण

(i) स्थल
(ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
(iii) प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी का विवरण
(iv) मात्रा
(v) स्थल की सफाइ (स्थानीय प्राधिकरण द्वारा)
(vi) नगरपालिका प्राधिकरण और प्रशासन एजेंसी के बीच हुए करार का विवरण।

प्ररूप– III
(नियम 6 (3) देखें)
प्राधिकार जारी करने का फार्म

सेवा में,

.... फाईल सं0.........................

.... तारीख................................

संदर्भ : आपका दिनांक .... का अवेदन सं0........................ ।

महोदय,

.... राज्य प्रदुशण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूशण नियंत्रण समिति प्रस्ताव की जांच के बाद ... . को उनके .... प्रशासनिक कार्यालय को .... में अपशिश्अ प्रक्रिया / अपशिष्ट निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए इस प्राधिकार पत्र के साथ संलग्न र्तो (अनुपालन के मानकों सहित) पर .... को प्राधिकृत करता है।

(1) यह प्राधिकार .... तक वैद्य रहेगा। बैद्यता का तारीख समाप्त होने के बाद इसक पुनः नवीकरण प्राप्त करना होगा। (2) .... राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूशण नियंत्रण समिति, किसी भी समय, कोई र्त प्रति संहरण करने के लिए लगा सकती है जिसकी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (1986 का 26) के दण्डिक उपबंध लागू होगें।

भवदीय,

सदस्य सचिव,
राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड /
प्रदूशण नियंत्रण समिति।

4. क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कोई प्रसताव दिया गया है

————————————————————————————————

————————————————————————————————

————————————————————————————————

5. क्या प्राइवेट फर्मो इत्यादि को नीचे दी गई जैसी अपशिष्ट को संसाधन द्वारा उपयोगी बनाने की तकनीक को आजमाने के लिए आमंत्रित करने के कोई प्रचास किए गए हैं:

	अपशिष्ट को उपयोग बनाने की तकनीक	प्रस्ताव	किए गए उपाय (वह मात्रा जिसका प्रसंस्करण किया जाता हैं)
v.	कचरा खाद बनाना	:	
vi.	कृमि समूह वंर्धन	:	
vii.	गटिकाकरण	:	
viii.	अन्य, यदि कोई हो, कृपया विनिर्दिष्ट करें।	–	

6. निम्नलिखित अस्वास्थ्यकार संक्रियाओं को रोकने के लिए कौन से प्रावधान उपलब्ध हैं और इन्हें कैसे लागू किया जाता है :

(v) दुग्धशालाओं से संबंधित क्रियाकलाप :

(vi) बूचड़खाने और जानवरों का अप्राधिकृत वध :

(vii) मलवा (भवन संबंधी मलवा) उठाना :

(viii) पार्को, फुटपाथ आदि पर अतिक्रमण :

7. कितनी मलिन बस्तियों की पहन की गई है और क्या इनमें स्वच्छता संबंधी सविधाए उपलब्ध करवाई गई है।

8. क्या दांडिक कार्रवाई के लिए नगरपालिका मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं : हां नहीं
{यदि हां, तो पिछले तीन वर्शो के दौरान कितने मामलें रजिस्ट्रीकृत किए गए और उनका निपटान किया गया (वर्शवार ब्यौरे दें)}

9. अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन
   (v) निगम के नियंत्रणाधीन कितने अस्पताल/क्लीनिक है।
   (vi) जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट के व्ययन के लिए कौन सी रीतियां अपनाई जाती है?
   (vii) क्या जैव–चिकित्सीय अपशिश्टों के व्ययन के लिए सामूहिक ेधन सुविधा स्थापित करने के लिए आपका कोई प्रस्ताव है?
   (viii) हर/नगर में कितने प्राईवेट नर्सिग होम, क्लीनिक आदि चल रहे है और उनके अपशिष्ट के व्ययन पर निगरानी के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नगर पालिका आयुक्त के हस्ताक्षर

तारीख :

प्ररूप–IV
(नियम 8 (1) देखिए)

राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड समितियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली वार्शिक पुर्नविलोकन रिर्पोट का प्रारूप ।

सेवा में,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड,
(पर्यावरण और वन मंत्रालय)
भारत सरकार,
'परिवेश भवनऊ ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली–1100032

1. राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र का नाम
2. राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति का नाम और पता
3. इन नियमों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नगर विशेश अपशिष्टों के प्रबंनधन के लिए उत्तरदायी नगरपालिका प्राधिकारियों की संख्या

4.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची–I {नियम 4(3)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध I के रूप में संलग्न करें।
5.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची– II {नियम 6(1)और (3), नियम 7(2)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध II के रूप में संलग्न करें।
6.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची–III {नियम 6(1) और (3), नियम 7 (2)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध III के रूप में संलग्न करें।
7.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची–IV {नियम 6(1) और (3) नियम 7 (2)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध IV के रूप में संलग्न करें।

तारीख :

स्थान :

अध्यक्ष या सदस्य सचिव,
राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूशण नियंत्रण समिति,

रजिस्ट्री सं0 डी0एल–33001/99 REGD. No. D.L. 33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazettee of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।–खण्ड–3–उपखण्ड (ii)

Part II-Section 3-Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 648 नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर, 3, 2000/आश्विन 11, 1922

No. 648 New Delhi, Tuesday, October 3, 2000/Asvina 11, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

का.आ. 908 (अ).– नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 783 तारीख 27 सितम्बर, 1999 उसी तारीख के भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, ऐसे व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से साठा दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले अक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 5 अक्तूबर, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम ओर प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 है।
   (2) जैसा इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाए ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू प्रवृत्त होगें।
2. लागू होना– ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण परिवहन, प्रसंस्करण तथा व्ययन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक नगरपालिका प्राधिकारी को लागू होगें।
3. परिभाशाएं– इन नियमों के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i)
का माइक्रोवायिल नियोजन अंतर्वलित हैः

(ii) ''प्राधिकार'' से ''सुविधा के प्रचालक'' को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है;

(iii) ''जैव निम्नकरणीय पदार्थ'' से यह पदार्थ अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है;

(iv) 'जैविक मीथेनीकरण'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो मिथेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ एनजाईमी विघटन करती हैं;

(v) ''संग्रहण'' से संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाना अभिप्रेत है;

(vi) ''कचरा खाद बनाने'' से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अंतर्वलित है;

(vii) ''ढहाने तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट'' से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने संबंध संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलवे से उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(viii) ''व्ययन'' से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को संदूशण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अंतिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है;

(ix) ''प्ररूप'' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(x) ''अपशिष्टों के उत्पादक'' से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है;

(xi) ''भूमिभरण'' से भूजल, सतह जल का प्रदूशण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़नेवाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों को खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजायन की गई सुविधा में अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटान अभिप्रेत है;

(xii) ''निाातिलक'' से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिवास हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्शण किया है;

(xiii) ''लाइसोमीटर'' से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उस में से जल की गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेशक के लिए अन्तःस्त्राव जल के एकत्रण के लिए किया जाता है;

(xiv) ''नगरपालिक प्राधिकारी'' से म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, म्यूनिसिपेलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगरपंचायत, नगरपालिक परिसर जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एन.ए.सी) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है;

(xv) ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किंतु उपचारिकत जैच चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;

(xvi) ''प्रसुविधा के प्रचालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, प्रथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, और निपटान की प्रसविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अभिकरण भी आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है;

(xvii) ''गुटिकाकरण'' से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाएं तैयार की जाती है जो ठोस अपशिष्टों से तैयार की गई लघु क्यूब या बेलनाकार टुकड़ों में होगें और इसके अन्तर्गत ईधन गुटिकाएं भी आती है जिसे कचरे से प्राप्त ईधन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है;

(xviii) ''प्रसंस्करण'' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नए या पुनःचक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है;

(xix) ''पुनःचक्रण'' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रथक्करण सामग्रियों के कचरा खाद में परिवर्तन करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है;

(xx) ''अनुसूची'' से इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(xxi) ''पृथक्करण'' से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गो में अलग–अलग करना अभिप्रेत है;

(xxii) ''राज्य बों या समिति'' से, यथास्थिति, किसी राज्य का राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या संघराज्य क्षेत्र की प्रदूशण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है;

(xxiii) ''भंडारण'' से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रू से इस प्रकार डिब्बा बंद कियाजाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट बिखेरने, रोगवाहकों के आकर्शित करने, आवारा पुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सकें;

(xxiv) ''परिवहन'' से विशेश रूप से डिजालन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा करकट बिखेरने, रोगवाहकों की पहुंच को रोका जा सकें;

(xxv) ''अधिभौम जल'' से वह जल अभिप्रेत है, जो भू सतह तथा भौम जल स्तर के माध्यम अर्थात्, असंतृप्त क्षेत्र से होता है;

(xxvi) ''कृशि कचरा खाद बनाना'' जैव निम्नकरणी अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केचुओं को उपयाग में लाने की प्रक्रिया है;

4. नगरपालिका प्राधिकारी का दायित्वः–

(1) प्रत्येक नगरपालिक प्राधिकारी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन तथा नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, प्रथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण, और व्ययन के लिए किसी भी अवसरंचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी होगां

(2) नगरपालिका प्राधिकारी या किसी सुविधा प्रचालक, अनुसूची 1 में अधिकथित कार्यान्वयन कार्यक्रम की अनुपालना की दृष्टि से राज्य बोर्ड या समिति से, अपशिष्टों के प्रसंस्करण और व्ययन प्रसुविधा की, जिसके अन्तर्गत भूमि भरण भी है, स्थापना के लिए प्राधिकार मंजूर करने के लिए प्ररूप–1 में आवेदन करेगा।

(3) नगरपालिका प्राधिकारी, अनुसूची–1 में अधिकथित कार्यान्वयन सूची के अनुसार इन नियमों का पालन करेंगे।

(4) नगरपालिका प्राधिकारी, अपनी वार्शिक रिपोर्टक को प्ररूप–2 में,

(क) किसी महानगर की दशा में, यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के हरी विकास विीाग के प्रभारी सचिव को; या

(ख) सभी नगरों या हरों की दशा में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपयुक्त को,

प्रतिवर्श 30 जून को या उसके पूर्व राज्य बोर्ड या समिति को प्रति के साथ भेजेगा।

5. राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का दायित्व :–

(1) यथास्थितिस, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के हरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव का महानगरों में इन नियमों के उपबंधाों के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
(2) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त का उनकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

6. केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड और राज्य बोर्ड या समितियों का दायित्व :–
(1) राज्य बोर्ड या समिति, भू–जल परिवेशरी वायु, निक्षालन गुणता तथा कचरा खाद्य गुणता से संबंधित मानकों का मानीटरन और अनुपालन करेगा जिसके अन्तर्गत अनुसूची ii, iii, और iv में विनिर्दिष्ट भस्मीकरण मानक भी है।
(2) राज्य बोर्ड या समिति, यथास्थिति, अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा जिसके अन्तर्गत भूमिभरणभ है, स्थापित करने हेतु प्राधिकार देने के लिए नगरपालिक प्राधिकारी या सुविधा के प्रचालक से प्ररूप–1 में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव की जांच करेगा तथा ऐसा प्राधिकार जारी करने से पूर्व अन्य एजेंसियों जैसे राज्य हरी .... एजेन्सी के दृष्टिकोण पर भी विचार करेगा।
(3) राज्य बोर्ड या समिति, अनुसूची–2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट अनुपालना मानदंड और मानक, जिसके अन्तर्गत ऐसी अन्य र्त भी है, जो आवश्यक हो, का अनुबद्ध करते हुए पैतालीस दिवस के भीतर नगरपालिका प्राधिकारी या सुविधा के किसी प्रचालक को प्ररूप–3 में प्राधिकार जारी करेगा।
(4) प्राधिकार दी गई अवधि के लिए विधिमान्य होगा और विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के पश्चात् नया प्राधिकार अपेक्षित होगा।
(5) केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, मानकों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के कार्यान्वयन ओर पुनविलोकन तथा मानीटरन डाटा के संकलन के विशिष्ट निर्देश के साथ राज्य बोर्डो और समितियों के समन्वय करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन :–
(1) किसी हर या नगर में उत्पन्न किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट या प्रबंधन तथा हथालन अनुसूची–2 में अधिकथित मापदण्डों और प्रक्रियाओं के अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
(2) नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा या सुविधा के प्रचालक द्वारा स्थापित अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाएं अनुसूची iii और iv में दिए गए विनिर्देशों तथा मानकों को पूरा करेगी।

8. वार्शिक रिपोर्ट
(1) राज्य बोर्ड और समिति प्ररूप iv में प्रतिवर्श 15 सितम्बर को या उससे पहले इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में वार्शिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।
(2) केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर समेकित वार्शिक पुनरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अपनी सिफारिशों सहित प्रति वर्श 15 दिसम्बर से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

9. दुर्घटना की सूचना देना :–
किसी नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, प्रथक्करण, भंडारण, प्रसंस्करण, उपचार ोधन तथा व्ययन, सुविधा या भूमिभरण स्थल अथवा अपशिष्टों के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होने पर नगरपालिका प्राधिकारी, प्ररूप–5 में दुर्घटना की सूचना महानगर की दशा में सचिव प्रभारी, हरी विकास विभगा और अन्यसभी मामलों में जिला कलैक्टर या उपयुक्त को भेजेगा।

अनुसूची–1
(नियम 4 (2) और 4 (3) देखिए)

कार्यान्वयन सूची

क्रमांक	अनुपालन के मानदण्ड	अनुसूची
1.	अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाएं स्थापित करना	31.12.2003 तक अथवा उससे पूर्व
2.	अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निपटान सुविधाओं के निष्पादन की निगरानी करना	6 माह में एक बार
3.	इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मौजूदा भूमि भरण स्थलों का सुधार किया जाना	31.12.2001 तक अथवा उससे पूर्व
4.	भावी प्रयोग के लिए भूमि भरण स्थलों की पहचान करना तथा प्रचालन के लिए स्थल (स्थलों) को तैयार करना।	31.12.2002 तक अथवा उससे पूर्व

अनुसूची 2
(नियम 6 (1) और (3), 7 (1) देखिए)
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

क्रम संख्या	पैरामीटर	अनुपालनीय मानदण्ड
1.	नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	1. हरों और नगरों तथा सरकार द्वारा अधिसूची हरी क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों का कूड़ा–करकट फैलाना प्रतिशिद्ध होगा। कूड़ा–करकट फैलाने को प्रतिशिद्ध करने और अनुपालन सुकर करने के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाएगें, अर्थात :– (xvii) सामुदायिक कूड़ेकदान द्वारा संग्रहण, (मध्यस्थित कूड़ादान) घर–घर जाकर संग्रहण, ध्वनि युक्त वाहनों की घंटी बजाकर (अनुज्ञेय ध्वनि स्तरों से अधिक ध्वनि किए बिना) पूर्व सूचित नियमित समयों और समय सारणाी के अनुसार जैसे किन्ही ढंगों में से किसी को अपनाकर घर–घर जाकर कूड़ा–कचरा संग्रहण करना। (xviii) होटलों/रेस्ताराओं/कार्यालय परिसरों तथा वार्णिज्यक क्षेत्रों समेत झुग्गी–झोपड़ी तथा इधर–उधर फैले क्षेत्रों2बस्तियों से अपशिष्ट संग्रहण करना। (xix) बूचड़खानों, मांस ओर मछली बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का, जो जैव निम्नकरणीय प्रकृति का होता है, प्रबंधन इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाया जा सकें, (xx) जैव–चिकित्सीय अपशिष्टों तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों के साथ नहीं मिलाया जाएगा ओर ऐसे अपशिष्टों का

		संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जाएगा। (xxi) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहीत अपशिष्ट को हाथ से खीची जाने वाली ठेला गाड़ियों द्वारा सामुदायिक कूड़ाघरों में डाला जाएगा। (xxii) बागबानी और निर्माण/ढहाए गए कार्यो से उद्भूत अपशिष्टों/मलवे को अलग–अलग संगृहीत किया जायेगा और समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा इसी प्रकार दुग्ध डेरियों से उत्पन्न अपशिष्ट को राज्य विधियों के अनुसार विनियमित किया जायेगा। (xxiii) अपशिष्ट (कूड़ा–करकट, सूखी, पत्तियां) को जलाया नहीं जायेगा। (xxiv) आवारा पुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा हर/नगर में किसी अन्य स्थान के आसपास नहीं घूमने दिया जायेगा तथा राज्य विधियों के अनुसार उनका प्रबंध किया जायेगा। 2. नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्ट संग्रहण अनुसूची को और जनहित के लिए अपनाई जानी वाली पद्धति को अधिसूचित करेगा। 3. अपशिष्ट उत्पादकों की यह जिम्मेदारी होती कि वे कूड़ा–करकट न और इस अनुसूची के पैरा 1 (2) के अनुसार नगर पालिका प्राधिकारी अधिसूचित किये जाने वाली संग्रहण और पृथक्करण प्रणाली के अनुसार अपशिष्ट के परिदान को सुनिश्चित करें।
2.	नगरीय इसे अपशिष्टों का पृथक्करण	नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए जनजागरण कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा ऐसे पृथक् की गई सामग्रियों के पुनर्चक्रण/पुनः प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा नगर पालिका प्राधिकारीय एक चरणबद्ध कार्यक्रम चलायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि समुदाय को अपशिष्ट पृथक्करण में ामिल किया गया है। इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों और गेर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही नियमित बैठकें आयोजित की जाएगी।
3.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का भंडारण	नगरपालिका प्राधिकारी भंडारण सुपिवधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे कि इसके आस–पास आस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हों। भंडारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा।

i. निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादन की मात्र और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भंडारण सुविधाओं का सृजन ओर स्थापना की जाएगाी भंडारण सुविधा ऐसे स्थान पर रखी जाएगी जहां प्रयोक्ता पहुंच सकें।

ii. नगरपालिका प्राधिकारियों अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली भंडारण सुविधा का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि इक्कठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो और जो सौन्दर्यपरक रूप से प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो तथा उसे अपना सा लगें।

iii. भंडारण सुविधा अथवा कूड़ेदान अपशिष्टों के हथालन, निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजाइन का होगा। जैव–निम्नीकरण अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदान हरे, पुनःचक्रणयोग्य अपशिष्टों के लिए कूड़ेदान सफेद और अन्य अपशिष्टों के भंडारण केलिए कूड़ेदान काले पेंट किए जाएंगे।

iv. अपशिष्टों का मानव द्वारा उठाई धराई किया जाना प्रतिशिद्ध होगा यदि किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार की सुरक्षा को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए समुचित पूर्वानिधानियों के अधीन मानव द्वारा उठाई धराई की जाएगी।

4.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का परिवहन	अपशिष्टों का परिवहन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन ऊपर से ढके होगें। अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई और न ही उसे खुले रूप से इधर उधर बिखरने दिया जाएगा तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदंडो को अपनाया जाएगां :— 1. नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा स्थापित भंडारण सुविधओं से प्रतिदिन कूड़ा–कचरा साफ किया जाएगा। कूड़ेदान या आधानों की, जहां भी रखे गऐ हों, उनके ऊपर से कूड़ा करकट निकलने से पूर्व साफ किए जाएंगे। 2. परिवहन वाहनों का डिजाइन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अंतिम व्ययन करने के पूर्व बार–बार की जाने वाली उठाई–धराई से बचा जा सकें।
5.	नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण	नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्टों को उपयोग बनाने के लिए समुचित तकनीक अथवा ऐसी विधिक तकनीकों को अपनाएगा जिससे कि भूमिभरण पर भार

कम किया जा सकें तथा इसके लिए निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगाः—

1. जैवनिम्नीकरण अपशिष्ट, अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिए कंपोस्टिंग, वार्मिकम्पोस्टिंग, बात निरपेक्ष पाचन अथवा अन्य किसी उपयुक्त जैविक संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्पोस्ट या किसी अन्य तैयार उत्पादों का अनुसूची—4 में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।
2. पुनः प्राप्य संसाधनों वाले मिश्र अपशिष्ट के लिए रीसायकलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिए इनसीनरेशन के साथ अथवा उसके बिना ऊर्जा वसूली के पोलिटाइनेंशन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। नगरपालिका प्राधिकारी/सुविधा प्रचालक यदि नवीनतम प्रौद्योगिक का प्रयोग करना चाहते है तो उन्हें प्राधिकार की मंजूरी के आवेदन से पूर्व केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड से निर्धारित मानक प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करना चाहिए।
3. पुनः उपयोग में लाई जाने वाली समाग्री से युक्त किया जाएगा।

6. भूमिभरण में, जैव अनिम्नीकरण निष्क्रिय अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनर्चक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है, निर्बधिंत रखा जाएगा। भूमिभरण, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अपशिष्ट और साथ ही अपशिष्ट संसाधन सुविधओं से प्रसंस्करण—पूर्व छोड़े गई अपशिष्ट से भी किया जाएगा। मिश्रित अपशिष्ट से भूमिभरण करने से तब तक बचा जाएगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त न पाया जायं। अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा वैकल्पिक सुविधाए स्थापित किए जाने तक भूमिभरण निम्नलिखित समुचित मानकों के अनुसार किया जाएगां भूमिभरण के लिए निम्नलिखित मानदंडो को अपनाया जाएगां

भूमिभरण स्थल अनुसूची—3 में दिये गऐ विनिर्देशों के अनुरूप होगें।

अनुसूची–3
{ नियम 6(1) और (3), 7 (2) देखिए}
भूमि–भरण स्थलों के लिए विनिर्देश

स्थल चयन

1. विकास प्राधिकरणों' के क्षेत्राधिकारी में आने वाले क्षेत्रों में भूमि भरण का अभिनिर्धारण करना और इन स्थलों के विकास प्रचालन एवं रख–रखाव के लिए इन्हें संबंधित नगरपालिका प्राधिकारियों को सौपने का दायित्व विकास प्राधिकरणों का है। अन्यत्र यह दायित्व संबंधित नगरपालिका प्राधिकारियों का हैं।
2. भूमिभरण स्थलों का चुनाव पर्यावरणी मामलों की जांच पर आधारित होगा। राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के हरी विकास विभाग जरूरी अनुमोदन/मंजूरियां प्रापत करने के लिए संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करेगा।
3. भूमि भरण स्थल की योजना और डिजाइन चरणबद्ध निर्माण योजना तथा बंद करने की योजना के उपयुक्त प्रलेखन के साथ बनाई तजायेगी।
4. भूमि भरण स्थलों का चयन नजदीकी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा (वेस्ट्स प्रोसैसिंग फैसिलिटी) का उपयोग करने के लिए किया जाएगा। अन्यथा, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा योजना भूमि भरण स्थल के अभिन्न भाग के रूप में होगी।
5. वर्तमान भूमि भरण स्थलों में का जो पांच वर्शो से अधिक समय में भरे जाने है इस अनुसूची के दिए गए इन विनिर्देशों के अनुसार सुधार किया जाएगा।
6. जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का व्ययन जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के अनुसार किया जाएगा। परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन समय–समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के अनुसार किया जाएगा।
7. भूमि भरण स्थल का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका 20–25 वर्शो तक प्रयोग किया जा सकें।
8. भूमि–भरण स्थल आवासी बस्ती, वन क्षेत्रों, जलाशयों, स्मारकों, राष्ट्रीय पार्को नम भूमि तथा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर स्थित होगा।
9. भूमिभरण स्थल के चारों तरफ एक बफरजोन बनाये रखा जाएगा जिसे ओर विकसित नहीं किया जाएगा और इसे नगर आयोजना विभाग की भूमि उपयोग योजनाओं में ामिल किया जाएगा।
10. भूमिभरण स्थल विमानपत्तन से, जिसमें हवाई अड्डा भी सम्मिलित है, दूर होगें। भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व नगरपालिका प्राधिकारी, विमानपत्तन या हवाई अड्डा प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

स्थल पर सुविधाएः

11. भूमिभरण स्थल के चारों और कांटेदार तार की बाड़/झाड़िया लगाई जाएगी ओर एक समुचित द्वार का प्रबंध किया जाएगा ताकि वहां आने वाले वाहनां अथवा अन्य परिवहन साधनों को मानीटर किया जा सके।
12. भूमिभरण स्थल पूर्ण संरक्षित होगें जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्ति और आवारा पु उनमें प्रवेश न कर सकें।
13. भूमिभरण स्थल पर वाहनों तथा अन्य मशीनरी के असानी से अवागमन के लिए वहां पहुंच मार्ग तथा अन्य आंतरिक मार्ग उपलब्ध होंगें।
14. भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्टों को मानीटर करने के लिए अपशिष्टों के निरीक्षण सुविधा, अभिलेख रखने के लिए कार्यालय सुविधा तथा उपस्करों और मशीनरी को जिसमें प्रदूशण मानीटर करने वाले उपस्कर भी सम्मिलित है, रखने के लिए आश्रय–स्थल भी होगा।

15. भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्ट की मात्रा का वजन करने के लिए तुला (वे–ब्रिज), अग्नि–सुरक्षा उपकरण तथा अन्य यथा अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।
16. पीने के पानी (विशेशकर कर्मकारों के लिए नहाने की सुविधाएं) तथा जब रात के समय भूमिभरण का कार्य किया जाता है तो कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए प्रकाश आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
17. भरण स्थलों पर सावधिक सुरक्षा प्रावधानों के जिसमें कर्मकारों के स्वास्थ्य निरीक्षण भी सम्मिलित है, व्यवस्था की जाएगा।

भूमिभरण के लिए विनिर्देश

18. भूमिभरण के लिए नियत अपशिष्टों को भूमिभरण कम्पैक्टस का प्रयोग करते हुए अपशिष्टों के उच्च घनत्व को प्राप्त करने के लिए पतली–पतली परतों में भराव किया जाएगा। अधिक वर्शो वाले क्षेत्रों, जहां भारी कम्पेक्टरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएंगे।
19. अपशिष्टों को तत्काल अथवा प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में 10 से0मी0 तक मिट्टी, अवस्थित, मलने या निर्माण सामग्री से ढक दिया जाएगा जब तक कि अनुसूची 1 के अनुसार, कंपोस्टिंग, पुनः चक्रण या ऊर्जा वसूली के लिए समयबद्ध अपशिष्ट सुविधाए स्थापित नहीं कर दी जाती।
20. मानसून ऋतु आरंभ होने से पूर्व भरण स्थल पर 40–65 से0मी0 मिट्टी मोटाई वाला अन्तर्वर्ती आवरण अच्छी तरह घुटाई तथा ग्रेडिग करके बिछा दिया जाएगा ताकि मानसून के दौरान वर्शो के पानी के रिसाव को रोका जा सकें। भरण स्थल के ऐसे भाग से, जहां भराई कार्य चल राह है, पानी के बहाव को मोड़ने के लिए समुचित नाली पटरियों का निर्माण किया जाएगा।
21. भूमिभरण का कार्य पूरा होने के पश्चात, उसे अन्तिम रूप से इस प्रकार ढका जाएगा, ताकि मिट्टी में पानी का रिसाव और उसका कटाव कम से कम हो। अन्तिम रूप से ढका जाना निम्नलिखित विनिदेशों। के अनुसार होगा;
    (क) इसे अवरोधक मिट्टी की एक परत से, जिसमें 1 X 10 से0मी0/प्रति सेकिडं से कम की पारागम्यता वाली 60 से0मी0 मोटी चिकनी मिट्टी/शोधित मिट्टीर होगी, अंतिम रूप से ढका जाएगा।
    (ख) अवरोधक मिट्टी की परत के ऊपर 15 से0मी0 मीटी एक निकास परत होगी।
    (ग) निकास परत के ऊपर 45 से0मी0 मोटी एक वानस्पतिक परत होगी जो प्रकृति जन्य पादपों के पनपने में सहायता करेगी जिससे भूमि का कटाव कम से कम होगा।

प्रदूशण निवारण

22. भूमिभरण संक्रियाओं से होने वाले प्रदूशण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए जाएगें;
    (क) विक्षालनों की उत्पत्ति को कम से कम करने तथा सतही जल करने के प्रदूशण को रोकने औा साथ ही साथ बाढ़ और दलदली स्थितियों से बचने के लिए तूफानी जल नालियों का मोडा जाना।
    (ख) अपशिष्ट व्ययन क्षेत्र के आधार तथा दीवारों पर अपरागम्य लाइनिंग की प्रणाली की सन्निर्माण ऐसे अपशिष्टों प्रसंस्करण सुविधाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिष्टों अथवा उत्पादक ओर कीटनाशक इत्यादि हो), भरे के लिए प्रयुक्त होने वाले भरण स्थल के मामलें में न्यूनतम लाइनिंग विनिर्देश

एक ऐसी संग्रसित अदरोधक होगी जो 1.5 मि0मी0 उच्च घनत्व वालती पोलीथिलीन (एच डी पी ई) कठोर परत (जियोमेम्बरेन) (अथवा समतुल्य) हो और यह 90 से0मी0 मिट्टी (चिकनी/शोधित मिट्टी ऊपर परत के ऊपर होगी तथा इसी पारगम्यत 1 X 10^7 से0मी0 प्रति सैकंड से अधिक नहीं होगी तालिका को अधिकतम स्तर चिकनी/शोधित मिट्टी की अवरोधक परत के आधार पर कम से कम 2 मीटर नीचे होगा।

(ग) क्षलन संग्रहण और ोधन प्रबन्धन के लिए उपबंध/शोधित विक्षालन अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट मानक अनुसार होगें।

(घ) भूमिभरण क्षेत्र से होने वाले बहाव को किसी झरने, नदी झील अथवा तालाब में जाने से रोकना।

जल गुणवत्ता को मानीटर करना

23. किसी भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व क्षेत्र में भूमिगत जल गुणवत्ता के आधार आकड़े–एकत्र जाए और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए अभिलेख पर रखा जाएगा। भूमि भरण स्थल की परिधि के 50 मीटर अंदर भूमिगत जल गुणवत्ता की सावधिक रूप से मानीटरी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि भूमि जल बोर्ड/राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार भूमिगत स्वीकार्य सीमा से अधिक संदूशित न हो।

24. किसी भी प्रयोजन (पेय, सिचाई आदि सहित) भूमि भराई स्थलों तथा उनके चारों–ओर भूमिगत जल के प्रयोग पर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाए। मानीटरी प्रयोजन के लिए पेयजल गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित विनिर्देश लागू होगें, अर्थात्:–

क्रम सं0	पैरामीटर	भा0मा0 10500 : 1991 वांछनीय सीमा (मिग्रा/लि0 पीएच को छोड़कर।
1	आर्सेनिक	0.05
2	केडमियम	0.01
3	क्रोमियम	0.05
4	तांबा	0.05
5	साइनाइड	0.05
6	सीसा	0.05
8	पारा	0.001
7	निकिल	–
8	एनओ$_3$ के रूप में नाइट्रेट	45.0
9	पी एच	6.5 – 8.5
10	लौह	0.3
11	कुल कठोरता (सीएसीओ3 के रूप में)	300.00
12	क्लोराइड	250
13	विलीन ठोस	500
14	फिनोलिक मिश्रण (सी$_6$ एच$_3$ ओ एच के रूप में)	0.001
15	जस्ता	5.0

16 सल्फेट (एस ओ$_4$ के रूप में) 200

परिवी वायु गुणवत्ता को मानीटर करना

25. भूमिभरण स्थल पर गैस संग्रहण प्रणाली सहित भूमि भरण गैस नियन्त्रण प्रणाली की स्थापना की जाएगी जिससे की दुर्गन्ध को कम से कम किया जा सके तथा गैसों के अपस्थलीय फैलने को रोकने और भरी गई भूमि में उगाई गई वनस्पतियों को बचाया जा सकें।
26. भूमि–भरण स्थलों से निकलने वाली मीथेन गैस का सान्द्रण न्यूनतम विस्फोटक सीमा (एल.ई.एल.) 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
27. भूमि भरण स्थल पर संग्रहण सुविधा से प्राप्त भूमि भरण गैस का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार या तो सीधा तापीय उपयोजन या विद्युत उत्पादन में किया जाएगा। अन्यथा, भूमि भरणगैस को जला दिया जाएगा ओर सीधे वायुमण्डल में या अवैध रूप से निकासी के लिए नही छोड़ा जाएगा। यदि इसका उपयेाग और फ्लेरिंग संभव न हो तो पैसिव वेंटिंग की अनुमति दी जाएगी।
28. भूमि भरण सथल और उसके आस–पास परिवेशी वायु की गुणवत्ता को निम्नलिखित विहित मानकों के अनुसार मॉनीटर किया जाएगा।

क्रम सं0	पैरामीटर	स्वीकार्य स्तर
(i)	सल्फर डाइआक्साइड	120 माइक्रोग्राम/एम3 (24 घंटे)
(ii)	निलंबित कण पदार्थ	500 माइक्रोग्राम/एम3 (24 घंटे)
(iii)	मीथेन	न्यूनतम विस्फोटक सीमा के 25ः से अधिक नहीं (650 मि.ग्रा/एम3 के समतुल्य)
(iv)	अमोनिया	
(v)	दैनिक औसत (नमूना अवधि 24 घंटे)	0.4 मि.ग्रा/एम3 (400 यू. जी./एम3)
(vi)	कार्बन मोनोक्साइड	1 धंटे का औसत : 2 मि.ग्रा/एम^3 8 घंटे का औसत : 1 मि.ग्राम/एम^3

29. परिवों वायु गुणवत्ता को संबंधित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित नियम समय के अनुसार मानीटर किया जाएगा।
    (क) 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हरों में एक वर्श में छः बार।
    (ख) 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले हरों में एक वर्श में चार बार।
    (ग) एक लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले हरों में एक वर्श दो बार।

(ख) अपशिष्ट व्ययन क्षेत्र के आधार तथा दीवारों पर अपरागम्य लाइनिंग की प्रणाली का सन्निर्माण ऐसे अपशिष्टों प्रसंस्करण सुविधाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिष्ट अथवा उत्पादक ओर कीटनाशक इत्यादि हो), भरे के लिए प्रयुक्त होने वाले भरण स्थल के मामलें में न्यूनतम लाइनिंग. विनिर्देश एक ऐसी संग्रसित अदरोधक होगी जो 1.5 मि0मी0 उच्च घनत्व वालती पोलीथिलीन (एच. डी.पी.ई) कठोर परत (जियोमेम्बरेन) (अथवा समतुल्य) हो और यह 90 से0मी0 मिट्टी (चिकनी/शोधित मिट्टी ऊपर परत के ऊपर होगी तथा इसी पारगम्म्यत 1 X 10^7 से0मी0 प्रति सैकंड से अधिक नहीं होगी तालिका को अधिकतम स्तर चिकनी/शोधित मिट्टी की अवरोधक परत के आधार पर कम से कम 2 मीटर नीचे होगा।

(ग) क्षलन संग्रहण और ेधन प्रबन्धन के लिए उपबंध/शोधित विक्षालन अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट मानक अनुसार होगें।

(घ) भूमिभरण क्षेत्र से होने वाले बहाव को किसी झरने, नदी झील अथवा तालाब में जाने से रोकना।

जल गुणवत्ता को मानीटर करना

23. किसी भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व क्षेत्र में भूमिगत जल गुणवत्ता के आधार आकड़े–एकत्र जाए और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए अभिलेख पर रखा जाएगा। भूमि भरण स्थल की परिधि के 50 मीटर अंदर भूमिगत जल गुणवत्ता की सावधिक रूप से मानीटरी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि भूमि जल बोर्ड/राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार भूमिगत स्वीकार्य सीमा से अधिक संदूशित न हो।

24. किसी भी प्रयोजन (पेय, सिचाई आदि सहित) भूमि भराई स्थलों तथा उनके चारों–ओर भूमिगत जल के प्रयोग पर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाए। मानीटरी प्रयोजन के लिए पेयजल गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित विनिर्देश लागू होगें, अर्थात्:–

क्रम सं0	पैरामीटर	भा0मा0 10500 : 1991 वांछनीय सीमा (मिग्रा/लि0 पीएच को छोड़कर।
1	आर्सेनिक	0.05
2	केडमियम	0.01
3	क्रोमियम	0.05
4	तांबा	0.05
5	साइनाइड	0.05
6	सीसा	0.05
7	पारा	0.001
8	निकिल	–
9	एनओ$_3$ के रूप में नाइट्रेट	45.0
1	पी एच	6.5 – 8.5
11	लौह	0.3

अनुसूची–4
(नियम–6(1) और (3), नियम 7 (2) देखें)

1. अपशिष्ट प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं में कचरा खाद, भष्मीकरण, गुटिकाकरण, ऊर्जा प्रतिलाभ या ऐसी अन्य सुविधाएं केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित अपेक्षित समुचित प्रोद्योगिकी पर आधारित होगी।
2. नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा निजी एजेंसी के नियक्ति के मामलें में, नगरपालिका प्राधिकार और प्राइवेट एजेंसी के बीच एक विशेश रूप से ठोस अपशिष्ट के प्रदाय और अन्य संबंधित र्तो और निबंधनों पर विनिर्दिष्ट करार किया जाएगा।
3. कम्पोस्ट संयंत्र और अन्य प्रसंस्करण सुविधाओं से होने वाले प्रदूशण समस्याओं के निवारण के लिए निम्नलिखित का पालन करना होगा, अर्थात् :–

i- स्थल पर पहूंचने वाले अपशिष्टों को आगे प्रसंस्करण से पूर्व भलीभांति रख रखाव किया जाना चाहिए। जहां तक हो सके अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र ढका हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा भंडारण खुले में किया गया हो तो निक्षालन ेधन और निपटान सुविधा तक पहुंचाने वाले पंक्तिबद्ध नालों के निक्षालन/सतही जल अपवाह को इकट्ठा करने की सुविधा के साथ अपरागम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

ii- गंध, कीड़े, मकोड़े कृन्तक पक्षी के खतरे और आग के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जानी चाहिए।

iii- संयंत्र के ब्रेक डाउन/रखरखाव के मामलें में अपशिष्ट अन्तर्ग्राही को बन्द कर दिया जाना चाहिए और अपशिष्ट को भूमिभरण की ओर दिशा परिवर्तन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iv- प्रक्रिया सुविधा स्थल से प्रक्रिया पूर्व और प्रक्रिया पश्चात् अस्वीकार को नियमित आधार पर हटाया जाना चाहिए और उसे स्थल पर इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। पुनश्चक्रणयोग्य सामग्री उपर्यक्त विक्रेताओं के माध्यम से आनी चाहिए पुनश्चक्रण के अयोग्य को अचछी तरह डिजायन किए गए भूमिभरण स्थल (स्थलों) में भेजा जाना चाहिए।

v- कम्पोस्ट संयंत्र के मामलें में विन्ड्रों क्षेत्र में पारगम्य आधार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऐसा आधार कंक्रीट अथवा कम्पैक्ट क्ले, 50 सेंटीमीटर मोटी, जिसकी पारगम्यता गुणांक (10–7 सेमी/सेकेड) के कम हो, का होना चाहिए। आधार में 1 से 2 प्रतिशत ढाल होनी चाहिए और इसके चारों तरफ निक्षालण। सतही अपवाह को इकट्ठा करने के लिए नालियां होनी चाहिए।

vi- प्रसंस्करण संयंत्र की बाहरी दीवार की ओर नीचे की हवा में विशेश रूप से गंध की जांच करने के लिए नियमित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की जानी चाहिए।

vii- कम्पोस्ट का सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कम्पोस्ट गुणता के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्टयों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्

भूमि भरण स्थल पर पौधोपण

30. तैयार सथल को हरा–भरा बनाया जाएगा तथा निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा।

(क) स्थानीय रूप में अंगीकृत अखाद्य बारहमासी पौधों का चयन जो सूखे तथा अत्याधिक तापमान के प्रतिरोधी को उगानी अनुमति दी जाएगी।

(ख) उगाए गए पौधे ऐसे होंगे जिनकी जड़े निम्न–पारगम्यता परत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।

(ग) चयन किए गए पौधों में न्यून–पोशक मिट्टी में न्यूनतम पोशक संवर्धन के साथ फलने–फूलने का सामर्थ्य होगा।

(घ) मिट्टी के कटाव को कम से कम करने की दृष्टि से पौधरोपण किया जाएगा।

भूमि भरण स्थल पर कार्य समापन तथा पश्चात्वर्ती देखभाल

31. भूमि भरण स्थल कार्य समाप्ति के पश्चात् कम से कम 15 वर्शो तक उसकी देखभाल की जाएगी तथा लम्बी अवधि तक मानीटर और देखभाल योजना में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :–

(क) सबसे ऊपरी परत को पूर्ण रूप से तथा उसके प्रभावी अनुरक्षण के लिए उसकी मरम्मत करते रहना ओर कटाव या किसी अन्यथा अनुकसान से अनुरक्षण करना।

(ख) अपेक्षानुसार विक्षालन संग्रहण प्रणाली को मॉनीटर करना।

(ग) अपेक्षानुसार भू–जल को मॉनीटर करना तथा भू–जल गुणवत्ता को बनाए रखना।

(घ) मानकों के अनुरूप भूमि भरण गैस संग्रहण प्रणाली का अनुरक्षण करना तथा चलाते रहना।

32. भरे गए भूमि भरण स्थलों के पन्द्रह वर्शो के पश्चात् उपयोग पर मान बस्ती में या अन्यथा प्रयोग किऐ जाने के बारें में यह सुनिश्चित करने के पश्चात् विचार किया जाएगा कि गैस तथा विक्षालन संबंधी विश्लेशण अधिकथित मानकों के अनुसार है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेश उपबंध

33. पर्वतों पर बसे हरों तथा कस्बों में, नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य प्रदूशण बोडै प्रदूशण समिति के अनुमोदन से ठोस अपशिष्टों के अंतिम व्ययन के लिए विकसित की गई स्थानीय विनिर्दिष्ट पद्धतियां अपनाई जाएंगी। नगरपालिका प्राधिकारी जैव निम्नीकरण कार्यनिक अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए संसाधन सुविधाएं स्थापित करेगी। निष्क्रिय तथा जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट सड़कें बनाने या पहाड़ों पर उपर्युक्त क्षेत्रों की भराई करने में प्रयोग किए जाएगें। पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के कारण सड़क पर बिछाने या भराई के लिए उपर्युक्त न पाए गए अपशिष्टों का निपटान विशेश रूप से डिजाइन किए गए भूमि भराई में किया जाएगा।

सीसा (पी.बी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.1	0.1	–
कैडमियम (सी.डी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	1.0	–
कुल क्रोमियम (सी.आर. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	2.0	–
तांबा (सी. यू. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	3.0	3.0	–
जस्ता (जेड. एन. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	5.0	15	–
निकल (एन. आई. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	3.0	3.0	
सायनाइड (सी.एन. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.2	2.0	0.2
क्लोराइज (सी. आई. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	1000	1000	600
फ्लोराइड (एफ के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	15	–
फिनोलिक मिश्रण (सी^{6} एच^5 ओ. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	1.0	5.0	–

टिप्पण– अंतः भूतल जल में ोधित निछिालनों को बहाते समय, बाहर जाने वाले, निछालनों की मात्रा और इकट्ठा करने वाले जलाशयों में उपलबध विलीन जल की मात्रा पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा।

इन्सीनेटर निम्नलिखित प्चालन और उत्सर्जन मानकों को पूरा करेगा :–

क. प्रचालन मानक

(1) कम्बुशन क्षमता (ईसी) कम से कम 99.00: होसगी।

(2) कम्बुशन क्षमता की गणना नीचे दिए अनुसार की जाती है।

$$\text{सीई} = \frac{\text{\% सीओ}_2}{\text{\% सीओ}_2 + \text{\% सीओ}_2} \times 100$$

पैरामीटर	सान्द्रता मि. ग्रा./एनएम2 (12 % सीओ2करेक्शन)
(1) धूल कण	150
(2) नाइट्रोजन आक्साइड	450
(3) एचसीआई	50

(4) न्यूनतम स्टेक ऊंचाई भूमि से 30 मीटर उपर होनी चाहिए।

(5) राख में वाश्पशील आर्गेनिक मिश्रण 0.01 % से अधिक नहीं होना चाहिए।

पैरामीटर	(मि.ग्रा/कि.ग्रा. ुष्क आधार पर पीएच वैल्यु ओर सीएन अनुपात को छोड़कर) से अनधिक सकेन्द्रण
आर्सेनिक	10.00
कैडमियम	5.00
क्रोनियम	50.00
तांबा	300.00
सीसा	100.00
पारा	0.15
निकल	50.00
जस्ता	1000.00
सी/एन औसत	20–40
पी.एच.	5.5–8.5

’ ऊपर कथित संकेन्द्र से अनधिक कम्पोस्ट (अंतिम उत्पाद) खाद्य फसलों के लिए उपयोग में नही लाया जाएगा। तथापि, खाद्य फसलों को उगाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा।

क्र0सं0	पैरामीटर	मानक (व्ययन के तरीके)		
		अंतर्दीय सतही जल	सार्वजनिक मलनाली	भूमि व्ययन
	निलंबित ठोस, मि0 ग्राम/ली0, अधिकतम	100	600	200
	घुले हुए ठोस (अकार्बनिक) मि0ग्राम/लि0 अधिकतम	2100	2100	2100
	पी.एच.मान	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0

अमोनिकल नाइट्रोजल (एन के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	50	50	–
कुल कलेजडाहल, नाइट्रोजन (एन के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	100	–	–
जैव रसायनिक आक्सीजन मांग (27 सै0 पर 3 दिन), अधिकतम नि0 ग्राम/लि0	30	350	100
रसायनिक आक्सीजन मांग, मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	250	–	–
आर्सेनिक (ए. एस. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.2	0.2	0.2
पारा (एस. जी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.01	0.01	–
सीसा (पी.बी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.1	0.1	–
कैडमियम (सी.डी. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	1.0	–
कुल क्रोमियम (सी.आर. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	2.0	–
तांबा (सी. यू. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	3.0	3.0	–
जस्ता (जेड. एन. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	5.0	15	–
निकल (एन. आई. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	3.0	3.0	
सायनाइड (सी.एन. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	0.2	2.0	0.2
क्लोराइज (सी. आई. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	1000	1000	600
फ्लोराइड (एफ के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	2.0	15	–
फिनोलिक मिश्रण (सी^{6} एच^5 ओ. के रूप में) मि0 ग्राम/लि0, अधिकतम	1.0	5.0	–

5.1 अपशिष्ट का प्रसंस्करण

(i) स्थल
(ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
(iii) प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी का विवरण
(iv) मात्रा
(v) स्थल की सफाइ (स्थानीय प्राधिकरण द्वारा)
(vi) नगरपालिका प्राधिकरण और प्रशासन एजेंसी के बीच हुए करार का विवरण।
(vii) प्रसंस्कृत अपशिष्टों के लिए उपयोगिता कार्यक्रम (उत्पाद उपयोगिता)
(viii) अपशिष्ट प्रसंस्करण छीजन के लिए निपटान की पद्धति (मात्रा और किस्म)
(ix) पर्यावरण प्रदूशण निवारण और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय
(x) परियोजना निवेश और प्रतयाशित आय
(xi) संयंत्र में कार्यरत कर्मकारों के बचाव के लिए किए गए उपाय।

5.2 अपशिष्ट का निपटान

(i). अभिनिर्धारित स्थल का नं0
(ii) स्थल का नक्शा
(iii) प्रतिदिन निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट
(iv) अपशिष्ट को प्रकृति जार संगठन
(v) पद्धति/स्थल चयन के लिए अपनाए गए मानदंडो का विवरण
(vi) प्रचालन के अंतर्गत वर्तमान स्थल का विवरण
(vii) भूमिभरण की पद्धति और प्रचालन का विवरण
viii) पर्यावरण प्रदूशण को जांच के लिए किए गए उपाय

तारीखः

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

<u>टिप्पणी</u>

(1) विसर्जन सीमा से अधिक यदि आवश्यक हो सीमा प्रापत करने के इनसिनरेटर के साथ उपर्युक्त डिजायन .... नियंत्रण स्थापित या पुनः फिर किए जाने चाहिए।
(2) इनसिनरेटड अपशिष्ट को किसी क्लोनीनेटिड विसंक्रमक के साथ रसायनिक तरीके से ोधित नहीं किया जाता है।
(3) क्लोरेनेटिड प्लास्टिक को इनसिनरेटड नहीं किया जाना चाहिए।
(4) इनसिनेटड राख से जहरीले तक विनियमित मात्रा में सीमित होने चाहिए जैसे कि समय–समय पर यथासंशोधित संकटपन्न अपशिष्ट (प्रबंन्धन और हथालन) नियम, 1998 में अंतर्गत यथा परिभाशित।
(5) इनसिनेटर व ईधन के रूप में केवल एलडी और एलएसएचएस/डीजल जैसे कम सल्फर ईधन का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्ररूप–।
(नियम 4 (2) और 5 (2) देखिए)

प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा में,

सदस्य सचिव,

....

....

1. नगरपालिका प्राधिकारी का नाम
   नगरपालिका प्राधिकारी नियुक्त एजेंसी का नाम
2. पत्राचार का पता

   टेलीफोन नं0..................................
   फैक्स नं0 ....
3. नोडल अधिकारी और पदनाम (नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्रक्रिया/निपटान सुविधाओं के प्रचालन के लिए जिम्मेदार एजेंसी)
4. किसी प्राधिकार के लिए आवेदन किया है (सही का निशान लगाएं) (क) अपशिष्ट प्रसंस्करण, सुविधा स्थापित करेगा एवं प्रचालन
   (ख) निपटान सुविधा स्थापित करना एवं प्रचालन
5. अपशिष्ट प्रसंस्करण/निपटान सुविधा, जिसे ामिल किया जाना है, का विस्तृत प्रस्ताव (संलग्न करें)

5.4 अपशिष्ट का प्रसंस्करण

2. स्थल
3. अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
4. प्रसंस्करण प्रोद्योगिकी का विवरण
5. मात्रा
6. स्थल की सफाइ (स्थानीय प्राधिकरण द्वारा)
7. नगरपालिका प्राधिकरण और प्रशासन एजेंसी के बीच हुए करार का विवरण।
8. प्रसंस्कृत अपशिष्टों के लिए उपयोगिता कार्यक्रम (उत्पाद उपयोगिता)
9. अपशिष्ट प्रसंस्करण छीजन के लिए निपटान की पद्धति (मात्रा और किस्म)
10. पर्यावरण प्रदूशण निवारण और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय
11. परियोजना निवेश और प्रतयाशित आय
12. संयंत्र में कार्यरत कर्मकारों के बचाव के लिए किए गए उपाय।

5.5 अपशिष्ट का निपटान

(i) अभिनिर्धारित स्थल का नं0
(ii) स्थल का नक्शा
(iii) प्रतिदिन निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट
(iv) अपशिष्ट को प्रकृति जार संगठन
(v) पद्धति/स्थल चयन के लिए अपनाए गए मानदंडो का विवरण
(vi) प्रचालन के अंतर्गत वर्तमान स्थल का विवरण
(vii) भूमिभरण की पद्धति और प्रचालन का विवरण

(viii) पर्यावरण प्रदूशण को जांच के लिए किए गए उपाय

तारीखः

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप– III
(नियम 6 (3) देखें)
प्राधिकार जारी करने का फार्म

सेवा में,

.... फाईल सं0.........................

.... तारीख................................

संदर्भ : आपका दिनांक .... का अवेदन सं0........................।

महोदय,

.... राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति प्रस्ताव की जांच के बाद ... . को उनके .... प्रशासनिक कार्यालय को .... में अपशिश्अ प्रक्रिया/अपशिष्ट निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए इस प्राधिकार पत्र के साथ संलग्न र्तो (अनुपालन के मानकों सहित) पर .... को प्राधिकृत करता है।

(1) यह प्राधिकार .... तक वैद्य रहेगा। बैद्यता का तारीख समाप्त होने के बाद इसक पुनः नवीकरण प्राप्त करना होगा। (2) .... राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति, किसी भी समय, कोई र्त प्रति संहरण करने के लिए लगा सकती है जिसकी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (1986 का 26) के दण्डिक उपबंध लागू होगें।

भवदीय,

सदस्य सचिव,
राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूशण नियंत्रण समिति।

4. क्या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कोई प्रसताव दिया गया है

____

____

____

5. क्या प्राइवेट फर्मो इत्यादि को नीचे दी गई जैसी अपशिष्ट को संसाधन द्वारा उपयोगी बनाने की तकनीक को आजमाने के लिए आमंत्रित करने के कोई प्रचास किए गए हैः

	अपशिष्ट को उपयोग बनाने की तकनीक	प्रस्ताव	किए गए उपाय (वह मात्रा जिसका प्रसंस्करण किया जाता हैं)
ix.	कचरा खाद बनाना	:	
x.	कृमि समूह वंर्धन	:	
xi.	गटिकाकरण	:	
xii.	अन्य, यदि कोई हो, कृपया विनिर्दिष्ट करें।	–	

6. निम्नलिखित अस्वास्थ्यकार संक्रियाओं को रोकने के लिए कौन से प्रावधान उपलब्ध हैं और इन्हें कैसे लागू किया जाता है :

(ix) दुग्धशालाओं से संबंधित क्रियाकलाप :

(x) बूचड़खाने और जानवरों का अप्राधिकृत वध :

(xi) मलवा (भवन संबंधी मलवा) उठाना :

(xii) पार्को, फुटपाथ आदि पर अतिक्रमण :

7. कितनी मलिन बस्तियों की पहन की गई है और
क्या इनमें स्वच्छता संबंधी सविधाए उपलब्ध
करवाई गई है।

8. क्या दांडिक कार्रवाई के लिए नगरपालिका मजिस्ट्रेट
नियुक्त किए गए हैं : हां नहीं
{यदि हां, तो पिछले तीन वर्शो के दौरान कितने
मामलें रजिस्ट्रीकृत किए गए और उनका निपटान
किया गया (वर्शवार ब्यौरे दें)}

9. अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन
   (ix) निगम के नियंत्रणाधीन कितने अस्पताल/क्लीनिक है।
   (x) जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट के व्ययन के लिए कौन सी रीतियां अपनाई जाती है?
   (xi) क्या जैव–चिकित्सीय अपशिश्टों के व्ययन के लिए सामूहिक ोधन सुविधा स्थापित करने के लिए आपका कोई प्रस्ताव है?
   (xii) हर/नगर में कितने प्राईवेट नर्सिग होम, क्लीनिक आदि चल रहे है और उनके अपशिष्ट के व्ययन पर निगरानी के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नगर पालिका आयुक्त के हस्ताक्षर

तारीख :

प्ररूप–IV
(नियम 8 (1) देखिए)

राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड समितियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली वार्शिक पुर्नविलोकन रिर्पोट का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड,
(पर्यावरण और वन मंत्रालय)
भारत सरकार,
'परिवेश भवनऊ ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली–1100032

1. राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र का नाम
2. राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूशण नियंत्रण समिति का नाम और पता
3. इन नियमों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नगर विशेश अपशिष्टों के प्रबंनधन के लिए उत्तरदायी नगरपालिका प्राधिकारियों की संख्या

4.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची–I {नियम 4(3)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध I के रूप में संलग्न करें।
5.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची– II {नियम 6(1)और (3), नियम 7(2)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध II के रूप में संलग्न करें।
6.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची–III {नियम 6(1) और (3), नियम 7 (2)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध III के रूप में संलग्न करें।
7.	नगर पालिका प्राधिकारियों द्वारा अनुसूची–IV {नियम 6(1) और (3) नियम 7 (2)} के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का संक्षित विवरण	कृपया उपाबद्ध IV के रूप में संलग्न करें।

तारीख :

स्थान :

अध्यक्ष या सदस्य सचिव,
राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूशण नियंत्रण समिति,

रजिस्ट्री सं0 डी0एल–33004/99 REGD. No. D.L. 33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazettee of India
असारधारण
EXTRAORDINARY
भाग ।।–खण्ड–3–उपखण्ड (ii)
Part II-Section 3-Sub-section (II)
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 471 नई दिल्ली, ुक्रवार, मई 23, 2003/ज्येष्ठ 2, 1925
No. 471 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 2003/JYAISTHA 2, 1925

पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मई, 2003

का.आ. 593 (अ).— परिसकंटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) संशोधन नियम, 2002 नामक कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0आ0553(अ), तारीख 21 मई, 2002 के अधीन, उसी तारीख के भारत के राजपत्र भाग खंड 3, उपखंड (।।) में, जिसमें ऐसे व्यक्तिों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि को समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता करो 5 जून, 2002 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से उक्त अवधि के भीतर प्रापत हुए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करते हुए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) संशोधन नियम 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएगें, अर्थात्–

(घ) अधिनियम के अधीन बनाए गए जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के अंतग्रत आने वाले जीव चिकित्सा अपशिष्ट

(ड.) अधिनियम के अधीन बनाए गए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के अतर्गत आने वाले अपशिष्ट,

(च) अधिनियम के अधीन बनाए गए बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 के अंतर्गत आने वाले सीसा एसिड बैटरी।

3. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् ''परिभाशाएं– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(1) 'अधिनियम' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है

(2) 'आवेदक' से ऐसा व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत है जो प्ररूप 1 में परिसंकटमय अपशिष्टों के हथालने के संबंध में निविर्दिष्ट क्रियाकलापों को करने के लिए प्राधिकार की मंजूरी के लिए आवेदन करता है

(3) 'नीलाम' से व्यक्ति (व्यक्तियों), कंपनियों या सरकारी विभागों द्वारा निविदा आमंत्रण या नीलाम संविदा या बातचीत द्वारा अपशिष्टों का प्रपुंज विक्रय अभिप्रेत है;

(4) 'नीलाकर्ता' से ऐसा वयक्ति या संगठन अभिप्रेत है जो अपशिष्टों को नीलाम करता है;

(5) 'प्राधिकार' से प्ररूप 2 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण, ग्रहण अभिक्रियान्वयन, परिवहन भंडारकरण और व्ययन के लिए अनुज्ञा अभिप्रेत है;

(6) 'प्राधिकृत व्यक्ति'से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत है;

(7) 'केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूशण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (i) गठित केन्द्रीय बोर्ड अभिप्रेत है;

(8) ''व्ययन'' से किसी परिसंकटमय अपशिष्टों का निक्षेप, अभिक्रियान्वयन, पुनःचक्रण और पुनः प्राप्ति अभिप्रेत है;

(9) 'निर्यात' से उसके व्याकरणिक रूपभेदों, और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किस स्थान को, भारत से ले जाना अभिप्रेत है;

(10) 'निर्यातकर्ता' से निर्यात करने वाले देश की अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, जो परिसंकटमय अपशिष्टों का निर्यात करता है और स्वयं निर्यात करने वाला देश अभिप्रेत है, जो परिसंकटमय अपशिष्टों का निर्यात करता है;

(11) ''परिसंकटमय अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से ही प्रबन्ध'' से यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अपेक्षित कदम उठाना अभिप्रेत है जिसमें परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन ऐसी रीति से किया जाता है जो ऐसे अपशिष्टों के विपरीत प्रभावों से जो उनके परिणामस्वरूप हो सकते हैं, स्वास्थ्य और पर्यावरण की संरक्षा हो;

(12) ''सुविधा'' से ऐसा कोई अवस्थान अभिप्रेत है, जिसमें अपशिष्ट उत्पादन, संग्रहण, ग्रहण, अभिक्रियान्वयन, भंडारकरण और व्ययन की आनुशंगिक प्रक्रियाओं को कार्यान्वित किया जाता है।

(13) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(14) ''परिसंकटमय अपशिष्टों'' से ऐसा कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है जो उसके भोतिक रायासनिक, अभिक्रियाशील, विशैली, ज्वलनशील, विस्फोटक या संक्षारक अभिलक्षणों में से किसी एक के कारण चाहे अकेले या जब अन्य अपशिष्टों के संसर्ग में आता है, स्वास्थ्य या पर्यावरण, कारण को खतरा कारित करता है या जिससे खतरा कारित होने की संभावना है और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगें :–

(क) अनुसूची–1 के स्तम्भ (3) में सूचीबद्ध अपशिष्ट;

(ख) अनुसूची–2 में सूचीबद्ध संघटकों वाले अपशिष्ट, यदि उनका सांद्रण उक्त अनुसूची मे उसके लिए उपदर्शित सीमा के बराबर या अधिक है; और

(ग) अनुसूची–3 (भाग के) की सूची ''क'' और ''ख'' में सूचीबद्ध अपशिष्ट केवल नियम 12, 13 और 14 के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्टों के निर्यात/आयात की दशा में तब लागू होंगे जब उनमें अनुसूची–3 के भाग ख में सूचीबद्ध परिसंकटमय लक्ष्यों में से कोई एक है''।

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजना के लिए, –

(I) अनुसूची (1) के स्तंभ (3) में अलिखित सभी अपशिष्ट अनुसूची 2 में दी गई सांद्रण सीमाओं का विचार किए बिना, अन्यथा उपदर्शित के सिवाय, परिसंकटमय अपशिष्ट हैं और अनुसूची 2 केवल उन अपशिष्टों या अपशिष्ट संघटकों को ही लाू होगी, जो अनुसूची 1 के स्तंभ (3) के अंतर्गत नहीं आते है;

(II) अनुसूची (3) केवल आयात या निर्यात के मामलें (मामलों) में ही लागू होगी;

(15) ''परिकटमय अपशिष्ट स्थल'' से परिसंकटमय अपशिष्टों के सग्रहण, ग्रहण, अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन करने का ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया गया है;

(16) ''अवैध यातायात'' से नियम 15 में यथा विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्टों का किसी सीमा से पर संक्रिया अभिप्रेत है;

(17) ''आयात'' से उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(18) ''आयातकर्ता'' से ऐसा कोई अधिष्ठाता या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात करता है;

(19) ''सूची से नियम 7 के अनुसार अधिष्ठाता द्वारा तैयार किए गए और हस्ताक्षरित परिवहन दस्तावेज अभिप्रेत है;

(20) ''अलौह धातु अपशिष्ट'' से अनुसूची–4 में सूचीबद्ध अपशिष्ट अभिप्रेत है;

(21) ''सुविधा का प्रचालक'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण, ग्रहण, अभिक्रियान्वयन, भंडारकरण और व्ययन के लिए कोई सुविधा है या उसे प्रचालित करता है;

(22) ''पुनःचक्रणकर्ता'' से ऐसा अधिष्ठाता अभिप्रेत है जो पुनः प्राप्ति के लिए अपशिष्टों को उपाप्त या उनका प्रसंस्करण करता है;

(23) ''अपशिष्ट तेल का पुनःचक्रण'' से तादन, निस्त्रान्दन, घनत्व नियतन, अपकेन्द्रण, निर्जलीकरण, विरदयासिता और विशिष्ट घनत्व समायोजन जैसी विशिष्ट पद्धतियों का उपयोग करके अपशिष्ट तेलों से पृथक ठोस पदार्थ और जल के उपचार के रूप में पुनः सुधार करना अभिप्रेत है;

(24) ''रजिस्ट्रीकृत पुनःपरिष्करणकर्ता या पुनःचक्रणकर्ता'' से यथास्थिति, पर्यावरण और वन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड के पास अपशिष्टों के पुनःप्रसंस्करण के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई पुनः परिष्करणकर्ता या पुनःचक्रणकर्ता अभिप्रेत है;

(25) ''प्रयुक्त तेल के पुनः परिष्करण'', से प्रयुक्त तेल से बनी सामग्री के साथ कोई प्रक्रिया करना अभिप्रेत है, जिससे कि स्नेहकों के और विनिर्माण के लिए या सम्मिश्रण या अन्य प्रक्रिया द्वारा अन्य पैट्रोलियम पदार्थो के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आधारिक स्टॉक का उत्पादन किया जा सके;

(26) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(27) ''राज्य सरकार'' से राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(28) ''राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति'' से जल (प्रदूशण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 की उपधारा (I) के अधीन नियुक्त बोर्ड या समिति अभिप्रेत है;

(29) ''भंडारकरण'' से किसी ऐसी अस्थायी अवधि के लिए;

(30) जिसकी समाप्ति पर परिसंकटय अपशिष्ट का अभिक्रियार्वयन और व्ययन किया जाता है, परिसंकटमय अपशिष्टों का भंडारण करना अभिप्रेत है; सीमापार संचलन से एक देश की राष्ट्रीय अधिकारिता के अधीन किसी क्षेत्र से अन्य देश की राष्ट्रीय अधिकारिता के अधीन किसी क्षेत्र को या उससे होकर या किसी ऐसे क्षेत्र को या उससे होकर जो किसी देश की राष्ट्रीय अधिकारिता के अधीन नहीं है, परिसंकटमय अपशिष्टों या अन्य अपशिष्टों का कोई संचलन अभिप्रेत है; परंतु यह तब जब कि ऐसे संचलन में कम से कम दो देश अंतर्चलित हैः

(31) ''परिवहन'' से परिसंकटमय अपशिष्ट का वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग द्वारा संचलन अभिप्रेत है;

(32) ''परिवाहक'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिसंकटमय अपशिष्ट के वायु मार्ग, रेलमार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग द्वारा व्ययन स्थल के लिए परिवहन में लगा हुआ है;

(33) ''अभिक्रियान्वयन'' से ऐसा ढंग, तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जो किसी परिसंकटमय अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या संयोजनों के ऐसे परिवर्तन के लिए प्रकल्पित है;

(34) ''प्रयुक्त तेल'' से ऐसा कोई तेल अभिप्रेत है—

(I) जो कच्चे तेल और संलिष्ट तेलों के मिश्रण से प्राप्त किया गया है, जिसके अंतर्गत इंजन तेल, गियर तेल, हाईड्रोलिक तेल, टरबाइन तेल, संपीडिज तेल, इंडस्ट्रियल गियर तेल, ऊष्मा रूपातरंण तेल, ट्रांसफार्मर तेल, उपयुक्त तेल और उनके टैंक बोटम स्टज भी है, और

(II) जो पुनः परिश्करण के लिए उपयुक्त है, यदि यह अनुसूची 5 में अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप हैं, किनतु इसके अंतर्गत अपशिष्ट तेल नहीं है।

(35) '' अपशिष्ट तेल'' से ऐसा कोई तेल अभिप्रेत है—

(I) जिसके अंतर्गत कच्चे तेल के अधिप्लाव, इमलशन्स, टैंक बाटम स्टेज और परिष्करणियों या पोतो से निकला स्लोप तेल भी है; और

(II) जो पुनः परिष्करण के लिए अनुपयुक्त है, किन्तु इसका उपयोग भट्टियों में ईधन के रूप में किया जाता सकता है यदि यह अनुसूची 6 में अधिकथित विनिर्देशों को पूरा करता है;

(36) इन ब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाशित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाशित किए गए हैं, वही अर्थ हैं, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए है।

4. उक्त नियमों के नियम 4 ख में, ''अनुसूची 4'', ब्द और अंक के स्थान पर ''अनुसूची 7'' ब्द और अंक रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 5 में,

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(2) परिसंकटमय अपशिष्टों का हथालन करने वाला प्रत्येक अधिष्ठाता या पुनः चक्रण कने वाला कोइ्र पुनः चक्रणकर्ता यथास्थिति सदस्य सचिव, राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति या बोर्ड या समिति द्वारा अभिहित किसी अधिकारी को उक्त किसी ऊियाकल्प के संसबंध में प्राधिकार की मंजूरी के लिए प्ररूप 1 में आवदेन करेगा; परन्तु ऐसा अधिष्ठाता या पुनः चक्रणकर्ता जिसके पास परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन और व्ययन की कोई सुविधाा नहीं है और सामान्य क्रियान्वयन, भंडारण और वययन सुविध (टी एस डी एफ) के लिए यथास्थिति, राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा सनुनदेशित अधिकारिता के अधीन किसी क्षेत्र में संक्रिया कर रहा है इस सुविधा का सदस्य हो जाएगा और उत्पादित

परिसंकटमय अपशिष्टों के समुचित क्रियान्वयन और व्ययन को सुनिश्चित करने के लिए इस सुविधा ने अपने अपशिष्टों को भेजेगा इसके न करने इस नियम के अनुसार उक्त अधिष्ठाता या पुनः चक्रणकर्ता को मंजूर किया गया प्राधिकार यथास्थिति राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा सुने जाने का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् रद्द, कर दिया जाएगा या मंजून नहीं किया जाएगा।

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्

(3) ऐसा कोई वयक्ति जो परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण, ग्रहण अभिक्रियान्वयन, परिवहन, भंडारण और व्ययन के लिए किसी सुविधा का प्रचालक होना चाहता है, इस नियम में विनिर्दिशिट पूर्वोकत सभी या किसी क्रियाकलाप के लिए प्राधिकार की मंजरी के लिए प्ररूप 1 में सदस्य सचिव, राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को आवेदन करेगा।

(ग) उपनियम (6) में, खंड (।) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :–

(।) इस नियम के अधीन मंजूर कियागया प्राधिकार जब तक कि निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है उसके विधिमान्यता की अवधि के दौरान, जो राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा विहित की जाए, यथास्थिति, जारी किए जाने की तारीख से या नवीकरण की तारीख से प्रवृत्त रहेगा।

(घ) उपनियम (8) में,–

खंड (।।) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः–

''उत्पादित अपशिष्टों में कमी करने या उनके निवारण के लिए जहां साध्य हो या पुनः चक्रण या पुनः उपयोग के लिए आवेदक द्वारा किए गए उपायों पर; (।।), खंड (iv) को लोप किया जाएगा।

(ड.) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

(8) प्रत्येक राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति किसी भूमि या परिसर पर परिसंकटमय अपशिष्टों के किसी व्ययन के लिए इन नियमों के अधीन अधिरोपित र्तो की विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने के लिए एक रजिस्टर रखेगा और यह किसी हितबद्ध या प्रभावित व्यक्ति या इस निमित् उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्यालय घंटो के दौरान निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। रजिस्टर में प्रविष्टियां को, ऐसी भूमि या परिसर के संबंध में परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन और हथालन के लिए प्राधिकार की मंजूरी का और ऐसी र्तो के जिनके अधीन उसे मंजूर किया गया था, सबूत समझा जाएगा।

6. उक्त नियम के नियम 7 में, उपनियम (4) (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएगें, अर्थात् :–

''(4) अधिशठाता प्रस्तर 9 में दी गई सूची की छः प्रतियां तैयार करेगा जिनके कलर कोड नीचे उपदर्शित है (ये सभी छः प्रतियां परिवहनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगी।

कलर कोड के साथ प्रति संख्या	प्रयोजन
प्रति 1 (सफेद)	अधिष्ठाता द्वारा राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को अग्रेशित की जाएगी।
प्रति 2 (पीली)	परिवहनकर्ता से इस पर हस्ताक्षर लेने के पश्चात् अधिष्ठाता द्वारा रखी जाएगी`श चार प्रतियां परिवहनकर्ता द्वारा ले जाई जाएगी।
प्रति 3 (गुलाबी)	हस्ताक्षर के पश्चात् सुविधा के संचालक द्वारा रख ली जाएगी।
प्रति 4 (संतरी)	अपष्टि स्वीकार करने के पश्चात् सुविधा के संचालक द्वारा परिवहनकर्ता को दे दी जाएगी

प्रति 5 (हरी)	अपष्टिों के अभिक्रियान्वयन और व्ययन के पश्चात् इसे सुविधा के संचालन द्वारा राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को दिया जाएगा।
प्रति 6 (नीली)	अपष्टिों के अभिक्रियान्वयन और व्ययन के पश्चात् इसे सुविधा के संचालन को दे दिया जाएगा।

''(5) अधिष्ठाता प्रति सं0 1 (सफेद) को राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को अग्रेाित करेगा ओर यदि परिसंकटमय अपशिष्ट की किसी मार्गस्थ राज्य से परिवहन की संभावना हो तो अधिष्ठाता ऐसे प्रत्येक राज्य के लिए एक अतिरिक्त प्रति तैयार करेगा ओर इसे संबंधित राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को परिवहनकर्ता को परिसंकटमय अपशिष्ट सुपुर्द करने से पहले अगेशित करेगा। कोई भी परिवहनकर्ता परिवहन के लिए अधिष्ठाता से परिसंकटमय अपशिष्ट तब तक प्रापत नहीं करेगा जब तक कि उसके साथ सूची की प्रति संख्या 2 से 5 नहीं दी जाएगी। परिवहनकर्ता सूची की तारीख सहित हस्ताक्षरित प्रति संख्या 2 (पीली) अन्य चार प्रतियों की प्राप्ति के टोकन के रूप में अधिश्ठाता को वापस देगा ओरसूची की`श चार प्रतियों को उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित अभिकरणों को सुपुर्द करने के लिए अपने पास रखेगा।

(6) परिसंकटमय अपशिष्टों को राज्य से भिन्न, जहां परिसंकटमय अपशिष्ट पैदा होते है, किसी राज्य में विद्यमान अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन की सुविधा को परिवहन की दशा में, अधिष्ठाता संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशान के, जिसमें सुविधा विद्यमान है, राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति से ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' अभिप्राप्त करेगा''।

7. उक्त नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

'' व्ययन स्थल :– (1) किसी सुविधा का अधिष्ठाता या संचालक या अधिष्ठाताओं का कोई संगम परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन की सुविधा स्थापित करने के लिए स्थलों का पता लगाने के लिए संयुक्त रूप से ओर पृथक रूप से उत्तरदायी होगा;

(2) राज्य सरकार किसी सुविधा का संचालक या अधिष्ठाताओं का कोई संगम राज्य में परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन की सामान्य सुविधा के लिए स्थलों का संयुक्त रूप से पृथक रूप से पता लगाएगे औरउसके लिए उत्तरदायी होगें;

(3) किसी सुविधा का संचालन अधिष्ठाता या कोई अधिष्ठाता संगम चुने हुए स्थल (स्थलों) के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन करेगा ओर राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को पर्यावरणी प्रभाव के मूल्याकंन की रिपोर्ट देगा;

(4) राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याकंन की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर समय–समय पर यथासंशोधित का.आ.सं. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 द्वारा प्रकाशित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यकांन संबंधी अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई आयोजित करने के लिए एक लोक सूचना जारी करेगा;

(5) राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति, लोक सुनवाई के अंतिम दिन से 30 दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र को अपनी सिफारिशों के साथ पर्यावरणी प्रभाव मूल्याकंन रिपोर्ट और लोक सुनवाई के ब्यौरे सहित एक परियोजना रिपोर्ट भेजेगा;

(6) राज्य सरकार, उपविनियम (5) में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर मूल्याकंन पूरा करेगी और तत्पश्चात् तीस दिन के भीतर स्थल (स्थलों) के अनमोदन के संबंध में या अन्यथा अपने विनिश्चिय की संसूचना की संबंधित सुविधा के संचालनक, अधिष्ठाता या किसी अधिष्ठता–संगम को देगी;

(7) राज्य सरकार, स्थल या स्थलों के अनुमोदन के पश्चात्, परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन, भंडारण या व्ययन के लिए सुविधा की स्थापना करने के लिए स्थल या

स्थलों को मार्जित करेगी या अधिष्ठाता या किसी संचालक या किसी अधिष्ठाता संगम को यू सूचना देगा कि वह स्थल (स्थलों) को अजिर्तत कर लें। साथ ही राज्य सरकार ऐसे स्थल (स्थलों) को अधिसूचित करेगी। राज्य सरकार, ऐसे परिसंकटमय अपशिष्ट व्ययन स्थलों और सुविधाओं की सूची तैयार करेगी और उसे आवधिक रूप से प्रकाशित भी करेगी।

(8) केप्टिव प्रयोग के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट को अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन के लिए स्थल पर सुविधा की स्थापना किया जाना, नियम 5 में अधिकथित प्राधिकार प्रक्रिया द्वारा ासित होगा।

8. उक्त नियमों के नियम 9 में, उप नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

''(3) राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति, अपनी अधिकारिता के भीतर यथानिकटतम संभव परिसंकटमय अपशिष्टों की प्ररूप 4 में एक सूची तैयार करेगा और उपधारा (2) के अनुसार संबंधित अधिष्ठाता या सुविधा के संचालक द्वारा फाइल की गई विवरणी के आधार पर परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन और व्ययन जैसी अन्य संबद्ध जानकारी संकलित करेगा।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :–

(1) 12 पुनःचक्रण और पुनः उपयोग के लिए परिसंकट मय अपशिष्टों का आयात और निर्यात,– इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति अनुसूची 8 में यथाविनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्टों या ऐसे परिसंकटमय अपशिष्टों वाले या उससे संदूर्शित पदार्थो का आयात या निर्माण नहीं करेगा।

(2) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय परिसंकटमय पदार्थो को सीमापार संचलन के संबंध में कार्यवाही करने और भारत के किसी भाग में परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिवहन की मंजूरी देने के लिए मंत्रालय होगा।

(3) परिसंकटमय अपशिष्टों का आात और निर्यात, पुनः चक्रण या पुनः प्रयोग के लिए कच्ची सामग्री के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) अनुसूची 7 के स्तंभ 2 में वर्णित प्राधिकारी परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात ओर निर्यात के विनियमन के लिए उत्तरदायी होगें।

''(5) अधिशठाता प्रति सं0 1 (सफेद) को राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को अग्रेाति करेगा ओर यदि परिसंकटमय अपशिष्ट की किसी मार्गस्थ राज्य से परिवहन की संभावना हो तो अधिष्ठाता ऐसे प्रत्येक राज्य के लिए एक अतिरिक्त प्रति तैयार करेगा ओर इसे संबंधित राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को परिवहनकर्ता को परिसंकटमय अपशिष्ट सुपुर्द करने से पहले अगेशित करेगा। कोई भी परिवहनकर्ता परिवहन के लिए अधिष्ठाता से परिसंकटमय अपशिष्ट तब तक प्रापत नहीं करेगा जब तक कि उसके साथ सूची की प्रति संख्या 2 से 5 नहीं दी जाएगी। परिवहनकर्ता सूची की तारीख सहित हस्ताक्षरित प्रति संख्या 2 (पीली) अन्य चार प्रतियों की प्राप्ति के टोकन के रूप में अधिशठाता को वापस देगा ओरसूची की`श चार प्रतियों को उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित अभिकरणों को सुपुर्द करने के लिए अपने पास रखेगा।

(6) परिसंकटमय अपशिष्टों को राज्य से भिन्न, जहां परिसंकटमय अपशिष्ट पैदा होते है, किसी राज्य में विद्यमान अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन की सुविधा को परिवहन की दशा में, अधिष्ठाता संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशान के, जिसमें सुविधा विद्यमान है, राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति से ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' अभिप्राप्त करेगा''।

10. उक्त नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

'' व्ययन स्थल :– (1) किसी सुविधा का अधिश्ठाता या संचालक या अधिष्ठाताओं का कोई संगम परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन की सुविधा स्थापित करने के लिए स्थलों का पता लगाने के लिए संयुक्त रूप से ओर पृथक रूप से उत्तरदायी होगा;

(2) राज्य सरकार किसी सुविधा का संचालक या अधिष्ठाताओं का कोई संगम राज्य में परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन की सामान्य सुविधा के लिए स्थलों का संयुक्त रूप से पृथक रूप से पता लगाएगे औरउसके लिए उत्तरदायी होगें;

(3) किसी सुविधा का संचालन अधिष्ठाता या कोई अधिष्ठाता संगम चुने हुए स्थल (स्थलों) के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन करेगा ओर राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को पर्यावरणी प्रभाव के मूल्याकंन की रिपोर्ट देगा;

(4) राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याकंन की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर समय–समय पर यथासंशोधित का.आ.सं. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 द्वारा प्रकाशित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यकांन संबंधी अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई आयोजित करने के लिए एक लोक सूचना जारी करेगा;

(5) राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति, लोक सुनवाई के अंतिम दिन से 30 दिन की अवधि के भीतर यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र को अपनी सिफारिशों के साथ पर्यावरणी प्रभाव मूल्याकंन रिपोर्ट और लोक सुनवाई के ब्यौरे सहित एक परियोजना रिपोर्ट भेजेगा;

(6) राज्य सरकार, उपविनियम (5) में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर मूल्याकंन पूरा करेगी और तत्पश्चात् तीस दिन के भीतर स्थल (स्थलों) के अनमोदन के संबंध में या अन्यथा अपने विनिश्चिय की संसूचना की संबंधित सुविधा के संचालनक, अधिष्ठाता या किसी अधिष्ठाता–संगम को देगी;

(7) राज्य सरकार, स्थल या स्थलों के अनुमोदन के पश्चात्, परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन, भंडारण या व्ययन के लिए सुविधा की स्थापना करने के लिए स्थल या स्थलों को मार्जित करेगी या अधिष्ठाता या किसी संचालक या किसी अधिष्ठाता संगम को यू सूचना देगा कि वह स्थल (स्थलों) को अजिर्तत कर लें। साथ ही राज्य सरकार ऐसे स्थल (स्थलों) को अधिसूचित करेगी। राज्य सरकार, ऐसे परिसंकटमय अपशिष्ट व्ययन स्थलों और सुविधाओं की सूची तैयार करेगी और उसे आवधिक रूप से प्रकाशित भी करेगी।

(8) केप्टिव प्रयोग के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट को अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन के लिए स्थल पर सुविधा की स्थापना किया जाना, नियम 5 में अधिकथित प्राधिकार प्रक्रिया द्वारा ासित होगा।

11. उक्त नियमों के नियम 9 में, उप नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

''(3) राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति, अपनी अधिकारिता के भीतर यथानिकटतम संभव परिसंकटमय अपशिष्टों की प्ररूप 4 में एक सूची तैयार करेगा और उपधारा (2) के अनुसार संबंधित अधिश्ठाता या सुविधा के संचालक द्वारा फाइल की गई विवरणी के आधार पर परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन और व्ययन जैसी अन्य संबद्ध जानकारी संकलित करेगा।

12 उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :–

(1) 12 पुनःचक्रण और पुनः उपयोग के लिए परिसंकट मय अपशिष्टों का आयात और निर्यात,– इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति अनुसूची 8 में यथाविनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्टों या ऐसे परिसंकटमय अपशिष्टों वाले या उससे संदूर्शित पदार्थो का आयात या निर्माण नहीं करेगा।

(2) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय परिसंकटमय पदार्थो को सीमापार संचलन के संबंध में कार्यवाही करने और भारत के किसी भाग में परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिवहन की मंजूरी देने के लिए मंत्रालय होगा।

(3) परिसंकटमय अपशिष्टों का आात और निर्यात, पुनः चक्रण या पुनः प्रयोग के लिए कच्ची सामग्री के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) अनुसूची 7 के स्तंभ 2 में वर्णित प्राधिकारी परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात ओर निर्यात के विनियमन के लिए उत्तरदायी होगें।

(3) यदि केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि पुर्नचक्रणकर्ता या पुनपरिश्करणकार के पास अपेखित सुविधाएं, तकनीकी क्षमता और अपशिष्ट को पुनः चक्रण या पुनः परिश्करण करने और उत्पादित परिसंकटमय अपशिष्ट का व्ययन करने के लिए उपस्कर है तो यह यथास्थिति, पुनः चक्रणकर्ता या पुनः परिश्करणकार को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(4) केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का, संपूर्ण ब्यौरों सहित ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 120 दिन के भीतर निपटान करेगा;

(5) उपनियम (3) के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रामण पत्र जब तक कि इसे इससे पूर्व निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, जारी किए जाने की तारीख से दो वर्श की अवधि के लिए विधि मान्य होगा।

(6) उपयिनम (3) के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, ऐसे आवेदन की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति से कम से दो मास पूर्व प्रारूप 11 में किया जाएगा और इसके साथ उपविनियम (2) में उल्लिखित दस्तावेज लगे होगें। केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक मामलें की गुणागुण के आधार पर परीक्षा करने के पश्चात् उपनियम (3) के अधीन मंजूर किए गए पुनःचक्रण या पुनः परिश्करण के रजिस्ट्रीकरण का नदीकरण करेगा।

(7) केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण मंजूर करने से इंकार कर सकेगा।

(8) केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, यदि उसकी राय में रजिस्ट्रीकृत–पुनःचक्रणकर्ता रजिस्ट्रीकरण की किसी र्त या अधिनियम अथवा तदधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है तो उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् इन नियमों के अधीन मंजूर किए गए किसी रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(9) रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीकरण को निलंबित या रद्द करने या उसे प्रदान करने से इंकार करने के केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपी सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय (जिसे इसे इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) को की जाएगी।

(10) उपनियम (9) के अधीन की जाने वाली अपील का ज्ञापन लिखित में होगा और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति लगी होगी, जिसके विरूद्ध अपील की गई है तथा उसे आदेश पारित किये जाने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगाः

परन्तु अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समय पर अपील न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा, किन्तु 45 दिन के पश्चात् किसी भी दशा में ऐसी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(11) अपील प्राधिकारी, उपनियम (9) के अधीन अपील के ज्ञापन की प्राप्ति पर, ऐसे अपील के ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जिसे वह ठीक समझे।

(12) विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं0 22(आर ई–99) 1997–2002 तारीख 30 जुलाई, 1999,; 26 (आर ई–99) 1997–2002 तारीख 10 सितम्बर, 1999; 38 (आर ई–2000) 1997–2002 तारीख 18 अक्टूबर, 2000 और 6 (आर ई 2001) तारीख 31 मार्च,

2001 तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय की सलाह के आधार पर जारी की गई अन्य समान अधिसूचनायें में ''मुक्त प्रवर्ग के अधीन रखी गई मदों के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत इकाई के मामलें में मंत्रालय की पूर्व आयात अनुमति की अपेक्षा नहीं होगी।

(13) भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकार्त और पुनः परिष्करणकर्ता क्रय, प्रसंस्कृत और विक्रय किए गए अपशिष्टों का अभिलेख रखेगें और प्रत्येक वर्श की 31 जनवरी तक यथासिीति, अपने–अपने राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को वार्शिक विवरणी फाइल करेगें।

(20) अपशिष्ट उत्पन करने वाले के उत्तरदायित्व–

(1) अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट अलौह धातु अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला या प्रति वर्श दस टन या अधिक प्रयुक्त तेल या अपशिष्ट तेल उत्पन्न करने वाला कोई स्वामी या अधिश्ठाता यथास्थिति, किसी ऐसे रजिस्ट्रकृत पुनः परिष्करणकर्ता या पुनःचक्रणकर्ता के सिवाय, अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की अवधि के भीतर अपशिष्ट पुनः परिष्करण या पुनःचक्रण करने का वचनबद्ध करता है, किसी अन्य को ऐसे अलौह धातु अपशिष्ट, प्रयुक्त तेल या अपशिष्ट तेल का विक्रय या नीलामी नहीं करेगा।

(2) ऐसे किसी अपशिष्ट तेल की, जो अनुसूची 6 में अधिकथित विनिर्देशों को पूरा नहीं करता है, नीलामी या विक्रय नहीं किया जाएगा अपितु उसे वायु प्रदूशण नियंत्रण युक्तियों सहित प्रतिश्ठाापित ऐसे परिसंकटमय अपशिष्ट नाम में व्ययनित किया जाएगा, जो उत्सर्जन मानको को पूरा करता है।

(3) अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले व्यक्ति या नीलामीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि नीलामी या विक्रय को समय रजिस्ट्रीकृत पुनः परिश्करणकर्ता या पुनःचक्रणकर्ता के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की अवधि, उसे विक्रय या नीलाम किए जाने वाली अपशिष्टों की मात्रा का पुनःप्रसंस्करण करने के लिए पर्याप्त है।

(4) अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले और नीलामीकर्ता यह सुनिश्चित करें कि अपशिष्टों का नब्बे दिन से अधिक के लिए भंडारण करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है और वे ऐसे अपशिष्टों की नीलामी और विक्रय का अभिलेख रखेंगे और ऐसे अभिलेखों का निरीक्षणों के लिए राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति को प्रस्तुत करेगें।

(5) अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले और नीलामीकर्ता प्रत्येक वर्श की 31 जनवरी तक प्रारूप 13 में अपने–अपने राज्य नियंत्रण बोर्ड या समिति को नीलामी और विक्रय की वार्शिक विवरणियां प्रस्तुत करेगें।

(21) पुनः परिष्करण या पुनःचक्रण की प्रौद्योगिकी और मानक (1) पुनः परिष्करण कार्त और पुनःचक्रणकर्ता, अलोह धातु अपशिष्टों का प्रयुक्त तेल या अपशिष्ट तेल का पुनः चक्रण और पुनःपरिश्करण करते समय पर्यावरण के लिए उत्तर प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगें। प्रयुक्त तेल के मामलें में, अम्लमृत्तिका प्रक्रिया या उपांतरित अम्ल मृत्तिका प्रक्रिया का उपयेाग कर पुनः परिष्करणकर्ता, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) संशोधन नियम, 2003 के आरंभ की तारीख से छः माह के भीरत निम्नलिखित अन्य पर्यावरण के लिए उत्तम प्रो़द्योगिकी अपनाएंगेः–

(क) मृत्तिका उपचार सहित निर्वात आसदन

(ख) जल उपचार सहित निर्वात आसवन;

(ग) पतली झिल्ली वार्ष्पीकरण प्रक्रिया; या

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रौद्योगिकी

(2) नियम 19 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत पुनःपरिष्करणकार्त और पुनःचक्रणकार्त, परिसंकटमय

अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) संशोधन नियम, 2003 के आरंभ की तारीख से माह की अवधि के भीतर उपनियम (1) में उल्लिखित किसी एक प्रौद्योगिकी को अपना लेने के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट फाइल करेगा।

(3) किसी पुनः चक्रणकर्ता या पुनः परिष्करणकार्त को मंजूर किए गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में किसी बात के होते हुए भी, यदि वह उपनियम (1) का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो पर्यावरण और वन मंत्रालय में उसका रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य नहीं रहेगा।

(4) राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या समिति उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट छः माह की अवधि की समाप्ति से तीन मास के भीतर पुनःपरिश्करण ओर पुनःचक्रण इकाईयों का निरीक्षण करेगा ओर केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को एक अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा, जो ऐसी सूचना का संकलन करेगा और उसे नियमित आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

(5) पर्यावरण और वन मंत्रालय समय समय पर पुनःचक्रणकर्ताओं और पुनः परिष्करणकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाले विनिर्देशों और मानकों को अधिसूचित करेगा।

15. अनुसूची 1 4 के लिए उक्त नियम में निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्

अनुसूची–1
(नियम 3 (14) (क) देखें)
परिसंकटमय अपशिष्टों की सूची

क्र0सं0	प्रक्रिया	परिसंकटमय अपशिष्ट	
1	2	3	
1.	पैट्रोकेमिकल प्रक्रियाएं और पाइरोजिटिक संक्रियाएं	1.1	फरनेस/अभिक्रियक अवशेश एवं कचरा
		1.2	कोलतार के अवशेश
		1.3	तेल युक्त स्लज इमल्शन
		1.4	कार्बनिक अवशेश
		1.5	ईधनों को क्षार से धोने पर बचा अवशेश
		1.6	आसवन प्रक्रिया से स्टिल बाटम
		1.7	प्रयुक्त उत्प्रेरक और आण्विक चालनी
		1.8	अपष्टि जल से स्लॉप तेल
		1.9	परिसंकटमय अवयवों से युक्त बहिस्त्राव ेाधन संयक
2.	तेल गैस उत्पादन के लिए वेधन संक्रिया	2.1	तेल से युक्त ड्रिल कटिंग
		2.2	तेल युक्ल स्लज
		2.3	वेधन पंक और अन्य वेधन अपशिष्ट
3.	पोतों सहित पैट्रोलियम तेल भंडारण टैंको की सफाई, उन्हें खाली करना और उनका रख–रखाव	3.1	तेल युक्त स्थोस अवशिष्ट, धोने का पानी और स्लज
		3.2	रसायन युक्त स्थोस अवशिष्ट और स्लज
		3.3	तेल से संदूशित स्लज और फिल्टर
		3.4	पोतों से निकसित तेल युक्त बलास्ट जल
4.	पैट्रोलियम ेाधन/प्रयुक्त तेल का पुनः ेाधन/अपशिश्ट तेल का पुनर्चक्रण	4.1	तेल युक्त स्लज/इमल्शन
		4.2	प्रयुक्त उत्प्रेरक
		4.3	स्लॉप तेल
		4.4	प्रक्रिया से निकला कार्बनिक अवशेश

		4.5	अपष्टि जल ोधन से रासायनिक स्लज
		4.6	तेल से युक्त प्रयुक्त मृत्तिका
5.	हाइड्रोलिक प्रणालियों अथवा अन्य अनुप्रयोगों में स्नेहक के रूप में खनिज/कृत्रिम तेल का उपयोग करते हुए औद्योगि संक्रियाएं	5.1	व्यवहृत/प्रयुक्त तेल
		5.2	तेल युक्त अपशिष्ट/अवशेश

* बशर्ते अनुसूची 2 में निर्धारित स्त्रांद्रता की उल्लिखित सीमा में किसी घटक में अधिनियम के अंतर्गत अभिनिर्धारित किसी प्रयोगशाला द्वारा किए गए नमूनाकरण और विश्लेशण के आधार पर अन्यथा व्यवस्था हों।

6.	जिंक का सैकेंडरी उत्पादन और/या उपयोग	6.1	जिंक सल्फेट उत्पादन के फलस्वरूप स्लज और फिल्टर प्रेस केक
		6.2	जिंक चूर्ण/धूल/भस्म/मथक (प्रकीर्ण रूप)
		6.3	जिंक भस्म/की प्रक्रिया से अन्य अवशेश
		6.4	फ्लू गैस धूल और अन्य विविक्त*
7.	अल्यूमिनियम के अतिरिक्त जिंक/सीसा तांबा और अन्य अलौह धातु	7.1	भर्जन से फ्लू गैस धूल*
		7.2	प्रसंस्कृत अवशेश
		7.3	आर्सेनिक धारक स्लज
		7.4	धातु धारक स्लज और जैरोसाइट सहित अवशेश
		7.5	बहिस्राव ोधन संयंत्र और मार्जकों से अवशेश
8.	तांबे का सैकेंडरी उत्पादन	8.1	प्रयुक्त इलेक्ट्रोलिटिक विलयन
		8.2	स्लज और फिल्टर केक
		8.3	फ्लू गैस धूल और अन्य विविक्त
9.	सीसा का सैकेंडरी उत्पादन	9.1	अवष्टि युक्त लीड स्लैग
		9.2	फ्लू गैस से सीसा भस्म/विविक्त
10.	कैडमियन और आर्सेनिक और उनके यौगिकों का उत्पादन और/या उपयोग	10.1	कैडमियम और आर्सेनिक युक्त अवशेश
11.	प्राथमिक और सैकेंडरी अल्यूमिनियम का उत्पादन	11.1	गैस सोशन से स्लज
		11.2	पॉट लाइनिंग अवशेश सहित कैथोड अवशेश
		11.3	अपष्टि युक्त कोलतार
		11.4	फ्लू गैस धून और अन्य विविक्त
		11.5	लवण स्लैग और ब्लैक ड्रोसेज के ोधन से अपशिष्ट
12.	धातु सतह अभिक्रिया जैसे कि निक्षारण, अभिरंजन, पालिक करना, कलई करना, सफाई करना, ग्रीस हटाना, विद्युत लेपर करना, आदि	12.1	अम्लीय अवशेश
		12.2	क्षारीय अवशेश
		12.3	सल्फाइड, सायनाइड और विशाक्त धातु युक्त प्रयुक्त बाथ/स्लज
		12.4	कार्बनिक विलायक युक्त बाथ से उत्पन्न स्लज
		12.5	फास्फेट स्लज
		12.6	अभिरंजक बाथ से स्लज
		12.7	ताम्र निक्षारण अवशेश

		12.8	विद्युत लेपन धातु स्लज
		12.9	अपष्टि जल ोधन से रासायनिक स्लज

* बशर्ते अनुसूची 2 में निर्धारित स्त्रांद्रता की उल्लिखित सीमा में किसी घटक में अधिनियम के अंतर्गत अभिनिर्धारित किसी प्रयोगशाला द्वारा किए गए नमूनाकरण और विश्लेशण के आधार पर अन्यथा व्यवस्था हों।

13.	लौह और इस्पात का उत्पादन (विद्युत भट्टी, स्टील रॉलिंग और फिनिशिंग मिल्स, कोक ओवन और उत्पादन संयंत्र द्वारा)	13.1	प्रसंस्करण धूल और स्लैग*
		12.2	अम्ल रिकवरी इकाई से स्लज
		12.3	बेंजॉल अम्लीय स्लज
		12.4	निस्तारित्र टैंक कोलतार स्लज
		12.5	कोलतार भंडारण टेंक अवशेश
14.	इस्पात का दृढ़ीकरण	14.1	सायनाइड–नाइट्रेट अथवा नाइट्राईट युक्त स्लज
		14.2	प्रयुक्त ठोंस लवण
15.	एस्वेस्टोस याएस्बेस्टोस युक्त पदार्थो का उत्पादन	15.1	एस्बेस्टोस युक्त अवशेश
		15.2	परित्यक्त एस्बेसटस
		15.3	एक्जास्ट गैस ोशन से धूल/विविक्त
16.	कास्टिक सोडा और क्लोरीन का उत्पादन	16.1	पारा युक्त स्लज
		16.2	अवेश/स्लज और फिल्टर केक*
		16.3	ब्राइन स्लज पारा युक्त
17.	अम्लों का उत्पादन	17.1	अवेश, धूल या फिल्टर केक *
		17.2	प्रयुक्त कैटालिस्ट*
18.	नाइट्रोजनयुक्त व मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन	18.1	प्रयुक्त कैटालिस्ट *
		18.2	प्रयुक्त कार्बन*
		18.3	आर्सेनिक युक्त स्लज/अवशिष्ट
		18.4	जल ीतलन टावर से उत्पन क्रोमियम स्लज
		18.5	अपष्टि जल ोधन से रासायनिक स्लज
19.	फीनोल उत्पादन	19.1	फीनोलयुक्त अवशेश/स्लज
20.	विलायकों का उत्पादन और/या औद्योगिक उपयोग	20.1	मूल रूप से उपयोग के लिए अनुपयुक्त संदूशित एरोमैटिक, एलिफैटिक या नैप्थेनिक विलायक
		20.2	प्रयुक्त विलाय
		20.3	आसवन अवशेश

* बशर्ते अनुसूची 2 में निर्धारित स्त्रांद्रता की उल्लिखित सीमा में किसी घटक में अधिनियम के अंतर्गत अभिनिर्धारित किसी प्रयोगशाला द्वारा किए गए नमूनाकरण और विश्लेशण के आधार पर अन्यथा व्यवस्था हों।

21.	पेंट, रेजको, लक्वरस, वार्निश प्लास्टिक और स्याही का उत्पादन और अथवा औद्योगि प्रयोग	21.1	अपष्टि और अवशेश
		21.2	फिल्टर अवशेश

22.	प्लास्टिक कच्चे माल का उत्पादन	22.1	प्लास्टिक निर्माण में प्रयुक्त जैसे डाइस्टफ स्टैबिलाइजर, फ्लेम रीट्रडेन्ट आदि में ऐडिटिव्स अवशेश
		22.2	प्लास्टिसाइजर्स के अवशेश
		22.3	बिनायलक्लीराई मोनोमर उत्पादन से अवशेश
		22.4	एकीलोनाइट्राइल उत्पादन से अवशेश
		22.5	गैर पोलीनराइज्ड अवशेश
23.	ग्ल्यूज, सीमेंट आसंजक और रेज्नि का उत्पादन और/अथवा औद्योगिक प्रयोग	23.1	अपष्टि/ अवशेश (वनस्पति, अथवा जीव जन्तु सामग्री से न बना हो)
24.	केनवरू और कपड़े का उत्पादन	24.1	कपड़ा रसायन अवशेश*
		24.2	अपष्टि जलशोधन से उत्पन्न रासयनिक स्लज
25.	औद्योगिक उत्पादन और काष्ठ परिक्षकों का निर्माण	25.1	रासायनिक अवशेश
		25.2	काष्ठ क्षार स्लज अवशेश
26.	सिन्थेटिक डाई.डाई इन्टर पीडिगगटस और रंगों का उत्पादन अथवा औद्योगिक प्रयोग	26.1	एसिड अथवा अन्य जहरीले धातुओं अथवा कार्बनिक कम्प्लतैक्स युक्त प्रक्रिया अपशिष्ट स्लज/ अवशेशों का संसाधन
		26.2	अपष्टि जल ोधन से रसायन स्लज
		26.3	वायु फिल्टरेशन प्रणाली से धूल
27.	आर्गेनो–सिलिकोन कम्पाउंड से बने पदार्थो का उत्पादन अथवा औद्योगिक प्रयोग	27.1	सिलिफोन युक्त अवशेश
		27.2	सिलिफोन तेल अवशेश
28.	दवाइयों औशधियों का उत्पादन/निर्माण	28.1	अवशेश और अपशिश्ट *
		28.2	प्रयुक्त कैटालिस्ट/प्रयुक्त कार्बन
		28.3	अपबिनिर्देश उत्पाद
		28.4	अवधि समाप्त, त्यक्त ओर विनिर्दिष्टियों के बिन औशधी/दवाइयां
		28.5	प्रयुक्त मदर लिक्वर
		28.6	प्रयुक्त कार्बनिक विलायक

* बशर्ते अनुसूची 2 में निर्धारित स्त्रांद्रता की उल्लिखित सीमा में किसी घटक में अधिनियम के अंतर्गत अभिनिर्धारित किसी प्रयोगशाला द्वारा किए गए नमूनाकरण और विश्लेशण के आधार पर अन्यथा व्यवस्था हों।

29.	स्टॉक पाइल्स सहित कीटनाशकों का उत्पादन प्रयोग और निरूपण	29.1	कीटनाशक निहित अपशिष्ट/अवशेश
		29.2	अपशिष्ट जल ोधन से रसायनिक स्लज
		29.3	अवधि समाप्त और विनिर्दिष्टियों के बिना कीटनाशक दवाएं
30.	चर्म उद्योग	30.1	क्रोनियम धारक अवशेश
		30.2	अपशिष्ट जल ोधन से रासायनिक स्लज
31.	इलैक्ट्रानिक उद्योग	31.1	अवेश और अपशिष्ट*
		31.2	प्रयुक्त निक्षारक रसायन और विलायक
32.	गूदा और कागज उद्योग	32.1	प्रयुक्त रसायन

		32.2	तीव्र एसिड और बेसिस के प्रयोग से होने वाले संक्षारक अपशिष्ट
		33.3	घुलनशील कार्बनिक हैलिड्स निहित स्लज
33.	परिसंकटमय अपशिष्ट/रयासन के हथालन के लिए प्रयुक्त पीपों/आधानों का व्ययन	33.1	पीपे से रयायन युक्त अपशिष्ट का विसंदूशण और व्ययन
		33.2	पीपों/आधानों की सफाई/व्ययन से उत्पन्न अपशिष्ट जल ोधन से स्लज
		33.3	परिसंकटमय अपशिष्ट/रसायनों के लिए प्रयुक्त त्यक्त आधान/पीपे/लाइनर
34.	वायु और जल के लिए ोधन प्रक्रिया	34.1	फ्यूल गैस सफाई अवशिष्ट
		34.2	जल सफाई में आयन एक्सचेंज परिवर्तन सामग्री से जहरीली धातु युक्त अवशिष्ट
		34.3	अपशिष्ट जल ोधन से रसायनिक स्लज
		34.4	औद्योगिक बहिस्राव उपचार संयंत्र (सी ई टी पी एल) ओर विनिर्दिश्ट एकक बहिस्राव उपचार संयंत्र (ई टी पी एस) से रसायनिक स्लज, तेल और ग्रीस नथन अवशिष्ट
		34.5	प्रशीतन जल ोधन से क्रोमियम स्लज
35.	कार्बनिक मिश्रको/विलायकों के लिए ोधन प्रक्रिया	35.1	फिल्टर और फिल्टर सामग्री जिन पर कार्बनिक तरल है उदाहरणार्थ खनिज तेल, संशलिप्त तेल और कार्बनिक क्लोरिन सम्मिश्रण
		35.2	प्रयुक्त कैटालिस्ट*

* बशर्ते अनुसूची 2 में निर्धारित स्त्रांद्रता की उल्लिखित सीमा में किसी घटक में अधिनियम के अंतर्गत अभिनिर्धारित किसी प्रयोगशाला द्वारा किए गए नमूनाकरण और विश्लेशण के आधार पर अन्यथा व्यवस्था हों।

		35.3	प्रयुक्त कार्बन*
36.	अपशिष्ट ोधन प्रक्रिया उदाहरण भस्मीकरण आसवन और वियोजन और सान्द्रण तकनीकें	36.1	आर्द्र सक्रबर से उत्पन्न स्लज
		36.2	परिसंकटमय अपशिष्ट, फ्यूल गैस सफाई अवशिष्ट के भस्मीकरण से उत्पन्न राख
		36.3	बैटरियों में प्रयुक्त एसिड
		36.4	संदूशित आर्गेनिक विलायकों से डिस्टीलेशन अपशिष्ट

* बशर्ते अनुसूची 2 में निर्धारित स्त्रांद्रता की उल्लिखित सीमा में किसी घटक में अधिनियम के अंतर्गत अभिनिर्धारित किसी प्रयोगशाला द्वारा किए गए नमूनाकरण और विश्लेशण के आधार पर अन्यथा व्यवस्था हों।

अनुसूची–2
नियम 3(14) ख देखें
संकेद्रण सीमाओं के साथ अपशिष्ट घटकों की सूची

वर्ग क

सांद्रण सीमा : $\geq$ 50 मि.ग्रा./कि.ग्रा.

क 1	सुरमा और सुरमा संघटक
क 2	संखिया और संख्यिा घटक
क 3	केडमियम और बेरिलियम संघटक
क 4	बेरिलियम और केडमियम संघटक
क 5	क्रोमियन (vi) संघटक
क 6	पारा और पारा संघटक
क 7	सेलेनियम और सेलेनियम संघटक
क 8	टैल्यूरियम और टेलयूरियम संघटक
क 9	थेलियम और थेलियम संघटक
क 10	अकार्बनिक सायनाइड संघटक (सायनाइड)
क 11	धातु कार्बोनिल
क 12	नेफ्थानिल
क 13	एन्थ्रासिन
क 14	कीनेथ्रीन
क 15	क्राइसिन बेन्जो (ए) एन्थ्रासिन फ्लूरेन्थिन, बेन्जो (ए) पायरिन बेन्जो (के) फ्लूरेन्थिन इन्डेनो (1–2–3 सी डी) पायरिन और बेन्जो (जी एच आई) पेरिलोन
क 16	एसेमैटिकरिंग के हैलोजेनिक घटक जिसें पोलीक्लारिनेटिड वाई फिनाइट पोलिक्लोरेटफिनाइल्स और उनके व्यत्पन्नों के हैलोजिनेटिड संघटक
क 17	हैलोजनित एरोमेटिक संघटक
क 18	बैन्जीन
क 19	आर्गेनो–क्लोरिन पेस्टी साइड
क 20	आर्गेनोटर संघटक

इस सूची में दिए गए अपशिष्ट और उनकी सांद्रण सीमाए वर्गा (नीदरलैण्ड एनवायरमेंट प्रोटैक्शन एजेंसी) की परिसंकटमय पदार्थो की सूची। उपरोक्त सूची में दर्शाया गया कोई पदार्थ विशेश परिसंकटमय है या नहीं इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(i) यदि अपशिष्ट का कोई घटक उपरोक्त सूची में पांच जोखिम की श्रेणियों (क ख ग घ और ड.) में से किसी एक के अनतर्गत आता हो और घटक का सांद्रण, संबंधित जोखिम वर्ग के लिए निश्चित की गई सीमा के बराबर हो या उससे अधिक हो तभी उस पदार्थ को परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(ii) यदि अपशिष्ट में खतरनाक पदार्थयुक्त कोई रासायनिक मिश्रण है तो उसकी साद्रण सीमा मिश्रण पर लागू नहीं होगी बल्कि उस सांद्रण खतरनाक पदार्थ पर लागू होती। या

(iii) यदि अपशिष्ट में उसी वर्ग के कई खतरनाक पदार्थ मौजूदहो तो सांद्रण एक साथ लिए जाएंगे।

(iv) यदि अपशिष्ट में विभिन्न वर्गो में आने वाले कई खतरनाक पदार्थ मौजूद हो तो घटकों की न्यूनतम सांद्रण सीमा लागू होगी।

(v) जल सम्मिश्रणों में विद्यमान पदार्थो के मामलें में ुष्क पदार्थ की सान्द्रण सीमा का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। यदि ुष्क सामग्री की मात्रा भार में 0.1% से कम हो तब उसे सम्मिश्रण के लिए एक हजार के फैक्टर द्वारा कम की गई सांद्रण सीमा लागू होती है।

वर्ग ख

सांद्रण सीमा ≥ 5000 मि0ग्रस0/कि.ग्रा.

ख 1	क्रोमियम (iii) संघटक
ख 2	कोबाल्ट संघटक
ख 3	ताम्र संघटक
ख 4	सीसा और सीसा संघटक
ख 5	मांलाइवडेनन संघटक
ख 6	निक्कल संघटक
ख 7	अकार्बनिक टिन संघटक
ख 8	बेनेडियम संघटक
ख 9	टमस्टन संघटक
ख 10	सिल्वर संघटक
ख 11	हैलोजन टिड एलीफेटिक संघटक
ख 12	कार्बनिक फास्फोरस संघटक
ख 13	कार्बनिक पेरोक्साइड
ख 14	कार्बनिक नाइट्रो और नाइटारसो संघटक
ख 15	कार्बनिक एजो और एजो–ऑक्सी संघटक
ख 16	नाइट्राइल्स
ख 17	एमाइन्स
ख 18	(आइसो और थाजो) साइनेट्स
ख 19	फेनोल और फेनालिक संघटक
ख 20	मर्केप्टैस
ख 21	एसबेस्टोस
ख 22	हेलोजन सायलेन्स
ख 23	हाइड्रोजिन
ख 24	फ्लूराइन
ख 25	क्लोरीन
ख 26	ब्रोमाइड
ख 27	ष्वेत और लाल फास्फोरस
ख 28	फेरोसिलीकान और मिश्र धातु
ख 29	मैगनीज सिलीकॉन
ख 30	हैलोजिन युक्त ऐसे पदार्थ जो नम वायु या जल के सम्पर्क में आने में अम्लीय वाष्प उदाहरणार्थ सिलिकॉन टेट्रोक्लोराइड, अलुमलनियम क्लोराइड, टिटानियम, टैट्राक्लोराइड उत्पन्न करते है।

वर्ग ग

सांद्रण सीमा ≥ 20,000 मि0ग्रस0/कि.ग्रा.

ग 1	अमोनिया और अमोनिया संघटक
ग 2	अकार्बनिक पैराक्साइड
ग 3	बेरियम सल्फेट को छोड़कर, बेरियम संघटक
ग 4	फ्लूराइन संघटक
ग 5	एल्यमीनियम कैल्शियम और लोहा फास्फेटों को छोड़कर, फास्फोरस संघटक

ग 6	ब्रोमेटस (हाइपो ब्रोमाइट)
ग 7	क्लोरेट (हाइपो क्लोराइट)
ग 8	ए 12 ऐ ए 18 के अन्तर्गत सूचीबद्ध को छोड़कर अन्य एसोमैटिक संघटक
ग 9	कार्बनिक सिलिकान संघटक
ग 10	कार्बनिक सल्फर संघटक
ग 11	आयोडेट्स
ग 12	नाइट्रेट नाइ्राइट्स
ग 13	सलफाइड
ग 14	जिंक संघटक
ग 15	पर–ऐसिड–लवण
ग 16	ऐसिड एमाइड्स
ग 17	एसिड एन्हाइड्राइड

वर्ग घ

सांद्रण सीमा $\geq$ 50,000 मि0ग्रस0 / कि.ग्रा.

घ 1	कुल सल्फर
घ 2	अकार्बनिक अम्ल
घ 3	धातु हाइड्रोजन सल्फेट
घ 4	ऐसे हाइड्रोजल कार्बन, सिलिकान, लोहा, अलुमिनियम, टीटानियम, मैगनीज, मैग्नेशियम, कैल्शियम को छोड़कर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड
घ 5	नीचे ए 12 से ए 18 को सूचीबद्ध को छोड़कर अन्य कुल हाइड्रोकार्बन
घ 6	कार्बनिक ऑक्सीजन संघटक
घ 7	नाइट्रोजन के रूप में उल्लिखित कार्बनिक नत्रजन संघटक
घ 8	नाइड्राइस
घ 9	हाइड्राइड

वर्ग ड.

कोई साद्रण सीमा नही; सभी संकेद्रणों पर खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत

ड. 1	ज्वलनशील पदार्थ
ड.2	ऐसे पदार्थ जो जल या नम वायु के सम्पर्क में आने पर अत्यन्त ज्वलनशील गैसों की खतरनाक मात्रा उत्पन्न करते है।

अनुसूची–2

(नियम 3 (14) (ग) और 12 (अ) देखिए)

भाग कः आयात और निर्यात के लिए लागू अवशिष्ट की सूची

बेसल नं0	सामग्री का वर्णन	उपबंध 1**	उपबंध–।।#	ओ ई सी डी संख्या	सीसायुक्त (संहिता)
क	धातु और अपशिश्ट युक्त धातु				

क 1010	धातु अपशिष्ट और वे अपशिष्ट जिसमें निम्नलिखित धातुओं के एलोयस हो किंतु ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर जो सूची ''ख'' में निर्दिष्ट है (कोष्टक में सूची ख के अन्तर्गत समान प्रतिकृति प्रविष्टि)				
	–ऐन्टिमॅनी	वाई 27	6.1,11,12	एए070	एक्स 2620.90
	– कैडमियम	वाई 28	6.1,11,12	एए070	एक्स 2620.90
	– वैल्यूरियम	वाई 26	6.1,11,12	एए070	एक्स 2620.90
	– लीड	वाई 31	6.1,11,12	एए070	एक्स 2620.90
क 1020	वे अपशिष्ट जिनमें संघटक या संदूशक है, स्थूल रूप में धातु अपशिष्टों को छोड़कर निम्नलिखित में से कोई				
	–कैडमियम, कैडमियम योगिक (देखिए ख 1020)	वाई 26	6.1,11,12	एए070	एक्स 2620.90
	–एन्टिमनी, एन्टिमनी यौगिक (देखिए ख 1020)	वाई 27			
	–टैल्यूरियन, टेलयूरियम योगिक (देखिए ख 1020)	वाई 28	6.1,11,12	एए070	एक्स 2620.90
	– सीसा, सासा योगिक (देखिए ख 1020)	वाई 31	6.1,11,12	एए030	एक्स 2620.20

* परिसंकटमय अपशिष्ट के सीमा पार संचलन और उनके व्ययन पर बेसल कन्वेशन उपबंध viii के रूप में दी गई सूची क में कन्वेंशन के अनुच्छेद, 1, पैरा (क) के अधीन परिसंकटमय के रूप में माने गए अपशिष्ट समदिण्ट है। इस सूची में अपशिष्ट को सम्मिलित किया जाना, परिसंकटमय लक्षणों के संबंध में प्रदर्शन करने से बेसल कन्वेंशन के उपबंध III के उपयोग से नहीं रोकता है, अपशिष्ट परिसंकटमय नहीं है। सूची इस सीमा तक उपंतरित हो जाती है कि बेसल कन्वेंशन की मूल सूची में दिए गए कतिपय अपशिष्ट प्रवर्ग पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1998 के अधीन आयात और निर्यात के लिए प्रतिशिद्ध है और इन नियमों का अनुसूची 6 के अधीन पृथक रूप से सूचीबद्ध किए गए है। उपरोक्त सूची में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रतिबन्धित है और डी0जी0एफ0टी0 लाइसेंस के बिना देश में उनके आयात की अनुमति नही है।

** बेसल कन्वेंशन का अनुबंध । नियंत्रित किए जाने वाले अपशिष्टों की सूची की क्रम संख्या निर्दिष्ट करता है।

बेंसल कन्वेंशन का अनुबन्ध ।।। परिसंकटमय लक्षणों को क्रम संख्या पर निर्दिष्ट करता है इस अनुसूची का भाग)

क 1040	वे अपशिष्ट जिनमें निम्नलिखित में से कोई संघटक हो	वाई 31	6.1,11,12	एए030	एक्स 2620.20

	–धातु कार्बोनिल्स	वाई 19	6.1,11,12		
क 1050	गैल्बैनिक स्लज	वाई 17	6.1,12	एए 120	
क 1060	धातुओं के अम्लोपचार से उत्पन्न लिंकर	वाई 17	6.1,12	एए 130	
क 1070	जस्ता प्रसंस्करण, धूल और आपंक से निच्छालित अपशिष्ट अर्थात् जैरोलाईट, हेमटाइट, गोएथाइट आदि	वाई 23	12	एए140	
क 1080	सूची 'ख' में सम्मिलित नहीं किए गए अपशिष्ट जस्ता अपशिष्ट सीसा और कैउमियम की सांद्रता अंतर्विष्ट है इस अनुसूची 2के भाग क में उपदर्शित परिसंकट लक्षणों को पर्याप्त रूप से संप्रदर्शित करती है। (देखिए ख 1080 और ख 1100)	वाई 23	4.3,12	एए020	एक्स 2620.19 एक्स 2620.1 एक्स 2817
क 1090	विद्युतरोधी ताबें की तारों के भश्मीकरण से प्राप्त भष्म	वाई 22	12		
क 1100	तांबा प्रगालक की गैस ेधन प्रणाली से प्राप्त धूल और अपशिष्ट	वाई 18 वाई 22	12		एक्स 2620.30
क 1110	तांबा विद्युत परिष्करण और विद्युत प्राशण संक्रियाओं से मुक्त `श विद्युत–अपघटनी विलयन	वाई 22	12		एक्स 2620.30
क 1120	तांबा विद्युत परिश्करण और विद्युत प्रापण की संक्रियाओं में से विद्युत अपघटनी ेधन प्रणाली के अपशिष्ट आपंक को छोड़कर अपशिष्ट स्लज	वाई 18, वाई 22	12		एक्स 2620.30
क 1130	रसायन उत्कीर्णन विलयन जिसमें मुक्त`श घुलनशील तांबा हो	वाई 22	12		एक्स 2834.90
क 1140	अपष्टि क्यूप्रिक क्लोराइड और तांबा सायनाइड कैटेलेस्ट				
क 1150	मुद्रित परिपथो के भष्मीकरण से उत्पन्न मूल्यवान धातु भष्म जो सूची 'ख' के अन्तर्गत न हो(देखें ख–1160)			एए 161	एक्स 7112.10
क 1160	अपष्टि ीश अम्ल बैटरियां, पूर्ण या पिच्चन (संदलन)	वाई 31	6.1,11,12	एए170	
क 1170	बिन छटी अपशिष्ट बैटरियों का सम्मिश्रण जो कि केवल सूची ''ख'' है। बैटरियों का अपशिष्ट जोकि सूची ''ख'' की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नहीं है। उस सीमा तक जैसा कि इस अनुसूची 2 के	वाई 26, वाई 29 वाई 31	6.1,11,12		एक्स 8548.10 एक्स 8548.90

	भाग ''क'' में निर्देशित परिसंकटमय लक्षणों को दिखाया गया है (देखिए ख 1090)				
क 1180	विद्युत अपशिष्ट और इलैक्ट्रानिक समन्वायोजन या उच्छिष्ठ घटक जिसमें संचालक सेल और अन्य बैटरियां, सूची ''क'' के अंतर्गत हो, मर्करी स्विच, कैथोड़ किरण नालिकया का कांच और अन्य सक्रियकृत कांच या पी सी वी–संधरित या संदूशणों की अनुसूची–2 के संघटकों (उदाहरणार्थ केडमियम, मरक्यूरी, सीसा, पॉलीक्लोरीनेटड बाइफिनाइल) संघटक उस सीमा तक जो कि इस अनुसूची 2 के भाग ''क'' में दिए गए परिसंकट लक्षण प्रदर्शित करती है। (देखिए ख 1110)				
क 2	मुख्यतः अकार्बनिक संघटकों के अपशिष्ट जिसमें धातु या कार्बनिक पदार्थ अन्तर्विष्ट हों				
क 2010	कैथोड किरण नालिकाएं और अन्य सक्रियकृत कांच के अपशिष्ट	वाई 31	6.1,11,12	एबी 040	एक्स 7001.00
क 2030	कैटालिस्ट अपशिष्टों किन्तु सूची ''ख'' में विनिर्दिष्ट अपशिष्टों में न हों	वाई 31			
क 3	वे अपशिष्ट जिनमें प्रधानतः कार्बनिक संघटक अंतर्विष्ट हों, जिनमें संभवतः धातु और अकार्बनिक सामग्री हो।				
क 3010	पेट्रोलियम–कोक और बिट्मैन उत्पादन या प्रसंस्करण से उत्पन्न अपशिष्ट	वाई 11		एसी 010	एक्स 2317.90
क 3020	अपष्टि खनिज तेल जो उनके मूल रूप से आशयित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हों	वाई 8		एसी 030	2710.00 3813.00
क 3050	राल, रबर और संघटयकारी सरेश/आसंजकों के उत्पादन, संरूपण से उत्पन्न अपशिष्ट सूची ख (ख 4020 में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर)	वाई 13		एसी 090	

क 3070	द्रव या आपंक के रूप में क्लोरोफिनॉल सहित फिनॉल, फिनाल यौगिक (अपशिष्ट)	वाई 39	एसी 110	
क 3080	ईथर जिसके अन्तर्गत वह नही है जो सूची (ख) विनिर्दिष्ट है।		एसी 130	
क 3120	परिफल्लः कतरन हल्का प्रभाज (स्वचालिक वाहन)		एसी 190	
क 3130	कार्बनिक फास्फोरस यौगिक अपशिष्ट	वाई 37	एसी 200	
क 3140	(अपशिष्ट) अहैलोजकीकृत कार्बनिक (किन्तु उन अपशिष्टों को छोड़कर जो सूची ''ख'' में विनिर्दिष्ट है) विलायक	वाई 42	एसी 210	
क 3160	हैलोजनीकृत अहैलोजनीकृत निजलाआसवन अवशिष्ट जो कि कार्बनिक विलयक के पुनः प्राप्त की संक्रिया से उत्पन्न हो	वाई 18	एसी 230	
क 3170	ऐलीफैटिक हैलोजनीकृत निजलाआसवन अवशिष्ट जो कि कार्बनिक विलयक के पुनः प्राप्त की संक्रिया से उत्पन्न हो	वाई 45	एसी 240	
क 4	अपष्टि जिनमें संभवतः अकार्बनिक या कार्बनिक संघटक हो सकते है।			
क 4010	औशधि उत्पादों के निर्माण, वाई 2 (और) निर्मित और उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट लेकिन उन अपशिष्टों को छोड़कर जो सूची ख में विनिर्दिष्ट है।	वाई 2		एडवाइज आर 010
क 4040	लकड़ी सरेक्षी रसायन, के विनिमाण, संरूपण और उपयेाग से उत्पन्न अपशिष्ट	वाई 5, वाई 22, वाई 24		एडवाइज आर 030
क 4080	विस्फोटक की प्रवृति के अपशिष्ट सूची ''ख'' में विनिर्दिष्ट अपशिष्टों को छोड़कर	वाई 15		
क 4090	अम्लीय या बेसिक विलयन के अपशिष्ट सूची ख में विनिर्दिष्ट को छोड़कर (ख 2120)	वाई 34, वाई 35	एबी 110	एडवाइज आर 110
क 4100	औद्योगिक बहिर्गैस के ोधन के लिए औद्योगिक प्रदूशण नियंत्रण युक्तियों से प्राप्त अपशिष्ट अनुसूची बी में विनिर्दिश्ट ऐसे अपशिष्ट	वाई 18		

क 4110	वे अपशिष्ट जो निम्नलिखित, से मिलकर बनें हों या उससे संदूशित अंश है ● पॉलीक्लोरीनाइट डाइबेंजो फयूरेन से अन्य समानधर्मी ● पॉलक्लोरीनेटड डाइबेंजो डाइआक्सिन के अन्य समानधर्मी	
क 4120	वे अपशिष्ट जिनमें अंतर्विष्ट असंदूशणों में परआक्साइड हो	
क 4130	अंतर्विष्ट पदार्थो की पैंगिश आधानों के अपशिष्ट जिनकी पर्याप्त सांद्रता अनुसूची 2 के भाग ख में उपदर्शित परिसंकटमय लक्षण को संप्रदर्शित करती है।	
क 4140	गतावधि रसायनिक समरूपी या विनिर्देशों से पृथक अंतर्विष्ट या संगत अपशिष्ट जो इस अनुसूची 2 के भाग क में उपदर्शित के परिसंकटमय लक्षण संप्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सांद्रय हो	वाई 3
क 4150	ोध और विकास या शिक्षण गतिविधियां जो कि नामित न हों और/या नयी हो ओर उनके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और/या पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव ज्ञात न हो से उत्पन्न रासायनिक पदार्थो के अपशिष्ट।	वाई 14
क 4160	मुक्तशेश संक्रियत कार्बन जो सूची ''ब'' में ामिल नहीं है (बी 2060)	

सूची ''ख''

ख 1	धातु और धातुयुक्त अपशिष्ट		
ख 1010	धात्विक, परिक्षेपण रूप में धातु और मिश्र धातु अपशिष्ट		
	• बहुमुल्य धातु (सोना, चांदी, प्लेटिनम)**		
	लोहा और स्टील उच्छिष्ट **		
	निकिल उच्छिष्ट ****		
	एल्युमिनियम उच्छिष्ट ****	जीए 130	750300
	जिंक उच्छिष्ट ****		
	टिन उच्छिष्ट ****		
	टंगस्टन उच्छिष्ट **		
	मोंलिबडेन्थम उच्छिष्ट ***	जीए 190	एक्स 810291
	टेंटालन उच्छिष्ट ***	जीए 200	एक्स 810310
	कोबाल्ट उच्छिष्ट ***	जीए 220	एक्स 810510
	बिस्मथ उच्छिष्ट ***	जीए 230	एक्स 810600
	टाइटेनियम उच्छिष्ट ***	जीए 250	एक्स 810810
	जिक्रोनियम उच्छिष्ट ***	जीए 260	एक्स 810910
	मैगनीज उच्छिष्ट ***	जीए 280	एक्स 811100
	जस्मेनियम उच्छिष्ट ***	जीए 310	एक्स 811230
	वनाडियम उच्छिष्ट ***	जीए 320	एक्स 811240
	हाफनियम उच्छिष्ट ***	जीए 330	एक्स 8112.91
	इन्डीयम उच्छिष्ट **	जीए 340	एक्स 8112.91
	नायोबीयन उच्छिष्ट ***	जीए 350	एक्स 8112.91
	ऐनियम उच्छिष्ट ***	जीए 360	एक्स 8112.91
	गैलियन उच्छिष्ट ***	जीए 370	एक्स 8112.91
	मैग्नेशियम उच्छिष्ट ****	जीए 210	810420
	तांबा उच्छिष्ट ****	जीए 210	740400
	थोरोयिम उच्छिष्ट		
	रेयर अर्थ उच्छिष्ट		

* परिसंकटमय अपशिष्ट और व्ययन संबंधी सीमापार संचलन पर बेसल कन्वेंशन के उपबंध के रूप में दी गई सूची ''ख'' में वे अपशिष्ट समविष्ट है जो कन्वेंशन के अनुच्छेद पग पैरा 1(क) के अन्तर्गत नहीं आते है। जब तक कि कन्वेंशन के उपबंध । के अधीन सूची बद्ध सामग्री उस सीमा तक अन्तविष्ट नहीं होती है जिस तक उनमें उपबंध 3 के लक्षण प्रदर्शित न हों। उपरोक्त सूची में अपशिष्टों की स्थिति देश में उनके आयात के संबंध में संबंधित पाद टिप्पणियों में संकेतित है। (विस्तार के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्तुत आई टी सी एच एस वर्गीकरण (ई एक्स आई एम नीति) से संदर्भ देंखें) रसायन और सहायक उद्योगों के अन्य अपशिष्ट और बेकार उत्पाद जो कि उपरोक्त सूची में है लेकिन ई एक्स आई

एम नीति में विनिर्दिष्ट नहीं है प्रतिबन्धित है ओर डी जी एफ टी लाइसेंस के बिना देश में आयात की अनुमति नहीं है।

** बिना किसी लाइसेंस अथवा प्रतिबंध के देश में आयात की अनुमति

*** प्रतिबन्धित पुनर्ससाधन अथवा पुर्नउपयोग के उद्देश्य के लिए केवल डी जी एफ टी लाइसेंस द्वारा देश में आयात की अनुमति।

*** आई एस आर आई कोड में ामिल सामग्री के आयात के लिए बिना लाइसेंस अनुमति है अन्य सामग्री के लिए डी जी एफ टी लाइसेंस आवश्यक है।
तांबा उच्छिष्ट का आयात नामतः तांबा तार आई एस आर आई कोड 'द्रुइड' के अन्तर्गत ामिल और जेली युक्त कापर केवल्स बिना लाइसेंस के अनुज्ञेय है उन यूनिटों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में रजिस्टर्ड है।

ख 1020	ोधित असंदूशित धातु उच्दिष्ट जिसमें मिश्रधतु भी हैं, विपुल आयतन में परिस्कृत रूप में (चादर, स्थान दंडो, छड़ आदि)		
	एन्टिमनी उच्छिष्ट *	जीए 270	एक्स 8110.00
	कैडमियन उच्छिष्ट *	जीए 240	एक्स 8107.10
	सीसा उच्छिष्ट **		
	टैलयूरियम उच्छिष्ट ***		
ख 1030	अपष्टि निहित अवर्तक धातुए		
ख 1040	विद्युतशील उत्पादन के समन्वायोजनाकें उच्छिष्ट जिसमें स्नेह तेल, पी सी वी या पी सी टी उपदर्शित सीमा तक संदूर्शित न हों		
ख 1050	मिश्र अलौह धातुए, गुरू प्रभाजी उच्छिष्ट जिसमें ऐसे पदार्थ नहीं है। जिनकी सांद्रता अनुसूची 2 के भाग क में उपदर्शित परिसंकट लक्षणों के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है।		
ख 1060	पाऊडर सहित धात्विक एलीमेंटल फार्म में अपशिष्ट टेलयूरियम		

* प्रतिबन्धित, प्रसंस्करण अथवा पुर्नउपयोग के उद्देश्य से केवल डी जी एफ टी लाइसेंस द्वारा देश में आयात की अनुमति देना

** बैंटरी उच्छिष्ट के अन्तर्गत ामिल निम्नलिखित सामग्री को डी जी एफ टी लाइसेंस के साथ देश में आयात किया जा सकता है।

*** बैटरी उच्छिष्ट, नामतः निम्नलिखित आई एस आर आई द्वारा आवृत सीसी बैटरी प्लेटस आई एस आर आई द्वारा आवृत कोई वर्ड रेल बैटरी लगस कोड वर्ड रैक्स

बैटरी अपशिष्ट, नामतः निम्नलिखित निष्कासित उच्छिष्ट/इन्टक्ट करते समय ुल्क आई एसव आर आई द्वारा आवृत सीसी बैटरीज, कोई वर्ड रिंक, आई एस आर आई कोर्ड वर्ड द्वारा आवृत इन्टैक्ट लेड सेल्स औद्योगिक अपशिष्ट आई एवस आर आई द्वारा आवृत इन्टैक्ट औद्योगिक लेडबैटरीज का उच्छिष्ट, कोड वर्ड रोपर, आई एस आर ई द्वारा आवृत एडीसन बैटरीज, कोई वर्ड वायुंत

**** बिना किसी लाइसेंस अथवा प्रतिबन्ध के देश में आयात की अनुमति है।

ख 1070	ताम्र अपशिष्ट और ताम्र मिश्र धातुए विक्षेपित रूप में जब तक कि वो अनुसूची 2 के भाग 1 में दिए परिसंकटमय लक्षणों को अपदर्शित नहीं करती।	एक्स 2620.30
ख 1080	जिंक भस्म और उच्छिष्ट जिसमें जिंक मिश्र उच्छिष्ट विक्षेपित रूप में हो जब तक कि वे अनुसूची 2 के भाग क में उपदर्शित परिसंकटमय लक्षणों में प्रदर्श हो।	
ख 1100	गलाने, प्रगलन और परिशुद्ध धातुओं से उत्पन्न धातु अपशिष्ट हाई जिंक स्पेलटर ड्रोस युक्त जिंक • गैल्वेनाइजेंग स्लैब जिंक टोपड्रोस (>90% जेड एन) • गैल्वेनाइजेग स्लैब जिंक वाटम ड्रोस (>92% जेड एन) • जिंक डाई कास्टिग ड्रोस (>85% जेड एन) • होट डिप गैल्वेनाइजर्स स्लैब जिंक ड्रोस (वाच) (>92% जेड एन) • (जिंक स्कीमिग्स)	

* ताम्र ड्रोस जिसमें 65% से अधिक तांबा और सीसा और केडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% के बराबर अथवा कम हो और ताम्र रिवर्टास केक और उच्छिष्ट जिनमें सीसी और केडोकमियन क्रमशः 1.25ः के बराबर अथवा 0.1% से कम हो उनके आयात की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास रजिस्टर्ड यूनिटों (वास्तविक उपयोगकर्ता), बिना डी जी एफ टी लाइसेंस के अनुमति है लेकिन रजिसट्रेशन पत्र में सांकेतिक वार्शिक मात्रा तक ताम्र रिवर्टस केक और उच्छिष्ट जिनमें क्रमशः 1.25% और 0.1% से अधिक सीसी और केडमियम ामिल हो, वे प्रतिबन्धित श्रेणी में ामिल है जिनके लिए केवल डी जी एफ टी लाइसेंस द्वारा ही

आयात की अनुमति है और केवल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास रजिस्टर्ड यूनिटों द्वारा प्रसंस्करण और पुर्नउपयोग के उद्देश्य के लिए।

** जिंक भस्म और/स्कीमिंगस विक्षेपित रूप में जिनमें 65ः से अधिक जिंक और सीसी और केडेमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% के बराबर अथवा अधिक ामिल हो और हाई जिंक स्पेलटर और ब्रास ड्रोस जिसमें 1.25% से अधिक सीसी हो प्रतिबन्धित श्रेणी में आते है। जिसके लिए आयात डी पी एफ टी के साथ अनुज्ञेय है और केवल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास रजिस्टर्ड इकाइयों (वास्तविक उपयोगकर्ता) द्वारा प्रसंस्करण अथवा पुनः उपयोग उद्देश्य के लिए।

	तांबा प्रसंस्करण से और प्रसंस्करण या परिश्करण के लिए स्लैग जो आर्सनिक, सीसा या कैडमियम को उस सीमा तक अंतर्विष्ट करता है कि वे अनुसूची क के भाग 2 में उपदर्शित परिसंकट लक्षण प्रदर्शित करते है। बहुमूल्य धातु प्रक्रमण के पुनः ोधन से उत्पन्न धातुमल उच्चतापसह अस्तर अपशिष्ट जिसमें कूसिबल तांबे के प्रगलन से उत्पन्न सम्मिलित है।	जीवी 40	एक्स 2820.90
	एल्यूमिनियम मेथेन (या मथना) सिवाय लक्षण धातुमल के।	एए 50	
	टेन्टैलम वेयरिंग टिन धातुमल जिसमें 0.5% टिन से कम हो।	एबी 50	एक्स 2620.90
ख 1110	वैद्यत और इलैक्ट्रानिक समन्वायोजन	जीसी	
	इलैक्ट्रानिक समन्वायोजन जिनमें केवल धातुओ या मिश्र धातुएं हों। वैद्युत और	जीसी 010	
	इलैक्ट्रानिक समन्वायोजन (मुद्रित परिपथों बोड इलैक्ट्रानिक घटक और तार सम्मिलित हों) सीधे पुनः उपभाग के लिए है किन्तु पुनः चक्रण अथवा अन्तिम निपटान के लिए नहीं है।	जीसी 020	
	इलैक्ट्रानिक और इलेक्ट्रोनिक पूर्जो के ऐसे स्क्रैप अपशिष्ट (छपाईयुक्त सर्किट बोर्ड सहित) जिनमें सूची ''क'' में ामिल एक्यूमेलटर तथा अन्य बैटरियां, मरकरी स्विच, कैथोड़		

रे टयूबों के टुकड़े व अन्य क्रियाशील कांच तथा पी सी बी कैपीसिटर्स इत्यादि न हो अथवा कैडमियम, मरकरी, सीसा पोलीक्लोरीनेटिड बाई फिनाइल जैसे अवयवों से संदूशित न हों या उन चीजों से जिनमें इन्हें निकाला गया हो और उनमें अनुसूची 2 के भाग क में से कोई लक्षण न हों (संबंधित प्रविष्ट सूची कक 1180 पर)

वैद्युत और इलैक्ट्रानिक समनवायोजन (मुद्रित परिपथों बोड इलैक्ट्रानिक घटक ओर तार सम्मिलित हों) सीधे पुनः उपभोग के लिए किन्तु पुनः चक्रण अथवा अन्तिम निपटान के लिए नहीं है।

ख 1120 प्रयुक्त कैटलिस्ट सिवाए ऐसे तरल पदार्थो के जिसका उपयोग कैटालिस्ट के रूप में किया गया हो, जिनमें निम्न में से कोई भी अवयव ामिल हो।

ट्रांसीशन धातुए, सूची क में ामिल अपशिष्ट (प्रयुक्त कैटालिस्ट, कैलालिस्ट के रूप में उपयोग किए तरल पदार्थ या अन्य कैटालिस्ट)

स्कैन्डियम	टिटनेयम
वैनेडियम	क्रोमियम
मैगनीज	लौह
कोबालट	निक्कल
कॉपर	जिंक
यट्रियन	जिरकोनिय
नोबियम	मोलीन्डोनियम
हैफनियम	टैंटालम
टंगस्टन	रेहनियन
लैनथेन्ड्स	(दुर्लभ–भू धातुए)
लैनथैनियम	सेरियम
प्रोसिथयो–डामियम	नियोडी

समेरियम	यूरोपियन
गोडोलि–नीयम	टरबियम
डाइसोप्रो–सियम	होलनियम
एर्बियम	यूलियन
वैटरबियम	ल्यूरेटियम

ख 1130	कैटालिस्ट्सयुक्त क्लीन्डस्पैंट कीमती धातु		एक्स 381510 एक्स 711510
ख 1140	ठोस रूप में मूल्यवान धातु युक्त अपशिष्ट जिसके अंतर्विष्ट अपशिष्ट जिसके अंतर्विष्ट अनुरेध अकार्बनिक साइनाइड हो		एक्स 381510 एक्स 711510
ख 1150	मूल्यवान धातु और मिश्र धातु अपशिष्ट (स्वर्ण, चांदी, प्लैटनियम वर्ग के हों) विक्षोपित रूप में		एक्स 381510 एक्स 711510
ख 1160	बहुमूल्य–धातुभस्म, मुद्रित सर्कट वोर्डसे से भस्मीकरण (सूची 1150 से संबंधित प्रविष्ट नोट करें)		
ख 1170	फोटोग्राफिक फिल्म के भस्मीकरण से उत्पन्न मूल्यवान धातु भस्म		एक्स 284310
ख 1180	चांदी हैडलाईड और धात्विक हैलाइड सम्मिलित करते हुए अपशिष्ट फोटोग्राफिक फिल्म		
ख 1190	चांदी हैडलाईड और धात्विक हैलाइड सम्मिलित करते हुए अपशिष्ट फोटोग्राफिक कागज		
ख 1200	आयरन ओर स्टील के उत्पादन से उत्पादन से उत्पन्न ग्रेनुलेटिउ स्लैग	जीसी 80	एक्स 281900
ख 1210	आयरन ओर स्टील के उत्पादन से उत्पन्न स्लैग जिसमें टिटेनियम डाइ–आक्साइड और बेनैडियम के स्त्रोत के रूप में स्लैग ामिल है।		एक्स 261900

* बिना किसी लाइसेंस अथवा प्रतिबन्ध के देश में आयात की अनुमति

** ग्रेनुलेटिड के सिवाए स्लैग और ड्रोस, सकेलिंग और अन्य अपशिष्ट प्रतिबन्धित है, प्रसंस्करण अथवा पुनः उपयोग के उद्देय से आयात की अनुमति।

बी 1220	जिंक उत्पादन से स्लैग, कैमिकल स्टैब्लाइजड जिसमें आयर अंश अधिक है (20 प्रतिशत से अधिक) और जिसकी औद्योगिकी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप मुख्यतः निर्माण के लिए प्रक्रिया की गई है। *		एक्स 262030
बी 1230	आयरन और स्टील के निर्माण के कारण उत्पन्न मिल स्केल		ई एक्स 261900
बी 1240	कापर–आक्साइड मिल स्केल **		
बी 2	अपष्टि जिसमें मुख्यतया अकार्बनिक संघटक जिसमें धातु और कार्बनिक तत्व मिल हो सकते है।		
बी 2010	नान डिस्पीर्सीबल रूप में खनन कार्यो से अपशिष्ट		
	– प्राकृतिक ग्रफाइट अपशिष्ट *	जीडी 010	250400
	– स्लेट अपशिष्ट *		
	– अमरक अपशिष्ट *		
	– ल्यूसाइड, नेफलाइन और नेफलाइन साइनाइट अपशिष्ट *	जीडी 040	252930
	– फील्डसपार अपशिष्ट (ढेला और पाडर)*	जीडी 050	252910
	– फ्लूओरस्पार अपशिष्ट*	जीडी 080	252921
	– फाउंड्री कार्यो में प्रयुक्त सिलिका में को छोड़कर ठोस में सिलिका अपशिष्ट		252922
बी 2020	– नान–डिर्स्पीबल रूप में कांच अपशिष्ट		
	– क्यूलेट और अन्य अपशिष्ट और केथोड रे टयूबों और अन्य एक्टिवेटिड कांच से होने वाले कांच के अलावा कांच छीजना		

* देश में बिना किसी लाइसेंस अथवा प्रतिबन्ध के देश में आयात की अनुमति है।

** पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ पंजीकरण यूनिटें (वास्तविक प्रयोक्ता) डी जी एफ टी लाइसेंस के बिना पंजीकरण पत्र मे ंदशायी गई वार्शिक प्रमात्रा तक देश में आयात के लिए कापर आक्साइड मिल स्केल की अनुमति है।

*** पुनः संसाधन अथवा पुनः उपयोग के लिए केवल डी जी एफ बी के साथ देश में प्रतिबंध, आयात अनुमति है।

बी 2030	नान–डिर्स्पीबल रूप में सेंटीमिक अपशिष्ट	जीएफ	
	सीमेंट अपशिष्ट और छीजन (धातु सेरीमिक मिश्रण)*	जीएफ 020	इएक्स 8113.00
बी 2040	मुख्यतया अकार्बनिक घटक निहित अन्य अपशिष्ट	जी सी	
	– फ्लू गैस डीसल्फुराजेशन से उत्पन्न आंशिक परिष्कृत कैलशियम सल्फेट –भवन गिराने के कारण होने वाले अपशिष्ट जिप्सम वालर्वोड अथवा प्लास्टरर्बोड –ठोस रूप में सल्फर –कैलशियम सायनमाइट उत्पादन से लाइमस्टोन (पी एच <9) –सोडियम, पोटाशियम, कैलशिम, क्लोराइड –कारबोरन्डर (सिलिकान कारबाइड) –रोड़ी –लिथियम टेन्टालत और कांच छीजन निहित लिलियम नियोबियम	जीसी 010	एक्स 262100

* देश में बिना किसी लाइसेंस अथवा प्रतिबन्ध के देश में आयात की अनुमति है।

** पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ पंजीकरण यूनिटें (वास्तविक प्रयोक्ता) डी जी एफ टी लाइसेंस के बिना पंजीकरण पत्र में दशायी गई वार्शिक प्रमात्रा तक देश में आयात के लिए कापर आक्साइड मिल स्केल की अनुमति है।

*** पुनः संसाधन अथवा पुनः उपयोग के लिए केवल डी जी एफ ब के साथ देश में प्रतिबंध, आयात अनुमति है।

बी 2050	कोल–फायरड पावर संयंत्र फ्लाई एश अन्यथा इसमें अनुसूची 2 के भाग क में दी गई परिसंकटमय/विशेशताएं लक्षित हो।		
बी 2060	पेयजल ोधन और खाद्य उद्योग प्रक्रिया और विटामिन उत्पादन से होने वाले स्पेन्ट एक्टिवेटिड कार्बन (सूची एए 4160 में सम्बद्ध प्रविष्टि नोट करें)		
बी 2070	कैलशियम फ्लोराइड स्लज	एबी030	एक्स 281800
बी 2080	रसायन औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न जिप्सम तब जब तक इसमें अनुसूची 2 के भाग में दी गई परिसंकटमय विशेशताएं लक्षित न हों।		
बी 2090	पैट्रोलियम कोक अथवा बिटुमिन से बने स्टील अथवा एल्युमीनियम उत्पादकों से उत्पन्न अपशिष्ट एनोड बटस जो कि सामान्य औद्योगिक विशिष्टियों के स्तर तक साफ किए गए (क्लोर अल्काली इलैक्ट्रोलोसिस में एनोड बटस और मैटालर्जीकल उद्योग को छोड़कर)		
बी 2100	एम्यूमिनियम के अपशिष्ट हाइड्रेट्स तथा अपशिष्ट एल्युमिया गैस सफाई, फ्लोक्यूलेशन अथवा फिल्टर प्रक्रिया से उत्पन्न एल्युमीना उत्पादन के अवशेश		एक्स 281800
बी 2110	बाक्साइड अवशेश (''लाल मिट्टी'') (11.5 से कम तक पी एच सामान्य) (सूची एए 4090 की सम्बद्ध प्रविष्टि देखें)		एक्स 260600
बी 2120	2 से अधिक और 11.5 से कम पी एच के साथ अपशिष्ट एसिड अथवा बेसिक घोल जो क्षयकारी अथवा अन्यथा परिसंकटमय नहीं नोट संबंधित प्रविष्टि (एए4090 सूची पर देखें)		
बी 3	मुख्यतया कार्बनिक संघटक युक्त अपशिष्ट जिसमें धातु और आर्बनिक धातु निहित हो सकती है।		
बी 3010	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट निम्नलिखित प्लास्टिक अथवा		

मिश्रित प्लास्टिक सामग्री बशर्ते उनको अन्य अपशिष्टों के साथ मिलाया न गया हो और विशिष्टियों के अनुसार तैयार किया गया हो;		
नान हैलोजीनेटिड पालीनर और कोपालीमर की छीजन प्लास्टिक जिसमें परंतु निम्नलिखित तक सीमित न हो		
इथालिन	जीएच 011	391590
स्टायरिन	जीएच 012	391520
पालीप्रापलीन	जीएच 014	391590
पालीएथलिन	जीएच 014	391590
पथालेट		
एक्रीलीनीराइल	जीएच 014	एक्स 391590
बुटाडाइन	जीएच 014	एक्स 391590
पोलीसिटेल		
पालीमेडस	जीएच 014	एक्स 391590
पालीबकुटीलेन टेरीथ्थालेर	जीएच 014	एक्स 391590
पालीकार्बोनेट		
पालीथर		
पोलीफिनाथिलन सल्फाइस	जीएच 014	एक्स 391590
एक्रेलिक पालीमर	जीएच 014	एक्स 391590
अल्केन्स सी 10 सी 13 (प्लास्टीसाइजर)	जीएच 014	एक्स 391590
पालीयूरेथने (जिसमें सी एफ सी न हो)	जीएच 014	एक्स 391590
पालीसिलोक्सेन	सीएच 014	एक्स 391590
पालीमिथाइल मैथएक्रोलेर	जीएच 014	एक्स 391590
पालीविनियल अल्कोहल	जीएच 014	एक्स 391590
पानीविनियल बटरायल	जीएच 014	एक्स 391590
पानीविनियल रसीरेट	जीएच 014	एक्स 391590
–क्रूड अपशिश्ट राल अथवा निम्नलिखित सहित कन्डेन्सेशन उत्पाद		
यूरिया फाडीहाइड रेसिन	जीएच 015	एक्स 391520
फिनाल फार्मलडीहाइड रेसिन	जीएच 015	एक्स 391520
मेलसमाइन फार्मलडीइड रेसिन	जीएच 015	एक्स 391520

*** प्रतिबंधित देश में पुनः संसाधन अथवा पुनः उपयोग के लिए केवल डी जी एफ टी के लाईसेनस के साथ आयात की अनुमति (पॉलीथइलिन टेरीफ्थालेट)(पी ई टी) बोतल अपशिष्ट/स्क्रैप को छोड़कर।

	इपाक्सी रेसिन्स	जीएच 015	एक्स 391520
	अल्कायड रेसिन्स	जीएच 015	एक्स 391520
	पालीमाइडस	जीएच 015	एक्स 391520
	निम्नलिखित फ्लोरीनेटिड पालीमर अपशिष्ट (उपरोक्ता पोसट कन्नयूर वेस्ट) परफ्यूरोइथाइलीन प्रोपाइली परफ्लोरोएलकाक्सी अल्कान मैटाफ्लूरोएल्काक्सी अल्कान पालीविनियलफ्लोराइड पानीविनियलडिनफ्लोूराइड		
बी 3020	पेपर पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट निम्नलिखित सामग्री बशर्ते उन्हें खतरनाक अपशिष्टों में मिलाया नहीं गया है। पेपर अपशिष्ट और पेपर अथवा पेपर बोर्ड छीजन –अविरजित पेपर अथवा पेपर बोर्ड अथवा लहरदार अथवा पेपर बोर्ड –अन्य पेपर अथवा पेपर बोर्ड मुख्यतया रजित रसायनों गूदे से बने, व्यापक रूप से न रंगा गया हो। –मुख्यतया मैक्नीकल गूदे (उदाहरणार्थ समाचार पत्र पत्रिक और ऐसा ही मुद्रित सामग्री के लिए) से बना पेपर अथवा पेपर बोर्ड) –अन्य परंतु (।) लेमीनेटिड पेपर बोर्ड 2) अवर्गीकृत छीजन तक सीमित नहीं।		

बी 3030 वस्त्र अपशिष्ट

निम्नलिखित सामग्री, बशर्ते कि उसे अन्य अपशिष्टों के साथ न मिलाया गया हो, ओर जिनके निर्माण विशिष्ट के अनुसार ही किया गया होः–

रेमी अपशिष्ट (रीलिंग, यार्न अपशिष्ट और गार्नेटिड स्टाक के लिए अनुपयुक्त कोकोन)*

–कार्डिड अथवा कोम्बड न किया गया

–अन्य

यार्न अपशिष्ट सहित पंरतु गार्नेटिड स्टाक को छोड़कर ऊन अपशिष्ट अथवा फाइन अथवा खुरदरे प बाल *

–ऊन के नीयल्स अथवा फाइन पु बाल

–अन्य अपशिष्ट ऊन अथवा फाइन पु बाल

–खुरदुरे पु बाल के अपशिष्ट

सूती अपशिष्ट (यार्न अपशिष्ट और गार्नेटिड स्टाक सहित)*

–यार्न अपशिश्ट (धागा अपशिष्ट सहित)

–गार्नेटिड स्टाक

–अन्य

फ्लैक्स टी एण्ड अपशिष्ट *

टी एण्ड टू हैम्प अपशिष्ट (यार्न अपशिष्ट और गार्नेटिड स्टाक सहित) (कैनाबिस सारिवा एल)*

टी एण्ड जूट और अन्य वस्त्र बास्ट रेशे (धारा अपशिष्ट और गार्नेटिड स्टाक सहित अपशिष्ट (फ्लैक्स टू हैम्प और भेड़ को छोड़कर)*

टी एण्ड सिसाल और जीनस अग्वा के अन्य वस्त्र रेशों (जिसमें धारा अपशिष्ट और गार्नेटिड स्टाक ामिल है।

नारियल का सन, नायल और अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटिड स्टाक सहित)*

सन, पायल और अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और भेड़ का गार्नेटिड स्टाक और अन्य ाकाहारी वस्त्र फाइबर, जिनका अन्य कही उल्लेख नहीं किया गया है अथवा मानव निर्मित फाइबर) अपशिष्ट सहित (नायल, धागा अपशिष्ट और गार्नेटिड स्टाक सहित)

–सिन्थेटिक फाइबर

– कृत्रिम फाइबर

पहने हुए कपड़े और अन्य पहनी हुई वस्त्र सामग्री प्रयोग किए वस्त्र** स्क्रैप टाविन, कार्डेज, रस्सी और केबल और वस्त्र सामग्री के टविन कार्डेज, रस्सी और केबल

छांटे हुए

अन्य

* देश में बिना किसी लाइसेंस अथवा प्रतिबन्ध के देश में आयात की अनुमति है।

* प्रतिबंधित, पुनः संसाधन अथवा पुनः प्रयोग के लिए केवल डी जी एफ टी लाइसेन्स के साथ देश मेंआयात अनुमति। ऊनी रेग/सिन्थेटिक रेग/शोडी ऊन को बिना लाइसेंस के अनुमति है यदि सामग्री पूरी तरह से विकृत रूप में हो बशर्ते कि यह विकृति सीमा ुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

बी 3040	रबड़ अपशिष्ट*
	निम्नलिखित पदार्थ बशर्ते कि वे अन्य अपशिष्टों के साथ मिश्रित न हो;
	–सख्त रबर के अपशिष्ट और छीजन (अर्थात एबोनाइट)*
	– अन्य रबर अपशिष्ट (कहीं अन्य विनिर्दिष्ट अपशिष्टों के अलावा)
बी 3050	ओधित कार्क और लकड़ी अपशिष्ट
	लकड़ी अपशिष्ट और छीलन, चाहें वे लट्ठे, पिसी हुई राख की ईट पिलेट या किसी अन्य रूप हो या न हो*
	कार्क अपशिष्ट, पिसे हुए ग्रेनुलेटेड या ग्राऊड कार्क*
बी 3060	कृशि भोज्य उद्योग से उत्पन्न अपशिष्ट परन्तु यह संक्रामक न हों
	बाईन लीस *

सूखे और कीटाणु रहित की हुई सब्जियों के अपशिष्ट, अवशेश और बाय प्रोडक्ट चाहें वे पिलैट के रूप में, जो कि एक प्रकार से जानवरों के खाने में प्रयोग की जाती है, हो या न हो या कहीं अन्य विनिर्दिष्ट हो या सम्मिलित हो या न हो*	जीएम 100	050690
अर्ग वसा, वसा पदार्थो या पु या वनस्पति मोम के उपचार के परिणामस्वरूप उत्पन्न अपशिश्ट है**	जीएम 110	एक्स 051191
हड्डियों और मुग–क्रोड, अनमिक्रियित, निर्वसीकृत, सामान्य रूप से तैयार, (किन्तु आकृति में नहीं काटे गई हो) अम्ल से उपचारि या अजिलेटनी करने**		
मत्स्य अपशिष्ट **		

* देश में इनकी बिना किसी लाइसेंस अथवा प्रतिबन्ध के देश में आयात की अनुमति है। एक्सिम (ईएक्सआईएम) नीति (आईटीसी–एचएस वर्गीकरण) के अन्तर्गत प्रतिबंधित।

	कोकोआ ैल, हस्क, स्किन और अन्य कोकोआ अपशिष्ट * सहउत्पादों को छोड़कर एग्रो–फूड उद्योग से होने वाले अन्य अपशिष्ट जो मानव अथवा पु के उपभोग के लिए राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय आवश्यकताओं और मानको को पूरा करते हों
बी 3070	निम्नलिखित अपशिष्ट* –मानव केशों का अपशिष्ट* –अपशिष्ट स्ट्रा* –पु भोजन के रूप में प्रयुक्त पैन्सलिन –उत्पादन से डिएक्टिवेटिड फंग्स माइसिलिपक
बी 3080	अपष्टि पारिंग और रबर छीजन **
बी 3090	मारिंग और चमड़े का अन्य अपशिष्ट अथवा चमड़े का अन्य अपशिष्ट लिए अनापयुक्त घटक, जिसमें चमड़ा स्लज जिसमें हैक्सा वलैन्ट क्रोमियम कम्पाउड और बायोसाइदड (सूची एए 3100 से सम्बद्ध प्रविष्टि) ामिल नहीं है, को छोड़कर।
बी 3100	चमड़ा धूल, एश, स्लज अथवा फ्लोर जिसमें हैक्सावालेंट क्रोमियम कंपाउंड अथवा बायोसाइड ामिल नहीं है
बी 3110	फेलभोंगरी अपशिष्ट जिसमें हैक्सवलेंट क्रोमियम कम्पाउंड अथवा बायोसाइड अथवा इन्फैक्शियस पदार्थ ामिल नहीं है।
बी 3120	खाद्य रंगों वाले अपशिष्ट*

* देश में बिना किसी लाइसेंस अथवा प्रतिबन्ध के देश में आयात की अनुमति है।

** प्रतिबंधित, पुनः संसाधन अथवा पुनः उपयोग के लिए केवल डी जी एफ ब के साथ देश में आयात अनुमति है।

बी 3130	अपष्टि पालीमर इथर और अपशिष्ट गैर–खतरनाक मोनोमर इथर पीराक्साइड फोरमिंग में अक्षम

बी 3140	पीन्यूमैटिक टायर अपशिष्ट संसाधन वसूली, पुनःचक्रण, पुनःप्राप्ति अथवा प्रत्यक्ष प्रयोग को छोड़कर
बी 4	अपष्टि जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक घटक ामिल हो सकते है।
बी 4010	अपष्टि जिसमें मुख्यतया जल आधारित/लटैक्स पेंट, स्याही और हाईन्ड वार्निश जिसमें आर्गेनिक, साल्वेंट, भारी तत्व अथवा बायोसाइड उस सीमा तक नहीं है कि उन्हें खतरनाक कहा जा सकें (सूची एए 4070 में सम्बद्ध सूची देंखे)
बी 4020	रीसिन, लेटैक्स, प्लास्टिक साइजर, ग्लू/एडहैसिव, जो सूची ए में सूचीबद्ध नहीं हैं, साल्वेंट युक्त है और उस सीमा तक अन्य संदूशक जो अनुबंध–।।। की विशेशताओं को नहीं दर्शाते है अर्थात् जल–आधारित, अथवा ग्लू आधारित कासिन स्ट्राच, डैक्सट्रिन, सेलेलोस इथर, पोली विनियल अल्काहोल (सूची एए 3050 में सम्बद्ध सूची देंखे)
बी 4030	बैटरी सहित प्रयुक्त एकल प्रयोग कैमरा जो सूची ऐ में ामिल नहीं है।

* देश में बिना किसी लाइसेंस अथवा प्रतिबन्ध के देश में आयात की अनुमति है।

भाग खः परिसंकटमय लक्षणों की सूची

कोड	लक्षण
1.	विस्फोटक कोई विस्फोटक पदार्थ या अपशिष्ट कोई ठोस या तरल पदार्थ पदार्थ अथवा अपशिष्ट (या पदार्थो अथवा अपशिष्टों का मिश्रण) है जो स्वयं में रसायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ऐसे तापमान और दाब और ऐसी गति पर गैस उत्पादन में समर्थ है जो आस–पास की वस्तुओं को हानि पहुंचा सकें (यूएन वर्ग 1 एच आई)
3.	ज्वलनीय द्रव्य ज्वलनीय ब्द का वहीं अर्थ है जो 'ज्वलनशील' का है। ज्वलनशील द्रव्य है या द्रव्यों का मिश्रण है या विलयन अथवा निलंबन में ठासे युक्त द्रव्य है (उदाहरणार्थ पेंट, वार्निश प्रलाक्षारत इत्यादि, किन्तु इनमें ऐसे पदर्थो या अपशिश्ट सम्मिलित नही है जिन्हें उनके खतरनाक लक्षणों के कारण अन्य रूप में वर्गीकृत किया गया है) जो क्लोज्ड–कप जांच में 60.6 डिग्री सेलसियस से अनाधिक के तापमान पर या ओपन कप जांच में 60.5 डिग्री सेलसियस से अनधिक के तापमान पर ज्वलनीय वाष्प छोड़ते हैं। चूंकि ओपन कप जांच और क्लोज्ड कप जांच के परिणाम सर्वथा तुलनीय नहीं है ओर समान जांच के पृथक परिणाम भी परिवर्तनशील हैं ऐसे अंतरों को अनुज्ञात करने के लिए उपरोक्त अंकों से विनियमनों में फेरफार करना इस परिभाशा के अंतर्गत होगा)
4.1	ज्वलनीय ठोस विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत से भिन्न ठोस अपशिष्ट ठोस जो परिवहन के दौरान झेली गई परिस्थितियों के अधीन आसानी से आग पकड़ लेते हैं या घर्शण स्वप्रतिक्रिया से आग लगा सकते हैं या आग लगाने में सहायता कर सकते है। औथ्र संबंधित पदार्थ जो क्तिशाली उष्माक्षेपक प्रतिक्रिया करने के दायी हैं।
4.2	पदार्थ या अपशिष्ट जो स्वतः दहन के दायी हैं पदार्थ या अपशिष्ट जो परिवहन में सामान्य परिस्थितियों के अधीन स्वतः गर्म होने के दायी है या जो वायं के संपर्क में आने पर गर्म हो जाते हैं और फिर आग पकड़ने के दायी है।
4.3	जल से संपर्क होने पर ज्वलनशील गैसें उत्सर्जित करने वाले पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ के अपशिष्ट जो जल परस्पर क्रिया द्वारा स्वतः ज्वलनीय बनने के या खतरनाक परिभाशा में ज्वलनीय गैसें छोड़ने के दायी है।
5.1	आक्सीकरण पदार्थ या अपशिष्ट जो स्वयं आवश्यक रूप से दहनशील नहीं हैं किन्तु साधारणतया आक्सीजन छोड़कर अन्य सामग्री में आग लगा सकते हैं या आग लगाने में सहायता कर सकते है।
5.2	कार्बनिक पैरोक्साइडस कार्बनिक पदार्थ या अपशिष्ट जिनमें बाइवेलन्ट ओ ओ संरचना है व उष्मीय अस्थिर पदार्थ है जिनमें स्वतः त्वरित उश्माक्षेपक विघटन हो सकता है।
6.1	विश (तीव्र) पदार्थ या अपशिष्ट जो यदि निगम लिए जाएं या सूंघ लिए या त्वचा से संपर्क द्वारा या तो मृत्यु का कारण बनने, गंभीर क्षति पहुंचाने या स्वास्थ्य हानि के दायीं हैं।
6.2	संक्रामक पदार्थ पदार्थ या अपशिष्ट जो ऐसे जीवनक्षम सूक्ष्म जीवों या उनके ऐसे जीव विश से युक्त है जो पुओं या मनुष्यों में बीमारी फैलाते हैं या ऐसा संदेह है।

8. संक्षारक
पदार्थ या अपशिष्ट जो रसायनिक क्रिया द्वारा, जीवित ऊतकों के संपर्क में आने पर उन्हें गंभीर क्षति पहुंचाएंगे या नष्ट भी कर देगें, वे अन्य परिसंकट उत्पन्न कर सकते है।

10. वायु या जल के संपर्क में विशैली गैसों को उत्सर्जन
पदार्थ या अपशिष्ट जो वायु या जल से परस्पर क्रिया द्वारा खतरनाक परिमाणों में विशैली गैसें छोड़ने के दायीं है।

11. विशैली (विलंबित या चिरकालिक)
पदार्थ या अपशिष्ट जो यदि सूंघ लिए जाएं या जिनका अंतर्ग्रहण कर लिया जाए या जो यदि त्वचा में प्रवेश कर जाएं तो विलंवित या चिरकालिक प्रभाव दिखा सकते हैं जिनमें कर्ककजन्यता भी सम्मिलित है।

12. इकोटाक्सिक
पदार्थ या अपशिष्ट जो यदि उत्सर्जित हो जाएं तो पर्यावरण पर बायोअकुमुलेशन के द्वारा तुरन्त या विलंबित प्रतिकूल प्रभाव और/या बायोटिक प्रणाली पर विशैला प्रभाव छोड़ेगे या छोड़ सकते है।

13. जो किसी उपाय के निस्तारण के पश्चात् अन्य सामग्री छोड़ने में समर्थ है, उदाहरणार्थ लीचेट जो ऊपर सूचित कोई भी लक्षण रखता है।

अनुसूची–4
(नियम 3 (20) और 19 (1) और 20 (1) देखिए)
पुनःचक्रणकर्ताओं हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए अलौह धातु अपशिष्ट की सूची

अपष्टि वर्ग	अपष्टि प्रकार
1	पीतल स्क्रैप
2	पीतल ड्रास
3	आईएसआरआई कोड में ामिल पदार्थो के अलावा ताम्र स्क्रैप
4	ताम्र ड्रास
5	कोपर आक्साइड मिल स्केल
6	ताम्र प्रत्यावृत, केक और अवशिष्ट
7	अपष्टि ताम्र और ताम्र मिश्र
8	स्लैगों को आगे की प्रक्रिया या ोधन
9	विद्युतरोधी ताम्र तार स्क्रैप/ताम्र आईएसआरआई कोड पदार्थो नामतः ''द्रूर्ड'' सहित
10	जेली फिल्ड ताम्र तार
11	ताम्र वाली स्पैंट क्लीयरड मैटल कैटलिस्ट
12	आईएसआराई कोड में ामिल पदार्थो के अलावा निकल स्क्रैप
13	निकल, कैडमियम, जिंक ताम्र और आर्सनिक वाले स्पैंट कैटलिस्ट
14	आईएसआरआई कोड में ामिल पदार्थ के अलावा जिंक स्क्रैप
15	आईएसआरआई कोड में ामिल पदार्थ के अलावा जिंक ड्रास–हाट डिप गैलवनाइजर स्लैब
16	आईएसआरआई कोड में ामिल पदार्थ के अलावा जिंक ड्रास–बाटम ड्रास
17	गैलवाईजिंग और डाई कास्टिंग प्रचालनों से होने वाली जिंक राख/स्कीमिंग
18	स्मैलटिंग और धातुओं के ोधन से उत्पन्न जिंग राख/स्कीमिंग/अन्य जिंक वाले अपशिष्ट
19	बिखरने वाले जिंग अलाय अवशिष्टों सहित जिंक राख और अवशिष्ट
20.	जिंक वाले स्पैट क्लीयरड मैटल कैटालिस्ट
21.	मिश्रित लौह मेटर स्क्रैप
22.	बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियमवाली, 2001 में ामिल न किए गए लैंड ऐसिड बैटरी प्लेटस और अन्य लैउ स्क्रैप/राख/अवशिष्ट

अनुसूची–4
(नियम 3 (20) और 19 (1) और 20 (1) देखिए)
पुनःचक्रणकर्ताओं हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए अलौह धातु अपशिष्ट की सूची

अपष्टि वर्ग	अपष्टि प्रकार
1	पीतल स्क्रैप
2	पीतल ड्रास
3	आईएसआरआई कोड में ामिल पदार्थो के अलावा ताम्र स्क्रैप
4	ताम्र ड्रास
5	कोपर आक्साइड मिल स्केल
6	ताम्र प्रत्यावृत, केक और अवशिष्ट
7	अपष्टि ताम्र और ताम्र मिश्र
8	स्लैगों को आगे की प्रक्रिया या ोधन
9	विद्युतरोधी ताम्र तार स्क्रैप/ताम्र आईएसआरआई कोड पदार्थो नामतः ''द्रूर्ड'' सहित
10	जेली फिल्ड ताम्र तार
11	ताम्र वाली स्पैंट क्लीयरड मैटल कैटलिस्ट
12	आईएसआराई कोड में ामिल पदार्थो के अलावा निकल स्क्रैप
13	निकल, कैडमियम, जिंक ताम्र और आर्सनिक वाले स्पैंट कैटलिस्ट
14	आईएसआरआई कोड में ामिल पदार्थ के अलावा जिंक स्क्रैप
15	आईएसआरआई कोड में ामिल पदार्थ के अलावा जिंक ड्रास–हाट डिप गैलवनाइजर स्लैब
16	आईएसआरआई कोड में ामिल पदार्थ के अलावा जिंक ड्रास–बाटम ड्रास
17	गैलवाईजिंग और डाई कास्टिंग प्रचालनों से होने वाली जिंक राख/स्कीमिंग
18	स्मैलटिंग और धातुओं के ोधन से उत्पन्न जिंग राख/स्कीमिंग/अन्य जिंक वाले अपशिष्ट
19	बिखरने वाले जिंग अलाय अवशिष्टों सहित जिंक राख और अवशिष्ट
20.	जिंक वाले स्पैट क्लीयरड मैटल कैटालिस्ट
21.	मिश्रित लौह मेटर स्क्रैप
22.	बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियमवाली, 2001 में ामिल न किए गए लैंड ऐसिड बैटरी प्लेटस और अन्य लैड स्क्रैप/राख/अवशिष्ट

अनुसूची–5
(नियम 3 (34) देखें)
पुनः परिश्करण के लिए उपयुक्त प्रयुक्त तेल के लिए विशिश्टियां

क्र0सं0	पैरामीटर	अधिकतम अनुज्ञेय सीमा
1.	रंग	8 हैजन यूनिटस
2.	जल	1.5 प्रतिशत
3.	घनत्व	0.85 से 0.96
4.	100 डिग्री सेटीग्रेड पर पिटिक श्यानतो सी सी एन टी	1.0 से 32
5.	डाइल्यूटैट्स	1.5 प्रतिशत आयतन
6.	न्यूट्रलाइजेशन संख्या	3.5 मि.ग्रा. के ओ एच / ग्रा0
7.	सैपानिफकेशन मूल्य	18 मि.ग्रा. के ओ एच / ग्रा0
8.	कुल हैलोजेन	4000 पी पी एम
9.	पी.सी.बी.	अभिज्ञान सीसा से कम
10.	सीसा	100 पी पी एम
11.	आर्सेनिक	5 पी पी एम
12.	सी.डी–सी आर–एन आई	500 पी पी एम
13.	अधिसूचना सा का नि 620 (अ) तारीख 06.09.1995 विखंडित की जाती है।	

अनुसूची–6
{नियम 3 (35) और 20(2)}

क्र0सं0	पैरामीटर	सीमा
1	2	3
1.	सैडीमेंट	5 प्रतिशत (अधिकतम)
2.	भारी धातुएं (कैडमियम+क्रोमियम+निकेल+सीसा+आसैनिक)	605 पी पी एम अधिकतम
3.	पालीएरोमैटिक हाईड्रोकार्बन्स (पी ए एच)	6 प्रतिशत अधिकतम
4.	कुल हैलोजीन्स	4000 पी पी एम अधिकतम
5.	पाली क्लोरिनेटिड वाइफिनाईल्स (पी सी बी)	अभिज्ञान सीमा से कम

अनुसूची–7
(नियम 4 (ख) एवं 12 (4) देखें)
प्राधिकरणों की सूची और तत्संबंधी कर्तव्य

क्र0सं0	प्राधिकरण	तत्संबंधित कर्तव्य
1.	वन (सरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	(i) परिसंकटमय अपशिष्टों का अभिनिर्धारण (नियम 3 (14)) (ii) निर्यातकों को अनुमति (नियम 14)

		(iii) आयातकों को अनुमति (नियम 13) (iv) अलौह धातु अपशिष्टों और प्रयुक्त तेल/ अपशिष्ट तेल का पंजीकरण (नियम 20) (v) भारत के द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों के ट्रांजिस्ट के लिए अनुमति (नियम 12 (2))
2.	जल (प्रदूशण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड	(i) राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्डो/समितियों के कार्यो का समन्वय (ii) परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन को संचालित करने वाले प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन। (iii) अपशिष्ट एवं लीचेट के ोधन एवं निपटान के लिए संस्तुत मानक और विशिष्टियां परिसंकटमय अपशिष्टों के वर्गीकरण के लिए प्रक्रियाओं की संस्तुलित (iv) परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों में ामिल करने के लिए अपशिष्ट स्ट्रीम के अभिनिर्धारण के लिए सैक्टर विशिष्ट दस्तावेज (v) परिसंकटमय अपशिष्टों की उत्पत्ति और हथालन को रोकने/कम करने/न्यून करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार करना। (vi) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नियमों के अन्तर्गत प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य
3.	राज्य सरकार/संधशासित सरकार	(i) सामान्य ोधन, भंडारण और निपटान सुविधा के लिए स्थलों का अभिनिर्धारण (टी एस डी एफ) (नियम 8 (3)) (ii) सार्वजनिक सूचना जारी करना और जन सुनवाई का आयोजन (नियम 8 (4) एवं (5)) (iii) स्थल के अधिगृहण के लिए स्थल का अधिग्रहण करना अथवा पदाधिकारी या संस्था को सूचित करना (नियम 8 (6)) (iv) सामान्य टी एस डी एफ के लिए स्थल की अधिसूचना (नियम 8(6)) (v) राज्य/संघशासित प्रदेशों में निपटाए गए सभी सथलें की सूची को समय–समय पर प्रकाशित करना (नियम 8 (6))
4.	राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड या जल अधिनियम (प्रदूशण का निवारण एवं नियंत्रण), 1974 के अंतर्गत गठित प्रदूशण निवारण समितियां	(i) परिसंकटमय अपशिष्टों की सूची बनाना (नियम 9 (3)) (ii) अधिकृतीकरण की मंजूर और नवीनीकरण (नियम 5) (iii) निर्यात और आयात सहित अधिकृतीकरण के विभिन्न प्रावधानों एवं र्तो के अनुपालन की मानीटरिंग (iv) आयात के लिए आयातकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और उसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अग्रसारित करना (नियम 13 (।) एवं (2))

		(v)	परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 और उसमें किए गए संशोधनों के उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई
5.	विदे व्यापार (विकास वं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत गठित विदेश व्यापार महानिदेशालय	(i)	परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात के बिना लाइसेंस की मंजूरी (नियम 13 (5))
		(ii)	आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित परिसंकटमय अपशिष्टों के लिए लाइसेंस की नामंजूरी (नियम 12 (7))
6.	भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पत्तन प्राधिकरण और सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा ुल्क प्राधिकरण	(i)	दस्तावेजों की जांच करना (नियम 13 (6)
		(ii)	किसी अवैध व्यापार के बारें में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सूचित करना (नियम 15)
		(iii)	आयात और निर्यात के लिए अनुमति दी गई अपशिष्टों का विश्लेशण करना
		(iv)	परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों के उपबंधों और परिसंकटमय अपशिष्टों के विश्लेशण में अधिकारियों को प्रशिक्षित करना
		(v)	पत्तन अधिनियम/सीमा–शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निर्यात/आयात उल्लंघनों के विरूद्ध कार्रवाई करना

अनुसूची–8
नियम 12 (1) देखें
आयात और निर्यात के लिए निशिद्ध अपरिसंकटमय अपशिष्ट

क्र0सं0	बेसल सं0	ओ ई सी डी सं0	सामग्री का वर्णन
1.	क 1010	कक 100	मर्करी
2.	क 1030	कक 100	वे अपशिष्ट जिसमें मर्करी है; संघटक या संदूशण के रूप में मर्करी सम्मिश्रण
3.	क 1010	कक 070	बैरेलियम
4.	क 1020	कक 070	बेरेलियम वाले अपशिष्ट; संघटक या संदूशण के रूप में बेरेलियम सम्मिश्रण
5.	क 1010	कक 090	आर्सेनिक
6.	क 1030	कक 090	आर्सेनिक वाले अपशिष्ट; संघटक या संदूशण के रूप में आर्सेनिक सम्मिश्रण
7.	क 1010	कक 070	सेलेनियम
8.	क 1020	कक 070	सेलेनियम वाले अपशिष्ट; संघटक या संदूशण के रूप में सेलेनियम सम्मिश्रण
9.	क 1010	कक 080	थेलियम

10.	क 1030	कक 080	थेलियम वाले अपशिष्ट; संघटक या संदूशण के रूप में थेलियम सम्मिश्रण
11.	क 1040	कक 070	हेक्सवेलेन्ट क्रोमियम सम्मिश्रिण अपशिष्ट क्यूरपिक क्लोराइड और ताम्र सायनाइड केटालिस्ट
12.	क 1140		
13.	क 2020	आर.बी. 010	अपशिष्ट एस्बेस्टास (धूल और फाइवर)
14.	क 2040		अकार्बनिक पलोरीन संघटक के अपशिष्ट जो द्रव या स्लड के रूप में हैं किंतु कैलशियम पलोराइड स्लज से बाहर हो।
15.	क 2050		रसायनिक औद्योगिक प्रक्रिया उद्भूत अपशिष्ट जिप्सम यदि यह अनुसूची 2 में दिए गए खतरनाक लक्षणों को प्रदर्शित करता है।
17.	क 3030		ऐसे अपशिष्ट जिनमें सीसा अपस्कोटरोधी (गेसोलीन) अपांक अंतर्विष्ट है या उनमें बने

29.	क 4060	मूल्यदान अपष्टि तेल/जेल, हाइड्रोकार्बन जल मिश्रण, पयास

* सीमाओं से परे संचलित परिसंकटमय अपशिश्ट औक्र उनमें व्ययन में नियंत्रण पर बेसेल कनवेशन।

** आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन।

प्ररूप–1

(नियम 3 (2), 5 (2) (3) और 6 (ii) देखिए)

''परिसंकटमय अपष्टिों के संग्रहण/ग्रहण/अभिक्रियान्वयन/परिवहन/ भंडारण, व्ययन का प्राध्किार प्रापत करने के लिए आवेदन''

सां0 का0नि0 380(अ) तारीख 31.3.92 द्वारा प्रतिस्थापित

प्रेशक,

....
....
....

सेवा में,

सदस्य सचिव,
.... प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड
....

श्रीमान जी,

मैं/हम परिसंकटमय अपष्टिों के संग्रहण/ग्रहण/उपचार/ परिवहन/भंडारण/व्ययन के लिए परिसंकटमय अपष्टि (प्रबंध और हथालन) नियम, 1989 के उपनियम (2) और (3) और नियम 5 के उपनियम (6) के खण्ड (ii) के अधीन प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूॅ/करते है।

केवल काय्रालय उपयोग के लिए

1. कोड सं0 ....
2. क्या यूनिट पर्यावरण और वन मंत्रलाय द्वारा यथा अभिनिर्धारित किसी संकटमय प्रदूशण क्षेत्र में स्थित है :
   जो लागू न हो उसे काट दें।

   आवेदक द्वारा भरा जाए

भाग–क

साधारण

3. (क) यूनिट का नाम और पता तथा क्रियाकलपा का स्थान

(ख) निम्नलिखित में से किस के लिए प्राधिकार अपेखित है।
(कृपया समुचित क्रियाकलाप/क्रियाकलपों पर चिन्ह लगाएं)
(i) संग्रहण
(ii) ग्रहण
(iii) ोधन
(iv) परिवहन
(v) भंडारण
(vi) निपटान
(ग) प्राधिकार के नवीकरण के लिए पूर्वतर प्राधिकार की संख्या तथा तारीख लिखेंः—

4. (क) क्या इकाई द्वारा परिसंकटमय अपष्टि (प्रबंधन व हथालन) नियम, 1989 तथा इसके अन्तर्गत किए संशोधनों में यथा परिभाशित परिसंकटमय अपष्टि उत्पन्न किया जा रहा है।
(ख) यदि ऐसा है, तो अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा

5. (क) परियोजना पर निवेश की गई कुल पूंजी
(ख) उत्पादन के प्रारंभ का वर्श
(ग) क्या उद्योग साधारण/2 पारियो/चौबीस घंटे कार्य करता है

6. (क) उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और उनकी मात्रा
(ख) उपयोग की गई कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा

7. उत्पादों और जनित अपष्टि जिसमें कैप्टिव क्ति प्रदान और अलवणीकृत जल भी हैं, के निबंधनों के अनुसार इनपुट तथा उत्पादन को दर्शाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया के प्रवाह रेखाचित्र प्रस्तुत करें।

भाग—ख

मल जल और व्यापार बहिःस्त्राव

8. निम्नलिखित के लिए जल की मात्रा तथा स्त्रोत
(क) ीतल एम 3/डी
(ख) प्रक्रिया एम3/डी
(ग) घरेलू उपयोग एम 3/डी
(घ) अन्य एम 3/डी

9. मल जल और व्यापार बहिःस्त्राव
(क) निस्तारण एम3/डी की मात्रा
(ख) क्या कोई बहिःस्त्राव
(ग) यदि हां तो, क्षमता सहित यूनिट प्रचालन का संक्षिप्त वर्णन
(घ) अंतिम बहिःस्त्राव पी एच के लक्षणः
निलंबित ठोस पदार्थ
घुले हुए ठोस पदार्थ
रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड ए {सी.ओ.डी/20 से ग्रेड) बी ओ डी3/27 सेंटीग्रेड}
तेल और ग्रीस
(संबद्ध प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पैरामीटर)
(ड.) व्ययन की पद्धति और अंतिम निस्सारण बिन्दु
(निस्सारण बिन्दु को दर्शाने वाला नक्शा संलग्न)
(च) स्व—मानीटरिंग के पैरामीटर तथा आवृत्ति

('') पढ़े सा0का0नि0 176 (अ) तारीख 2.4.96 द्वारा बी ओ डी (27 सें, ग्रेड पर 3 दिन)

भाग–ग

स्टैक (चिमनी) और मुख द्वार उत्सर्जन

10. (क) ऊंचाई वाले व्यास (एम) सहित स्टैक और निकासों की संख्या

(ख) ऊपर स्टैबस विधि पदार्थ और सल्फर डाय आक्साइड (एस ओ) प्रत्येक में से स्टैक उत्सर्जन की गुणवत्ता और मात्रा (संबंद्ध प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पैरामीटर)

(ग) उत्सर्जन से निबटने वायु प्रदूशण नियंत्रण यूनिट का संक्षिप्त लेखा।

(घ) स्व–मानिटरिंग के पैरा मीटर और आवृत्ति।

भाग–च

परिसंकटमय अपशिष्ट

11. ठोस अपशिष्ट

(क) यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 1989 के अंतर्गत उत्पादित परिसंकटमय अपशिष्ट का प्रकार

(ख) उत्पादित परिसंकटमय अपशिष्ट की कुल मात्रा

(ग) संयंत्र के साथ भंडारण की प्रणाली, निस्सारण की प्रणाली और क्षमता

12. (क) यथासंशोधित परिसंकटमय रसायन नियमावली, 1989 में उत्पाद, भंडारण और आयात के अधीन यथा परिभाशित परिसंकटमय रसायन

(ख) क्या कोई विलम्बित भंडारकरण अन्तरग्रस्त है, (यदि हां तो, ब्यौरे संलग्न करें; हां/नही

भाग–ड.

अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन सुविधा से संबंधित

13. निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए सुविधा (संलग्न करें) का विस्तृत प्रस्त्राक्र

(क) अपशिष्ट का प्रसंस्करण

(i) स्थल की अवस्थिति (नक्शा मुहैया करवाएं)

(ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का नाम

(iii) प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के ब्यौरे

(iv) प्रतिदिन प्रसंस्कृत किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा और प्रकार

(v) स्थल अनापत्ति (स्थानीय प्राधिकारी से यदि कोई हों)

(vi) प्रसंस्कृत अपशिष्ट (उत्पाद उपयोग) के लिए उपयोग कार्यक्रम

(vii) व्ययन की पद्धति (संक्षिप्त ब्यौरे दें)

(viii) प्रतिदिन व्ययनित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा
(ix) अपशिष्ट की प्रकृति और संरचना
(x) भूमिभरण/भस्मीकरण की पद्धति
(xi) पर्यावरणीय प्रदूशण जिसमें निक्षालितकों का अभिक्रियान्वयन भी है, के निवारण तथा नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय
(xii) परियोजना औरि प्रत्याशित आर्वत पर विनिधान
(xiii) संयंत्र में कार्य कर रहे कर्मकारों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय

स्थान हस्ताक्षर
तारीख पदनाम

17. उक्त नियमों में प्ररूप 4 के लिए निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्स्थापित होगा, नामतः—

प्ररूप–4

(नियम 9 (2) देखें)

परिसंकटमय अपशिष्ट के हथालन के बारें में विवरणियां फाईल करने के लिए प्ररूप

(प्रत्येक वर्श 31 जनवरी तक राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/समिति को प्रसतुत किया जाए)

1. सुविधा के ओकुपायर/प्रचालक का नाम और पताः
2. उत्पादित अपशिष्ट की श्रेणियां और मात्रा (मीट्रिक टन में):
3. अपशिष्ट ोधन प्रचालनों का ब्यौराः
4. अपशिष्ट निपटान प्रचालनों का ब्यौरा :

क्र0 सं0	परिसंकटमय अपशिष्टों का विवरण								
	परिसंकटमय अपशिशटों के निपटान हेतु प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि और इसकी संदर्भ संख्या	वास्तविक रूप और पदार्थ	रसायनिक रूप	भेजे गए परिसं–कटमय अपशिशट की कुल मात्रा, पैकेज के अतिरिक्त	निपटान स्थल को परिवहन का माध्यम	निपटान स्थल (निपटान के स्थल दर्शाते हुए नक्शा संलग्न करें)	निपटान पद्धति का संक्षेप विवरण	निपटान की तारीख	टिप्पणी यदि कोई हों।

5. पर्यावरणीय निगरानी का ब्यौराः

अन्य मापों के ब्यौरे की तिथि	भूमिगत जल नमूनों का विश्लेशण			मृदा नमूनों का विश्लेशण			वायु नमूनों का विश्लेशण		किसी नमूने का विश्लेशण
	सैम्पलिंग का स्थल	सैम्पलिंग की गहराई	आंकड़ें	सैम्पलिंग का स्थल	सैम्पलिंग की गहराई	आंकड़ें	सैम्पलिंग का स्थल	आंकड़ें	

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पदनाम

5. सहमति की वैधता अवधि

वायु (प्रदूशण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 ....तक वैध

जल अधिनियम, 1974....... तक वैध

6.	(प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के नियम 5 के अधीन प्राधिकार,	
7.	पिछले तीन वर्शो में विनिर्मित उत्पाद (टन / वर्श) नाम (क) (ख) (ग)	
8.	पिछले तीन वर्शो में उपभोग की गई कच्ची सामग्री (टन / वर्श) नाम (क) (ख) (ग)	
9.	विनिर्माण प्रक्रिया	कृपया प्रत्येक उत्पाद के लिए विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह आरेख संलग्न करें।
10.	जल का उपभोग	औद्योगक– एम3 / दिन घरेलू –एम3 / दिन
11.	जल उपकर– तक संवत	
12.	अपष्टि जल उत्पादन क. सहमति के अनुसार एम3 / दिन ख. वास्तविक एम 3 / दिन (गत तीन मासों का औसत)	 औद्योगिक / घरेलू
13.	अपशिष्ट जल उपचार (कृपया उपयार स्कीम का प्रवाह आरेख उपलब्ध कराएं)	औद्योगिक घरेलू
14.	अपशिष्ट जल निस्सारण	परिमाण एम3 / दिन अवस्थिति उपचारिक अपशिष्ट जल का विश्लेशण पीएच, बीओडी, सीओडी, एसएस, ओएंडजी अन्य कोई
15.	वायु प्रदूशण नियंत्रण क. कृपया प्रत्येक इकाई, सुविधा के लिए स्थापित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली हेतु प्रवाह आरेख उपलब्ध करवाएं ख. पदार्थ हथालन प्रसंस्करण, सुविधों के कारण अस्थाई उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु सुविधाओं का ब्यौरा तेल उपभोग स्टैक उत्सर्जन निगरानी परिमाण परिवेश वायु प्रदूशण	क्र. संख्या नाम मात्रा डी / एम स्ंख्या स्टैक उत्सर्जन मिलीग्राम / एनएम अटैच टु पीएम एस ओ2 मैटल (पीबी, जेडएन) क्र. संख्या, स्थल पैरामीटर मिलीग्राम / एमएसओ2, एनओx, एस पी एम, पी वी, कोई अन्य
16.	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन क. पैदा हुआ अपशिष्ट ख. संग्रहण, ोधन और परिवहन का बयौरा ग. निपटान	क्र. संख्या नाम श्रेणी मात्रा (पिछले तीन वर्श) 1996, 1997, 1998

	(I) कृपया निपटान सुविधाओं का ब्यौरा दें।	
	(II) क्या उपलब्ध कराई गई सुविधाएं राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड नियम 5 के अन्तर्गत प्रदान किए गए प्राधिकार पत्र में उल्लिखित र्तो के अनुपालन के अनुसार है।	
	(III) कृप्या उत्पादित परिसंकटमय अपशिष्टों के वर्गीकरण की विश्लेशण रिपोर्ट संलग्न करें (यदि लागू हो तो लीचेंट परीक्षण सहित)	
17.	कच्ची सामग्री के उपयोग हेतु नीलामी/बातचीत/समझौते या आयात के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित अपशिष्ट का ब्यौरा	1. नाम 2. प्रति वर्श आवश्यक मात्रा 3. बेसल कन्वैंशन (बी सी) के अनुबंध VIII (सूची क)/अनुबंध IX (सूची ख) में सूचित अपशिष्ट और संख्या 4. (बी सी) के अनुबंध III के अनुसार परिसंकटमय विशेशताएं।
18.	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी पहलू	कृपया उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा दें।
19	टिप्पणी	हां/नहीं
	(I) उत्सर्जन/बहिस्त्राव के मानकों को पूरा करने के लिए क्या उद्योग ने पर्याप्त प्रदूशण नियंत्रण प्रणाली/उपकरण मुहैया कराए है।	
	(II) क्या उद्योग एच डब्लू प्राधिकार पत्र में उल्लिखित र्तो का अनुपालन कर रहा है।	हां/नही
	(III) क्या एच डब्लू संग्रहण एवं ोधन, भंडारण और निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) संतोशजनक रूप से कार्य कर रही है।	हां/नहीं
	(IV) क्या हथालन/प्रसंस्कृत की जा रही सामग्री से पर्यावरण पर ीघ्र या बाद में पड़ने वाले कुप्रभाव की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं या होने की संभावना है।	हां/नही।

18. उक्त नियमों में प्ररूप 10 के बाद निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित होगा; नामतः–

प्रारूप 11
(नियम 19(4) और (2) देखिए)
अलौह धातु अपशिष्टों/प्रयुक्त तेल/अपशिष्ट तेल या पुनःचक्रण के लिए पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ प्रबंधन पद्धति रखने वाले औद्योगिक इकाईया के रजिस्ट्रीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

(तीन प्रतियों ने केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करें)

1. इकाई का नाम और पता
2. प्राप्तकर्ता अथवा इकाई मालिक का नाम
3. इकाई संस्थापन की तारीख
4. कर्मकारों की संख्या (जिसमें ठेका श्रमिक भी सम्मिलित है।)

(V) क्या किसी भी माध्यम, जो कि अन्य सामग्री बनाने के लिए, जैसे कि लीचैट जो कि पारि–जहरीला हैं, द्वारा हथालन/प्रसंस्कृत की जा रही सामग्री की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं या होने की संभावना है) — हां/नहीं

20. कोई अन्य सूचना
    I.
    II.
    III.
21. नियम 19 (2) के अनुसार संलग्नकों की सूची

दिनांक — आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
स्थान — पदनाम

प्ररूप 12
{नियम 19 (4) देखें}

अलौह धातु अपशिष्टों/उपभोग किए गए तेल/अपशिष्ट तेल के पुनःचक्रणकर्ताओं/पुनःशोधनकर्ताओं द्वारा विवरणिंया फाइल करने के लिए प्ररूप
(प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक पुनः चक्रणकर्ताओं/पुनःशोधनकर्ताओं द्वारा राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/समिति को प्रस्तुत किया जाए)

1. पुनःचक्रणकर्ता का नाम और पता
2. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और टेलीफोन तथा फैक्स सं0 सहित पूरा पता
3. अलौह धतु अपशिष्टों/उपयोग किए गए तेल के पुनःचक्रण करने के लिए संस्थापित वार्शिक क्षमता (एम टी ए में)
4. अक्तूबर से मार्च तक/अप्रैल से सितम्बर तक की अवधि के दौरान क्रय की गई प्रसंस्कृत/बेचे गए अलौह धातु अपशिष्टों/उपभोग किए गए तेल की कुल मात्रा
   - (i) विनिर्माताओं से क्रय की गई अपशिष्टों की मात्रा
   - (ii) नीलामीकर्ताओं से क्रय की गई अपशिष्टों की मात्रा
   - (iii) किसी अन्य स्त्रोत से अभिप्राप्त अपशिष्टों की मात्रा
   - (iv) प्रसंस्कृत अपशिष्टों की मात्रा
   - (v) बिक्री किए गए अपशिष्टों की मात्रा
5. अलौह धातु अपशिष्टों/उपभोग किए गए तेल से प्राप्त सामग्री की मात्रा और प्रकार (एम टी ए में)
6. वापस भेजी गई पुनःचक्रित सामग्री की मात्रा
   - (i) विनिर्माताओं को
   - (ii) अन्य अभिकरणों को

* जो लागू न हो उसे काट दें
# अन्य अभिकरणों की सूची संलग्न करें।

स्थान .... हस्ताक्षर
तारीख .... पदनाम

प्ररूप 12

{नियम 20 (5) देखें}

अलौह धातु अपशिष्टों/उपभोग किए गए तेल/अपशिष्ट तेल की नीलामी/बिक्री की विवरणिंया फाइल करने के लिए प्ररूप
(प्रत्येक वर्श 31 जनवरी तक राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड/समिति के उत्पादकों/अपशिष्ट नीलामकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाए)

1. अपशिष्ट उत्पादक/नीमालकर्ता का नाम और पता
2. अवधि के दौरान नीलाम/बिक्री किए गए अपशिष्टों की कुल मात्रा

(i) अलौह धातु अपशिष्ट (प्रकार और मात्रा बताएं)
(मिट्रिक टन में(इसके साथ पंजीकृत पुनःचक्रणकर्ता का नाम व पता लिखें।
(ii) उपयोग किया गया तेल/अपशिष्ट तेल प्रकार और मात्रा मीट्रिक टन में बताएं व इसके साथ पंजीकृत पुनःचक्रणकर्ता
(iii) पुनःरिफाइनकर्ता का नाम व पता लिखें।

* जो लागू न हो उसे काट दें

स्थान .... हस्ताक्षर
तारीख .... पदनाम

THE GAZETTES OF INDIA, EXTRAORDINARY

Ministry of Environment and forests
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th May, 2003

S.o. 593 (e).- Whereas the draft of certain rules of Hazardous Waste (Management and Handling) Amendment Rules, 2002 was published under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest number S.O. 553(E), dated 21st May, 2002 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the same date inviting objection and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public.

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th day of June, 2002;

And whereas the objections and suggestions received within the said period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Hazardous Waste (Management and Handling) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous Waste (Management and Handling) Rules, 1989 (herein after referred to as the said rules), in rule 2 after clause (c) the following clause shall be inserted, namely:-

"(d) bio-medical wastes covered under the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 made under the Act;

(e) waste covered under the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 made under the Act; and

(f) the lead acid batteries covered under the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 made under the Act."

3. For rule 3 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely:-

3. Definitions- In these rule, unless the context otherwise requires,-

(1) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(2) "applicant" means a person or an organisation that applies, in Form 1, for granting of authorization to perform specific activities connected with handling of hazardous wastes;

(3) "auction" means bulk sale of wastes by invitation of tenders of auction, contract or negotiation by individual (s), companies or Government department.

(4) "auctioneer" means a person or an organisation that auctions wastes;

(5) "authorisation" means permission for collection, transport, treatment, reception, storage and disposal of hazardous wastes, granted by the competent authority in Form 2:

(6) "authorised person" means a person or an organisation authorized by the competent authority;

(7) "Central Pollution Control Board" means the Central Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Waste (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(8) "disposal" means deposit, treatment, recycling and recovery of any hazardous wastes;

(9) "export" with its grammatical variations and cognate expressions, means taking out of India to a place outside India;

(10) "exporter" means any person under the jurisdiction of the exporting country who export hazardous wastes and the exporting county itself, who exports hazardous wastes;

(11) "environmentally sound management of hazardous wastes" means taking all steps required to ensure that the hazardous wastes are managed in a manner which will protect health and the environment against the adverse effects which may result from such wastes;

(12) "facility" means any location where the processes incidental to the waste generation, collection, reception, treatment, storage and disposal are carried out;

(13) "form" means a Form appended to these rules;

(14) "hazardous wastes" means any waste which by reason of any of its physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive characteristics causes danger or it likely to cause danger to health or environment, whether alone or when in contact with other wastes or substances, and shall include-

a. Wastes listed in column (3) of Schedule-1:
b. Wastes have in constituents listed in Schedule-2 if their concentration is equal to or more than the limits indicated in the said Schedule; and
c. Wastes listed in List "A" and "B" of Schedule-3 (Part-A) applicable only in case (s) of import of hazardous wastes in accordance with rules 12,

(15) "applicant" means a person or an organisation that applies, in Form 1, for granting of authorization to perform specific activities connected with handling of hazardous wastes;

(16) "auction" means bulk sale of wastes by invitation of tenders of auction, contract or negotiation by individual (s), companies or Government department.

(17) "auctioneer" means a person or an organisation that auctions wastes;

(18) "authorisation" means permission for collection, transport, treatment, reception, storage and disposal of hazardous wastes, granted by the competent authority in Form 2:

(19) "authorised person" means a person or an organisation authorized by the competent authority;

(20) "Central Pollution Control Board" means the Central Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Waste (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(21) "disposal" means deposit, treatment, recycling and recovery of any hazardous wastes;

(22) "export" with its grammatical variations and cognate expressions, means taking out of India to a place outside India;

(23) "exporter" means any person under the jurisdiction of the exporting country who export hazardous wastes and the exporting county itself, who exports hazardous wastes;

(24) "environmentally sound management of hazardous wastes" means taking all steps required to ensure that the hazardous wastes are managed in a manner which will protect health and the environment against the adverse effects which may result from such wastes;

(25) "facility" means any location where the processes incidental to the waste generation, collection, reception, treatment, storage and disposal are carried out;

(26) "form" means a Form appended to these rules;

(27) "hazardous wastes" means any waste which by reason of any of its physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive characteristics causes danger or it likely to cause danger to health or environment, whether alone or when in contact with other wastes or substances, and shall include-

a. Wastes listed in column (3) of Schedule-1:
b. Wastes have in constituents listed in Schedule-2 if their concentration is equal to or more than the limits indicated in the said Schedule; and
c. Wastes listed in List "A" and "B" of Schedule-3 (Part-A) applicable only in case (s) of import of hazardous wastes in accordance with rules 12,

(28) "State Pollution Control Board or Committee" means the Board or Committee constituted under sub-section (1) of section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(29) "storage" means storing hazardous wastes for a temporary period, at the end of which the hazardous wastes is treated and disposal off;

(30) "transboundary movement" means any movement of hazardous waste or other wastes from an area under the national jurisdiction of one country to or through an area under the national jurisdiction of another country or to or through an area not under the national jurisdiction of any country, provided at least two countries are involved in the movement

(31) "transport" means off-site movement of hazardous waste by air, rail, road or water;

(32) "transporter" means a person engaged in the off-site transportation of hazardous waste by air, rail, road or water;

(33) "treatment" means a method, technique or process, designed to change the physical, chemical or biological characteristics or composition of any hazardous waste so as to render such waste harmless;

(34) "used oil" means any oil-

i. Derived from crude oil or mixtures containing synthetic oil including used engine oil, gear oil, hydraulic oil, turbine oil, compressor oil, industrial gear oil, heat transfer oil, transformer oil, spent oil and their tank bottom sledges; and
ii. Suitable for re-refining if it meets the specifications laid down in Schedule 5,

but does not include waste oil;

(35) "waste oil"

i. Which includes spills of crude oil, emulsions, tank bottom sludge and slop oil generated from petroleum refineries, installation or ships; and
ii. Is unsuitable for re-refining,

but can be used as fuel in furnaces if it meets the specifications laid down in Schedule 6;

(36) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act."

4. In rule 48 of the said rules, for the word and figures “Schedule 4”, the word and figure “Schedule 7” shall be substituted.

5. In rule 5 of the said rules,-

(a) for sub rule (2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) Every occupier handling or a recycler recycling, hazardous wastes shall make an application in Form 1 to the Member-Secretary, State Pollution Control Board or Committee, as the case may be ore any officer designated by the State Pollution Control Board or Committee for the grant of authorization for any of the said activities;

Provided that an occupier or a recycler not having a hazardous wastes treatment and disposal facility of his own and is operating in an area under the jurisdiction assigned by the State Pollution Control Board or Committee, as the case may be, for a common Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) shall become a member of this facility and send his waste to this facility to ensure proper treatment and disposal of hazardous wastes generated failing which the authorization granted to the said to the said occupier or recycler in accordance with this sub-rule may be cancelled after giving a reasonable opportunity to such occupier or recycler, as the case may be, or being heard or shall not be granted by the State Pollution Control Board or Committee, as the case may be.”,

(b) for sub rule (3), the following sub-rule be substituted, namely:-

“(3) Any person who intends to be an operator of a facility for the collection reception, treatment, transport, storage and disposal of hazardous wastes, shall make an application in Form 1 to the Member-Secretary, State Pollution Control Board or Committee for the grant of authorization for all or any of the above activities specified in this rule.”;

(c) in sub-rule (6), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) An authorization granted under this rule shall, unless suspended or cancelled, be in force during the period of its validity as specified by the State Pollution Control Board or Committee from the date of issue or from the date of renewal, as the case may be”;

(d) in sub-rule (8)-

(i) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"on steps taken, by the applicant wherever feasible, for reduction and prevention in the waste generated or for recycling or reuse;"

(ii) clause (iv) shall be omitted:

(e) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(9) Every State Pollution Control Board or Committee shall maintain a register containing particulars of the conditions imposed under these rules for any disposal of hazardous wastes, on any land or premises and it shall be open for inspection during office hours to any person interested or affected or a person authorized by him in this behalf. The entries in the register shall be considered as proof of grant of authorization for management and handling of hazardous wastes on such land or premises and the conditions subject to which it was granted.:

6. In rule 7 of the said rules, for sub-rules (4), (5) and (6), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(4) The occupier shall prepare six copies of the manifest in Form 9 comprising of colour code indicated below (all six copies to be signed by the transporter):

Copy number with colour code	Purpose
Copy 1 (white)	to be forwarded by the occupier to the State Pollution Control Board or Committee
Copy 2 (yellow)	to be retained by the occupier after taking signature on it from the transporter and rest of the four copies to be carried by the transporter
Copy 3 (pink)	to be retained by the operator of the facility after signature
Copy 4 (orange)	to be retuned to the transporter by the operator of facility after accepting waste
Copy 5 (green)	to be retuned by the operator of the facility to State Pollution

	Control Board/Committee after treatment and disposal of wastes
Copy 6 (blue)	To be retuned by the operator of the facility to the occupier after treatment of wastes”;

“(5) The occupier shall forward copy number 1 (white) to the State Pollution Control Board or Committee and in case the hazardous waste is likely to be transported through any transit State, occupier shall prepare an additional copy each for the State and forward the same to be concerned State Pollution Control Board or Committee before he hands over the hazardous waste to the transporter. No transporter shall accept hazardous wastes from an occupier for transport unless it is accompanied by copy number 2 to 5 of the manifest. The transporter shall return copy number 3 (yellow) of the manifest signed with date to the occupier as token of receipt of the other four copies of the manifest and retain the remaining four copies to be carried and handed over to respective agencies as specified in sub-rule (4).”

“(6) In case of transport of hazardous wastes to a facility for treatment, storage and disposal existing in a State other than the State where hazardous wastes are generated, the occupier shall obtain ‘No Objection Certificate” from the State Pollution Control Board or Committee of the concerned State of Union territory Administration where the facility is existing”.

7. For rule 8 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“8. Disposal sites:-

(1) Save as otherwise provided, no person shall import hazardous wastes or substances containing or contaminated with such hazardous wastes as specified in Schedule 9.

(2) The Ministry of Environment and Forests shall be the nodal Ministry to deal with the trans-boundary movement of hazardous wastes and to grant permission of transit of hazardous wastes through any part of India.

(3) Import and export of hazardous wastes shall be permitted as raw material for recycling or reuse.

(4) The authorities mentioned in column 2 of Schedule 7 shall be responsible for regulation of export and port of hazardous wastes.

(5) Any occupier importing or exporting hazardous wastes shall provide detailed information in Form 7A to the Customs authorities.

(6) Any occupier importing or exporting hazardous wastes shall comply with the article of the Basel Convention to which the Central Government is a signatory.

(7) In case of any dispute as to the grant of permission to import or export of hazardous wastes, the matter shall be referred to the Central Government for a decision."

10. In rule 13 of the said rules,-

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Every occupier seeking to import hazardous wastes shall apply to the State Pollution Control Board or Committee at least 120 days in advance of the intended date of commencement of the shipment in Form 6."

(b) in sub-rule (3), clause (e) shall be omitted;

(c) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(9) An occupier importing hazardous wastes listed under an Open General Licence of the Directorate General of Foreign Trade shall register himself with the Ministry of Environment and Forests or any other authority or agency such as the Central Pollution Control Board designed by it in accordance with the procedure laid down under rule 19".

11. In rule 15 of the said rules, in sub-rule (2), in clause (ii), the following shall be added at the end, namely:-

"in accordance with the procedure laid down by the State Pollution Control Board or Committee with Central Pollution Control Board."

12. In rule 16 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The occupier and operator of a facility shall also be liable to reinstate or restore damaged or destroyed elements of the environment at his cost, filing which the occupier or the operator of a facility, as the case may be, shall be liable to pay the entire cost of remediation or restoration and pay in advance an amount equal to the cost estimated by the State Pollution Control Board or Committee. Thereafter, the Board or Committee shall plan and cause to be executed the programme for remediation or

restoration. The advance paid to State Pollution Control Board or Committee towards the cost of remediation or restoration shall be adjusted once the actual cost of remediation or restoration is finally determined and the remaining amount, if any, shall be recovered from the occupier or the operator of the facility."

13. In rule 18 of the said rules, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) Every appeal filed under this rule shall be disposed of within a period of sixty days form the date of such filling."

14. After rule 18 of the said rules, the following rules shall be added, namely:-

"19. Procedure for registration and renewal of registration of recyclers and re-refiners.

(a) Every person desireous of recycling or re-refining non-ferrous metal wastes as specified in Schedule 4 or used oil or waste oil shall register himself with the Central Pollution Control Board;

Provided that no owner or occupier of an industrial unit having captive recycling or on-ferrous metal or recycling of waste oil re-refining of used oil facility shall be required to register under these rules.

Provided further that no person who has registered with the Ministry of Environment & Forests before the commencement of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Amendment Rules, 2003, shall, unless such registration is cancelled or ceases to operate under sub-rule (3) of rule 21, be required to register under this sub-rule as given in the certificate of registration.

(2) Every application for registration under this rule shall be made in Form 11 along with a copy each of the following to the Control of Pollution Control Board for the grant of such registration or renewal:-

(a) letter of consents granted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981:
(b) aurhorisation granted under rule 5 of these rules;
(c) certificate of registration with District Industries Centre;

(d) proof of installed capacity of plant and machinery issued by either State Pollution Control Board or Committee or the District Industries Centre, and

(e) report from the State Pollution Control Board or Committee regarding proof of compliance of effluent and emission standards and treatment and disposal of hazardous wastes as stipulated by the Board or Committee.

(3) In the Central Pollution Control Board is satisfied that the recyclers or re-refiners possess requisite facilities, technical capabilities, and equipment to recycle or re-refine the wastes and dispose of the hazardous wastes generated, it shall grant a certificate of registration to such recycler or re-refiner, as the case may be.

(4) The Central Pollution Control Board shall dispose of the application for registration within 120 days of receipt of such application with complete details.

(5) The certificate of registration granted under sub-rule (3) shall be valid for a period of two years from the date of its issue unless suspended or cancelled earlier.

(6) Every application for renewal of registration of a certificate of registration granted under sub-rule (3) shall be made in Form 11 alongwith the documents mentioned in sub-rule (2) atleast two months before the expiry of the period of validity of such certificate. The Central Pollution Control Board shall renew the registration of the recycler or re-refinder granted under sub-rule (3) after examining each case on merit.

(7) The Central Pollution Control Board may, after giving reasonable opportunity to the applicant of being heard, by order, refuse to grant certificate of registration of renewal.

(8) The Central Pollution Control Board may cancel os suspend a registration or renewal granted under these rules, if in its opinion the registered recycler has failed to comply with any of the conditions of registration, or with any provisions of the Act or rule made thereunder after giving him an opportunity of being heard and after recording the reasons therefore;

(9) An appeal against any order of suspension or cancellation or refusal of registration or renewal passed by Central Pollution Control Board shall lie with the Secretary, Ministry of Environment and Forest (hereafter referred to as the appellate authority).

(10) The memorandum of appeal under sub-rule (9) shall be in writing and shall be accompanied with a copy of the order appealed against and shall be presented within 30 days of passing of the order”

Provided that the appellate authority may allow a memorandum of appeal to be filed after the expiry of the said period of thirty days, but in no case later than 45 days if the appellate authority is satisfied that there exists sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(11) On receipt of a memorandum of appeal under sub-rule (9) the appellate authority shall within ninety days from the date of receipt of such memorandum of appeal and after giving the appellant an opportunity of being head pass such order as he may deem fit.

(12) In case of units registered with the Ministry of Environment and Forests or the Central Pollution Control Board for items placed under “free category” in Notification nos. 22(RE-(() 1997-2002 dated 30th July, 1999; 26 (RE-99) 1997-20002 dated 10th September, 1999[38 (RE-2000) 1997-2002 dated 16th October, 2000 and 6 (RE-2001) dated 31st March, 2001 issued by the Directorate General of Foreign Trade and other similar notification issued based on the advice of Ministry of Environment and Forests, prior import permission from that Ministry shall not be required.

(13) Recyclers and re-refiners registered with the Government of India in the Ministry of Environment and Forests or the Central Pollution Control Board shall maintain a record of waste purchased, processed and sold and shall file an annual retune in Form-12 to the respective State Pollution Control Board or Committee, as the case may be, latest by 31st January of every year.

20. Responsibility of waste generator:-

(1) No owner or occupier generating non-ferrous metal waste specified in Schedule 4 or generating used oil or waste oil of ten tons or more per annum shall sell or auction such non-ferrous metal wastes, used oil or waste oil except to a registered re-refiner or recycler, as the case may be, who undertakes to re-refine of recycle the waste within the period of validity of his certificate of registration.

(2) Any waste oil which does not the specification laid down in Schedule 6 shall not be auctioned or sold but shall be disposed f in hazardous wastes incinerator installed with air pollution control devices and meeting emission standards;

(3) The persons generating waste or auctioneers shall ensure that at the time of auction or sale, the period of validity of the certificate of registration of the registered re-refiner or recycler is sufficient to reprocess the quantity of wastes being sold or auctioned to him.

(4) The waste generators and auctioneers shall ensure that the wastes are not allowed to be stored for more than ninety days and shall maintain a record of auctions and sale of such wastes and make these records available to the State Pollution Control Board or Committee for inspections.

(5) The waste Generators and auctioneers shall file annual retunes of auction and sale in Form-13 latest by 31st day of January of every year to the respective State Pollution Control Board or Committee.

21. Technology and standards for re-refining or recycling:-

(1) Re-refiners and recyclers shall use only environmentally sound technologies while recycling and re-refining non-ferrous metal wastes or used oil or waste oil in case of used oil, re-refiners using acid clay process or modified acid clay process or modified acid clay process shall switch over within six months from the date of commencement of the Hazardous Waste (Management and Handling) Amendment Rules, 2003 to other environmentally sound technologies as under:-

(a) Vacuum distillation with clay treatment;
(b) Vacuum distillation with hyd otreating;
(c) Thin filn, evaporation process; or
(d) Any other technology approved by the Ministry of Environment and Forests

(2) The re0refiners and recyclers registered with the Ministry of Environment and Forests or the Central Pollution Control Board in accordance with the procedure laid down in rule 19 shall file a compliance report of having adopted one of the technologies mentioned in sub-rule (1) within six months from the date of commencement of the Hazardous Waste (Management and Handling) Amendment Rules, 2003.

(3) Notwithstanding anything contained in a certificate of registration granted to a recycler or re-refiner, such registration with the Ministry of

Environment and Forests shall cease to be valid if he fails to comply with sub-rule (1).

(4) The State Pollution Control Board or Committee shall inspect the re-refining and recycling units within three months of the expiry of the six months period referred to in sub-rule (1) sand submit a compliance report to the Central Pollution Control Board which shall compile such information and furnish the same to the Ministry of Environment and Forests on a regular basis.

(5) The Ministry of Environment and Forests shall notify from time-to-time specifications and standards to be followed by recyclers and re-refiners."

15. In the said rules, for Schedules 1 to 4, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule-1
[See rule 3(14)(a)]
List of Hazardous Wastes

S.No.	Process	Hazardous Wastes
1.	Petrochemical processes and pyrolytic operations	1.1 Furnace/reactor residue and debris*
		1.2 Tarry residues
		1.3 Oily sludge emulsion
		1.4 Organic residues
		1.5 Residues from alkali wash of fuels
		1.6 Still bottoms from distillation process
		1.7 Spent catalyst and molecular sieves
		1.8 Slop oil from wastewater
		1.9 ETP sludge containing hazardous
2.	Drilling operation for oil and gas production.	2.1 Drill cutting containing oil
		2.2 Sludge containing oil
		2.3 Drilling mud and other drilling wastes*
3.	Cleaning, emptying and maintenance of	3.1 Oil-containing cargo residue, washing water and sludge

	petroleum oil storage tanks including ships	3.2 Chemical-containing cargo residue and sludge 3.3 Sludge and Filters contaminated with oil 3.4 Ballast water containing oil from ships.
4.	Petroleum refining/re-refining of used oil/recycling of waste oil	4.1 Oily sludge/emulsion 4.2 Spent catalyst 4.3 Slop oil 4.4 organic residues from process 4.5 Chemical sludge from waste water treatment 4.6 Spent clay containing oil
5.	Industrial operations using mineral/synthetic oil as lubricant in hydraulic systems or other applications	5.1 Used/spent oil 5.2 Wastes/residues containing oil

* Unless proved otherwise by the occupier based on sampling and analysis carried out by a laboratory recognized under the Act not to contain any of the constituents in Schedule 2 to the extent of concentration limits specific therein.

(2) The re0refiners and recyclers registered with the Ministry of Environment and Forests or the Central Pollution Control Board in accordance with the procedure laid down in rule 19 shall file a compliance report of having adopted one of the technologies mentioned in sub-rule (1) within six months from the date of commencement of the Hazardous Waste (Management and Handling) Amendment Rules, 2003.

(3) Notwithstanding anything contained in a certificate of registration granted to a recycler or re-refiner, such registration with the Ministry of Environment and Forests shall cease to be valid if he fails to comply with sub-rule (1).

(4) The State Pollution Control Board or Committee shall inspect the re-refining and recycling units within three months of the expiry of the six months period referred to in sub-rule (1) sand submit a compliance report to the Central Pollution Control Board which shall compile such

information and furnish the same to the Ministry of Environment and Forests on a regular basis.

(5) The Ministry of Environment and Forests shall notify from time-to-time specifications and standards to be followed by recyclers and re-refiners."

15. In the said rules, for Schedules 1 to 4, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule-1
[See rule 3(14)(a)]
List of Hazardous Wastes

S.No.	Process	Hazardous Wastes
1.	Petrochemical processes and pyrolytic operations	1.10 Furnace/reactor residue and debris* 1.11 Tarry residues 1.12 Oily sludge emulsion 1.13 Organic residues 1.14 Residues from alkali wash of fuels 1.15 Still bottoms from distillation process 1.16 Spent catalyst and molecular sieves 1.17 Slop oil from wastewater 1.18 ETP sludge containing hazardous
2.	Drilling operation for oil and gas production.	2.1 Drill cutting containing oil 2.2 Sludge containing oil 2.3 Drilling mud and other drilling wastes*
3.	Cleaning, emptying and maintenance of petroleum oil storage tanks including ships	3.1 Oil-containing cargo residue, washing water and sludge 3.2 Chemical-containing cargo residue and sludge 3.3 Sludge and Filters contaminated with oil 3.4 Ballast water containing oil from ships.
4.	Petroleum refining/re-refining of used oil/recycling of waste oil	4.1 Oily sludge/emulsion 4.2 Spent catalyst 4.3 Slop oil 4.4 organic residues from process 4.5 Chemical sludge from waste water treatment

		4.6 Spent clay containing oil
5.	Industrial operations using mineral/synthetic oil as lubricant in hydraulic systems or other applications	5.1 Used/spent oil 5.2 Wastes/residues containing oil

* Unless proved otherwise by the occupier based on sampling and analysis carried out by a laboratory recognized under the Act not to contain any of the constituents in Schedule 2 to the extent of concentration limits specific therein.

S.No.	Process	Hazardous Wastes
6	Secondary production and/or use of zinc.	6.1 Sludge and filter press and arising out of zinc sulphaste production. 6.2 Zinc fines/dust/ash/skiming (dispersible form) 6.3 Other residues from processing of zinc ash/skimmings
7	Primary production of zinc/lead/copper and other non-ferrous metals except aluminium	7.1 Flue gas dust from roasting 7.2 Process residues 7.3 Arsenic-bearing sludge 7.4 Metal bearing sludge and residue including jarosite 7.5 Sludge from ETP and scrubbers.
8.	Secondary production of copper	8.1 Spent electrolytic solutions 8.2 Sludges and filter cakes 8.3 Flue gas dust and other particulates*
9.	Secondary production of lead	9.1 Lead slag/Lead bearing residues 9.2 Lead ash/particulate from flue gas.
10.	Production and/or use of cadmium and arsenic and their compounds	10.1 Residues containing cadmium and arsenic.

11.	Production of primary and secondary aluminium	11.1 Sludges from gas treatment 11.2 Cathode residues including pot lining wastes 11.3 Tar containing wastes 11.4 Flue gas dust and other particulates* 11.5 Wastes from treatment of salt slags and black drosses*
12.	Metal surface treatment such as etcing, staining, polishing, calvanishing, cleaning, degreasing, plating etc.	12.1 Acid residues 12.2 Alkali residues 12.3 Spend bath/sludge containing sulphide, cyanide and toxic metals. 12.4 Sludge form bath containing organic solvents. 12.5 Phosphate sludge 12.6 Sludge from staining bath 12.7 Copper etching residues 12.8 Plating metal sludge 12.9 Chemical sludge form waste water treatment.

* Unless proved otherwise by the occupier based on sampling and analysis carried out by a laboratory recognized under the Act not to contain any of the constituents in Schedule 2 to the extent of concentration limits specific therein.

13.	Production of iron and steel including other ferrous alloys (electric furnaces; steel rolling and finishing mills; Coke oven and by product plant)	13.1 Process dust* 13.2 Sludge from acid recovery unit 13.3 Benzol acid sludge 13.4 Decanter tank tar sludge 13.5 Tar storage tank residue
14.	Hardening of steel	14.1 Cyanide-, nitrate-, nitrite-containing sludge 14.2 Spend hardening slat
15.	Production of asbestos or asbestos-containing materials	15.1 Asbestos-containing residues 15.2 Discarded asbestos 15.3 Brine sludge containing mercury

16.	Production of caustic soda and chlorine	16.1 Mercury bearing sludge 16.2 Residue/sludge and filter cakes* 16.3 Brine sludge containing mercury
17.	Production of acids	17.1 Residues, dusts or filter cakes* 17.2 Spent catalyst*
18.	Production of nitrogenous and complex fertilizers	18.1 Spend catalyst* 18.2 Spent carbon* 18.3 Sludge/residue containing arsenic 18.4 Chromium sludge from water cooling tower 18.5 Chemical sludge from waste water treatment
19.	Production of phenol	19.1 Residue/sludge containing phenol
20.	Production and/or industrial use of solvents	20.1 Contaminated aromatic, aliphatic or napthenic solvents not fit for originally intended use 20.2 Spent solvents 20.3 Distillation residues

* Unless proved otherwise by the occupier based on sampling and analysis carried out by a laboratory recognized under the Act not to contain any of the constituents in Schedule 2 to the extent of concentration limits specific therein.

21.	Production and/or industrial use of paints, plgments, lacquers, varnishes, plastics and inks	21.1 Wastes and residues 21.2 Filters residues
22.	Production of plastic raw materials	22.1 Residue of additives used in plastics manufacture like dyestuffs, stabilizers, flames retardants, etc. 22.2 Residues of plasticiesers 22.3 Residues form vinylchloride monomer production

		22.4 Residues from acrylonitrile production 22.5 Non-ploymerised residues.
23.	Production and/or industrial use of glues, cements, adhesive and resins	23.1 Wastes/residues (not made with vegetable or animal materials)*
24.	Production of canvas and textiles	24.1 Textile chemical residues * 24.2 Chemical sludge from waste water treatment
25.	Industrial production and formulation of wood preservatives	25.1 Chemical residues 25.2 Residues from wood alkali bath
26.	Production or industrial use of synthetic dyes, dye-intermediates and pigments	26.1 Process waste sludge/residues containing acid or other toxic metals or organic complexes 26.2 Chemical sludge from waste water treatment 26.3 Dust from air filtration system
27.	Production or industrial use of materials made with organo-silicone compounds	27.1 Silicone-containing residues 27.2 Silicone oil residues
28.	Production/formulation of drugs/pharmaceuticals	28.1 Residues and Wastes* 28.2 Spent catalyst/spent carbon 28.3 Off specification products 28.3 Date-expired, discharged and off-specification drugs/medicines 28.4 Spent mother liquor 28.5 Spent organic solvents
29.	Production, use and formulation of pesticides including stock-piles	29.1 Wastes/residues containing pesticides 29.2 Chemical sludge from waste water treatment 29.3 Date-expired and off-specification pesticides

* Unless proved otherwise by the occupier based on sampling and analysis carried out by a laboratory recognized under the Act not to contain any of the constituents in Schedule 2 to the extent of concentration limits specific therein.

30.	Leather tanneries	30.1 Chromium bearing residues and sludge 30.2 Chemical sludge form waste water treatment
31.	Electronic Industry	31.1 Residues and wastes* 31.2 Spent etching chemicals and solvents
32.	Pulp & Paper Industry	32.1 Spent chemicals 32.2 Corrosive wastes arising from use of strong acid and bases 32.3 Sludge containing absorbable organic halides
33.	Disposal of barrel/ containers used for handling of hazardous wastes/chemicals	33.1 Chemical-containing residues from decontamination and disposal. 33.2 Sludge from treatment of waste water arising out of cleaning/disposal of barrels/containers 33.3 Discarded containers/barrels/ liners used for hazardous wastes/chemicals
34.	Purification process for air and water	34.1 Flue gas cleaning residue* 34.2 Toxic metal-containing residue from used-ion exchange material in water purification. 34.3 Chemical sludge from waste water treatment 34.4 Chemical sludge, oil and grease skimming residues from common industrial effluent treatment plants (CETPs) and industry-specific effluent treatment plants (ETPs)

		34.5 Chromium sludge form cooling water treatment
35.	Purification process for organic compounds/solvents	35.1 Filters and filter material which have organic liquids in them, e.g. mineral oil, synthetic oil and organic chlorine compounds 35.2 Spent catalyst* 35.3 Spent carbon*
36.	Waste treatment process, e.g. incineration, distillation, separation and concentration techniques	36.1 Sludge from wet scrubbers 36.2 Ash from incineration of hazardous waste, flue gas cleaning residues 36.3 Spent acid from batteries 36.4 Distillation residues from contaminated organic solvents

* Unless proved otherwise by the occupier based on sampling and analysis carried out by a laboratory recognized under the Act not to contain any of the constituents in Schedule 2 to the extent of concentration limits specific therein.

Schedule-2

[See rule 3(14)(b)]
List of Wastes Constituents with Concentration Limits*

Class A
Concentration limit: ≥ 50 mg/kg

A1 Antimony and antimony compounds
A2 Arsenic and arsenic compounds
A3 Beryllium and beryllium compounds
A4 Cadmium and cadmium compounds
A5 Chromium (VI) compounds
A6 Mercury and mercury compounds
A7 Tellurium and tellurium compounds
A8 Thallium and thallium compounds
A9 Thallium and thallium compounds
A10 Inorganic cyanide compounds
A11 Metal carbonyls
A12 Napthalene
A13 Anthracene
A14 Phenanthrene
A15 Chrysene, benzo (a) anthracene, fluouranthene, benzo (a) pyrene, benzo (K) fluoranthene, indeno (1, 2, 3-cd) pyrene and benzo (ghi) perylene
A16 halogenated compounds of aromatic rings, e.g. polychlorinated bipheyls, polychloroterphencyls and their derivatives
A17 Halogenated aromatic compounds
A18 Benene
A19 Organo-lchlorine pesticides
A20 Organo-tin compounds

* Waste constituents and their concentration limits given in this list are based on BAGA (the Netherlands Environment Protection Agency) List of Hazardous Substances. In order to decided whether a specific material listed above is hazardous or not, following points be taken into consideration:

(i) if a component of the wastes appears in one of the five risk classes listed above (A, B, C, D or E) and the concentration of the component is equal to or more than

the limits for the relevant risks class, the materials is then classified as hazardous waste.

(ii) If a chemical compound containing a hazardous constituent is present in the waste, the concentration added together.

(iii) If multiply hazardous constituents from different classes are present in the waste, the lowest concentration limit corresponding to the constituent(s) applies.

(iv) For substances in waste solution, the concentration limits for dry matter must be used. If the dry matter content is less than 0.1% by weight, the concentration limit, reduced by a factor of one thousand, applies to the solution.

Class-B

Concentration limit: ≥ 5,000 mg/kg

B1 Chromium (III) compounds
B2 Cobalt compounds
B3 Copper compounds
B4 Leans and lead compounds
B5 Molybdenum compounds
B6 Nickel compounds
B7 Inorganic Tin compounds
B8 Vanadium compounds
B9 Tungsten compounds
B10 Silver compounds
B11 Halogenated aliphatic compounds
B12 Organo phosphorus compounds
B13 Organic peroxides
B14 Organic nitro-and nitoso- compounds
B15 Organic azo-and azooxy compounds
B16 Nitriles
B17 Amines
B18 (Iso-and-thio-) cyanates
B19 Phenol and phenolic compounds
B20 Mercaptans
B21 Asbestos
B22 Halogen-silanes

B23 Hydrazine (s)
B24 Flourine
B25 Cholorine
B26 Bromine
B27 White and red phosphorus
B28 Ferro-silicate and alloys
B29 Manganese-silicate
B30 Halogen-containing compounds which produce acidic vapours on contact with humid air or water, e.g. silicon tetrachloride, aluminium chloride, titanium tetrachloride.

Class-C
Concentration limit: ≥ 20,000 mg/kg
C1 Ammonia and ammonium compounds
C2 Inorganic peroxides
C3 Barium compounds except barium sulphate
C4 Fluorine compounds
C5 Phosphate compounds except phosphates of aiuminium, calcium and iron
C6 Bromates, (hypo-bromites)
C7 Chilorates, (hypo-chlorites)
C8 Aromatic compounds other than those listed under A2 to A18
C9 Organic silicone compounds
C10 Organic-sulphur compounds
C11 Iodates
C12 Nitrates, nitrites
C13 Sulphides
C14 Zinc compounds
C15 Salts of per-acids
C16 Acid amides
C17 Acid anhydrides

Class-D
Concentration limit: ≥ 50,000 mg/kg
D1 Total Sulphur
D2 Inorganic acids
D3 Metal hydrogen sulphates
D4 Oxides and bydroxides except those of hydrogen, carbon, silicon, iron aluminum, titanium, manganes, magnestium, calcium
D5 Total hydrocarbons other than those listed under A12 to A18

D6 Organic oxygen compounds
D7 Organic nitrogen compounds expressed as nitrogen
D8 Nitrides
D9 Hydrides

Class-E

Regardless of concentration limit; Classified as hazardous wastes at all concentrations

E1 Flammable substances
E2 Substances which generate hazardous quantities of flammable gases on contact with water or damp air

Schedule-3

[See rules 3 (14) (c) & 12(a)]

Part A: List of Wastes Applicable for Import and Export

List-A

Basel No.	Description of Wastes	Annex-I**	Annex-II #	OECD No.	Customer code
A1	Metal and Metal bearing wastes				
A1010	Metal waste and waste consisting of alloys of the following metals, but excluding such wastes specified on list B(corresponding mirror entry under List B in brackets)				
	-Antimony	Y27	6.1,11,12	AA070	ex 2620.90
	-Cadmium	Y26	6.1,11,12	AA070	ex 2620.90
	-Tellurium	Y28	6.1,11,12	AA070	ex 2620.90
	-Lead	Y31	6.1,11,12		
A1020	Waste having as constituents or contaminants excluding metal wastes in massive form, and of the following :				
	-Cadmium, cadmium compounds (see B1020)	Y26	6.1,11,12	AA070	ex 2620.90
	-Antimony, antimony compounds (See B1020)	Y27			

	-Tellurium, tellurium compounds	Y28	6.1,11,12	AA070	ex 2620.90
	-Lead, lead compounds (see B1020)	Y31	6.1,11,12	AA030	ex 2620.20

*   List A given as Annex. VIII of the Basel Convention on Transboundary, Movement of Hazardous Wastes and their disposal comprises of wastes characterized as hazardous under Article 1, paragraph (a) of the Convention Inclusion of wastes on this list does not preclude the use of hazard characteristics given in Annex. III of Basel convention to demonstrate that the wastes are not hazardous. Above list is modified to the extent that certain waste categories given in List 'A" (Annex VIII) of Basel Convention have been prohibited for import and export under the Environment (Protection) Act, 1986 and are listed separately under Schedule 8 of these Rules. Hazardous wastes in the above list are restricted and connot be allowed to be imported into the country without DGFT licence.

**   Annex. I of Basel Convention denoting serial no. of the category of wastes to be controlled.

\#   Annex.III of Basel Convention denoting serial numbers of the hazard characteristics (Part B of the Scheduled)

A1040	Wastes having as constituents any of the following:				
	-Metal sludges	Y19	6.1,11,12		
A1050	Galvanic sludges	Y17	6.1,12	AA120	
A1060	Wastes Liquors from the pickling of metals	Y17	6.1,12	AA130	
A1070	Leaching residues from zinc processing, dusts and sluges such as jarosite, hematite, geoethite, etc.	Y23	12	AA140	

A1080	Waste Zinc residues not included on list B containing lead and cadmium in concentrations sufficient to exhibit hazard characteristics indicated in Part B of this schedule (see B1080 and B1100)	Y23	4.3,12	AA020	ex 262019, ex 2620.1, ex 2817
A1090	Ashes from the incineration of insulated copper wire	Y22	12		
A1100	Dust and residues from gas cleaning systems of copper smelters	Y18, Y22	12		ex 2620.31
A1110	Spent electrolytic solutions from copper electrorefining and electrowinning operations	Y22	12		ex 2620.30
A1120	Wastes sludges, excluding anode slimes, from electrolytic purification systems in copper electrorefining and electrowinning operations.	Y18, Y22	12		ex 2620.30

A1130	Spent etching solutions containing dissolved copper	Y22	12		ex 3824.90
A1150	Precious metal ash from incineration of printed circuit boards not included on list ‘B” (see B-1160)			AA161	ex 7112.10
A1160	Waste Lead acid batteries whoe of crushed	Y31	6.1,11,12	AA170	
A1170	Unsorted waste batteries excluding mixtures of only List B batteries. Wastes batteries not specified on List B containing schedule 2 constituents to an extent to render them hazardous (see B1090)	Y26, Y29, Y31	6.1,11,12	AA030	ex 8548.10 ex 8548.90
A1180	Waste Electrical and electronic assembled or scrap containing, compounds such as accumulators and other batteries included on list A, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other				

	activated glass and PCB-capacitors, or contaminated with Schedule 2 constituents (e.g. cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) to an extent that they exhibit hazard characteristics indicated in part 3 of this Schedule (see B1110)				
A2	Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials				
A2010	Galss waste from cathode ray tubes and other activated glasses	Y31	6.1,11,12	AB040	ex 7001.00
A2030	Wastes catalysts but excluding such wastes specified on List B	Y31			
A3	Wastes containing principally organic constituents which may				

	contain metals and inorganic materials				
A3010	Waste from the production or processing of petroleum coke and bitumen	Y11		AC010	ex 2713.90
A3020	Waste mineral oils unfit for their originally intended use	Y8		AC030	2710.00 3823.90
A3050	Wastes from production formulation and use of resins, latex, plasticisers, glues/adhesives excluding such wastes specified in List B (B4020)	Y13		AC090	
A3070	Waste phenol, phenol compounds including chlorophenol in the form of liquids of sludges	Y39		AC110	
A3080	Waste ethers not including those specified in List B			AC130	
A3120	Fluff: light fraction from shredding			AC190	
A3130	Waste organic phosphorus compounds	Y37		AC200	
A3140	Waste non-halogenated	Y42		AC210	

	organic solvents (but excluding such wastes specified on List B)				
A3160	Waste halogenated or unhalogenated non-aqueous distillation residues arising form organic solvent recovery operations	Y18		AC230	
A3170	Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloroethane, vinylchloride, vinlodens choloride, allyl choloride asn cpichlorhydrin)	Y45		AC240	
A4	Wastes which may contain either inorganic or organic constituents				
A4010	Wastes from the production and preparation and use of pharmaceutical products but excluding such	Y2		ADVISE R010	

	wastes specified on List B				
A4040	Wastes from the manufacture formulation and use of wood preserving chemicals	Y5, Y22, Y12		ADVISE R030	
A4070	Waste from the production formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, varnish excluding those specified in List B (B4010)	Y12		ADVISE R070	
A4080	Wastes of an explosive nature excluding such wastes specified on List B	Y15			
A4090	Waste acidic or basic solutions excluding those specified in List B (B2010)	Y34, Y35		AB110 ADVISE R110	
A4100	Wastes from industrial pollution control devices for cleaning of industrial off-gases excluding such wastes specified on List B	Y18			
A4110	Wastes that contain, consist of or are	Y43		RC010	

	contaminated with any of the following; • Any congenor of polychlorinated dibenzo-furan • Any congenor of polychlorinated dibenzo-dioxin				
A4120	Wastes that contain, consist of or are contaminated with peroxides.				
A4130	Waste package and container containing any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein.				
A4140	Waste consisting of or containing off specification or out-dated chemicals containing any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein.	Y3			

A4150	Waste chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not identified and/or are new and whose effects on human health and/or the environment are not known	Y14			
A4160	Spent activated carbon not included on List B (B2060)				ex 2803

List B*

B1	Metal and metal-bearing wastes			
B1010	Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form:			
	− Precious metals (gold, silver, platinum)**			
	− Iron and steel scrap**			
	− Nickel scrap****		GA130	750300
	− Aluminum scrap****			
	− Zinc scrap****			
	− Tin scrap****			
	− Tungsten scrap***			
	− Molybdenum scrap***		GA190	ex 810291
	− Tantalum scrap ***		GA200	ex 810310
	− Cobalt scrap***		GA220	ex 810510
	− Bismuth scrap***		GA230	ex 810600
	− Titanium scrap***		GA250	ex 810810
	− Zirconium scrap***		GA260	ex 810910
	− Manganese scrap***		GA280	ex 811100
	− Germanium scrap***		GA310	ex 811230
	− Vanadium scrap***		GA320	ex 811240
	− Hafnium scrap***		GA330	ex 8112.91
	− Indium scrap***		GA340	ex 8112.91
	− Niobium scrap***		GA350	ex 8112.91
	− Rehium scrap***		GA360	ex 8112.91
	− Gallium scrap***		GA370	ex 8112.91
	− Magnesium scrap****		GA210	ex 8112.91
	− Copper scrap****		GA120	ex 8112.91
	− Thorium scrap			
	− Rare earths scrap			

* List B given as Annex. IX or the Basel Convention on Transboundry Movement of Hazardous Wastes and their Disposal comprises of wastes not covered by Article a. paragraph 1 (a) of the Convention, unless they contain material listed under Annex. 1 of the Convention to an extent causing them to exhibit Annex. (a) characteristics. Status of wastes in the above list with

regard to their import in the country is indicated in respective footnotes (for details refer to ITC-HS Classification (EXIM Policy) Brought out by the Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce). Other residual and waste products of chemical and allied industrials appearing in the above list but not specified in the EXIM policy are restricted and cannot be allowed to be imported into the country without DGFT licence.

** Import permitted in the country without any licence or restriction.

*** Restricted, import permitted in the country with DGFT licence only for the purpose of reprocessing or reuse.

**** Import of copper scarp namely copper wire covered under ISRI code "Druid" and Jelly filed copper cables in permitted without a licence to units registered with the Ministry of Environment & Forest.

B1020	Clean, uncontaminated metal scrap, including alloys, in bulk finished form (sheet, place, beams, rods, etc.)of:			
	-Antimony Scrap*		GA270	ex 8110.00
	-Cadmium scrap*		GA240	ex 8107.10
	-Lead scrap**			
	-Tellurium scrap**			
B1030	Refractory metals containing residues			
B1040	Scrap assemblies from electrical power generation not contaminated with lubricating oil, PCB or PCT to an extent to render them hazardous.			
B1050	Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, not containing any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein			

B1060	Waste tellurium in metallic elemental form including powder			

* Restricted, import permitted in the country with DGFT licence only for the purpose of reprocessing or reuse.

** Restricted, import of the following material covered under Battery scrap is permitted in the country with DGFT licence:

- Battery scrap, namely the flowing: Lean battery plated covered by ISRI, Code word Rails Battery lugs covered by ISRI, Code word Rakes.
- Battery wastes, namely the following: Scrap drained/dry which intact, lead batteries covered by ISRI, Code word Rains, Scrap wet whole intact lead cell covered by ISRI Code word Rono, Scrap whole intact industrial lead batteries covered by ISRI Code work Roper, Edison batteries covered by ISRI, Code word Vaunt.
- Other waste and scrap.

*** Import permitted in the country without any licence or restriction.

B1070	Waste of copper and copper alloys in dispersible form unless they contain any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein*			ex 2620.30
B1080	Zinc ash and residues including zinc alloys residues in dispersible form unless they contain any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein*			ex 2620.10 ex 2620.19 ex 2817.00
B1090	Wastes batteries conforming to specification, excluding those made with lead, cadmium or mercury.			ex 8548.10 ex 8548.90

B1100	Metal bearing wastes arising from melting smelting and refining of metals :			
	- ** Hard Zinc Spelter - ** Zinc-containing drosses: - Galvanizing slab zinc bottom dross (>92% Zn) - Zinc die casting dross (>85% Zn) - Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch) (>92% Zn - Zinc skimmings			

* Copper dross containing copper greater than 65% lead and cadmium equal or less than 1.25% and 0.1% respectively; spent cleaned metal catalyst containing copper: and Copper reverts, cake and residues containing lead and cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively are allowed for import without DGFT licence to units (actual users) registered with MoEF upto an annual quantity limit indicated in the Registration letter. Copper reverts, cake and residues containing lead and cadmium greater than 1.25% and 0.1% respectively are under restricted category for which import is permitted only against DGFT licence for the purpose of processing or reuse by registered with MoEF (actual users).

** Zinc ash/skimmings in dispersible form containing zinc more than 65% and lead and cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively and spent cleaned metal catalyst containing zinc are allowed for import without DGFT licence to units registered with MoEf (actual users) upto an annual quanitity limit indicated in Registration Letter. Zinc ash and skimmings containing less than 65% zinc and lead and cadmium equal to or more than 1.25% and 0.1% respectively and hard zinc spelter and brass dross containing lead greater than 1.25% are under restricted category for which import is permitted against DGFT licence and only for purpose of processing or reuse by unit registered with MoEF (actual users).

	- Slags from copper processing for further processing or refining containing arsenic, lead or			ex 262030

	cadmium unless they contain any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein			
	- Slags from precious metals processing for further refining		GB40	ex 2620.90
	- Wastes of refractory linings, including crucibles, originating from copper amelting			
	- Aluminum skimmings (or skims) excluding salt slab		AA50	
	- Tantalum-bearing tin slags with less than 0.5% tin			
B1110	Electrical and electronic assemblies		GC	
	- Electronic assemblies consisting only of metals or alloys		GC010	
	- Wastes Electrical and electronic assemblies scrap (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse and not for recycling or final disposal		GC020	
	- Wastes electrical and electronic assemblies scrap (including printed circuit boards) not containing components such as accumulators and other batteries included on list A, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and			

<table>
<tr><td></td><td>other activated glass and PCB-capacitors, or not contaminated with constituents such as cadmium, mercury lead, polychlorinated biphenyl) or form which these have been removed, to an extent that they do not posses any of the constituent mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse and not for recycling or final disposal</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>B1120</td><td>Spent catalysts excluding liquids used as catalysts, containing any of:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Transition metals, excluding waste catalysts (spent catalysts, liquid uses catalysts or other catalysts) on list A:</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td>Sandium</td><td>Titanium</td></tr>
<tr><td>Vanadium</td><td>Chroium</td></tr>
<tr><td>Manganese</td><td>Iron</td></tr>
<tr><td>Cobalt</td><td>Nickel</td></tr>
<tr><td>Copper</td><td>Zinc</td></tr>
<tr><td>Yurium</td><td>Zirconium</td></tr>
<tr><td>Niobium</td><td>Molybdenum</td></tr>
<tr><td>Hafnitum</td><td>Tantalum</td></tr>
<tr><td>Tungsten</td><td>Rhenium</td></tr>
<tr><td colspan="2">Lanthanaides (rare earth metals):</td></tr>
<tr><td>Lanthanum</td><td>Cerium</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	Praseodymium, Neody; Samarium, Europium; Gadolinium, Terbium; Dysprosium, Holmium; Erbium, Thulium; Ytterbium, Lutertium			
B1130	Cleaned spent precious metal bearing catalysts			ex 381510 ex 711510
B1140	Precious metal bearing residues in solid form which contain traces of inorganic cyanides			ex 381510 ex 711510
B1150	Precious metals and alloy wastes (gold, silver, the plantinum group) in & dispersible form			ex 381510 ex 711510
B1160	Precious-metal ash from the incineration of printed circuit boards (note the related entry on list A A1150)			
B1170	Precious metal ash from the incineration of photographic film			ex 284310
B1180	Waste photographic film containing silver halides and metalic silver			
B1190	Waste photographic paper containing silver halides and metallic silver			
B1200	Granulated slag arising from the manufacture of iron and steel*		GC080	ex 261900
B1210	Slag arising from the manufacture of iron and steel including slag as a source of Titanium dioxide and Vanadium**			ex 261900

* Import permitted in the country without any licence or restriction.

** Slag and dross other than granulated, scalings and other wastes are restricted; import permitted with DGFT licence only for the purpose of reprocessing or reuse.

B1220	Slag from zinc production, chemically stabilized having a high iron content (above 20%) and processed according to industrial specifications mainly for construction*			ex 262030
B1230	Mill scaling arising form manufacture of iron and steel			ex 261900
B1240	Copper Oxide mill-scale **			
B2	Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials			
B2010	Wastes from mining operations in non-dispersible form:			
	− Natural graphite waste*		GD010	250400
	− Slate wastes**			
	− Mica wastes*			
	− Leucite, nepheling and nepheline syenite waste*		GD040	252930
	− Feldspar waste (lumps & powder)*		GD050	252910
	− Fluorspar waste*		GD060	252910
	− Silica wastes in solid from excluding those used in foundry operations			252922
B2020	Glass wastes in non-dispersible from: - Culler and other wastes and scrap of glass except for glass from cathode ray tubes and other activated glasses*			

* Import permitted in the country without any licence or restriction.

** Copper oxide mill scale are allowed for import in the country without DGFT licence to units (actual users) registered with MoEF upto an annual quantity limit indicated in the Registration Letter.

*** Restricted, import permitted in the country with DGFT licence only for the purpose of reprocessing or reuse.

B2030	Ceramic wastes in non-dispersible form:		GF	
	− Cermet wastes and scrap (metal ceramic composites)*			
	− Ceramic based fibres			
B2040	Other wastes containing principally inorganic constituents		GC	
	− Partially refined calcium sulphate produced from flue gas desulphurization (FGD)		GC010	ex 262100
	− Waste gypsum wallboard or plasterboard arising from the demolition of buildings **			
	− Sulphur in solid form**			
	− Limestone from production of calcium cyanamide (Ph<y)***			
	− Sodium, potassium, calcium chlorides ***			
	− Carborundum (silicon carbide)			
	− Broken concerte			
	− Lithium tantalum & Lillium-niobium containing glass scraps			

* Restricted, import permitted in the country with DGFT licence only for the purpose of reprocessing or reuse.

** Import permitted in the country without any licence or restriction.

** Import of limestone and other calcareous stones of a kind used for manufacture of lime or cement permitted in the country without licence or restriction.

B2050	Coal-fired power plant fly-ash unless it contains any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein.			
B2060	Spent activated carbon resulting from the treatment of potable water and processes of the food industry and vitamin production (note the related entry on list AA4160)			
B2070	Calcium fluoride sludge		AB050	ex 281800
B2080	Waste gypsum arising from chemical industry processes unless it contains any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein.			
B2090	Waste anode butts from steel or aluminium production made of petroleum coke or bitumen and cleaned to normal industry specifications (excluding anode butts from chlor alkali electrolyses industry)			
B2100	Wastes hydrated of aluminum and waste alumina and residues from alumina production, arising from gas cleaning, flocculation or filtration process			ex 281800

B2110	Bauxite residue ("red mud") (PH moderated to less than 11.5) (not the related entry of list AA4090)			
B2120	Waste acidic or basic solutions with a pH greater than 2 and less than 11.5 which are not corrosive or otherwise hazardous (not the related entry of list AA4090)			
B3	Wastes containing principally organic constituents which may contain metals and inorganic materials			
B3010	Solid plastic waste*		GH	
	The following plastic or mixed plastic materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to 4 specification:			
	- Scarp plastic of non-halogenated polymers and copolymers, including but not limited s to the following:			
	ethylene		GH011	391590
	styrene		GH012	391590
	polypropylene ere- phthalate		GH014	391590
	acrylonitrile		GH014	391590
	butadiene		GH014	ex 391590
	ployacetals		GH014	ex 391590
	polymides			
	polybutylene tere-phthalate		GH014	ex 391590
	polycarbonates		GH014	ex 391590
	Polyethers			
	ployphenylene sulphides		GH014	ex 391590
	acrylic polymers		GH014	ex 391590
	alkanes C10-C13 (plasticiser)			
	polyurethane (not containing CFC"s)		GH014	ex 391590

	polysiloxanes		GH014	ex 391590
	polymethl methacrylate		GH014	ex 391590
	polyvinayl alcohol		GH014	ex 391590
	polyvinyl butyral		GH014	ex 391590
	polyvinyl acetate		GH014	ex 391590

* Restricted, import permitted in the country with DGFT licence only for the purpose of reprocessing or reuse. [except polyhyiene terephithalate (PET) bottle waste scrap]

	- Cured waste resins or condensation products including the flowing:			
	urea formaldehyde resina		GH015	ex 391520
	phenol formaldehyde resina		GH015	ex 391520
	melamine formaldehyde resins		GH015	ex 391520
	epoxy resins		GH015	ex 391520
	alkyd resins		GH015	ex 391520
	polyamides		GH015	ex 391520
	-The following fluorinated polymer wastes (excluding post-consumer wastes):			
	Perfluorethlene/propylene			
	Perfluoroalkoxy alkane			
	Metafluoroalkoxy alkane			
	Polyvinyifluoride			
	Ployvinylidenefluoride			
B3020	Paper, paperboard and paper product wastes*			
	The following materials, provided they are not mixed with hazardous wastes:			
	Waste and scrap of paper or paperboard of:			
	− Unleached paper or paperboard or corrugated paper or paperboard			

	- other paper or paperboard, made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass			

* Import permitted in the country without any licence or restriction.

	- paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter)			
	- other, including but not limited to 1) laminated paperboard 2)unsorted scrap.			
B3030	Textile wastes			
	The following materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification:			
	Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and gernetted stock)*			
	- not carded or combed - other			
	Waste of wood or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock*			
	- noils of wool or of fine animal hair			
	- other waste wool or of fine animal hair			
	- waste of coarse animals hair			
	Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock)*			

	– yarn waste (including thread waste)			
	– garnetted stock			
	– other			
	Flax tow and waste*			

* Restricted, import permitted in the country with DGFT licence only for the purpose of reprocessing or reuse. In permitted without DGFT licence, if material is incompletely mutilated form conforming to the require specified by Customs authorities.

	Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) and garnetted stock) or true hemp (Cannabis sativa)**			
	Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of jute and other flax, true hemp and ramie)**			
	Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of sisal and other textile fibres of the genus Ageve*			
	Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of coconut*			
	Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of abaca (Menila hemp or Musa textile Nee)*			
	Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock of ramie and other vegetable textile fibres, not eisewhere specified or included			
	Waste (including yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres*			

	− of synthede fibres − of artifical fibres			
	Worn clothing and other worn textile articles			
	Used rags** scarp twine, cordge, rope and cables and worn out aricles to twine, cordage, rope of cables or textile materials			
	− sorted			

* Import permitted in the country without any licence or restriction.

** Restricted, import permitted in the country with DGFT licence only for the purpose of reprocessing or reuse. Import of woolen rags/syntheddy wool permitted without DGFT licence, if material is completely mutilated form subject to the condition that mutilation must conform to the requirements specified by Customs authorities.

B3040	Rubber wastes*			
	The following materials, provided they are not mixed with other wastes:			
	− Waste and scrap of heard rubber (e.g. ebonite)*			
	− Other rubber wastes (excluding such wastes specified elsewhere)			
B2050	Untreated corks and wood Wood waste and scrap, whther or not allomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms* Cork waste: crushed, granulated or ground cork*			

B3060	Wastes arising from agro-food industries provided it is not infectious: Wine less*			
	Dried and sterilized vegetable waste, residues and byproducts, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animals feeding, not elsewhere specified or included*		GM100	050690
	Degras: residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes**		GM110	ex 051191
	Waste of bones or horn cores unworked, defatted, simply prepared (but not out to shape), treated with acid or degelatinised**			
	Fish waste**			

* Import permitted in the country without any licence or restriction.

** Prohibited under EXIM Policy (ITC-HS Classification)

	Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste*			
	Other wastes arising from agro-food industry excluding by-products which meet national and international requirements and standards for human or animal consumption.			
B3070	The following wastes:			
	- Waste of human hair* - Waste straw*			

	– Decativated fungus mycelium from penicillin production to be used as animals feed			
B3080	Waste parings and scrap of rubber**			
B3090	Paring and other wastes of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles, excluding leather sludges, not containing hexavalent chromium compounds and biocides (note the related entry on list AA3100)			
B3100	Leather dust, ash, sludges or flours not containing hexavalent chromium compounds or biocides			
B3110	Fellmongery wastes not containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances			
B3120	Wastes consisting of food dyes*			

* Import permitted in the country without any licence or restriction.

** Restricted, import permitted in the country with DGFT licence only for the purpose of reprocessing or reuse.

B3130	Waste polymer ethers and waste non-hazardous monomer eithers incapable of forming peroxides			
B3140	Wastes pneumatic tyres, excluding those which do not lead to resource recovery, recycling reclamation of direct reuse*			

B4	Wastes which may contain either inorganic or organic constituents			
B4010	Wastes consisting mainly of water-based/latex paints, inks and hardened varnish not containing organic solvents, heavy metals or biocides to an extent to render them hazardous (not the related entry on list AA4070)			
B4020	Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives, not listed on list A, free of solvents and other contaminants to an extent that they do not exhibit Annex III characteristics, e.g. water-based, or glues based on casein starch, dextrin, cellulose ethers, polyvinyl alcohols (note the related entry on list AA3050)			
B4030	Used single-use comeras, with batteries not included on List A			

* Import permitted in the country without any licence or restriction.

Part B : List of Hazardous Characteristics

Code	Characteristic
1	Explosive An explosive substance or waste is a solid or liquid substance or waste (or mixture of substances or wastes) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such sped as to cause damage to the surroundings (UN Class 1; HI)
3	Flammable The word "flammable" has the same meanings as "inflammable". Flammable liquids are liquids, or mixture of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension (for example, paints, varnishes, lacquers, etc. but in including substances or wastes otherwise, classified on account of their dangerous characteristics) which give off a flammable vapour at temperatures of not more than 60.5 ^{0}C, closed-cup test, or not more than 60.5 ^{0}C, open-cup test. (Since the result of open-cup tests and of closed-cup tests are not strietly comparable and even individual result by the same test are often variable, regulations varying from the above figures to make allowance for such differences would be within the spirit of this definition)
4.1	Flammable solids Solids, or waste solids, other than those classed as explosives, which under conditions encountered in transport are readily combustible, or may cause, or contribute to fire through friction.
4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion Substances or wastes which are liable to spontaneous heating under normal conditions encountered in transport, or to heating up on contact with air, and being then liable to catch fire.
4.3	Substances or wastes which, in contact with water emit flammable gases

	Substances or wastes which, by interaction with water, are liable to become spontaneiously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.
5.1	Oxidizing Substances or wastes which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen cause, or contribute to, the combustion of other materials.
5.2	Organic peroxides Organic substances or wastes which contain the bivalent-O-O- structure are therenally unstable substances which may undergo exothermic self-accelerating decomposition
6.1	Poisons (Acute) Substances or wastes liable either to cause death or serious injury or to harm health if swallowed or inhaled or by skin contaet.
6.2	Infections substances Substances or wastes containing viable micro organisms or their toxins which are know or suspected to cause disease in animals or humans.
8	Corrosives Substances or wastes which, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissue, or, in the case of leakage, will materially damage, or even destroy, other goods or the means of transport; they may also cause other hazards.
10	Liberation of toxic gases in contact with air or water Substances or wastes which, by interaction with air or water, are liable to give off toxic gases in dangerous quantities.
11	Toxic (Delayed or chronic) Substances or wastes which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may involve delayed or chronic effects, including carcinogenicity).
12	Ecotoxic Substances or wastes which if released present or may present immediate or delayed adverse impacts to the

	environment by means of bioaccumulation and/or toxic effects upon biotic systems.
13	Capable by any means, after disposal, of yielding another material, e.g. leachate, which possesses any of the characteristics listed above.

Sechdule-4
[See rule 3 (20), 19 (1) and 20 (10]
List of non-Ferrous Metal Wastes Applicable for Registration of Recyclers

Waste Category	Waste Type
1	2
1.	Brass Scrap
2.	Brass dross
3.	Copper Scrap
4.	Copper Dross
5.	Copper Oxide mill scale
6.	Copper reverts, cake and residue
7.	Waste Copper and copper alloys
8.	Slags from copper processing for further processing or refining
9.	Insulated Copper Wire Scrap/copper with PVC sheathing including ISKI-code material namely "Druid"
10.	Jelly filled copper cables
11.	Spent cleared metal catalyst containing copper
12.	Nickel Scrap
13.	Spent catalyst containing nickel, cadmium, zinc, copper and arsenic
14.	Zinc Scrap
15.	Zinc Dross-Hot dip Galvanizers SLAB
16.	Zinc Dross-Bottom Dross
17.	Zinc ash/skimmings arising from galvanizing and die casting operations refining
18.	Zinc ash/skimmings/other zinc bearing wastes arising from smelting and refining
19.	Zinc ash and residues including zinc alloy residues in dispersible iron.
20.	Spent cleared metal catalyst containing zinc
21.	Mixed non-ferrous metal scarp
22.	Lead acid battery plates and other lead scarp/ashes/residues not covered under Batteries (Management and Handing) Rules, 2001

Sechdule-5

[See rule 3 (34)]

Specification for used oil Suitable for Re-refining

Sr. No.	Parameter	Maximum Permissible Limit
1	2	3
1.	Colour	8 hazen units
2.	Water	15%
3.	Density	0.85 to 0.95
4.	Kinemetic viscosity cSt at 100^0c	1.0 to 32
5.	Dilutents	15% vol.
6.	Neutralisation No.	3.5 mg KOH/g
7.	Saponification Value	18 mg KOH/g
8.	Total halogens	4000 ppm
9.	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	Below detection limit
10.	Lead	100 ppm
11.	Arsenic	5 ppm
12.	Cadmium-Chromium-Nickle	500 ppm
13.	Polyromatic hydrocarbons (PAH)	6%

* Notification G.S.R. 620 (E) dated 06-09-1995 is hereby rescinded.

Sechdule-6
[See rule 3 (35) and 20(2)]
Specification for Waste Oil Suitable for Recycling

Sr. No.	Parameter	Limit
1	2	3
1		
2		
3	Polyromatic hydrocarbons (PAH)	6% maximum
4	Total halogens	4000 ppm maximum
5	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	Below detection limit

Sechdule-7

[See rule 4 (B) and 12(4)]

List of Authorities and Corresponding Duties

S. No.	Authority	Corresponding Duties	
1	Ministry of Environment and Forests under the Environment (Protection) Act, 1986	(i)	Identification of hazardous wastes [Rules 3(14)]
		(ii)	Permission to exporters [rule 14]
		(iii)	Permission to importers [rule 13]
		(iv)	Registration of non-ferrous metal wastes and used oil/waste oil (Rule 20]
		(v)	Permission for transit of hazardous wastes through India [rule 12(2)]
2	Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	(i)	Co-ordination of activities of State Pollution Control Boards/Committee
		(ii)	Conduct training courses for authorities dealing with management of hazardous wastes
		(iii)	Recommend standards and specification for treatment and disposal of wastes and leachates recommend procedures for characterization of hazardous wastes.
		(iv)	Sector specific documentation to identify waste streams(s) for inclusion in Hazardous Wastes Rules
		(v)	Prepare guidelines to prevent/reduce/minimize the generation and handling of hazardous wastes

		(vi)	Any other function under Rules delegated by the Ministry of Environment and Forests
	State Government/Union Territory Government/ Administration	(i)	Identification of site(s) for common treatment storage and disposal facility (TSDF) [Rule 8(2)]
		(ii)	Asses EIA report and convey the decision of approval of site or otherwise [rule 8(6)]
		(iii)	Acquire the site or inform operator of facility or occupier or association of occupiers to acquire the site [Rule 8(7)]
		(iv)	Notification of sites [Rule 8(7)]
		(v)	Publish periodicallyan inventory of all disposal sites in the State/Union territory [Rule 8(7)]
4	State Pollution Control Board or Pollution Control Committee constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	(i)	Inventiorisation of hazardous wastes [Rule 9(3)]
		(ii)	Grant and renewal of authorisation [Rule 5]
		(iii)	Monitoring of compliance of various provisions and conditions of authroisation including exports and imports
		(iv)	Issue of public notice and conduct public hearing [Rule 8(4)]
		(v)	Examining the applications for imports submitted by the importers and forwarding the same to Ministry of Environment and Forests [Rule 13 (1) & (2)]
		(vi)	Implementation of programmes to prevent/reduce/minimise the generation of hazardous wastes
		(vii)	Action against violations of Hazardous Wastes

			(Management and Handling) Rules, 1989
5.	Directorate General of Foreign Trade constituted under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992	(i)	Grant of licence for import of hazardous wastes [Rule 13 (5)]
		(ii)	Refusalf of licence for hazardous wastes prohibited for imports or export [Rule 12(7)]
6.	Port Authority under Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and Customs Authority under the Customs Act, 1962(52 of 1962)	(i)	Verify the documents [Rule 13 (6)]
		(ii)	Inform the Ministry of Environment and Forests of any illegal traffic [Rule 15}
		(iii)	Analyse wastes permitted for import and exports
		(iv)	Train officials on the provisions of the Hazardous Wastes Rules and in the analysis of hazardous wastes
		(v)	Take action against export/import violations under the Indian Ports Act, 1908/Cutoms Act, 1962

Sechdule-8
[See rule 12(1)]
Hazardous Wastes Prohibited for Import and Export

S. No.	Basel* No.	OECD** No.	Description of material
1.	A1010	AA100	Mercury
2.	A1030	AA100	Waste having Mercury, Mercury Compounds as constituents or contaminants
3.	A1010	AA070	Beryllium
4.	A1020	AA070	Waste having Beryllium, Beryllium Compounds as constituents or contaminants
5.	A1010	AA090	Arsenic
6.	A1030	AA090	Waste having Arsenic, Arsenic Compounds as constituents or contaminants
7.	A1010	AA070	Selenium
8.	A1020	AA070	Waste having Selenium, Selenium Compounds as constituents or contaminants
9.	A1010	AA080	Thallium
10.	A1030	AA080	Waste having Thallium, Thallium Compounds as constituents or contaminants
11.	A1040	AA070	Hexavalent Chromium Compouns
12.	A1140		Wastes Cupric Chloirde and Copper Cyanide Catalysis
13.	A2020		Waste inorganic fluorine compounds in the form of liquids or sludge but excluding calcium fluoride sludge
14.	A2040		Waste gypsum arising from chemical industry processes if in contains any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein.
15.	A2050	RB010	Waste Asbestos (Dust and Fibres)
16.	A2060		Coat fired power plant fly ash if it contains any of the constituents

			mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein.
17.	A3930		Wastes that consist of or are contaminated with leaded anti-knock compound sludge or leaded petrol (gasoline) sludges.
18.	A3040		Waste theremal (heat transfer) fluids.
19.	A3060		Waste Nitrocellulose.
20.	A3090		Waste leather dust, ash sludge and flours when containing hexavalent chromium compounds or biocides.
21.	A3100		Waste paring and other waste of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles containing hexavalent chromium compounds or biocides.
22.	A3110		Fillmongery wastes containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances.
23.	A3150		Waste halogenated organic solvents.
24.	A3180	AC120	Waste, Substances and articles containing, consisting of or contaminated with polychlorinated biphenyles (PCB) and/or polychlorinated terphenyls, (PCT) and/or polychlorinated naphthanlenes (PCN) or any other polybrominated biphyenyles (PBB) or any other polybrominated analogues of these compounds
25.	A3190		Waste tarry residues (excluding asphalt cements) arising from refining, distillation and pyrolitic treatment of organic materials)
26.	A4020		Clinical and related wastes; that is wastes arising from medical, nursing, dental, veterinary, or similar practices and wastes generated in hospital or

			other facilities during the investigation or treatment of patients, or research projects.
27.	A4030	AD020	Waste from the production, formulation and use of biocides and phyto-parmaceuticals, including waste pesticides and hebicides which are off-specification, out-dated, and/or unfit for cheir originally intended use.
28.	A4050	AD040	Waste that contain, consist, or are contaminated with any of the following; • Inorganic cycanides, excepting precious metal bearing residues in solid form containing traces of inorganic cyanides. • Organic cyanides.
29.	A4060		Wastes oil/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions.

* Basel Convention of Control of Transboudnry Movement of Hazardous Waste and their disposal.

** Organisation for Economic Cooperation and Development.

16. In the said rules, for Form 1, the following Form shall be substituted, namely:-

Form-1

[See rules 3(2), 5(2) and (6) (ii)]

Application for-Obtaining Authorisation for Collection/Reception/Treatment/Transports/Storage/Disposal of Hazardous Waste*

From

……………………………….

……………………………….

……………………………….

To,

The Member Secretary,

…………… Pollution Control Board,

……………………………….

……………………………….

Sir,

I/We hereby apply for authrisation/renewal of authorisation under sub-rule (2) and (3) and clause (ii) of sub-rule (6) of rule 5 of the Hazardous Wastes (Management and Handing Rules, 1989 for collection/reception/treatment/transport/storage/disposal of hazardous wastes.

For Office Use Only	
1.	Code No.
2.	Whether the unit is situated in a critically polluted area as identified by Ministry of Environment and Forests
	To be filled in the Applicant
	Part-A: General
3.	(a) Name and address of the unit and location of activity
	(b) Authorisation required for (Please tick mark appropriate activity/activities: (i) collection (ii) reception (iii) treatment

	(iv) transport (v) storage (vi) disposal
	(c) In case of renewal of authrisation previous authorisation number and date
4.	(a) Whether the units is generating hazardous waste as defined in the Hazardous Wastes (Management and Handing Rules, 1989 and amendments made thereunder; (b) If so the type and quantity of wastes
5.	(a) Total capital invested on the project: (b) Year of commencement of production: (c) Whether the industry worked general/2 shift/round the clock:
6.	(a) List and quantum of products and by-products: (b) List and quantum of raw material used.
7.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and demineralised water.
	Part-B: Sewage and Trade Effluent
8.	Quantity and source of water for: (a) Cooling m^3/d (b) Process m^3/d (c) Domestic use m^3/d (d) Others m^3/d
9.	Sewage and trade effluent discharge; (a) Quantum of discharge m^3/d (b) If there any effluent treatment plant: (c) If yes, a brief description of unit operations with capacity: (d) Characteristics of final effluent: pH Suspended solids Dissolved solids Chemical Oxygen Demand (COD) Biochemical Oxygen Demand [3][(BoD_5/ 20^0C)BoD_3/ 27^0C] Oil and grease

	(additional parameters as specified by the concerned Pollution Control Board) (e) Mode of disposal and final discharge point: (f) (enclose map showing discharge point): (g) Parameters and Frequency of self monitoring: [*] Read BOD (3 days at $27^{0}C$)
	Part-C: Stack (Chimney) and Vent Emissions
10.	(a) Number of stacks and vents with height and dia (m): (b) Quality and quantity of stack emission from each of the above stacks-particulate matter and Sulphar dioxide (SO2) (Additiona parameters as specified by the concerned Pollution Control Board): (c) A brief account of the air pollution control unit to deal with the emission (d) Parameters and Frequency of self
	Part-D: Hazardous Wastes
11.	Hazardous Wastes (a) Type of hazardous waste generated as defined under the Hazardous Wastes (Management and Handing Rules, 1989: (b) Quantum of hazardous waste generated: (c) Mode of storage within the plant, method of disposal and capacity:
12.	(a) Hazardous Chemicals as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989) (b) Whether any isolated storage is involved (if yes, attach details) Yes/No
	Part-E: Treatment, Storage and Disposal Facility
13.	Detailed proposal of the facility (to be attached) to included: (i) Location of site (Provided map) (ii) Name of waste processing technology (iii) Details of processing technology (iv) Type and Quantity of waste to be processed per day (v) Site clearance (from local authority, if any) (vi) Utilization programme for waste processed (Product Utilization)

	(vii) Method of disposal (details in brief be given) (viii) Quantity of waste to be disposed per day (ix) Nature and composition of waste (x) Methodology and operational details of landfilling/incineration (xi) Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution including treatment of leachates (xii) Investment on Project and expected returns (xiii) Measures to be taken for safety of workers working in the plant.

Place: Signature …………….
Date: Designation …………..

17. In the said rules, for Form 4, the following Form shall be substituted, namely:-

"Form-4

[See rule 9(2)]

Form For Filling Returns Regarding Handing of Hazardous Wastes

[to be submitted to the State Pollution Control Board/Committee by 31st January of every yea]

1. Name and address of the Occupier/Operator of Facility:
2. Categories of wastes generated and quantity (in metric tones):
3. Details of waste treatment operations:
4. Details of waste disposal operations:

S. No.	Description of Hazardous Waste								
	Date of issuances of authorisation for the disposal of hazardous waste and its reference number	Physical form and contents	Chemical form	Total Volume of the hazardous waste disposed with no. of packages	Mode of transportation to the site of disposal	Site of disposal (attach a sketch showing the location (s) of disposal)	Brief description of the method or disposal	Date of disposal	Remark (if nay)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. Details of environmental surveillance:

Date of letter	Analysis of ground water supples	Anaysis of soil samples	Anyalysis of air sampling	Analysi

Measurement details)	Location of sampling	Depth of sampling	Data	Location of sampling	Depth of sampling	Data	Depth of sampling	Data	s of any samples give

Place:
Date:

Signature …………….
Designation …………..

In the said rules, for Form 10, the following Form shall be substituted, namely:-

"Form-4
[See rule 19(2) and 19(6)]

Form of application for Grant/Renewal of Registration of Industrial Units Possessing Environmentally Sound Management Facilities for Recycling/Re-Refining Non-Ferrous Metal Wastes/Used Oil/Waste Oil*
(To be submitted to the Central Pollution Control Board in triplicate)

1.	Name and Address of the unit	
2.	Name of the occupier of owner of the unit with designation, Tel/Fax	
3.	Date of commissioning of the unit	
4.	No. of workers (including contract labourers)	
5.	Consent validity	Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 valid up to Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 Valid up to
6.	Authorisation under Rule 5 of the HW (M&H) Rules, 1989	Valid up to
7.	Product Manufacutred during the last three year (Tonnes/Year) Name a) b) c)	
8.	Raw material consumption during last three years Tonnes/Year) Name a)	

	b) c)	
9.	Manufacturing process	Please attach manufacturing process flow diagram of each product (s)
10.	Water Conumption	Industrial ………. m^3/day Domestic ………. m^3/day
11.	Water Cess paid up to	
12.	Waste water generation a. as per consent m^3/day b. actual m^3/day (average of last three months)	Industrial Domestic
13.	Waste water treatment (please provided flow diagram of the treatment scheme)	Industrial Domestic
14.	Waste water discharge	Quantity m^3/day Location Analysis of treated waste water PH,BOD, COD, SS, O&G any other
15.	Air Pollution Control a. Please provided flow diagram for emission control system(s) installed for each process unit, utilities etc. b. Details of facilities provided control of fugitive emission due to material handling process, utilities etc. Fuel consumption Stack emission monitoring results	S. No. name quantity D/M No. Stack Emission mg/Nm Attach to PM SO_2 Metals (PB.Zn.) S. No. Location Parameter Mg/m SO_2 NO_2 ,SPM, Pb, any other

	Ambient air quality	
16.	Hazardous waste management a. Waste generation b. Details on collection, treatment and transport c. Disposal (I) Please furnish details of the disposal facilities (II) Whether facilities provided are in compliance with the conditions lad down in the aurhtorisation granted under rule 5 of the State Pollution Control Board (III) Please attach analysis report of characterization of hazardous waste generated (including leachate text if applicabley)	S.No. Name Category Quantity
17.	Details of waste proposed to be acquired through auction/negotiation/contract or import as the case may be for use as raw material	1. Name 2. Quantity required per year 3. Waste listing & No. in Anexx VIII, Annex IX (List B) of Basel 4. Hazard Characteristic as per (BC
18.	Occupational safety and Health aspects	Please provided details of facilities provided
19.	Remarks (I) whether industry has provided adequate pollution control system/equipment to	Yes/No

	meet the standards of emission/effluent. (II) Whether industry is in compliance with conditions laid down in the HW authorisation. (III) Whether HW collection and Treatment, Storage and disposal Facility (TSDF) are operating satisfactorily (IV) Whether conditions exists or likely to exists of the material being handled/processed of posing immediate or delayed adverse impacts on the Environment. (V) Whether conditions exists or is likely to exists of the materials being handled/processed by any means capabie of	Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No
20.	Any other information (I) (II) (III)	
21.	List of enclosures as rule 19(2)	

Place: Signature …………….
Date: Designation …………..

Form-12
[See rule 19(13)]

Form for Filling Returns by Recyclers/Re-refiners of Non-Ferrous Metal Wastes/Used Oil/Waste Oil*

[To be submitted by recyclers/re-refiners to State Pollution Control Board/Committee by 31st January of every year]

1.	Name and address of the recycler	
2.	Name of the authorized person and full address with telephone and fax number	
3.	Installed annual capacity to recycle non-ferrous metal wastes/used oil/waste oil (in MTA)	
4.	Total quantity of non-ferrous metal wastes/used oil (in MTA) purchased/processed/sold during the period from October-March/April-September	(i) Quantity of wastes purchased from the manufactures- (ii) Quantity of waste purchased from auctioneers- (iii) Quantity of wastes obtained from any other sources- (iv) Quantity of waste processed- (v) Quantity of wastes sold
5.	Quantity and type material recovered from non-ferrous metal wastes/used oil/waste oil (in MTA)	
6.	Quantity of recyclable materials sent back	(i) the manufactures (ii) other agencies #

* delete whichever is not applicable
\# enclosed list of other agencies

Place:	Signature …………….
Date:	Designation …………..

Form-13
[See rule 20 (3)]

Form for Filling Returns of Auction/Sale of Non-Ferrous Metal Wastes/Used Oil/Waste Oil*

[To be submitted by waste generators/auctioneers to the concerned State Pollution Control Board/Committee by 31st January of every year]

1.	Name and address of the waste generation/auctioneer	
2.	Total quantity of wastes auctioned/sold during the period	(i) Non-ferrous Metal Wastes [indicated type and quantity in metric tones alongwith the name(s)/address(s) of registered recycler(s)]: (ii) Used oil/waste oil [indicated type and quantity in metric tones alongwith the name(s)/address(s) of registered recycler(s)/re-refiner(s)]:

* delete whichever is not applicable

Place: Signature …………….

Date: Designation ………….

Jnnurm

Jawaharlal Nehru National urban Renewal Mission

Towards better cities

Ministry of Urban Employment And Poverty Alleviation.

Ministry of Urban Development

Government of India

Preamble

Cities and towns have a vital role in India"s socio-economic transformation and change. Host to about 30 per cent of the country"s population, they contribute 50-55 per cent of the gross domestic products (GDP). At the same time, most cities and town ale severely stressed in terms of infrastructure and service availability, and their growth and development is constrained by indifferent implementation of the Constitution (seventy-fourth) Amendment Act, 1992, and continuation of statutes, systems and procedures that impede the operation of land and housing markets. As this is incompatible with the country"s socio-economic objectives, the Government of India had launched a Jawarharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) in the current fiscal yea. The JNNURM aims to encourage cities to initiate steps to bring about improvement in the existing service levels in a financially sustainable manner. The JNNURM consists of two sub-mission; the Urban Infrastructure and Governance and the Basic service to the Urban poor. It believes that in order to make cities work efficiently and equitably, it is essential to crate incentives and support urban reforms at state and city levels; develop appropriate enabling and regulatory frameworks; enhance the creditworthiness of municipalities; and integrate the poor with the services delivery system.

Objectives

The primary objective of the JNNURM is to create economically productive, efficient, equitable and responsive cities. In line with this objective, the Mission focuses on:

- Integrated development of infrastructure services;
- Securing linkages between asset creation and maintenance for long run project sustainability;
- Accelerating the flow of investment into urban infrastructure services;
- Planned development of cities including the peri-urban areas, outgrowths, and urban corridors;
- Renewal and re-development of inner city areas[and
- Universalisation of urban services so as to ensure their availability to the urban poor.

Institutional Framework

The JNNURM will function under the over all guidance and supervision of a National Steering Group (NSG). To be chaired by the Ministry of Urban Development and co-chaired by the Minister of State for Urban Employment and Poverty Alleviation respectively, the NSG will set policies for implementation, monitor and review progress, and suggest correctives where necessary. The NSG will be supported by a Technical Advisory Group (TAG) whose task will be to appraise proposals, and a Central Sanctioning and Monitoring Committee which will be responsible for further appraising and sanctioning proposals.

At the state level, the JNNURM will be co-ordinated by the State Level Steering Committees. To be headed by the Chief Ministers, the State Level Steering Committees will review and priorities proposals for inclusion in the JNNURM. The State Level Committees will be supported by nodal agencies who will invite project proposals, appraise them, and manage and monitor the JNNURM.

Institutional Framework

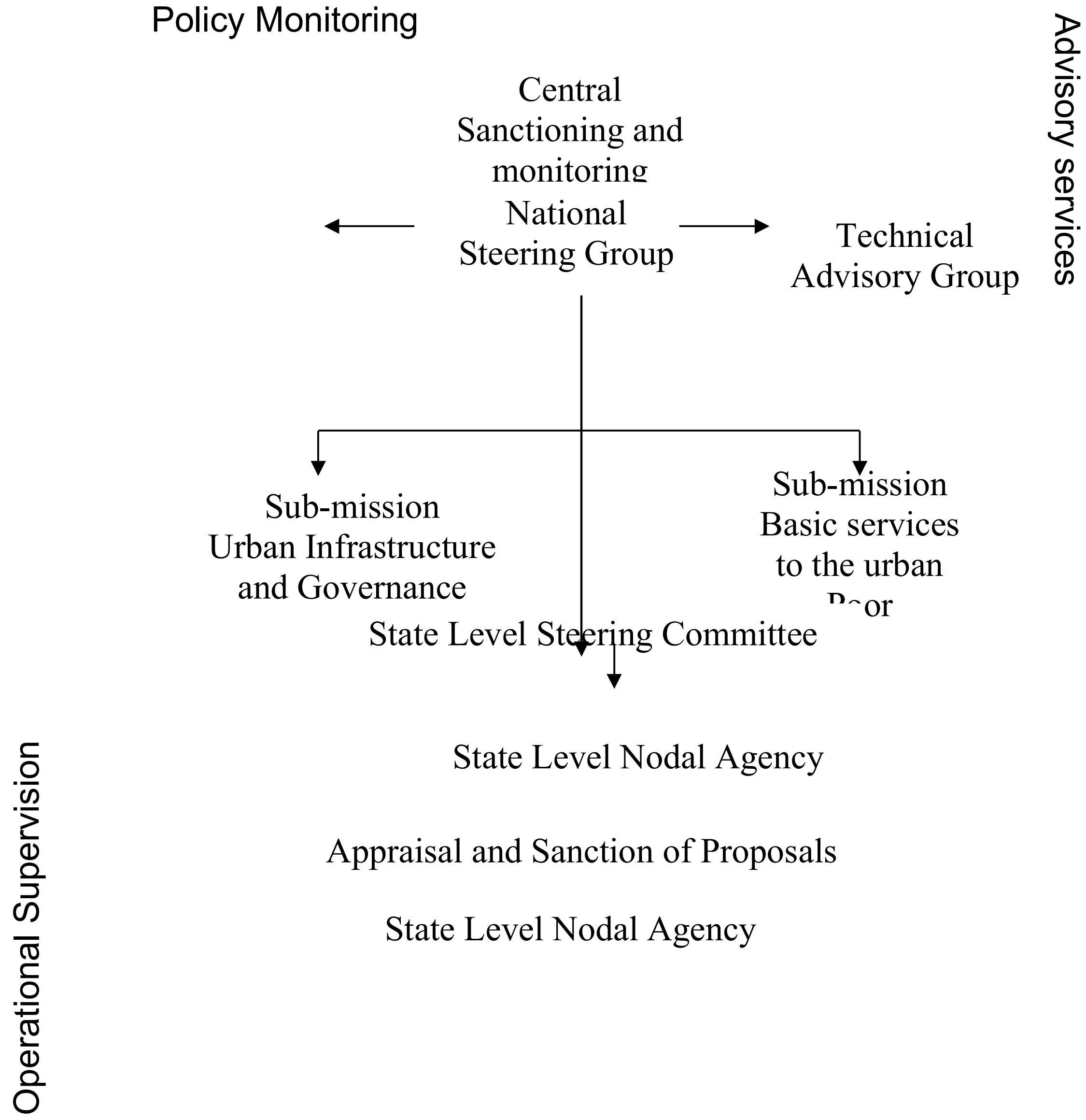

Thrust Areas

The JNNURM is designed to support:

- Water supply including setting up of desalination plants;
- Sewerage and sanitation;
- Solid waste management including hospital waste management;
- Construction and improvement of drains and storm-water drainage system;
- Road network;
- Urban transport;
- Construction and development of bus and truck terminals;
- Renewal and re-development of inner city areas;
- Development of heritage areas;

- Preservation of waster bodies;
- Integrated development of slums, i.e. housing and development of infrastructure in slum settlement;
- Provision of basic services to the urban poor; and
- Street lighting

JNNURM Reform Agenda

The Mission Requires the state government and cities seeking assistance to undertake reforms in order to achieve its objectives. The reforms are in two parts: (i) mandatory and (ii) optional

Mandatory Reforms: State-level

To be undertaken at the state level, the mandatory reforms are:

i. Effective implementation of decentralization initiatives as envisaged in the Constitution (Seventy-fourth) Amendment Act, 1992;
ii. Repeal of Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976*;
iii. Reform of Rent Control laws, by balancing the interests If landlords and tenants*;
iv. Rationalization of stamp duty to bring it down to no more than 5 per cent within seven years;
v. Enactment of public disclosure law;
vi. Enactment of community participation low, so as to institutionalise citizens" participation in local decision making; and
vii. Association of elected municipalities with the city planning function.

* In respect of schemes for basic services to the urban poor and schemes for water supply and sanitation, the two mandatory reforms, viz. repeal of Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 and reform of rent control laws will be treated as optional.

JNNURM Reform Agenda

Mandatory Reforms: Municipal-level

To be undertaken at the level of municipalities, the reforms comprise:

i. Adoption of a modern, accrual-based, double entry system of accounting;
ii. Introduction of a system of e-governance using IT applications, GIS and MIS for various urban services;
iii. Reform of property tax with GIS, and arrangements for its effective implementation so as to raise collection efficiency to 85 per cent;
iv. Levy of reasonable user charges with the objective that full cost of operation and maintenance is collected within seven years;
v. Internal earmarking of budgets for basic services to the urban poor; and
vi. Provision of basic services to the urban poor, including security of tenure at affordable prices.

JNNURM Reform Agenda
Optional Reforms

i. Revision of bye-laws to streamline the approval process for construction of building, development of sites etc;
ii. Simplification of legal and procedural frameworks for conversion of agricultural land for non-agricultural purposes;
iii. Introduction of property title certification;
iv. Earmarking of at least 20-25 per cent developed land in housing projects for economically weaker sections and law incomes groups with a systems of cross-subsidisation;
v. Introduction of computerised registration of land and property;
vi. Revision of byelaws to make rainwater harvesting mandatory in all buildings, and adoption of water conservation measures;
vii. Byelaws for reuse of recycled water;
viii. Administrative reforms including reduction in establishment cost by introducing voluntary retirement schemes and surrender of posts falling vacant due to retirement;
ix. Structural reforms; and
x. Encouraging public private-partnership.

Expected Outcomes

The JNNURM expects that proper application of the reforms agenda combined with effective implementation its programmes and projects will lead to:

- Universal access to a minimum level of services;
- Establishment of city-wide frameworks for planning and governances;
- Modern and transparent budgeting, accounting, and financial management system at municipal levels;
- Financial sustainability for municipalities and other services delivery institutions;
- Introduction of e-governance in the core functions of municipal governments; and
- Transparency and accountability in urban serviced delivery and management.

Coverage and Pattern of funding

The JNNURM will, in the first phase, extend to 60 citeis comprising all those with population exceeding one million, state-capitals and 20 other cities of religious and tourist importance. State governments have the flexibility of substituting the designated cities, with others.

With an estimated provision of Rs. 50,000 crore for a period of seven years, the JNNURM is the single largest central government initiative in the urban sector. To be given as grants-in-aid, the Mission expects that these will be used to leverage additional resources for financing urban development.

Toolkits

JNNURM funds can be accessed by eligible urban local bodies and parastatl organizations by application, to the Ministry of Urban Development, comprising;

- A City Development Plan (CDP);
- Detailed Project Report (DPR); and
- Timeline for implantation of the urban reforms agenda.

A CDP provided both a perspective and a vision for the development of a city. DPRs are specific proposals in areas that are to be supported under the JNNURM, with details of the project"s feasibility and compatibility with other norms and standards. The Timeline shows the schedule for the implementation of the urban reforms agenda.

The Government of India will provide toolkits to enable the urban local bodies and other parastatal organizations to formulate CDPs, DPRs, and Timelines for implementation of the urban reform agenda.

Delhi Greater Mumbai Ahmedabad Bangalore Chennai Kolkatta Hyderbad Patna Faridabad Bhopa Ludhiana Jaipur Lucknow Madurai Nashik Nagpur Pune Kochi Varanasi Agra Amritsar Vishakhapatnam Vadodara Surat Kanpur Choimbatore Meerut Jabalpur Jamshedpur Asansol Allahabad Vijaywada Rajkot Dhanbad Indore Guwahati Itdanagar Jammu Raipur Panaji Shimla Ranchi Thiruvanthapuram Imphal Shillogn, Aizawal Kohima Bhubaneswar Gangtok Agartala Dehradun Bodhgaya Ujjain Ajmer-Pushkar Puri Nainital Mysore Pondicherry Chandigar Srinagar Nanded Mathura Haridwar Delhi Greater Mumbai Ahmedabad Bangalore Chennai Kolkatta Hyderbad Patna Faridabad Bhopa Ludhiana Jaipur Lucknow Madurai Nashik Nagpur Pune Kochi Varanasi Agra Amritsar Vishakhapatnam Vadodara Surat Kanpur Choimbatore Meerut Jabalpur Jamshedpur Asansol Allahabad Vijaywada Rajkot Dhanbad Indore Guwahati Itdanagar Jammu Raipur Panaji Shimla Ranchi Thiruvanthapuram Imphal Shillogn, Aizawal Kohima Bhubaneswar Gangtok Agartala Dehradun Bodhgaya Ujjain Ajmer-Pushkar Puri Nainital Mysore Pondicherry Chandigar Srinagar Nanded Mathura Haridwar Delhi Greater Mumbai Ahmedabad Bangalore Chennai Kolkatta Hyderbad Patna Faridabad Bhopa Ludhiana Jaipur Lucknow Madurai Nashik Nagpur Pune Kochi Varanasi Agra Amritsar Vishakhapatnam Vadodara Surat Kanpur Choimbatore Meerut Jabalpur Jamshedpur Asansol Allahabad Vijaywada Rajkot Dhanbad Indore Guwahati Itdanagar Jammu Raipur Panaji Shimla Ranchi Thiruvanthapuram Imphal Shillogn, Aizawal Kohima Bhubaneswar Gangtok Agartala Dehradun Bodhgaya Ujjain Ajmer-Pushkar Puri Nainital Mysore Pondicherry Chandigar Srinagar Nanded Mathura Haridwar